

मूल्य : पच्चीस रुपये

कापीराइट 1978 डा० भोलानाथ तिवारी, दिल्ली
प्रथम संस्करण सितम्बर, 1978

प्रकाशक

लिपि प्रकाशन

1, असारी रोड, दरियागज

नई दिल्ली-110002

मुद्रक शान प्रिंटर्स, दिल्ली-32

ACCHI HINDI

by Dr. Bhola Nath Tiwari

Rs 25 00

दो शब्द

जिस भाषा का क्षेत्रीय विस्तार जितना ही अधिक होता है, मानक रूप अथवा अशुद्धियों आदि की दृष्टि से उसकी समस्याएँ भी उतनी ही अधिक होती हैं। हिन्दी भी बहुत बड़े क्षेत्रीय विस्तारवाली भाषा है, अतः ये समस्याएँ उसके सामने भी हैं, और खूब हैं। इस समय हिन्दी की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उसके बहुस्वीकृत प्रयोग और उसमें होने वाली अशुद्धियों का संकेत करते हुए उसके मानक रूप को एक निश्चित स्वरूप में लेने में सहायता की जाए। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है।

‘अच्छी हिन्दी’ नाम से सबसे पहले आदरणीय श्री रामचन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके अब तक कई संस्करण निकल चुके हैं। वर्मा जी ने जब पुस्तक लिखी थी, वह बहुत अच्छी थी, किंतु तब से स्थिति काफी बदल चुकी है। एक ओर तो, हिन्दी के बहुत से ऐसे प्रयोग हैं, जो उस समय खटकते थे, किंतु अब मानक हिन्दी के अभिन्न अंग बन चुके हैं, इसलिए उनके सबध में वर्मा जी ने जो बात कही थी, अब विशेष काम की नहीं रह गई हैं। दूसरे, अनेक कारणों से अब कुछ ऐसी नई समस्याएँ उभर आई हैं, जो उस समय नहीं थी। स्पष्ट ही इन नई समस्याओं के सबध में वर्मा जी की ‘अच्छी हिन्दी’ में कुछ पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक तीसरी बात दृष्टिकोण की भी है। वर्मा जी ने अपनी ‘अच्छी हिन्दी’ में अपने को व्याकरणिक प्रयोगों तक सीमित रखा है। मेरे विचार में किसी भाषा के अच्छेपन के लिए, यदि वह लिखित है तो वर्तनी पर ध्यान देना जितना आवश्यक है, बोलचाल की है तो उतना ही आवश्यक है उच्चारण पर ध्यान देना। वर्मा जी का ध्यान उच्चारण पर नहीं गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं सब बातों के कारण मुझे एक नई पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव हुआ, और यह पुस्तक उसी का परिणाम है।

अब रहा नाम का प्रश्न। वर्मा जी ने अपनी पुस्तक का नाम ‘अच्छी हिन्दी’ रखा, जो बहुत ही उपयुक्त है। वाद में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने ‘अच्छी हिन्दी का नमूना’ नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें वर्मा जी की गल-

तियो का सकेत किया। वस्तुतः 'भाषा की मानकता का प्रश्न' इतना विवादास्पद है कि उस दृष्टि से किसी भी पुस्तक को लेकर बहुत कुछ कहने की गुंजाइश हो सकती है। चाहे वह पुस्तक किसी की भी बुरी न हो। अस्तु। फिर, कुछ दिनों के बाद आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने स्वयं भी 'अच्छी हिन्दी' नाम से एक पुस्तक लिखी, जो अपनी कई अच्छाइयों के बावजूद हिन्दी के कुछ थोड़े-से आयामों तक ही केन्द्रित होने के कारण हिन्दी की कुछ थोड़ी-सी समस्याओं के साथ ही न्याय कर सकी। इस बीच 'शुद्ध हिन्दी' तथा 'मानक हिन्दी' आदि एक-दो अन्य नामों से कुछ और पुस्तकें भी निकली हैं, किन्तु किसी में भी वर्मा जी की पुस्तक में प्राप्त व्यापकता नहीं है। अपनी पुस्तक के नामकरण में मैंने श्रद्धेय श्रीवर्मा जी के नामकरण से बेकार में हटने का यत्न नहीं किया है। यह नाम मूलतः वर्मा जी का है, और उनसे मैं इसे साभार ले रहा हूँ। आखिर आचार्य वाजपेयी ने भी यह नाम उनसे लिया ही है।

वर्माजी से मेरा बहुत निकट का संबंध था, और उनके पत्र मेरे पास प्रायः आते थे। उन्होंने अपनी कई पुस्तकें भी आशीर्वाद-स्वरूप मुझे दी थीं। वस्तुतः इस दिशा में जो थोड़ा-बहुत मैं सोच सका हूँ, उसमें वर्माजी का भी हाथ रहा है। यह दूसरी बात है कि बहुत-सी बातों में मेरी उनसे विनम्र असहमित रही है तथा इस संबंध में उन्हें मैंने यथासमय लिखा भी था। उदाहरण के लिए वर्मा जी ने 'शब्द-साधना' तथा एक-दो अन्य पुस्तकों में भी नए शब्द गढ़कर जो पर्यायों में अर्थ-भेद और प्रयोग-भेद दिखाने का प्रयास किया है उसे मैं ठीक नहीं मानता। जब तक कोई शब्द भाषा में चल कर सहज रूप में अपनी अर्थ-परिधि न बना ले, जबरदस्ती उसकी अर्थ-परिधि बनाकर उसे ऐसी पुस्तकों में शामिल करने का अधिकार, मेरे विचार में प्रयोग-शास्त्री को हरगिज नहीं है।

अपनी इस पुस्तक में, मैंने अनेक नई समस्याओं को लेने के साथ-साथ उन सारी समस्याओं को, तथा कहीं-कहीं उदाहरण भी, वर्माजी, वाजपेयी जी तथा कई अन्य गुरुजनों और मित्रों की पुस्तकों से ले लिया है, जो आज की हिन्दी की मानकता की दृष्टि में मार्थक हैं तथा उनके लिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। हाँ यह अवश्य है कि अनेक स्थलों पर पूर्ववर्ती लेखकों से ली गई समस्याओं के प्रति मेरा विवेचन मेरी अपनी दृष्टि से है। अतः मतभेद की भी संभावना है।

हिन्दी को शुद्ध और मानक रूप देने की दिशा में पहला प्रयास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, उसके बाद गुरु जी ने अपने व्याकरण के द्वारा उसे कुछ आगे बढ़ाया। आगे चलकर वर्मा जी, वाजपेयी जी तथा कुछ अन्य लोगों ने उसे और आगे बढ़ाया। मैंने भी इस पुस्तक में उस कार्य को थोड़ा और आगे बढ़ाने का विनम्र प्रयास किया है, किन्तु यह पथ इतना लंबा है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए अभी अनेक क्षेत्रों की आवश्यकता है। इधर भाषा के प्रति, हिन्दी में जागरूकता बढ़ी है, और मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब सभी के सहयोग

से हिन्दी का एक मानक रूप (जैसा कि किसी भी भाषा के लिए सभव है) स्थिर हो जाएगा ।

यह पुस्तक हिन्दी के मानक रूप से सबद्ध है, किंतु असभव नहीं कि लाख सतर्कता के बावजूद, इस पुस्तक में प्रयुक्त मेरी अपनी अभिव्यक्ति में भी कहीं-कहीं अमानकता घुस आई हो। वस्तुतः हिन्दी की कथाकथित मानकता और क्षेत्रीय प्रभावों के बीच काफी सघर्ष है, और इस सघर्ष में किसी भी लेखक का मानकता से विचलित हो जाना बहुत सहज है। यों जैसा कि मैं प्रारम्भिक अध्यायों में कह चुका हूँ, किसी भाषा के मानक रूप का प्रयोग एक सीमा तक ही सभव है। मानक प्रयोग का प्रयास तो किया जा सकता है, किंतु उसमें पूरी तरह सफल नहीं हुआ जा सकता। कोई नब्बे प्रतिशत सफल होता है तो कोई पच्चीस प्रतिशत और कोई निन्यानबे प्रतिशत। किंतु शत-प्रति-शत शायद कोई नहीं, बल्कि कोई नहीं।

मैंने बार-बार ऐसा कहा है कि 'यह प्रयोग चल तो रहा है किंतु यह मानक नहीं है।' मेरे इस प्रकार के मत से किसी के मतभेद की सभावना से इकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी असभव नहीं कि भविष्य में इनमें कुछ या काफी प्रयोग मानक हिन्दी के प्रयोग माने जाने लगे। मैंने केवल यह कहना चाहा है कि मेरे विचार में अभी तक ये मानक नहीं हैं।

इन बातों को भूमिका-स्वरूप पाठकों के सामने रखते हुए, मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक हिन्दी के वर्तमान रूप को समझने में उपयोगी सिद्ध होगी।

—भोलानाथ तिवारी

विषय-सूचा

भूमिका	5
1 हिन्दी भाषा	13
2 हिन्दी की शैलियाँ तथा उनके विकास की पृष्ठभूमि	16
हिन्दुस्तानी—उर्दू—हिन्दी ।	
3 अच्छी भाषा के गुण	21
भाषा की शुद्धता—सुवोधता—प्रभाविता ।	
4 हिन्दी का मानक रूप	
कुछ व्यावहारिक समस्याएँ और कठिनाइयाँ	29
5. हिन्दी उच्चारण	46
स्वर—अ—ऋ—आँ—इ,उ—ऐ, औ—व्यजन—क, ख, ग, ज्ञ, फ—ण— न—व—व—य—ज—श—स—सयुक्त व्यजन—क्ष—ज्ञ—स्क, स्ट, स्न आदि— वलाघात—हिन्दी उच्चारण में पाई जानेवाली क्षेत्रीय और प्रादेशिक भूलें— कौरवी—विहारी—ब्रजि—हरियाणवी—कश्मीरी—क-युक्त शब्द— ख-युक्त शब्द—ग-युक्त शब्द—ज-युक्त शब्द—फ-युक्त शब्द ।	
6 वर्तनी	70
(क) शुद्ध उच्चारण के ज्ञान का अभाव—(ख) नागरी लिपि और उसके प्रयोग विषयक समुचित जानकारी का अभाव—(ग) परम्परागत वर्तनी के ज्ञान का अभाव—(ङ) व्याकरणिक रूपों का ज्ञान न होना—(च) सर्वस्वीकृत रूप का अभाव—(छ) लिपि की अस्पष्टता—अंग्रेजी-वर्तनी का प्रभाव—	

पचम नासिक्य व्यजन—अनुस्वार—अनुनासिक (चंद्रविंदु)-अनुस्वार—
ऋ-र—ऋ-रि—छ-क्ष—च्छ-क्ष—व्द-द्व—मिलाना-अलगाना—लेखन मे
अको का प्रयोग ।

7. सज्ञा 84

सज्ञाओ के बहुवचन—सज्ञाओ के कारकीय रूप ।

8 लिंग 90

पुरुष-स्त्री—नर-मादा—स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का
प्रयोग—लिंग की अशुद्धि—एक व्याकरणिक लिंग मे दोनो प्राकृतिक
लिंग—पुल्लिंग-स्त्रीलिंग मे अन्य अतर—हिन्दी भाषा मे लिंग प्रयोग की
परिधि—सर्वनाम—पुल्लिंग क्रियारूपो मे स्त्रीलिंग भी समाहित—लिंगीय
प्रत्यय—द्विलिगी शब्द ।

9 वचन 96

बहुवचन बनाने के नियम—पुल्लिंग सज्ञा शब्द—स्त्रीलिंग सज्ञा शब्द—
अपवाद—एकवचन मे प्रयोग नहीं—बहुवचन नहीं—अँग्रेजी बहुवचन रूपो
का प्रयोग अनुचित—आदर के लिए बहुवचन—एकाधिक के प्रतिनिधि के
लिए उत्तम पुरुष बहुवचन—अन्य सर्वनाम एकवचन, बहुवचन के लिए
द्विवचन का प्रयोग ।

10. कारक 108

‘ने’ का प्रयोग—‘को’—‘से’—‘के लिए’—‘मे’ ।

11 सर्वनाम 118

उत्तम पुरुष—मानक रूप—अमानक रूप—मध्यम पुरुष—मानक रूप
—अमानक रूप ।

12. विशेषण 126

रूपातर—तुलना—अनावश्यक विशेषण—गलत विशेषण—विशेषण की
प्रयोग सीमा—विशेषणो की पुनरुक्ति—विशेषणो का चयन ।

13. क्रिया 134

कर, किया—करा, कीजिए-करिए, कीजिएगा-करिएगा—जाए-जाएगा,
जाये-जायेगा, जावे-जावेगा, जाय-जायगा—होगा, होवेगा, होएगा, होयगा

—देगा, देवेगा,—दो-देओ, द्यो, लो-लेओ-ल्यो—आज्ञा के रूप—चाहिए-
चाहिएँ—अमानक धातुएँ—नकारात्मक क्रिया मे 'है' का लोप—बहुवचन
बोधक दो अनुनासिकताएँ—चयन—सयुक्त क्रियाए ।

14 अव्यय 141

क्रियाविशेषणो मे लिंग-वचन-परिवर्तन—जैसे-जैसे—तब-जब, तभी-जभी—
द्विस्थानीय अव्यय—और—ना—'कि' का निरर्थक प्रयोग—अव्यय
पर्याय ।

15 वाक्य 145

अच्छा वाक्य—अन्वय—पदक्रम—लोप—सामान्य वर्तमान—अपूर्ण वर्तमान
क्रिया-रूपो की सगति—कथन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष—असबद्ध कथन—
विरोधी प्रयोग—जटिलता—मिश्र वाक्य ।

16 शब्द-निर्माण 162

17 सहप्रयोग 166

18 पुनरावृत्ति और निरर्थक शब्द 168

पुनरावृत्ति-1—प्रत्यय और उपसर्ग—शब्द और रूप अर्थ—बहुवचन के
चिह्नो की पुनरावृत्ति-2—पुनरावृत्ति—अपवाद—निरर्थक शब्दादि ।

19 शब्द-चयन 174

20 मुहावरे 182

21. विराम-चिह्न 184

22 परिशिष्ट 192

विश्व में लगभग तीन हजार छोटी-बड़ी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिन्हे ध्वनि, व्याकरणिक रचना तथा शब्द-भंडार की समानता के आधार पर बारह-तेरह परिवारों में बाँटा गया है। इन परिवारों में क्षेत्रफल तथा बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारोपीय परिवार है जिसके अन्तर्गत संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि प्राचीन भाषाएँ तथा हिन्दी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, इतालवी, फारसी, मराठी, बांग्ला आदि आधुनिक भाषाएँ आती हैं।

भारोपीय परिवार प्रारंभ में ही कॅंतुम और सतम दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। कॅंतुम से ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं का विकास हुआ तो सतम से रूसी, अवेस्ता, संस्कृत आदि का। कॅंतुम शाखा के कुछ लोग तो ईरान में जा बसे जहाँ अवेस्ता, प्राचीन फारसी आदि का विकास हुआ और कुछ लोग लगभग 1500 ई० पू० में भारत में प्रविष्ट हुए। उस समय उनकी भाषा संस्कृत का प्राचीन रूप थी। इस प्रकार भारत में आर्य भाषाओं का इतिहास 1500 ई० पू० के लगभग प्रारंभ होता है।

1500 ई० पू० से आज तक के हमारे भाषिक विकास को तीन कालों में विभक्त करते हैं प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल।

प्राचीन भाषाओं में वैदिक संस्कृत (1500 ई० पू० से लगभग 800 ई० पू० तक) तथा लौकिक संस्कृत (800 ई० पू० से 500 ई० पू० तक) आती हैं। वैदिक संस्कृत उस काल में बोलचाल की भाषा थी तथा उसका वैदिक वाङ्मय में प्रयोग हुआ। उसी से संस्कृत का विकास हुआ जो बोलचाल की भाषा तो प्रायः तीन सौ वर्षों तक रही, किन्तु जिसमें साहित्य की रचना उसी काल से अब तक होती आ रही है। इसी संस्कृत को पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी में विश्लेषित किया तथा वाल्मीकि, कालिदास आदि संस्कृत कवियों ने इसी में अपनी अमर रचनाएँ की।

बोलचाल की भाषा आगे फिर विकसित हुई जो कालक्रमानुसार पालि (500 ई० पूर्व से 1 ई० तक), प्राकृत (1 ई० से 500 ई० तक) अथर्वशं

(500 ई० से 1000 ई० तक) कहलाई ।

इसी अपभ्रंश से 1000 ई० के आस-पास आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ । हुआ यह कि वैदिक सस्कृत की ही कुछ स्थानीय बोलियाँ थी जो पालि काल में आकर और भी विकसित हो गईं तथा प्राकृत काल में उनके व्याकरणिक अंतर इतने स्पष्ट हो गए कि उनका नामकरण कर दिया गया— ब्राह्मण, केकय, टक्क, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्ध-मागधी तथा मागधी । अपभ्रंश काल में ये बोलियाँ एक दूसरे से इतनी अलग हो गईं कि एक हजार ई० के लगभग इनका या इनके क्षेत्रीय रूपों का स्वतंत्र भाषाओं या उपभाषाओं के रूप में विकास हो गया

प्राकृत-अपभ्रंश

आधुनिक भारतीय भाषाएँ तथा उपभाषाएँ

(1) ब्राह्मण	सिंधी (भाषा)
(2) केकय	लहँदा (भाषा)
(3) टक्क	पंजाबी (भाषा)
(4) शौरसेनी	गुजराती (भाषा)
	राजस्थानी (उपभाषा)
	पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा)
	पहाड़ी (उपभाषा)
(5) महाराष्ट्री	मराठी (भाषा)
(6) अर्धमागधी	पूर्वी हिन्दी (उपभाषा)
(7) मागधी	बिहारी (उपभाषा)
	असमी (भाषा)
	बागला (भाषा)
	ओडिया (भाषा)

इनमें राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पहाड़ी, पूर्वी हिन्दी तथा बिहारी, हिन्दी भाषा की उपभाषाएँ हैं । पूरी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है

भाषा	उपभाषाएँ	बोलियाँ
हिन्दी	(क) राजस्थानी	(1) पूर्वी राजस्थानी (जयपुरी)
		(2) पश्चिमी राजस्थानी (मारवाडी)
		(3) उत्तरी राजस्थानी (मेवाती)
		(4) दक्षिणी राजस्थानी (मालवी)
	(ख) पहाड़ी	(1) पश्चिमी पहाड़ी (हिमाचली)
		(2) मध्यवर्ती पहाड़ी (कुमाउँनी-गढ़वाली)

- (ग) पश्चिमी हिन्दी (1) खड़ीबोली (कौरवी)
 (2) हरियानी
 (3) ब्रजभाषा
 (4) बुंदेली
 (5) कनौजी
 (6) ताजुबेकी¹

- (घ) पूर्वी हिन्दी (1) अवधी
 (2) बघेली
 (3) छत्तीसगढी

- (ङ) विहारी (1) भोजपुरी
 (2) मगही
 (3) मैथिली

इनमें जिन्हे उपभाषाएँ कहा गया है, वस्तुतः ये 'बोलियों के समूह' के क्षेत्रीय नाम हैं। जहाँ तक बोलियों का संबंध है, इनमें कई बोलियाँ (जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि) अब लगभग भाषाएँ बन चुकी हैं। इनके प्रदेशों में शिक्षा, साहित्य-रचना, राज-काज तथा समाचार-पत्र आदि में मानक हिन्दी (भाषा) का प्रयोग होने के कारण इन्हे हिन्दी भाषा की बोलियाँ कहते हैं।

इस प्रकार हिन्दी वह भाषा है जो संस्कृत से पालि, अपभ्रंश होते विकसित हुई है तथा जो हरियाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तथा विहार के उन लोगों द्वारा व्यवहृत होती है जो अपने घरों में प्रायः हरियानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि ऊपर सकेतित बोलियाँ बोलते हैं। इनके अतिरिक्त, हिन्दी-क्षेत्र के बाहर कलकत्ता, बंबई आदि कई बड़े नगरों में भी हिन्दी के बोलनेवाले काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत के बाहर मारिशस, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका तथा सूरीनाम आदि कई देशों में भी हिन्दी-भाषी काफी हैं।

समवेतत हिन्दी बोलनेवालों की संख्या काफी बड़ी है, लगभग 26 करोड़। इसीलिए यह भाषा बोलनेवालों की दृष्टि से विश्व में तीसरे क्रम पर है। पहले क्रम पर चीनी, दूसरे पर अंग्रेजी और तीसरे पर हिन्दी।

हिन्दी का ऐतिहासिक विस्तार भी काफी बड़ा है। वह लगभग एक हजार वर्षों (1000 ई० से 1978 तक) में फैला है।

यह है संक्षेप में हिन्दी का परिचय।

1 ताजुबेकी बोली सोवियत संघ में ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर बोली जाती है, जो हिन्दी की ही एक बोली है। विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत पत्रिकाओं के लेखकों की पुस्तक 'ताजुबेकी' (सोवियत संघ में बोली जाने वाली हिन्दी बोली)।

हिन्दी की शैलियाँ तथा उनके विकास की पृष्ठभूमि

यदि किसी भाषा की एक शैली हो तो उसका मानक और अच्छा रूप एक होगा, किंतु यदि उसकी एकाधिक शैलियाँ हो तो उसके मानक और अच्छे रूप भी उतने ही होंगे। इसीलिए 'अच्छी हिन्दी' पर विचार करने के पूर्व उसकी शैलियों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

हिन्दी भाषा की जितनी शैलियाँ हैं, उस रूप में, विश्व की शायद किसी भी भाषा की नहीं होगी। प्रश्न उठता है कि इसका क्या कारण है? स्पष्ट ही इसका कारण हिन्दी भाषा का अपना इतिहास है। इसीलिए शैलियों पर विचार करने के पूर्व भूमिका स्वरूप संक्षेप में उसके इतिहास को देख लेना आवश्यक है।

पीछे हम देख चुके हैं कि हिन्दी की जड़े मूलतः संस्कृत में हैं। वही से पालि, प्राकृत, अपभ्रंश होते उसका विकास हुआ है। इस प्रकार वह संस्कृत से सबद्ध है। इसके साथ-साथ जिस सांस्कृतिक परिवेश में हिन्दी का निखार-सँवार हुआ है और हो रहा है, उसकी आधार भाषा संस्कृत है। अन्य भारतीय आर्य भाषाओं की तरह ही हिन्दी के लिए भी संस्कृत की स्थिति ठीक वही है जो यूरोपीय भाषाओं के लिए ग्रीक और लैटिन की है। अर्थात् जैसे अंग्रेजी, जर्मन आदि यूरोपीय भाषाएँ आवश्यकता पड़ने पर ग्रीक से शब्द लेती हैं, अथवा उनकी धातु-प्रत्यय-उपसर्ग की सहायता से नए शब्दों का निर्माण कर लेती हैं, ठीक वही काम हिन्दी आदि भारतीय आर्य भाषाएँ (और कन्नड, तेलुगु आदि आर्येतर भाषाएँ) भी करती हैं। इस प्रकार संस्कृत के, हिन्दी की दादी की दादी होने के कारण, उसका संस्कृत से रक्त-संबंध तो है ही, संस्कृत उसकी स्रोत भाषा भी है। इस दुहरे घनिष्ठ संबंध ने हिन्दी की उस शैली को जन्म दिया है जो संस्कृतबहुल है तथा जिसे उर्दू-हिन्दुस्तानी से अलग, 'हिन्दी', 'उच्च हिन्दी' अथवा 'संस्कृतनिष्ठ हिन्दी' कहते हैं। इसमें संस्कृत सज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रियाविशेषण तो प्रयुक्त होते ही हैं, बहुत से संस्कृत के कारकीय रूप (पदेन, येन-केन-प्रकारेण, मनसा-वाचा-कर्मणा, सामान्यतया,

मुख्यतया, विशेषतया, हठात्, सयोगवशात् आदि) भी हिन्दी के अपने शब्दों की तरह व्यवहृत होते हैं।

हिन्दी का जन्म 1000 ई० के लगभग हुआ और उसी समय मुसलमानों का भारत पर आक्रमण बहुत हुआ, और शीघ्र ही उन्होंने हिन्दी प्रदेश में और फिर धीरे-धीरे पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी चरम परिणति मुगल साम्राज्य के रूप में दिखाई पड़ती है। यह ध्यान देने की बात है, कि, अपवादों की बात छोड़ दें, तो इन नवागतुक शासकों का केन्द्र हिन्दी प्रदेश में ही रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनकी राजभाषा फारसी से हिन्दी बहुत अधिक प्रभावित हुई। यह बात चौंका देनेवाली है कि इन मुसलमान शासकों के प्रभाव से भारत के दो छोरों पर—सुदूरपूर्व पूर्वी बंगाल में तथा घुर पश्चिम सिंध, उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रांत और पश्चिमी पंजाब में—भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा लोगो ने इस्लाम धर्म कबूल किया, किंतु बांगला, सिंधी, पंजाबी या मुल्तानी आदि इन क्षेत्रों की किसी भी भाषा की, उनके प्रभाव में कोई शैली विकसित नहीं हुई। इसके विपरीत हिन्दी प्रदेश में अपेक्षाकृत कम लोगो ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, किंतु यहाँ उनके प्रभाव से हिन्दी की उर्दू शैली जननी ही नहीं पल्लवित और पुष्पित भी हुई। आखिर इसका कारण क्या है? इस प्रश्न की ओर अभी तक कदाचित् किसी का ध्यान नहीं गया है। मेरे विचार में इसका उत्तर, मुसलमान शासकों का केन्द्र हिन्दी प्रदेश में होना है। इनकी राजभाषा फारसी थी, अतः इस क्षेत्र में फारसी का प्रचार-प्रसार आर्थिक कारणों (नौकरी पाने के लिए) से अधिक हुआ और इसीलिए हिन्दी फारसी से बहुत अधिक प्रभावित हुई, यह प्रभाव शब्द-भंडार के क्षेत्र में तो पड़ा ही—और यह प्रभाव तो कम-ब-वेश भारत की सभी भाषाओं पर पड़ा—व्याकरण के क्षेत्र में पड़ा और कदाचित् काफी गहरा पड़ा। व्याकरण के क्षेत्र में मेरा आशय उपसर्ग, प्रत्यय तथा वाक्य-रचना के क्षेत्र से है (विस्तार के लिए देखिए मेरी पुस्तक 'हिन्दी भाषा' का 'हिन्दी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव' शीर्षक अध्याय)।

इस प्रकार एक ओर सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से संस्कृत प्रभाव का दवाव था, तो दूसरी ओर राजनीतिक और आर्थिक कारणों से फारसी का दवाव था, परिणाम यह हुआ कि इन दोनों घनीभूत प्रभावों के टकराव में तीन शैलियाँ विकसित हुईं—हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी। हिन्दी संस्कृत की ओर झुकी थी, तो उर्दू फारसी की ओर। किन्तु ये अतिवादी विन्दु सुशिक्षितों के लिए थे, अतः स्वभावतः दोनों शैलियों के समान तत्त्वों के आधार पर जनता में सहज रूप से एक तीसरी शैली विकसित हो गई, जिसे आगे चलकर हिन्दुस्तानी कहा गया। वस्तुतः हुआ ऐसा कि बंगाल, पंजाब या सिंध आदि में स्थानीय भाषाओं ने फारसी प्रभाव के साथ सामंजस्य स्थापित करके समन्वित रूप का विकास किया, किन्तु हिन्दी क्षेत्र में टकरानेवाले दोनों दवाव इतने बलशाली थे कि उस रूप में समन्वय तक

सीमित रहना सभव नहीं हुआ, और दो धाराएँ वह निकली (हिन्दी और उर्दू) जिनके अंतर और अतिवादी कठिन रूप ने सहज ही जनता में एक अनतिवादी सरल रूप को जन्म दिया, जो पहले तो प्रायः अनामित रही, किन्तु आगे चलकर गांधी जी के सुझाव पर 'हिन्दुस्तानी' कहलाई। इसके पहले 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग या तो 'उर्दू' के लिए होता था, जैसा कि गाँसी द तासी द्वारा लिखे गए हिन्दी-उर्दू साहित्य के इतिहास के नाम (इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऐदुई ऐ ऐदुस्तानी) से प्रकट होता है, या फिर 'हिन्दी और उर्दू दोनों को समाहित कर लेनेवाले एक समुच्चयी नाम' के रूप में जैसा कि यूरोपीय विद्वानों द्वारा सपादित कई कोशों तथा व्याकरण ग्रन्थों के नामों से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए 1700 ई० से 1900 ई० के बीच तुरोनेसिस, फर्ग्युसन, हैरिस, गिलक्राइस्ट, टेलर तथा शेक्सपियर आदि द्वारा सपादित हिन्दी-उर्दू के दर्जनों कोशों के नाम में इनके लिए 'हिन्दुस्तानी' नाम आया है। इसी प्रकार डच विद्वान् मिल, या अंग्रेज विद्वान् गिलक्राइस्ट, स्टुअर्ट, प्राइस, फ्रोब्स, चेल्टनहम आदि ने अपने हिन्दी-उर्दू व्याकरण को 'हिन्दुस्तानी व्याकरण' कहा है।

आजकल हिन्दी भाषा की ये तीन शैलियाँ प्रचलित हैं

हिन्दुस्तानी—यह हिन्दी प्रदेश में बोलचाल की भाषा है तथा इसमें हिन्दी-उर्दू में प्रचलित देशज और संस्कृत विकसित तद्भव शब्द तो सारे-के-सारे प्रयुक्त होते हैं, किन्तु संस्कृत या फारसी के केवल वे ही तत्सम शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो जनप्रचलित हैं तथा जिन्हें समझने में सामान्य जनता को कोई कठिनाई नहीं होती।

इस प्रसंग में केवल फारसी शब्दों का उल्लेख किया गया। इस दृष्टि से एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी में अरबी शब्द भी काफी हैं, उनकी संख्या दो हजार से कुछ ऊपर है, किन्तु वे सारे-के-सारे फारसी के माध्यम से ही आए हैं, सीधे अरबी से नहीं। इसीलिए हिन्दी-उर्दू आदि में उन्हें अरबी शब्द न मानकर फारसी शब्द ही मानना वैज्ञानिक है। हाँ चूँकि तुर्क सीधे भारत आए थे, और हमारे कई बादशाह तुर्क थे, अतः तुर्की की स्थिति थोड़ी भिन्न है। उससे हिन्दी में लगभग सवा सौ शब्द आए हैं, जो फारसी में भी प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में उन शब्दों को फारसी में ही समाहित कर सकते हैं, या फिर उन्हें सीधे तुर्की भाषा से आया भी माना जा सकता है।

हिन्दुस्तानी को हिन्दी और उर्दू दोनों का आधार माना जा सकता है।

उर्दू—हिन्दुस्तानी पर आधारित वह शैली है, जिसका व्याकरण प्रायः पूरा-का-पूरा वही हिन्दुस्तानी के समान है। अपवाद केवल तत्पुरुष समास के उल्टे रूप ('रियासत-सदर' के स्थान पर 'सदर-ए-रियासत') या बहुवचन के रूप (हुक्म-अहकाम, शेर-अशआर, गरीब-गुरबा, किताब-कुतुब, मसजिद-मसाजीद, ख्याल-ख्यालात) आदि हैं। हाँ, अपने शब्द-भंडार में उर्दू हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त शब्दों के

अतिरिक्त, फारसी (अरबी, तुर्की, पश्तो भी) के उन शब्दों का भी प्रयोग करती हैं जो हिंदुस्तानी तथा हिन्दी में विल्कुल प्रचलित नहीं हैं, तथा जिन्हें सामान्य जनता नहीं समझती। जैसे कुद्दूम (पवित्र), चहारशवा (बुधवार), तथा नाफिर (नफरत करनेवाला) आदि। उर्दू अपने पारिभाषिक शब्द प्रायः अरबी या फारसी से लेती है।

उर्दू को भी दो-तीन उपशैलियाँ हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली उपशैली में कहेंगे 'खत लिखना है' 'चिट्ठी लिखनी है', किंतु लखनऊ उपशैली में कहेंगे 'खत लिखना है' 'चिट्ठी लिखना है'। ऐसे ही कभी-कभी एक हैदरावादी उपशैली का भी उल्लेख किया जाता है।

हिन्दी—यह वह भाषा है जो व्याकरण के स्तर पर तो हिंदुस्तानी है, किंतु अपने शब्द-भंडार में हिंदुस्तानी में प्रयुक्त सारे शब्दों के अतिरिक्त बहुत सारे संस्कृत के ऐसे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करती है जो हिंदुस्तानी तथा उर्दू में नहीं व्यवहृत होते। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार यह भाषा संस्कृत की धातुओं, उपसर्गों तथा प्रत्ययों की सहायता से अपने लिए नये शब्दों का निर्माण करती है। कहना न होगा कि पारिभाषिक शब्दावली की कमी पूरी करने के लिए हिन्दी ने पिछले तीस वर्षों में दसियों हजार ऐसे शब्द बनाए हैं। यही नहीं, हिन्दी ने अनेक व्याकरणिक रूप भी संस्कृत से लिए हैं जैसे 'मनसा-वाचा-कर्मणा', 'येन-केन-प्रकारेण', 'सामान्यतया', 'मुख्यतया', 'हठात्', 'सयोगवशात्', 'मम', 'तव' आदि।

हिन्दी की उपर्युक्त तीन मुख्य शैलियाँ हैं, जिन्हें मेरे विचार में हिंदुस्तानी की तीन शैलियाँ कहना अधिक समीचीन होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी के व्याकरणिक और कोशीय (शब्द) तत्त्व तीनों शैलियों में हैं। हिंदुस्तानी में ही कुछ फारसी तत्त्व (व्याकरणिक और कोशीय) जोड़ने पर उर्दू बन जाती है, और इसी प्रकार हिंदुस्तानी में ही कुछ संस्कृत तत्त्व (व्याकरणिक और कोशीय) जोड़ने पर हिन्दी बन जाती है।

उधर कुछ अपेक्षाकृत नए हिन्दी लेखक, उर्दू और हिन्दी के विशिष्ट तत्त्वों को एक में मिलाकर एक नई शैली जनमानों का भी यत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वे एक ही वाक्य या पैराग्राफ में मतव्यवान, निष्पक्ष, सश्लिष्टता, सस्मरणात्मक स्तर के संस्कृत शब्दों तथा जायज़ा, नज़रिया, मुशियाना, शैरजानिबदारी, स्तर के फारसी शब्दों का साथ-साथ प्रयोग करते हैं। इस गंगा-जमुनी शैली का निश्चित रूप से अपना खटमिट्ठा सौंदर्य है।

शैलीय स्तर पर आज भी काफी लोग समस्तरीय शब्दों का प्रयोग शैलीय सौंदर्य मानते हैं। अर्थात् यदि सरल हिंदुस्तानी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आदि से अंत तक ऐसा ही करें, यदि फारसी अलफाज का इस्तेमाल हो तो शुरू से आखीर तक हो, और यदि उच्च संस्कृत शब्दावली प्रयुक्त की जाए तो आद्यत। किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस सामान्य धारणा से अगल हटकर किए जा

रहे प्रयोग भी अग्राह्य नहीं माने जा सकते । एक उदाहरण पर्याप्त होगा

‘अपनी रोमानी दृष्टि की वजह से ही नामवर को राजेन्द्र यादव के यहाँ उनके इस भाषा रत्न से शिकायत है कि वे कहानियों में निबन्धात्मक रवैया अपनाते हैं, लेकिन नाइत्तिफाकी उन्हें इस सबब भी है कि यादव कथा-गद्य में काव्य-पवित्रता उद्धृत करते हैं और काव्यात्मक अनुभूतियाँ या अनुभूति-चित्रों का उपयोग करते हैं, यानी यादव अपने अनुभूति-चित्रों से कविता-जैसा प्रभाव जरूरत-मुताबिक कहानी में पैदा कर ले जाते हैं, यह शिकायत तलब है, और शिकायत तलब यह भी है कि यादव की कथा-भाषा निबन्धात्मक हो उठती है कि बहरहाल इसका उत्तर देना क्या जरूरी है और कि उत्तर भी चाहे जैसा हो, वह शिकायत के लिए गुजाइश नहीं छोड़ेगा ? जब तवीयत ही शिकायताना पाई हो तो चीजों का सही-गलत होना कोई माइने नहीं रखता गोकि ’ (नई कहानी प्रकृति और पाठ—श्री सुरेन्द्र, पृ० 20)

इसका प्रारम्भिक अर्थ सामान्यतः ‘अपनी रोमानी दृष्टि के कारण’ अथवा ‘अपने रोमानी नजरिए की वजह से’ रूप में मिलना चाहिए था । किंतु लेखक ने इसमें दोनों शैलियों को मिला दिया है । इस पुस्तक की पूरी भूमिका, जो लगभग सौ पृष्ठों की है, प्रायः इसी शैली में है ।

अच्छी भाषा के गुण

‘अच्छी हिन्दी’ पर विचार करने के पूर्व भूमिकास्वरूप यह प्रश्न उठाना अप्रासंगिक न होगा कि अच्छी भाषा के लिए कौन-कौन से गुण अपेक्षित हैं। यो तो इस सवध मे काफी मतभेद की गुजाइश है, किंतु मेरे विचार मे अच्छी भाषा की मुख्य अपेक्षाएँ तीन हैं शुद्धता, सुवोधता, प्रभाविता। यहाँ इन तीनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

भाषा की शुद्धता

अच्छी भाषा के लिए सबसे आवश्यक है उसका शुद्ध होना। भाषा की शुद्धता का अर्थ यह है कि उसमे, उस भाषा के मानक रूप का किसी भी स्तर पर उल्लघन न हो। उसमे निम्नांकित वाते मुख्य रूप से आती हैं

- (1) शुद्ध उच्चारण—इसका सवध बोलने की भाषा से है। इसके अतर्गत मुख्यत इन वातो का ध्यान रखना चाहिए
- (क) स्वर-व्यजन का ठीक उच्चारण—भाषा स्वर और व्यजनो से बनी होती है। उच्चारण के स्तर पर सवसे अधिक महत्व उनका ही होता है। इसमे मूल स्वर, सयुक्त स्वर, मूल व्यजन, सयुक्त व्यजन इन चार का उच्चारण आता है। हिन्दी से उदाहरण लेना चाहे तो ‘वस्तु’ का ‘वस्तू’ या ‘भक्ति’ का ‘भक्ती’ मूल स्वर विषयक अशुद्धि है तो ‘घास’ का ‘घास’ या ‘जौ’ का ‘जौ’ मौखिक स्वर को अनुनासिक कर देने की अशुद्धि है। ऐसे ही ‘शहर’ का ‘सहर’, या ‘विद्यार्थी’ का ‘विद्यार्थी’ मूल व्यजन की अशुद्धि है और ‘रक्षा’ का ‘रच्छा’ सयुक्त व्यजन की अशुद्धि है।
- (ख) अनुतान और बलाघात का ठीक प्रयोग—बोलने मे तरह-तरह के वाक्यो का लहजा या अनुतान अलग-अलग होता है ‘राम गया।’ ‘राम गया?’ ‘राम गया!’ के बोलने के उतार-चटाव का ही अतर है। इन्से अनुतान कहते हैं। बोलने मे सुर के इन उतार-चटाव का

ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा सूचना-सूचक वाक्य प्रश्नसूचक हो जाएगा या प्रश्नसूचक आश्चर्यसूचक ।

शब्द या वाक्य आदि में सर्वत्र समान बल नहीं देते । उदाहरण के लिए अंग्रेजी में present को यदि क्रिया रूप में प्रयोग करना हो तो sent पर बल दिया जाएगा किंतु यदि सज्ञा रूप में करना तो pre पर बल होगा । यही बलाघात है । वाक्य के स्तर पर भी बलाघात पर ध्यान देना आवश्यक है । 'मुझे एक खिडकीवाला मकान चाहिए ।' वाक्य में 'एक' पर 'बल देने' और 'न देने' से अर्थ में अंतर पड़ेगा । बल हो तो अर्थ होगा 'ऐसा मकान जिसमें केवल एक खिडकी हो' बल न हो तो अर्थ होगा 'खिडकीवाला' अर्थात् 'हवादार' । इस तरह शब्द तथा वाक्य दोनों में बलाघात का ठीक प्रयोग आवश्यक है ।

(ग) बोलते समय शब्दों, पदबन्धों, उपवाक्यों और वाक्यों के बीच उचित विराम—यह भी आवश्यक है, अन्यथा 'तुम हारे' 'तुम्हारे' हो जाएगा तो 'समझ आया' 'समझाया', 'जल सा' 'जलसा', 'सरक आया' 'सरकाया' तथा 'निकल आ' 'निकला' आदि ।

(2) शुद्ध लेखन—इसका सबंध लिखित भाषा से है । इसमें दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है

(क) शुद्ध वर्तनी—अशुद्ध वर्तनी लिखित भाषा को भ्रष्ट तो करती ही है कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है जाति—जाती, शेर—सेर, क्षात्र—छात्र, जरा—जरा, खाना—खाना ।

(ख) विराम-चिह्नों का ठीक प्रयोग—ऐसा न करने से कभी तो अर्थ अस्पष्ट हो जाता है 'जाओ मत बैठो ।' और कभी अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है 'सुदर फूल और पत्ते ।'

'जाओ मत बैठो' का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है तो 'जाओ, मत बैठो' या 'जाओ मत, बैठो' का है । इसी प्रकार 'सुदर फूल, और पत्ते' को यदि 'सुदर फूल और पत्ते' लिखा जाए तो 'सुदर' केवल 'फूल' का विशेषण न रहकर पत्ते का भी विशेषण हो जायगा । ऐसे ही—

मोहन पास हो गया

अस्पष्ट भी है, और उलटे अर्थ का बोधक भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में अंतर है

मोहन पास हो गया ।

मोहन पास हो गया ?

मोहन पास हो गया ।

(3) व्याकरणिक शुद्धता—भाषा की व्याकरणिक शुद्धता निम्नांकित बातों पर निर्भर करती है

(क) शुद्ध शब्द-रचना—शब्द-रचना की शुद्धता कई दृष्टियों से देखी जानी

चाहिए। पहली बात तो यह है कि शब्द-रचना व्याकरण-सम्भव तत्त्वों के मेल से हुई हो। जैसे कोई व्यक्ति 'सौंदर्यता' शब्द का प्रयोग करे तो यह शब्द शब्द-रचना की दृष्टि से गलत है। 'सुंदर' से या तो 'सुंदरता' बनेगा या 'सौंदर्य', 'सौंदर्यता' नहीं, क्योंकि 'ता' और 'य' दोनों प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। शब्द-रचना सबधी दूसरी बात है शब्द-रचना के दौरान होनेवाले ध्वनि-परिवर्तनों का समुचित ध्यान रखना। उदाहरण के लिए 'अतर्कथा', 'मनोकामना', 'उज्वल', 'अतर्प्रांतीय' जैसे शब्द अपनी शब्द-रचना में अशुद्ध है अतस् + कथा, मनस् + कामना, उत + ज्वल, अतस् + प्रांतीय की सधि 'अत कथा', 'मन कामना', 'उज्ज्वल', 'अत प्रांतीय' रूप में होगी न कि अतर्कथा, मनोकामना, उज्वल, अतर्प्रांतीय रूप में। ऐसे ही 'इक' प्रत्यय जोड़ने पर आदिवृद्धि संस्कृत तथा हिन्दी व्याकरण की दृष्टि से आवश्यक है। इसीलिए 'व्यवहारिक', 'भूगोलिक' 'इतिहासिक' जैसे शब्द अशुद्ध हैं। इन्हें 'व्यावहारिक', 'भौगोलिक' तथा 'ऐतिहासिक' होना चाहिए।

(ख) शुद्ध रूप-रचना—रूप-रचना की शुद्धता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए बहुत-से लोगो द्वारा व्यवहृत रूप 'करा', 'भया', 'करिए', 'करिएगा', 'मेरे को', 'तुम्हारे से', 'हमारे पर' अशुद्ध है। हिन्दी में स्वीकृत मानक रूप क्रमशः 'किया', 'हुआ', 'कीजिए', 'कीजिएगा', 'मुझे' या 'मुझको', 'तुम्हें' या 'तुमको' तथा 'हम पर' हैं।

(ग) शुद्ध वाक्य-रचना—व्याकरणिक शुद्धता में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य-रचना की शुद्धता है, क्योंकि सबसे अधिक अशुद्धियाँ इसी की होती हैं। वाक्य-रचना की अशुद्धियाँ मुख्यतः लिंग-वचन के अन्वय, पदक्रम, पदवध-क्रम, उपवाक्य-क्रम, पुनरावृत्ति अतिरिक्त शब्द-प्रयोग आदि विषयक होती हैं। उदाहरण के लिए—

- (1) लिंग— बुद्ध जैसा महान् चरित्र भारत की ही देन थी। (अशुद्ध)
 बुद्ध जैसा महान् चरित्र भारत की ही देन था। (शुद्ध)
- (ii) वचन—(अ) मेरे अहोभाग्य, आपका दर्शन हुआ। (अशुद्ध)
 मेरे अहोभाग्य, आपके दर्शन हुए। (शुद्ध)
- (आ) देखते ही देखते उसका प्राण निकल गया। (अशुद्ध)
 देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। (शुद्ध)
- (iii) क्रम—(अ) प्यास लगी है, एक पानी का गिलास लाइए। (अशुद्ध)
 प्यास लगी है, पानी का एक गिलास लाइए। (शुद्ध)
 एक फूलों की माला ले आना। (अशुद्ध)

फूलों की एक माता ले आना । (शुद्ध)

(आ) (वह) आदमी, जो कल आया था, आज जा रहा है । (अशुद्ध)

जो आदमी कल आया था, आज जा रहा है । (शुद्ध)

(iv) पुनरावृत्ति—वाक्य में कई प्रकार की पुनरावृत्तियाँ हो जाती हैं । उनमें बनना चाहिए । उदाहरणार्थ—

(अ) मेहरबानी करके मेरे यहाँ पधारने की कृपा करें । (अशुद्ध)

मेहरबानी करके मेरे यहाँ पधारें । (शुद्ध)

मेरे यहाँ पधारने की कृपा करें । (शुद्ध)

(आ) केवल पानी ही लूंगा । (अशुद्ध)

केवल पानी लूंगा । (शुद्ध)

पानी ही लूंगा । (शुद्ध)

(इ) वे सदैव ही बीमार रहते हैं । (अशुद्ध)

वे सदैव बीमार रहते हैं । (शुद्ध)

(ई) सारी मामगी को चार वर्गों में वर्गीकृत करें । (अशुद्ध)

सारी मामगी के चार वर्ग बनाएँ । (शुद्ध)

(v) अतिरिक्त शब्द-प्रयोग—वाक्य में जितने शब्द आवश्यक हैं, उतने ही आने चाहिए । बहुत में लोग अतिरिक्त शब्दों या भाषिक उकाड़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य में कुछ भोटापन आ जाता है या वह अमानक बन जाता है । कुछ उदाहरण हैं—

(क) आँखों से देखी एक घटना सुनाता हूँ । (अशुद्ध)

आँखों-देखी एक घटना सुनाता हूँ । (शुद्ध)

(ख) पहले इस काम को कीजिए फिर... (अशुद्ध)

पहले यह काम कीजिए फिर (शुद्ध)

रोटी को खाना आसान है पर उसे पैदा

करना (अशुद्ध)

रोटी खाना आसान है पर उसे पैदा करना (शुद्ध)

(ग) इन दिनों शीला वहाँ नहीं जाती है । (अशुद्ध)

इन दिनों शीला वहाँ नहीं जाती । (शुद्ध)

सुबोधता

बहुत से लोग अपनी शैली को कठिन और दुर्वोध बनाने में अपनी गरिमा समझते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि अच्छी भाषा को दुर्वोध नहीं होना चाहिए । भाषा का चरम लक्ष्य होता है प्रयोक्ता के भावों और विचारों का संप्रेषण ।

यदि भाषा दुर्बोध होगी तो निश्चय ही भाषा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक संप्रेषण नहीं हो सकेगा, और किसी का भी, अपने लक्ष्य तक न पहुँच पाना ही उसकी सबसे बड़ी असफलता है।

सुबोधता का ध्यान दो धरातलों पर रखा जाना चाहिए शब्द और वाक्य-रचना।

जहाँ तक शब्दों के प्रयोग का प्रश्न है, अच्छा लेखक भरसक सरल शब्दों का प्रयोग करता है। भारतीय काव्यशास्त्र में 'प्रसाद' का गुणो तथा 'विलुप्तार्थ' का दोषो में शामिल किया जाना इस बात का प्रमाण है कि वे प्राचीन आचार्य भी सुबोधता को भाषा का गुण मानते थे। किंतु सरल शब्द के प्रयोग का अर्थ यह नहीं कि कथ्य या अर्थ का वलिदान करके भी भाषा में सरलता लाई जाए। इसका अर्थ, मात्र यह है कि जो बात सरल शब्दों में कही जा सकती है, उसे जान-बूझकर कठिन शब्दों में कहना गुण नहीं है।

इस प्रसंग में एक-एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। शास्त्रों और विज्ञानों की भाषा अपने सहज रूप में जटिल होती है। उसका मुख्य कारण होता है पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। उदाहरण के लिए कानून, गणित, तर्कशास्त्र आदि के ग्रंथ उस विषय के न जाननेवाले की समझ में नहीं आ सकते, किंतु इसे अवगुण नहीं माना जा सकता। वास्तविकता यह है कि 'भाषा की सुबोधता' सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं। हर विषय की भाषा की सुबोधता का स्तर अलग-अलग होता है, और उन्नी परिप्रेक्ष्य में भाषा के प्रयोक्ता को अपनी भाषा में सुबोधता लाने का यत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कहानी की भाषा की सुबोधता एक प्रकार की होगी, तो व्याकरण की भाषा की सुबोधता दूसरे प्रकार की, आलोचना की तीसरे प्रकार की और न्यायशास्त्र आदि अन्य-अन्य विषयों की अन्य-अन्य प्रकार की।

भाषा में सुबोधता या दुर्बोधता का दूसरा स्तर वाक्य-रचना है। शब्द-दुर्बोधता की तुलना में यह वाक्य-दुर्बोधता, भाषा के अच्छी होने के रास्ते में अधिक बड़ा रोड़ा अटकाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पाठक दुर्बोध शब्द का अर्थ तो शब्दकोश में देख सकता है, किंतु सरल शब्दों से बने दुर्बोध वाक्य का अर्थ समझने में कोई भी सदर्भ-ग्रंथ उसकी सहायता नहीं कर सकता। वाक्य-दुर्बोधता मुख्यतः चार-पाँच स्थितियों में मिलती है।

पहली स्थिति तब होती है जब लेखक के विचार सुलझे नहीं होते। यह प्रायः निश्चित है कि उलझे विचारों का लेखक सुबोध और सुलझे वाक्य नहीं लिख पाता। इसीलिए ऐसा भी देखने में आता है कि किसी विषय में किसी लेखक के विचार सुलझे हुए हैं तो उस विषय पर लिखते समय उसके वाक्यों में उलझाव नहीं होता, किन्तु यदि वह किसी ऐसे विषय पर लिख रहा है, जिसमें उसके विचार उलझे हैं तो उसके वाक्य भी पेचीदे और दुर्बोध हो जाते हैं।

दूसरी स्थिति तब आती है जब लेखक जाने-अनजाने, सबको बताते हुए या सबसे छिपाते हुए किसी अन्य भाषा से अनुवाद कर रहा होता है, और मूल सामग्री पचाए बिना अधिकचरे अनुवाद की भाषा में उसे कहने का प्रयास कर रहा होता है। जो अनुवादक मँजे हुए नहीं होते, उनकी भाषा में यह बात प्रायः मिलती है। हिन्दी में भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान तथा राजनीतिविज्ञान के कई ऐसे अनुवाद मँने देखे हैं, जिनको मूल को सामने रखे बिना समझना कठिन ही नहीं प्रायः असभव-सा है।

तीसरी स्थिति तब आती है जब लेखक जानबूझकर अपनी बात को घुमा-फिरा कर कहना चाहता है। अज्ञेय का एक लेख 'नया प्रतीक' (दिसंबर 1973 'जो मारे नहीं गए वे भी चुप है') में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दुर्बोधता का यह गुण (?) जान-बूझकर लाया हुआ ज्ञात होता है। उसका एक वाक्य जो लगभग पौने दो सौ शब्दों का है (दे० प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'शैलीविज्ञान' में पृष्ठ 84 पर) सायास लाई गई दुर्बोधता का स्पष्ट प्रमाण है।

कुछ लोगो का व्यक्तित्व ही उलझाव से भरा होता है, अतः उनके चिंतन में भी उलझाव होता है। ऐसे लोगो के वाक्यों में सुबोधता का अभाव उनके उलझे चिंतन का परिणाम होता है। जैनेन्द्र जी में इस प्रकार के वाक्य प्रायः मिलते हैं।

पाँचवी प्रकार की वाक्य-दुर्बोधता इलियट जैसे कवियों या वर्जीनिया वुल्फ जैसे कथाकारों में मिलती है, जो अपनी बातें तर्कपूर्ण ढंग से रखने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वे जिस प्रकार अनगढ़ रूप में सोचते हैं, ठीक वैसे ही, बिना उसे व्यवस्थित रूप दिए, व्यक्त कर देते हैं। उनके वाक्य एक प्रकार से भाषा-पूर्व (prespeech) वाक्य होते हैं, असबद्ध, अटपटे और अनगढ़।

प्रभाविता

ऐसा हम प्रायः पाते हैं कि बहुत से लोग अपने लेखन, भाषण या वातचीत में शुद्ध और सुबोध भाषा का प्रयोग तो करते हैं, किन्तु उनकी भाषा प्रभावशाली नहीं होती। अच्छी भाषा के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह प्रभावी भी हो। अपनी भाषा को शुद्ध और सुबोध तो काफी लोग बना सकते हैं, किन्तु उसे प्रभावशाली बनाना सबके बस की बात नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि भाषा की प्रभाविता केवल भाषा-नियमों के अध्ययन, सतर्कता और अभ्यास आदि से नहीं आती, वह एक सीमा तक व्यक्ति की सहजात वृत्ति से सबद्ध होती है। प्रभावी भाषा का सबध सर्जनशील प्रतिभा से होता है, इसीलिए इसका दर्शन कवियों, लेखकों और प्रतिभासपन्न वक्ताओं में ही होता है, सामान्य लोगो में नहीं। इसके बावजूद यह भी एक तथ्य है कि प्रभावशाली भाषा के प्रयोक्ताओं की कृतियों के अध्ययन, अभ्यास और प्रयाम से एक सीमा तक सभी लोग अपनी भाषा में यह गुण ला सकते हैं।

भाषा की प्रभाविता साहित्यिक कृतियों में अपने चरम रूप में मिलती है,

जिसके मुख्य आधार है चयन, विचलन, समानातरता, अप्रस्तुतो का प्रयोग तथा इन सभी का सुसमायोजन। सच पूछा जाय तो रोज़ की सामान्य और सपाट भाषा प्रभावशाली नहीं होती। प्रभावशाली भाषा वह होती है, जिसका निर्माण, उसके प्रयोक्ता द्वारा चयन, विचलन आदि उपर्युक्त साधनो द्वारा किया जाता है। यह भाषा, सामान्य और सपाट भाषा से इस बात में भिन्न होती है कि उसमें शैलीय तत्त्व आ जाते हैं। इसका आशय यह हुआ कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए शैलीय तत्त्वो को लाना आवश्यक है। जो लेखक, कवि या वक्ता अपनी भाषा में शैलीय तत्त्व जितने अधिक लाता है, तथा उनका जितना अच्छा समा-योजन कर पाता है, उसकी भाषा उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। यहाँ इन शैलीय तत्त्वो को सक्षेप में देखा जा सकता है

चयन—‘चयन’ का अर्थ है अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्राप्त पर्याय शब्दो और अभिव्यक्तियो में उपयुक्त का चयन। चयन के मुख्य आधार तीन हैं (क) ध्वनि—यदि अर्थ में कोई अंतर नहीं है तो शब्द में प्रयुक्त ध्वनियो पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और विषय तथा सदर्थ के अनुकूल ध्वनिवाले शब्दो का चयन होना चाहिए। भारतीय काव्यशास्त्र में ‘माधुर्य गुण’ के लिए मधुर ध्वनि-वाले शब्दो का ‘चयन’ तथा ‘ओज गुण’ के लिए उसके अनुरूप ध्वनिवाले शब्दो का ‘चयन’ की बात इसीलिए की गई है। उसका उद्देश्य भाषा की प्रभाविता को बढ़ाना ही है। (ख) अर्थ—पर्यायो में यदि अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर है तो सटीक अर्थवाले शब्द का चयन करना चाहिए। ऐसा न करने से अभिव्यक्ति शिथिल हो जाती है और ठीक अर्थ का संप्रेषण नहीं कर पाती। (ग) अल्पप्रयुक्तता—ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से यदि एकाधिक शब्द या अभिव्यक्तियाँ उपयुक्त हो, तो उनमें उसे चुनना चाहिए जा प्रयुक्त होते-होते बहुत घिस-पिट न गई हो। घिस-पिटे शब्द प्रायः प्रभावहीन हो जाते हैं। सामान्य अभिव्यक्ति की तुलना में मुहावरे इसीलिए अधिक प्रभावी होते हैं। ‘उन दोनों में बहुत फर्क है’ की तुलना में ‘उन दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है’ कि प्रभविष्णुता इसी का परिणाम है।

विचलन—‘विचलन’ का अर्थ है ‘चलन’ या ‘सामान्य भाषा के प्रयोगो से हटकर प्रयोग’। भाषा को सबसे अधिक प्रभावशाली बनानेवाला तत्त्व यही है। छायावादी काव्य की भाषा ने इस साधन का पूरा उपयोग किया है। धायल आँसू (प्रसाद, चन्द्रगुप्त), विकल रागिनी (प्रसाद, आँसू), शीतल ज्वाला (प्रसाद, आसू), म्वणिल मुस्कान (पत, पल्लव), निद्रित स्वप्न (पत, पल्लव), घटा अधीर (महादेवी, दीपशिखा), बिखर झर जाने दे प्राचीन (निराला, अनामिका), रजित चितवन (निराला, परिमल), गाती यमुना (निराला, परिमल), नीरव भाषा (निराला, परिमल)। विशेषण-विपर्यय तथा मानवीकरण नाम में अभिहित ये काव्य-नौदर्य तत्त्वतः विचलन ही हैं। ये विचलन इस रूप में है कि सामान्य भाषा

मे 'घायल' विशेषण का प्रयोग 'आँसू' के साथ न होकर किसी जीव के साथ होता है। ऐसे ही 'विकल' भी कोई जीव होगा जीवेतर 'रागिनी' नहीं। अन्यो में भी यही बात है। किसी भी देश का किसी भी काल का साहित्य क्यों न ले ले, विचलन के उदाहरण अवश्य मिल जाएंगे। विचलन प्रायः दो प्रकार का होता है विशेषण + विशेष्य का, सज्ञा + क्रिया का। निष्कर्षतः भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए 'विचलन' का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए।

समानातरता—दो या अधिक समान या विरोधी बातों को साथ-साथ या समानातर रखना समानातरता है। इससे भी अभिव्यक्ति का आकर्षण बढ़ जाता है जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अज्ञेय की एक कहानी में आता है 'ससार की अपूर्ण विशालता में विशाल अपूर्णता में एक तथ्य मिलता है,' 'उसमें कोई नूतनता नहीं है, वह चिरनूतन है।' इसका सारा आकर्षण समानातरता में ही है। ऐसे ही आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने प्रसिद्ध निवृद्ध 'लोभ और प्रीति' में लिखते हैं, 'लोभियो, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय-निग्रह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक विगर्हणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है।' सामान्य बोलचाल में भी अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग लोग खूब करते हैं, 'वह पढा-लिखा तो है पर उसने पढा-लिखा नहीं है,' 'वह ससार में रहकर भी ससार में नहीं रहता,' 'वह भोगी होकर भी योगी है और योगी होकर भी भोगी है' इत्यादि।

अप्रस्तुतो का प्रयोग—सादृश्यमूलक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, आदि अलंकारों के रूप में 'उपमान' या 'अप्रस्तुत' का प्रयोग, अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए प्रायः किया जाता है 'आज तो वह जेर की तरह दहाड़ रहा है,' 'वस, मुझे देखते ही भोगी बिल्ली बन गए।' साहित्य में भी इसके प्रयोग खूब मिलते हैं—

नयन-गेह से निकले आँसू ऐसे डरे-डरे।

भौड-भरा चौराहा जैसे कोई पार करे। (कुँवर नारायण)

हलकी मीठी चा-सा दिन (शमशेर बहादुर सिंह)

यह उदास दिन

पंशन पाए चपरासी-सा (केदारनाथ अग्रवाल)

तो ये हैं भाषा को प्रभावी बनाने के साधन। इनके प्रयोक्ता को इनका प्रयोग करने में यह सतर्कता भी वरतनी चाहिए कि इन साधनों का आपस में पूरा सामंजस्य हो, इन सबका अच्छी तरह समायोजन हो।

हिन्दी का मानक रूप . कुछ व्यावहारिक समस्याएँ और कठिनाइयाँ

प्रस्तुत पुस्तक का नाम है 'अच्छी हिन्दी' । हम पीछे देख चुके हैं कि 'अच्छी भाषा' की पहली शर्त है उसके शुद्ध मानक रूप का प्रयोग । किंतु दिक्कत यह है कि हिन्दी के शुद्ध मानक रूप का प्रयोग समग्र हिन्दी जनता के लिए बहुत सरल नहीं है । इसका कारण यह है कि अनेक कारणों से, जिस प्रकार भारतीय सस्कृति में अनेकरूपताएँ हैं, उसी प्रकार हिन्दी के व्यवहृत रूप में भी है । फिर भी जैसा कि हम आगे देखेंगे, अनेकरूपता में भी एकरूपता को पा और स्थापित कर लेना बहुत कठिन नहीं है, वैसे ही जैसे भारतीय सस्कृति की अनेकरूपताओं में भी एकरूपता के सूत्र हैं और इसीलिए 'भारतीय सस्कृतियाँ' जैसी कोई चीज़ नहीं है, अपितु भारतीय सस्कृति है ।

पहली और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मानक हिन्दी किसी की भी सच्चे अर्थों में मातृभाषा नहीं है, या यदि कुछ लोगों की हो भी तो ऐसे लोग एक प्रतिशत से भी कम होंगे, अतः उनका हिन्दी मातृभाषी होना कोई मायने नहीं रखता । अधिकांश हिन्दी-भाषी जनता अपने घरों में ब्रज भाषा, कौरवी, हरियानी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि विभिन्न बोलियाँ बोलती हैं, जो हिन्दी प्रदेश में बोली जाती हैं और हिन्दी की बोलियाँ कही जाती हैं । यह ध्यान देने की बात है कि इन सभी बोलियों की अपनी ध्वनियाँ हैं, अपनी ध्वनि-व्यवस्था है, उनका अपना व्याकरण है, शब्द-भंडार है, उनके अपने मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं । वचन में ही इन अलग-अलग बोलियों के बोलनेवालों के मन-मस्तिष्क में ये बोलियाँ इतनी रच-पच गई हैं, कि ये लोग जब मानक हिन्दी का प्रयोग करने चलते हैं, तो उनके मन-मस्तिष्क में रची-पची अपनी-अपनी बोलियों की ध्वनियाँ, व्याकरण, शब्द-भंडार आदि व्यवधान रूप में रास्ते में आ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बोलनेवाला अपनी बोली से मिश्रित हिन्दी जो मानक हिन्दी से हटी हुई होती है, बोलने लगता है । मानक भाषा से यह हटाव या विचलन, ध्वनि, रूप, वाक्य, शब्द और अर्थ सभी क्षेत्रों में होता है । मैं भाषाविज्ञान और व्याकरणशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अतः कान आवश्यकता से कुछ अधिक ही खुले रहते हैं । यह बड़ी स्पष्टता

से मैं कह सकता हूँ कि अभी आज तक पूरब, पश्चिम, दक्खिन और उत्तर कहीं के भी किसी भी हिन्दी विद्वान् को शुद्ध मानक हिन्दी बोलते मने नहीं मुना। गायद शुद्ध मानक हिन्दी बोलना मभव भी नहीं है। उमदा। मानक रूप मात्र कल्पना है, और मुझे तो लगता है किसी भी भाषा का वास्तविक व्यवहार मे कोई एक मानक रूप नहीं होता। यदि हर व्यक्ति का नहीं तो कम-मे-कम हर क्षेत्र या बोली-क्षेत्र का अपना मानक रूप होता है, और उन्ही के समन्वय के आधार पर मानक रूप की सकल्पना की जाती है। हिन्दी के विषय मे यही सत्य है।

दूसरी समस्या यह है कि बहुत से हिन्दी बोलनेवाले और हिन्दी साहित्यकार ऐसे भी हैं जिनकी मातृभाषा पजाबी, गुजराती, मराठी, वागला आदि हिन्दीतर भारतीय भाषाएँ हैं। जैसा कि स्वाभाविक है इनके द्वारा प्रयुक्त हिन्दी इन भाषाओ से प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, कई हिन्दी-इतर भाषाओ के भाषी, अधिक लोगो द्वारा पढे जाने, अथवा आर्थिक लाभ (हिन्दी मे पुस्तके अन्य अनेक भारतीय भाषाओ की तुलना मे अधिक विकती है), अथवा हिन्दी से मबद्ध अपने व्यवसाय के कारण हिन्दी मे लिखते हैं। जैसा कि स्वाभाविक है इनके द्वारा लिखित साहित्य की हिन्दी मानक हिन्दी न होकर किसी-न-किसी रूप मे इनकी अपनी-अपनी भाषाओ से प्रभावित होती है। और इन पुस्तको के पाठको के मन पर हिन्दी का जो सस्कार पडता है, वह उस हिन्दी का नहीं होता जिसे सच्चे अर्थो मे मानक कहा जाए।

स्वतंत्रता-प्राप्ति या भारत-विभाजन के बाद काफी पजाबी, मुल्तानी, सिंधी तथा वगाली लोग हिन्दी प्रदेश मे आकर बस गए हैं, और इनका भी जगह-जगह प्रभाव पडा है। उदाहरण के लिए दिल्ली की हिन्दी पजाबी से बहुत अधिक प्रभावित हुई है, जिसके कारण दिल्ली के नई पीढी के ठेठ हिन्दी भाषी को भी मानक हिन्दी सीखने का उपयुक्त अवसर नहीं मिला। दिल्ली का हिन्दी-समाज पजाबी प्रभावित हिन्दी को ही मानक हिन्दी समझने लगा है, जिसे लखनऊ या बनारस का हिन्दी-भाषी प्राय गलत मानता है। उदाहरण के लिए दिल्ली की हिन्दी मे 'मोटी आंख', 'रोटी सड (जल) गई', 'मने जाना है', जैसे प्रयोग खूब सुनाई पडते हैं, जो पजाबी के प्रभाव से आए हैं।

एक परेशानी हिन्दी की विशालकायता तथा हिन्दी-भाषी व्यक्तियो की विशाल सख्या की भी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रो के लोगो को मिलने-जुलने का अवसर नहीं मिलता, अत इतने बडे क्षेत्र मे और इतने अधिक लोगो मे (जिन पर क्षेत्रीय बोलियो तथा पास के हिन्दी प्रभाव का दबाव पडता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है) किसी एक मानक रूप का बने रहना असभव-सा है। विस्तार के लिए देखिए इस अध्याय का परिशिष्ट 'एक'।

परपरा, प्रभाव और परिवेश ने एक और प्रकार की परेशानी भी पैदा की है। कुछ लोग सस्कृत परपरा तथा आर्य समाज के प्रति आस्थावान हैं, अत

सामान्य शब्द-प्रयोग, पारिभाषिक शब्द-प्रयोग, उच्चारण (जैसे ज्ञ का ज्य), वर्तनी, शब्द-रचना, संधि आदि में वे संस्कृत के निकट ही रहना चाहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इसी परंपरा में 'राष्ट्रीय' के स्थान पर 'राष्ट्रिय' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय' के स्थान पर 'अताराष्ट्रीय' के प्रयोग की सिफारिश करते हैं। इस परंपरा के लोग क, ख, ग, ज्ञ, फ, आँ के हिन्दी में प्रयोग को अनावश्यक मानते हैं। दूसरी परंपरा अरबी-फारसी-उर्दू के निकट रहने के पक्ष में है। ये लोग इस परंपरा के शब्द तथा क, ख, ग, ज्ञ, फ, ध्वनियों के समुचित प्रयोग के पक्षधर हैं। तीसरी परंपरा अंग्रेजी-भक्तों की है। ये लोग अधिकाधिक अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के पक्षधर हैं। ज्ञ, फ, आँ के समुचित प्रयोग पर भी इनका बल रहता है। इस तरह इन तीन परंपराओं के प्रति अधभक्ति भी हिन्दी के मानक तथा एक रूप के निर्धारण तथा उसके प्रयोग में बाधक बन रही है।

अतः एक बात और। किसी भी भाषा का मानक रूप सभी प्रकार के प्रयोगों में एक नहीं रहता। हर भाषा के प्रयोजन या प्रयोगानुसार अलग-अलग रूप या रूपांतर भी होते हैं। अतः मानकता के निर्धारण में भाषा-विशेष के प्रयोजनमूलक या प्रयोजनी रूपों की अनदेखी नहीं की जा सकती। (विस्तार के लिए देखिए इस अध्याय का परिशिष्ट 'एक' तथा 'दो')।

परिशिष्ट एक

विश्व में कोई भी भाषा ऐसी नहीं होगी जिसका प्रयोग, उसके पूरे क्षेत्र में, सभी स्तरों पर एक प्रकार का हो। तत्त्वतः भाषा की एकरूपता या उसके मानकीकरण अथवा एकरूपीकरण की बात सैद्धान्तिक ही अधिक है, व्यावहारिक नहीं। वास्तविकता यह है कि एक ही भाषा के स्थान तथा प्रयोग-क्षेत्र आदि के आधार पर अनेकानेक रूप ही नहीं, अनेकानेक परिनिष्ठित या मानक रूप भी होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी की ही बात लें। उसका सामान्य मानक रूप इंग्लैंड, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में एक नहीं है, और न ही साहित्य, व्यवसाय, विज्ञान, विधि दफ्तर, विज्ञापन में प्रयुक्त अंग्रेजी का मानक रूप एक है। व्यक्ति, प्रयोजन आदि के आधार पर भी अतिरिक्त मानक रूपों की सत्ता अस्वीकार नहीं की जा सकती।

वस्तुतः जिस भाषा का क्षेत्र जितना ही विस्तृत होगा उसके रूप या उसकी शैलियाँ भी उतनी ही अधिक होंगी। चीनी तथा अंग्रेजी के बाद हिन्दी इस दृष्टि से विश्व की तीसरी भाषा है। भारत के बाहर, मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम आदि में प्रयुक्त हिन्दी की बात छोड़ भी दें तो भारत में ही पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि मिलकर हिन्दी क्षेत्र को काफी बड़ा विस्तार दे देते हैं। इस क्षेत्र में हिन्दी की हरियाणवी, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाउँनी, मारवाड़ी, मेवाती, अहीरवादी, जयपुरी, मालवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगटी, भोजपुरी,

मगही, मैथिली आदि वोलियाँ आती हैं। अपवादों की बात छोड़ दे तो अधिकांश हिन्दीभाषी घर पर अपनी मातृ बोली के रूप में उन्हीं में से कोई-न-कोई बोली बोलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग जब हिन्दी के मानक रूप का प्रयोग करते हैं तो मानक हिन्दी का उनके द्वारा प्रयुक्त रूप उनकी अपनी-अपनी बोलियों से व्यतिक्रमित होता है, और ध्वनियों का उच्चारण, शब्दों का प्रयोग वाक्य-रचना आदि में प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत मगध बोलियों में प्रभावित होता है। इस तरह आदर्श रूप में हिन्दी का एक मानक रूप भले ही हो, वास्तविक प्रयोग में उसके उत्तरे ही मानक रूप बन जाते हैं, जितनी कि उसकी मुख्य बोलियाँ हैं। इन्हें हम हिन्दी की क्षेत्रीय शैलियाँ कह सकते हैं।

भाषा का प्रयोग विभिन्न कार्यों में होता है और इन सभी में प्रयुक्त भाषा की अपनी विशेषताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए सरकारी कामों में प्रयुक्त हिन्दी एक प्रकार की है, तो बोलचाल की हिन्दी दूसरे प्रकार की, कानून में प्रयुक्त हिन्दी तीसरे प्रकार की है, तो व्यापार में प्रयुक्त हिन्दी चौथे प्रकार की, विज्ञापन में प्रयुक्त हिन्दी पाँचवें प्रकार की तथा साहित्य में प्रयुक्त हिन्दी छठे प्रकार की, आदि।

फिर साहित्य में प्रयुक्त हिन्दी भी, वैयक्तिक विशेषताओं की बात छोड़ भी दे, तो तीन प्रकार की होती है जिसे प्रायः हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी नाम से अभिहित किया जाता है।

उपर्युक्त सभी हिन्दी की शैलियाँ हैं जिन्हें मोटे रूप से क्षेत्रीय शैलियाँ, प्रयोजनी शैलियाँ तथा साहित्यिक शैलियाँ कहा जा सकता है। इन शैलियों में अंतर समवेतत ध्वनि, शब्द, रूप-रचना, वाक्य-रचना, अर्थ, मुहावरे तथा लोकोक्तियों आदि के स्तर पर होता है। अंतर की इन इकाइयों को परिवर्त (variants) कह सकते हैं। इस प्रकार किसी भी भाषा की शैलियों का अन्तर विभिन्न स्तरों में प्राप्त परिवर्तों से जाना जा सकता है। यों तो इस विषय पर काफी विस्तार से लिखने की गुंजाइश है किंतु यहाँ केवल संक्षेप में ही कुछ बातें ली जा रही हैं।

सबसे पहले 'ध्वनि' या उच्चारण की बात लें। उच्चारण में स्वरों का उच्चारण, व्यंजनो का उच्चारण, अनुनासिकता, दीर्घता, अक्षर-विभाजन, बलाघात आदि मुख्य हैं। इनमें कुछ की कुछ बातें क्रमशः ली जा रही हैं।

'अ' का उच्चारण हिन्दी-प्रदेश में दो रूपों में होता है। शब्द के मध्य में 'ह' के पूर्व इसका उच्चारण तब 'ए' से मिलता-जुलता होता है, जब 'ह' के बाद 'अ' (जैसे शहर, नहर) हो, या उच्चारण में कहना, रहना, सहना जैसे शब्दों के ढाँचे में व्यंजन हो, या अंत में कोई व्यंजनादि न हो, (जैसे कह, रह)। अन्य स्थितियों में इसका उच्चारण सामान्य (अर्धविवृत, मध्य स्वर) होता है। किंतु ऐसी स्थिति प्रायः केवल पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में ही मिलती है। पूर्वी हिन्दी-प्रदेश में सभी स्थितियों में यह सामान्य (अर्धविवृत, मध्य स्वर) उच्चरित होता है, बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली क्षेत्र के 'अ' में ओष्ठ की थोड़ी वर्तुलता भी जुड़ जाती

है। (जैसे कंहना, रंह, शंहर)।

हिन्दी में कुछ स्थितियों में मध्य 'अ' का उच्चारण नहीं होता लडका, अपना, कपडा आदि। किन्तु ऐसी स्थितियों में 'इ' 'उ' के उच्चारण में पूरे हिन्दी-क्षेत्र में एकम्पना नहीं है। कुछ ब्रज तथा बुंदेली क्षेत्रों के हिन्दी-भाषी ऐसी स्थितियों में 'इ' 'उ' का भी लोप अपने उच्चारण में कर देते हैं सरिता—सर्ता, कविता—कव्ता, जमुना—जम्ना, सुविधा—सुव्धा। अन्य क्षेत्रों में अपवाद-स्वरूप कुछ व्यक्तियों तथा शब्दों की बात छोड़ दें, तो यह प्रवृत्ति नहीं मिलती।

शब्द के अंत में इ, उ ध्वनि हिन्दी के अपने शब्दों में प्रायः नहीं आती। जिन शब्दों में ये ध्वनियाँ अंत में हैं, वे हिन्दी में गृहीत शब्द (लोन वड) हैं कवि, भक्ति, शक्ति, कि, वल्कि, वस्तु, वायु, कटु आदि। यही कारण है कि इस स्थिति में इनका ठीक उच्चारण कम लोग कर पाते हैं तथा प्रायः लोग इन्हें कभी लुप्त कर देते हैं तो कभी दीर्घ। यो सामान्यतः हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भाग में मुशिक्षित लोगों के हिन्दी उच्चारण में इसकी ह्रस्वता इतनी बढ़ जाती है कि वह लोप के निकट पहुँच जाती है, (जानि—जात) तथा पश्चिमी भाग के उच्चारण में वह लगभग दीर्घ हो जाती है (भक्ति—भक्ती)। इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र के व्यक्ति को पूर्वी क्षेत्र के लोप उच्चारण में लोप मुनाई पडता है तथा पूर्वी क्षेत्र के व्यक्ति को पश्चिमी क्षेत्र के उच्चारण में प्रायः स्पष्ट दीर्घता मुनाई पडती है।

ऐ, औ पश्चिमी क्षेत्र के मूल स्वर हैं। अर्थात् इनके उच्चारण में जीभ एक निश्चित स्थिति में रहती है। पूर्वी क्षेत्र में इन दोनों के उच्चारण में जीभ एक स्वर-स्थिति में दूसरी स्वर-स्थिति की ओर जाती है। 'ऐ' को प्रायः लोग 'अए' अथवा 'अय' बोलते हैं तथा 'औ' को 'अओ' में अथवा 'अव' संस्कृत परंपरा के लोग दोनों ही क्षेत्रों में इन्हीं क्रमशः 'अइ', 'अउ' रूप में संयुक्त स्वर करके बोलते हैं। उस प्रकार 'नैतिक' के विभिन्न औच्चारणिक परिवर्तन हैं नैतिक (मूल स्वर), नएतिक, नयतिक, नइतिक। इसी प्रकार गौरव के हैं गौरव (मूल स्वर), गओरव, गवरव, गउरव।

हिन्दी में दस स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। सामान्यतः यह समझा जाता है कि इन दसों के दस अनुनासिक रूप भी प्रयुक्त होते हैं। हसना—हंसना, नाग—नाम, विधि—विधना, ईख—ईख, कुमार—कुंवर, पूछ—पूँछ, मेल—में है—हैं, हो—हो, धाँकनी—धाँसा। किन्तु पूरे हिन्दी-प्रदेश में यह स्थिति नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र में, मुद्रत ब्रज-क्षेत्र में आठ ही अनुनासिक स्वर हैं अँ, आँ, ईँ, उँ, ऊँ, ऐँ, औँ। अर्थात् ऐँ, औँ, नहीं हैं। इनका अर्थ यह हुआ कि ब्रज प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में 'मे' तथा 'मै' का उच्चारण एक ही प्रकार में होता है। यही स्थिति 'हो', 'हौ' की भी है। वे दोनों स्थानों पर केवल 'मै' तथा 'हौँ' ही बोलने हैं। हिन्दी-प्रदेश में अन्त्य दसों मौखिक स्वरों के दसों अनुनासिक रूप उपलब्ध हैं।

हिन्दी के कुछ शब्दों में स्वरों को अनुनासिकता नकारण होती है (जैसे कपन—

कांपना, चद्र—चांद), किन्तु कुछ शब्दों में वह अकारण होती है (जैसे सर्प—सांप, उष्ट्र—ऊँट, अश्रु—आसू)। इस प्रकार की अकारण या स्वतः अनुनासिकता की दृष्टि से भी कुछ शब्दों के क्षेत्रीय परिवर्त उल्लेख्य है। अनेक हिन्दी-क्षेत्रों में (जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद, भोजपुरी-भाषी क्षेत्र आदि) हाथ को हाँथ, जौ को जौ (यह पंजाबी में भी है), गाय को गाँय, घास को घाँस, कापी को काँपी, आटा को आँटा, आगे को आँगे (बुदेली में), डाक्टर को डॉक्टर, तथा सोचना को सोचना कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों की सूची काफी बड़ी हो सकती है।

पूरे हिन्दी-प्रदेश में सामान्यतः अधिकांश लोग (अनपढ़ तथा ग्रामीण तो सारे, और काफी पढ़े-लिखे भी) क, ख, ग, ज, फ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ बोलते हैं। ऐसा प्रायः अरबी, फारसी, तुर्की और पश्तो से आए शब्दों के उच्चारण में होता है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण में केवल फ तथा ज आते हैं। जो लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे प्रायः फ, ज के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों में भी फ, ज बोलते हैं। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग फ, ज तो ठीक बोलते हैं, किन्तु उर्दू-अरबी-फारसी-दाँ लोगो को छोड़कर शेष लोग क, ख, ग के स्थान पर प्रायः क, ख, ग बोलते हैं। इनमें भी ख, ग के स्थान पर ख, ग बोलनेवालों की तुलना में 'क' के स्थान पर 'क' बोलनेवालों की संख्या अधिक है। ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त आँ (कॉलेज, डॉक्टर) का भी हिन्दी बोलने में अधिकांश लोग 'आ' उच्चारण करते हैं।

'इ' के बाद 'आ' आए तो 'य' श्रुति-रूप में पूरे हिन्दी-प्रदेश में आ जाता है दिया, लिया, जिया, सिया। किन्तु 'उ' के बाद 'आ' आए तो प्रायः पश्चिमी क्षेत्र में 'उआ' (हुआ, हुआ, जुआ) रहता है किन्तु पूर्वी क्षेत्र में काफी लोगो के उच्चारण 'उआ'—के स्थान पर 'उवा', (हुवा, हुआ, जुवा) हो जाता है। 'औ' के बाद भी प्रायः ऐसी ही स्थिति है। पश्चिमी क्षेत्र में 'पौआ', 'कौआ', कहेगे तो पूर्वी में 'पौवा', 'कौवा', 'नौवा' आदि।

'ड—र', 'ढ—हँ', पर आधारित परिवर्त भी हिन्दी में क्षेत्रीय दृष्टि से एक सीमा तक वर्तमान है। भोजपुरी तथा मगही क्षेत्र में तो कम किन्तु मैथिली क्षेत्र में प्रायः 'ड' के स्थान पर 'र' तथा 'ढ' के स्थान पर 'हँ' बोला जाता है घोडा—घोरा, लडका—लरका, काढा—कार्हा, गाढा—गार्ह या गार्हा। मिथिला तथा आम-पाम के लोग 'ड' को बडा 'र' कहते हैं, जिसके पीछे भी यही परिवर्त-सवध ज्ञात होता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त व-व (विद्यार्थी—त्रिद्यार्थी, व्यापार—व्यापार, व्यवसाय—व्यवसाय, व्यर्थ—व्यर्थ), य-ज (यज-जज, यमुना-जमुना, यश-जश) श-स (शहर-महर, शादी-मादी, नमस्कार-नमश्कार, दोष-दोश), च्छ-क्ष (स्वच्छ-स्वक्ष), द-ड (दाही-डाही), ङ-ढ (डडा-ठडा), प-व-म (निपटना-निवटना-निमटना), ट-र (पट्टी-पट्टरी, तिवाडी-तिवारा, कटडा-कटरा, साडी-मारी, कचटा-कचरा) न-र (मनहज-मरहज) आदि की दृष्टि में भी काफी अन्य परिवर्त उपलब्ध हैं,

जिन्हें स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं लिया जा रहा है।

ह्रियाणा के लोग प्रायः 'ल' के स्थान पर 'ळ' का प्रयोग करते हैं काला—काळा, माली—माळी, ताला—ताळा, वाला—वाळा।

'म' ने प्रारम्भ होनेवाले मयुक्त व्यजन में यदि दूसरा मध्यम स्पर्श हो तथा यह मयुक्त व्यजन शब्द की आदि स्थिति में हो तो काफी लोग (अनपठ या ग्रामीण तो सभी, और पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश सुशिक्षित लोग भी) प्रारम्भ में अथवा इस्वर उच्चारित करके इस आदि मयुक्त व्यजन को मध्य मयुक्त व्यजन बना देते हैं स्टेसन—इस्टेसन, स्थान—अस्थान, स्प्रिंग—इस्प्रिंग, स्तूल—इस्तूल, स्नेह—इस्नेह। कभी-कभी तो इसमें अर्थ में भी गड़बड़ी हो जाती है जैसे स्पष्ट के स्थान पर 'अस्पष्ट' बोलने पर। कहना न होगा कि पंजाबी लोगों द्वारा प्रयुक्त हिन्दी में इस वर्ग के कुछ शब्दों में मध्य स्वरगम हो जाता है मटेसन, मपष्ट, मटोर, सकूल, मप्रिंग।

'क्ष' हिन्दी की अपनी प्रकृति का मयुक्त व्यजन नहीं है। यह केवल संस्कृत से गृहीत कुछ नौ शब्दों में प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि हिन्दी की विभिन्न शैलियों में इसके परिवर्तन 'छ' 'चछ' मिलते हैं। भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ह्रियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि अनेक क्षेत्रों के लोग शब्द के आरम्भ में इसके स्थान पर छ बोलते हैं क्षत्रिय-छत्रिय, क्षेत्र-छेत्र, क्षमा-छमा आदि। शिवानी की पुस्तक 'करिए छिमा' में इसका एक और परिवर्तन 'छि' आया है। शब्द के बीच या अंत में यह 'चछ' हो जाता है शिक्षक-मिच्छक-शिच्छक, कक्षा-कच्छा, प्रत्यक्ष-प्रत्यच्छ आदि।

'ज' भी संस्कृत में गृहीत मयुक्त व्यजन है और केवल संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। सामान्यतः हिन्दी-प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसका उच्चारण 'ग्य' होता है, तथा पूर्वी क्षेत्र में ग्यँ। आर्यममाजी तथा संस्कृत परंपरा के लोग इसके मूल घटको (ज्-ज) को दृष्टि में रखते हुए इसका उच्चारण ज्यँ करते हैं। मराठी सीमा के पार के हिन्दी-भाषी इसे 'दन्' भी कहते हैं। इस तरह 'ज्ञान' शब्द को ग्यान, ग्यान, ज्यान, द्यान आदि रूपों में बोला जाता है। यज्ञ, विज्ञ, गर्वज्ञ, जाज्ञ आदि अन्य शब्दों के भी इसी प्रकार के विभिन्न परिवर्तन प्राप्त होते हैं।

उच्चारण की दृष्टि में मत्प्रावाचक शब्दों के अनेक परिवर्तन हिन्दी-प्रदेश में उपलब्ध हैं। यज्ञ-क्षेत्र के कई भागों (जैसे अलीगढ़, एटा आदि) के निवासी परिनिष्ठित हिन्दी बोलने में भी नव्ये के स्थान पर 'नव्मे' कहते हैं। कुछ क्षेत्र में लोग नव्ये भी कहते हैं। भोजपुरी क्षेत्र में परिनिष्ठित हिन्दी में भी 'छियामठ' या 'छ्यामठ' को छाछट या छाछट कहते हैं। परिनिष्ठित हिन्दी के उन्नीस, एकनीस, वाउंस, नैनीस, चौबीस, पन्नीस, छत्तीस, नन्नीस अट्ठाईस, उननीस इक्कीस, बन्नीस, तैनीस, चौतीस, पैतीस, छत्तीस, सैतीस अड़तीस, उनतालीस, चात्तीस के उच्चारण में पूर्वी हिन्दी प्रदेश में दीर्घ 'ई' के स्थान पर हल्के 'इ' जर देते हैं जैसे उन्निंस,

इक्किस, सताइस, अठाइस, इकतिस, छत्तिस आदि। कुछ अन्य परिवर्त एकइस, सताइस, अठाइस आदि भी है। इ-ए (इक्कीस-एकइस, इकसठ-एकसठ, इक्यासी-एकासी, क्यानवे-एकानवे) तथा उ-ओ (उन्नीस-ओनइस, उनतीस-ओनतिस, उनतालीस-ओनतालिस, उनचास-ओनचास, उनसठ-ओनसठ आदि) की दृष्टि से भी पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में स्पष्ट अंतर है। पूरबवाले इ-ओ वाले रूपों को शुद्ध मानते हैं, तो पश्चिमवाले इ-उ वाले रूपों को।

ध्वन्यात्मक अंतर अन्य अनेक शब्दों में भी मिलते हैं। उदाहरणार्थ छीछालेदर-छीछालेदार, जूठा-झूटा, धोखा-धोका (उर्दू में), भूख-भूक (उर्दू में), गढना-घडना, खीचना-खेंचना आदि।

अक्षर-विभाजन तथा बलाघात की दृष्टि से भी अनेक रूपांतर मिलते हैं। कुछ लोग 'आमदनी' को 'आ-मद-नी' कहते हैं तो कुछ, 'आम-द-नी'। इसी प्रकार 'छिपकली' कुछ लोगों के लिए 'छिप-क-ली' है तो कुछ लोगों के लिए 'छि-पक-ली'। बलाघात के परिवर्तन भी पूरे हिन्दी-प्रदेश में मिलते हैं। कामताप्रसाद गुरु¹, आर्येन्द्र शर्मा², भोलानाथ तिवारी³ तथा अशोक केलकर⁴ के नियमों के अंतर में ये अंतर काफी स्पष्ट हैं।

शब्दों के स्तर पर परिवर्तन अगणनीय है। यहाँ उदाहरण के लिए कुछ थोड़े लिए जा रहे हैं।

जहाँ तक हिन्दी की क्षेत्रीय शैलियों में शब्द-परिवर्तन का प्रश्न है, दो बातें मिलती हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जिनके अर्थ अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं, तथा कुछ सकल्पनाएँ ऐसी हैं जिनके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग शब्द हैं। यहाँ दोनों ही के थोड़े उदाहरणों की बानगी दी जा रही है।

दिल्ली में तथा आस-पास 'जुराब' शब्द विशेष रूप से चलता है। अब तो नहीं किंतु 25-30 वर्ष पहले भोजपुरी क्षेत्र में तथा आस-पास 'जुराब' का अर्थ वह नहीं था, जो आज दिल्ली में है, अपितु कपड़ों के जूते जैसी चीज को कहते थे जो मोजे की रक्षा के लिए मोजे के ऊपर पहनी जाती है, और इस तरह जो मोजे और जूते के बीच में रहती है। आज दिल्ली में प्रायः जिस चीज के लिए 'जुराब' शब्द चलता है, उसके लिए पूरब में 'मोज़ा' चलता है। यो रीतिकाल में 'मोज़ा' जूते को कहते थे। भूपण में आता है—'पग मचकती मोज़डी'। अलीगढ़ जिले में ग्रामीण लोग 'मोज़ा' को 'मोचे' कहते हैं तो पठे-लिखे लोग 'जुराब'।

हिन्दी भाषा के पश्चिमी क्षेत्र में 'मरम्मत' शब्द का प्रयोग केवल एक अर्थ में होता है मकान की मरम्मत करवानी है, मरम्मत कर देने पर यह जूता अभी

1 हिन्दी व्याकरण, सशोधित संस्करण, पृ० 52

2 ए वेमिक ग्रामर आफ़ माडर्न हिन्दी, 1962, पृ० 16

3 हिन्दी भाषा, 1962, पृ० 482

4. स्टडीज़ इन हिन्दी-उर्दू, 1968, पृ० 26

दो-चार महीने चल जायगा। भोजपुरी आदि पूर्वी क्षेत्रों में इसके अतिरिक्त इसका एक और अर्थ में भी प्रयोग चलता है। जैसे 'इस नामान को सँभालकर रख दो' के लिए 'उस नामान को मरम्मत में रख दो', अर्थात् 'मरम्मत में' का अर्थ हुआ 'सँभालकर'।

'चलना-पूरजा' का प्रयोग पूरे हिन्दी-प्रदेश में चलता है, किंतु पूर्वी क्षेत्र में यह शुद्ध प्रणामसूचक है तो पश्चिमी क्षेत्र, मुख्यतः दिल्ली के आम-पान प्रणाम-अप्रणाम की सीमा-रेखा पर अप्रणाम की ओर झुका है, और इसमें 'बहुत चालाक' का भाव है। पूरव में यह मात्र व्यवहार-कुशल तथा अपना काम निकालनेवाला आदि ही है। उहाँ इसमें केवल उतनी चालाकी है जो अप्रणाम की सीमा में नहीं जाती। यो 'चालाक' के पूर्वी तथा पश्चिमी प्रयोग में भी एक सीमा तक प्रायः यही अंतर है।

पूरव में 'कुछ दिन हुए', 'बहुत दिन हुए' के प्रयोग चलते हैं। स्पष्ट ही 'कुछ दिन', 'थोड़े दिन' है तथा 'बहुत दिन' 'ज्यादा दिन'। पश्चिम में 'कई दिन हुए' का प्रयोग अधिक चलता है जो दोनों की सीमारेखा पर है किंतु जो प्रायः दोनों ही सीमाओं में घुम-पँठ करता रहता है। पूरव में 'कई दिन हुए' का प्रयोग प्रायः नहीं चलता।

'उमिनना' पूरव में 'उवालना' का समानार्थी है 'आलू उमिन दो।' आगरा आदि में इसका अर्थ गूंधना होता है 'चून उमिन लो'।

भोजपुरी क्षेत्र का हिन्दी-भाषी 'मधनी' या 'मथानी' शब्द का प्रयोग 'दही मचने के डडे' के लिए करता है। ब्रज-भाषी उसके लिए 'रई' का प्रयोग करता है और 'मथानी' का प्रयोग उम बर्तन के लिए करता है जिनमें दही बिनोया जाता है। ऐसे ही 'पिसान' पूर्वी क्षेत्र में 'पिसा हुआ अन्न' है, तो ब्रज-क्षेत्र में पीसने के लिए दिया जाने वाला अन्न है। पूरव में जिसे 'पिसान' या 'जाटा' कहते हैं, उसे ब्रज में 'चून' अथवा 'जाटा' कहते हैं।

'बादू' पूरव में लोकी अथवा घीया को कहते हैं, किंतु पश्चिम में प्रायः गीनाफल, काशीफल या कोहड़ा को कहते हैं।

भोजपुरी क्षेत्र के गाजीपुर जिले में भैंस के बच्चे को 'पाटा' कहते हैं तथा बच्चों को 'पाटी', तो ब्रज-क्षेत्र के अलीगढ़ जिले में 'पड्डा'—'पटिया', बर्नाजी के फर्रुखाबाद जिले में 'पटरा' 'पटिया', और हरियाणवी के गुडगावा आदि में 'काटण'—'काटणी' तथा बुलंदशहर में 'बटरा'—'कटिया'। ऐसे ही गाय के बच्चे-बच्चों के लिए 'बाछा-बाछी' (गाजीपुर), 'बछरा-बछिया' (अलीगढ़), 'बछडा-बछिया' (फर्रुखाबाद) आदि चलते हैं।

कुछ पूर्वी क्षेत्रों के हिन्दी-भाषी उँगली 'पुटवाने' हैं, परंतु पश्चिमी क्षेत्र के उँगली 'घटवाने' हैं।

भोजपुरी क्षेत्र में नानी का अर्थ है लड़की बालकका तथा पोता का अर्थ है लड़के का लड़का। ब्रज-क्षेत्र (आगरा) में नानी तथा पोता दोनों ही का अर्थ है

लडके का लडका, तथा लडकी के लडके को 'धेवता' कहते हैं। मेरठ की खडी बोली में 'नाती' का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। वहाँ लडकी के लडके के लिए 'धेवता' तथा लडके के लडके के लिए 'पोता' शब्द चलता है। इसके विपरीत लडके के लडके की पत्नी तथा लडकी के लडके की पत्नी दोनों को भोजपुरी-क्षेत्र में 'नतिन-पतोहू' कहते हैं, किंतु मेरठ में प्रथम को 'पोत बहू' तथा दूसरे को 'धेवत बहू' कहते हैं। ब्रज-क्षेत्र में दोनों को 'नतबउ' कहते हैं। हिन्दी-प्रदेश में स्त्रियाँ बाल 'बनाती है', 'सँवारती है', किंतु पश्चिमी क्षेत्र के लोग दो अन्य शब्दों का भी काफी प्रयोग करते हैं जो पूर्वी क्षेत्रों के लोगों के लिए पूर्णतः अपरिचित हैं। ये शब्द हैं 'वाना' (हरियाणा का पूर्वी भाग, 'दिल्ली तथा मेरठ) तथा 'ऐछना' (आगरा आदि)। बुंदेली में 'बाल खीचना' इसी अर्थ में चलता है। कदाचित् अन्य क्षेत्रों में यह प्रयोग बिल्कुल नहीं चलता। दही मथना के लिए पूरव में प्रायः 'महना' शब्द चलता है जो 'मथना' का ही विकास है, किंतु ब्रज आदि पश्चिमी क्षेत्रों में 'दही बिलोना' चलता है। यो 'दही मथना' दोनों क्षेत्रों में न्यूनाधिक रूप से चलता है।

पूर्वी क्षेत्र में चिट्ठी प्रायः 'छोडी' और 'छोडवाई' जाती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 'डाली' और 'डलवाई' जाती है। यो हरियाणा में तथा आस-पास चिट्ठी 'छोडी' नहीं जाती है, 'डाली' भी कम जाती है, 'गेरी' अधिक जाती है।

स्त्रियों की 'ओढनी' को हरियाणा तथा आस-पास के क्षेत्रों में 'ओढना' कहते हैं। भोजपुरी में 'ओढना' रजाई, दुलाई, कबल, चद्दर आदि ओढने की चीजों को कहते हैं। भोजपुरी में 'चद्दर' बड़ी ओढनी को भी कहते हैं, जिसे हरियाणा में 'ओढना' कहा जाता है।

पश्चिमी क्षेत्र में जिस सब्जी को 'तोरी' या 'तोरेई' कहते हैं उसे पूरव में 'नेनुवाँ' (गाज़ीपुर, बनारस तथा आस-पास) या घेवडा (बलिया आदि) कहते हैं।

हिन्दी-प्रदेश में 'आटा गूँधना' के लिए 'आटा गूँथना', 'आटा सानना', 'आटा माँडना', 'आटा गलाना' आदि कहते हैं। इनमें अंतिम का प्रयोग केवल बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है।

हिन्दी की साहित्यिक शैलियों—हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी—में शब्दों का अन्तर सर्वविदित है शुभनाम, इस्मशरीफ, नाम, शुभ स्थान, दौलतखाना, घर, स्थान, गरीबखाना, घर, तथा पिता, वालिद, बाप आदि।

रूप-रचना के स्तर पर भाषा के विभिन्न रूपों या उसकी शैलियों में विशेष अन्तर प्रायः नहीं मिलता। हिन्दी भी इस दृष्टि में अपवाद नहीं है। कुछ सीमित परिवर्तन जो मिलते हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। आज के प्रचलित रूप हिन्दी में छह हैं तू बैठ, तुम बैठो, आप बैठिए, आप बैठे, तुम बैठना, आप बैठिएना। अपवादतः दिल्ली में तथा आम-पाम कुछ अन्य स्थानों पर भी तुम आइयो, तुम जइयो, जैसे त्रिशिष्ट रूप भी आना, जाना के परिवर्तन-रूप में प्रचलित

है। विद्वानों में आदर के लिए 'वैठिए' जैसे रूपों के स्थान पर बैठा जाए, खाया जाए, चला जाए, जैसे प्रयोग हैं जो रूप-रचना के स्तर के न होकर वाक्य-रचना के स्तर के हैं। इसी प्रकार बनारस में तथा कुछ न्यूलों पर भी 'तुम जाओ' या 'आप जाइए' न कहकर दोनों को मिलाकर 'आप जाओ', 'आप आना' जैसे प्रयोग चलते हैं। इनमें कदाचित् एक तरफ 'आप' का आदर और औपचारिकता है तो दूसरी तरफ 'तुम' का नैकट्य। कहना न होगा कि यह भी वाक्य-रचना के स्तर की बात है, केवल आज्ञा में सवत्र होने के कारण इसे यहाँ ले लिया गया है। 'कर' धातु के भी कुछ रूप दो प्रकार के मिलते हैं। अनेक लोग 'किया' के स्थान पर 'करा' बोलते हैं, जो अपरिनिष्ठित है, किन्तु 'कर' के ही दूसरे रूप 'कीजिए' के स्थान पर अब 'करिए' या 'कीजिएगा' के स्थान पर 'करिएगा' रूप भी चल रहे हैं और ये रूप एक सीमा तक परिनिष्ठित प्रयोग के अग भी मान लिए गए हैं।

लिंग की दृष्टि से भी हिन्दी के क्षेत्रीय रूप अलग-अलग हैं। भोजपुरी में 'हाथी' स्त्रीलिंग है, अतः वहाँ के लोग प्रायः परिनिष्ठित हिन्दी बोलने में भी 'हाथी आ रही है' बोल जाते हैं। वहाँ 'हाथी' का पुल्लिंग 'हत्था' है। इसके विपरीत पश्चिमी क्षेत्र में तथा हिन्दी के मानक रूप में 'हाथी' पुल्लिंग है, तथा 'हथिनी' स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार तकिया, रमान, तौलिया, दही आदि कई अन्य शब्द भी पूर्वी क्षेत्र में स्त्रीलिंग हैं तथा पश्चिमी में पुल्लिंग। यों 'दही' के बारे में यह अनियमितता और भी अधिक है। दिल्ली के भी अनेक लोगों को मँने 'दही' का प्रयोग स्त्रीलिंग में करने मुना है। उसी तरह दिल्ली में 'कलाम' स्त्रीलिंग है तो बनारस, उनायावाद आदि में पुल्लिंग। जामुन, जाड़ा, मोती, तनिया, गिलास, तौलिया, पद, कनम, गीरा आदि अन्य अनेक शब्दों के लिंग भी पूरे हिन्दी-प्रदेश में एक नहीं है।

हिन्दी-उर्दू लैंगी में रूप-रचना के स्तर पर बहुवचन के रूपों में काफी अंतर है। उर्दू में प्रायः आत (नाहवान मालिकान मेस्वरान) तथा आत (मकानान, बागजात, जवाहरात, खयानात, हानात) का प्रयोग होता है तो हिन्दी में शून्य (वे कागज कर्ते हैं) अथवा जो (उन कागजों को मँगाओ) का। ऐसे ही हिन्दीवाले बोलते हैं 'मैंने बार-बार मना किया तो उर्दूवाले कहेंगे 'मैंने बार-बार मना किया'।

वाक्य-रचना के स्तर पर मुख्य परिवर्तन पद-क्रम, परमार्ग-प्रयोग, महायक प्रिया-प्रयोग आदि पर आधारित हैं। हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'जाऊँगा तो, लेकिन आज नहीं'। हंगियालावादि कहेंगे 'जाऊँ तो ना लेकिन आज नहीं'। सामान्य प्रयोग है 'जानपुर ही जाना है', कुछ क्षेत्र में प्रयोग है 'जान ही पुर जाना है'। 'तुम्हें जाना है' या 'तुम्हारा जाना है' के स्थान पर हंगियाला आदि में बोलते हैं 'मैंने जाना है'। पञ्जाबियों के प्रभाव में दिल्ली की नई पीढ़ी में भी यह प्रवृत्ति मिलती है। सामान्य हिन्दी में प्रयोग है 'राम के दो बेटे हैं', किन्तु पूरब में कहा जाता है 'राम लो दो बेटे हैं'। हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'मैंने पाप बँने नहीं'

दो पञ्चमके सामान्य हिन्दी बोलने में भी बोलते हैं 'मुझ पे पैसे नहीं हैं'। पश्चिम-वाले 'मैं जाना' 'मानना' आदि में साथ 'ने' का प्रयोग नहीं करते, किन्तु पूर्ववाले मर चुके हैं।

हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'भैया चुका', दिल्ली में 'भैया बैठा' भी सुनाई पड़े जाता है। पूर्ववाले सामान्य प्रयोग है 'उमने नहीं बताया', 'उमने बताया नहीं' जिसे पश्चिम में उम्मी का नमाना भी है। पूर्ववालों का यह हास्यास्पद लगेगा।

उर्दू में भी कुछ शब्दों में दो शैलियाँ हैं। लगनऊ शैलीवाले बोलेंगे 'चिट्ठी लिखना है,' 'पत्र लिखना है' तो दिल्ली शैली में 'चिट्ठी लिखनी है' 'पत्र लिखना है'। हिन्दी शैली में दिल्लीवाले प्रयोग ही चलते हैं 'चिट्ठी लिखनी है,' 'पत्र लिखना है'।

प्रयोगों, जासोबियाँ तथा मुताबक़ों में शैलीय परिवर्तन बहुत अधिक हैं। हिन्दी में प्रचलित चलता है 'उमरा स्वर्गवान हो गया' तो उर्दू में चलता है 'ये स्वर्गवान हो गए'। हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'बुरा मानना', किन्तु दिल्ली में अनेक लोग (हिन्दू पञ्जाबीभाषी भी शामिल हैं, किन्तु काफी हिन्दीभाषी भी), 'बुरा मानना' के स्थान में 'बुरा मनाना' करते हैं। पञ्जाब में शब्दाणा में 'मच्छर लगने है' जर्बतक मर हिन्दी शैली में 'मच्छर काटने है'। वहाँ माप, प्रिचलू भी चलते हैं, काटने मरते। साम्प्रदायिक में 'पधारिण' आऊँ या 'जाऊँ' के लिए आवश्यकतानुसार पञ्जाब वासी हैं 'पूरवम आऊँ' या 'देखिण' के लिए। पूर्व में चलता है 'कहाँ राजा जाय कय जायदा नहीं' वा पश्चिमी क्षेत्रों में चलता है 'कहाँ राजा भाज जाय मयू (अथवा रामना) नेगी'। पश्चिमवाले करते हैं 'करने में कुटार मरे पर नही चलेगा' तो पूर्ववाले करते हैं 'करने में धावी मरे पर नही चलेगा'। पूर्व में हिन्दी पर 'जा' मराया ही जाता है जो पश्चिम में 'हिन्दी पर जान दिखेगा' भी प्रचलित है।

जहाँ तक वाक्य-रचना का प्रश्न है, एक बात जो हमने मुख्य ही वह है उस शैली की भाषा का स्पष्ट अनुवाद की भाषा होना, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश वाक्य अपनी गठन में हिन्दी की मूल प्रकृति के अनुकूल न होकर उस भाषा की प्रकृति के अनुकूल होते हैं, जिनमें अनुवाद हुआ है। मध्य काल में कचहरियों की भाषा फारसी थी, अतः परंपरागत रूप में कुछ तो उसका प्रभाव है, और इधर कचहरियों की भाषा अंग्रेजी रही है अतः उसका प्रभाव है, और यही प्रभाव अधिक है। वाक्य-रचना की एक अन्य विशेषता है वाक्यों का अव्यक्ति (Impersonal) होना। जैसे 'आदेश दिया जाना है' (ऊपर के लोग नीचे के लोगों को लिखेंगे), 'अनुमति दे दी जाए' (नीचे के लोग ऊपर के लोगों को लिंगेंगे)। इसी तरह 'ऐसा कर दिया जा सकता है' न कि 'ऐसा करो' या 'ऐसा कीजिए'। साथ ही वाक्य प्रायः छोटे होते हैं, और कभी-कभी तो केवल एक शब्द के, यथा आवश्यक = यह फाटल आवश्यक है, अत्यावश्यक = यह फाटल अत्यावश्यक है। गेमे ही अग्रेपित या (अग्रप्रेपित) = फार-चिट्टि), मन्तुत, तुरत उत्त्यादि।

परिशिष्ट दो

भाषा, व्यक्ति के स्तर पर, बाह्यतः सुश्रोत्रगति या दृच्छिक ध्वनि-प्रतीकोत्पत्ति वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से वह अपने को व्यक्त करता है, अतः वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से 'वह' सोचता है, और समाज के स्तर पर वह व्यवस्था है, जिसमें समाज नियंत्रित होता है। उस प्रकार भाषा विचार-संप्रेषण, चिंतन तथा सामाजिक नियंत्रण का साधन है। यों चिंतन की बात छोड़ दें, तो मूलतः और मुख्यतः भाषिक प्रक्रिया (Linguistic activity) और सामाजिक प्रक्रिया (Social activity) है, क्योंकि व्यक्ति इसका प्रयोग समाज में ही करता है, और ये वैयक्तिक प्रयोग ही अंततः समाज को नियंत्रित करते हैं।

भाषा के दो पक्ष हैं संरचना-पक्ष, प्रयोग-पक्ष। संरचना में आशय है भाषा की अपनी आंतरिक संरचना जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ के स्तर पर होती है, और संरचनात्मक भाषाविज्ञान जिम्मा अध्ययन करता है। प्रयोग से आशय है समाज द्वारा उसका प्रयोग जो विभिन्न सामूहिक, प्रणामनिक, तकनीकी तथा पारिस्थितिक आदि सन्दर्भों में होता है और जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ की दृष्टि में भाषा को अनेकानेक रूप प्रदान करता है। भाषा के इस पक्ष का अध्ययन समाजभाषाविज्ञान के क्षेत्र में आता है। यों कुछ लोगों ने मनोभाषाविज्ञान को भी यही क्षेत्र घोषित करने का यत्न किया है। भाषाविज्ञान अथवा संरचनात्मक भाषाविज्ञान भाषा की व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि में करता है कि भाषा कैसे कार्य करती है, जबकि समाजभाषाविज्ञान भाषा की व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि में करता है कि इस व्यवस्था का कैसे प्रयोग किया जाता है—विभिन्न सामाजिक संदर्भों में, अथवा भाषा कैसे समाज के नियंत्रण का साधन है। इस तरह भाषा के

अध्ययन में समाजभाषाविज्ञान का दृष्टिकोण प्रयोजनमूलक होता है—विभिन्न प्रयोजनों के लिए भाषा का प्रयोग तथा उनसे सबद्ध एव उद्भूत परिवर्तों (Variants) का विश्लेषण और निश्चयन।

पहला प्रश्न यह उठता है कि भाषा की प्रयोजनमूलकता से क्या आशय है। वस्तुतः, जैसा कि पीछे भी कहा जा चुका है, वास्तविक प्रयोगों से सर्वथा अलग, भाषा के किसी एक मानक रूप की सत्ता मात्र मानसिक होती है। वास्तविक रूप में विभिन्न सदस्यों में किसी एक मानक रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक सामाजिक सदस्य में एक रूप का प्रयोग होता है तो दूसरे में दूसरे का, और तीसरे में तीसरे का। इस तरह भाषा के विभिन्न प्रकार के मानक रूप भाषा की आंतरिक संरचना से प्रतिबद्धित होते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा विभिन्न सामाजिक प्रयोगों से प्रतिबद्धित होती है।

भाषा का प्रयोग समाज में होता है, किन्तु समाज के सदस्य हमेशा एक नहीं होते। मानसिक, प्रायोजनिक, पारपरिक तथा आभिव्यक्तिक दृष्टि से समाज के भी विभिन्न रूप या परिवर्त होते हैं। बैंक का समाज एक है, तो किसी प्रशासनिक कार्यालय का समाज दूसरा, किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का समाज तीसरा, तो किसी विशेष स्थान पर लगे सञ्चयों के प्रातः कालीन बाजार का समाज चौथा। और इसी प्रकार हर भाषा-भाषी वर्ग का, व्यापारिक, साहित्यिक, वकीली, डाक्टरी, इंजीनियरी आदि-इत्यादि का अपना सीमित समाज अलग-अलग होता है। समाज के इन परिवर्तों के विषय अलग-अलग होते हैं, अतः इनकी आभिव्यक्तिक आवश्यकताएँ भी अलग-अलग होती हैं। इस अलगाव के लिए विषय के अतिरिक्त लोगों का मानसिक स्तर, उस तरह के समाज की परंपरा, मुख्यतः आभिव्यक्तिक परंपरा, उनका भूगोल, इतिहास, उनकी सभ्यता और संस्कृति आदि अनगिनत वे बातें जिम्मेदार हैं, जिनसे उस समाज के अपने निजी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वस्तुतः जैसे हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार हर विशिष्ट समाज (जो बृहत्तर समाज का किसी स्तर पर एक खंड है) को भी 'अपनी भाषा' होती है, और इस 'उस सीमित समाज' की 'अपनी भाषा' का अपना व्यक्तित्व—उम समाज के व्यक्तित्व के अनुरूप ही—भी अलग होता है। अर्थात् एक बृहत्तर समाज के भीतर विभिन्न प्रयोजनों में जितने भी विभिन्न छोटे-छोटे समाज गठित होते हैं, उन सबकी अपनी भाषा भी एक सीमा तक अलग-अलग होनी है, जो प्रयोग के विशिष्ट प्रयोजन के कारण उस भाषा के सर्वसामान्य रूप के परिवर्त (Variant) या विभिन्न रूपांतर कहे जा सकते हैं। किसी भी भाषा के ये विभिन्न परिवर्त, उम प्रयोजन पर ही आधृत होंगे, जिनके लिए उनके विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित समाज-खण्डों के द्वारा अलग-अलग प्रयोग होंगे, जिनकी भाषा के ये विभिन्न रूप या परिवर्त ही उम भाषा के प्रयोजनमूलक विभिन्न रूप हैं। दुनिया की हर भाषा के इस प्रकार के रूप होते हैं। जो जो समाज जितना

ही कम विकसित तथा विभिन्न क्षेत्रों में कम विशेषज्ञीकृत (Specialized) होगा, उनकी भाषा के प्रयोजनमूलक रूप भी उतने ही कम होंगे। इसके विपरीत जो समाज जितना ही अधिक विकसित और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञीकृत होगा उनकी भाषा के ये प्रयोजनमूलक रूप भी उतने ही अधिक होंगे। उम तरह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किसी समाज की विशेषज्ञता जितनी ही बढ़ती जाती है, उन प्रयोजनमूलक भाषारूपों की संख्या भी बढ़ती जाती है।

हिन्दी का जन्म जब 1000 ई० के आसपास हुआ तो वह केवल बोलचाल की भाषा थी। सामान्य जीवन तथा उममें सब कुछ खेती, व्यापार, लुहागी, बड़ईगिरी, कुम्हानी, मिलाईगिरी आदि जीवन के तत्कालीन आवश्यक क्षेत्रों में उसका प्रयोग होता था और उनमें सब कुछ उमके थोड़े-बहुत विशेषीकृत रूप थे। हाँ, हिन्दी के भांगोलिक परिवर्तन काफी थे, क्योंकि उसका क्षेत्र काफी विस्तृत था और है। धीरे-धीरे हिन्दी जनता जैसे-जैसे धर्म, ज्योतिष, साहित्य आदि अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भाषा का प्रयोग करती गई, इसके प्रयोजनमूलक विभिन्न नए रूप भी विकसित होने गए। मध्यकाल में प्रशासनिक, कलईगिरी, वस्त्र-उद्योग आदि कई दृष्टियों से हिन्दी-भाषी जनता की नई विशेषज्ञताएँ बढ़ी, अतः हिन्दी के प्रयोजनमूलक नए रूप भी अस्तित्व में आए। अंग्रेजी ज्ञान में यूरोपीय सपर्क ने हमारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढाँचा काफी बदला, धीरे-धीरे हमारे जीवन में नई विशेषज्ञताएँ (जैसे पर्यटन, रजिनीयरी, बैंक आदि) पनपी और तदनुकूल हिन्दी के नए प्रयोजनमूलक भाषिक रूप भी उभरे। स्वतंत्रता के बाद हिन्दी भाषा के प्रयोग का क्षेत्र बहुत बढ़ा है, और बढ़ता जा रहा है, और तदनुकूल उनके प्रयोजनमूलक रूप भी बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं। भारत के प्रतिष्ठित मारिजम, सूरीनाम, फिजी, पाकिस्तान (हिन्दी की एक पैली उर्दू) तथा इंग्लैण्ड (यहाँ भी हिन्दी-उर्दू भाषी ब्राणी हैं, तथा अब तो उनकी अपनी पत्रिकाएँ भी निकलन लगी हैं) आदि कई देशों में भी हिन्दी है अतः इन सब में प्रचुर हिन्दी के सहयोग में हिन्दी के एक ऐसे स्वरूप के विकसित होने की सम्भावना में उतवार नहीं किया जा सकता, जिसे किसी एक देश की नीमा में उपर उठकर विश्वजीन बना जा सके। भारत में प्रतिष्ठित भारतवर्षीय सवर्ग-भाषा के रूप में हिन्दी ने एक स्वरूप के विकास का एक प्रशासनिक तथा अन्य स्वरूप पन हो रहा है, जिसकी ओर लक्ष्य, हमारे सविधान की 351वीं धारा में किया गया है। सांगरी या बार्बानदी भाषा के रूप में हिन्दी का एक रूप स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के लगभग पच्चीस वर्षों में काफी कुछ विकसित हुआ है, सविधान की 343वीं धारा में स्मिता सतत है। तो उसने सतत रही है इस स्वरूप का विकास का अंगी अभाव है, सभी कारण राष्ट्रीय स्तर पर भाषाओं में जिस हिन्दी का धारण-व्यवहार प्रयोग हो रहा है वह पूर्ण तरह से ही हिन्दी नहीं है जिसका उच्च प्रदेश विद्यापीठ आन्ध्र प्रदेश आदि विभिन्न हिन्दी-प्रदेशों में सतत कर रही है। अतः अपने लिए काली प्रभावी भाषा के

नेशन' की आवश्यकता है। कार्यालय भी विभिन्न क्षेत्रों में और स्तरों पर कई प्रकार के (कचहरी, बैंक, ऊपर से नीचे तक के प्रशासनिक स्तर के कमिश्नरी, कलक्टर, तहसील, परगना आदि) हैं, और उन सभी की अपनी अलग-अलग आभिव्यक्तिक आवश्यकताएँ और परंपराएँ हैं, अतः इन सभी में हिन्दी के जो रूप हैं, और विकसित हो रहे हैं, किमी-न-किमी रूप में एक-दूसरे से अलग हैं और ये सभी हिन्दी के प्रयोजनमूलक परिवर्तन या उपरूप हैं। साहित्य और उनमें भी विभिन्न साहित्यिक विधाओं (जैसे काव्य, नाटक, कथा-साहित्य, आलोचना), संगीत, आभूषणों के वाजारों, कपड़े के वाजारों, विभिन्न प्रकार के सट्टा-वाजारों समाचार-पत्रों, धातुओं आदि के क्रय-विक्रय की दुनिया (जिसकी एक झाँकी किसी भी दैनिक पत्र के सवद्ध पृष्ठ से ली जा सकती है), फिल्मों, चिकित्सा-व्यवसाय, खेतों-खलिहानों, विभिन्न शिल्पों और कलाओं, विभिन्न कसरतों-खेलों—आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त हिन्दी पूर्णतः एक नहीं है। ध्वनि, शब्द, रूप-रचना, वाक्य-रचना, मुहावरों आदि की दृष्टि से उनमें (कभी थोड़ा, कभी अधिक) स्पष्ट अंतर है, और ये सारे हिन्दी के ही अलग-अलग प्रयोजनमूलक रूप हैं।

कुछ उदाहरणों द्वारा उपर्युक्त बात स्पष्ट की जा सकती है। 'शेयरो में सुधार', 'सटोरियों की पटान', 'सटोरियों की विकवाली', 'चीनी में तेजडियों की पकड़ ढीली', 'वस्ती डेलिवरी बायदा शेयर', 'चाँदी में गिरावट', 'सोना उछला', 'स्टैंडर्ड सोना खामोशी के साथ 514 पर खुला', 'दिसावर के मदे समाचारों से चना-चावल नरम', 'चाँदी लुढ़की', जैसे प्रयोगों से युक्त हिन्दी का प्रयोग मडियों और शेयर बाजारों में होता है, तो सामान्य भाषा का प्रयोग 'आप कृपया इसे बैंक में जमा कर दे', बैंक के कागजों पर 'जमा कर दे' ही रह जाता है, जिसमें कर्त्ता और कर्म गायब है। बोलचाल की सामान्य हिन्दी कर्त्ता-प्रधान है, किन्तु कार्यालयी हिन्दी में कर्त्ता का लोप कर दिया जाता है 'अधिकारी आम जनता को सूचित करते हैं' के स्थान पर 'आम जनता को सूचित किया जाता है' या 'आप वहाँ बिल्डिंग बनवा दे' के स्थान पर 'वहाँ बिल्डिंग बनवा दी जाए' आदि। वस्तुतः वहाँ व्यक्ति शासन-तंत्र का अंग है, अतः आज्ञा या सूचना शासन-तंत्र की ओर से आती है, व्यक्ति की ओर से नहीं, इसी कारण वह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। ऐसे प्रयोगों की जड़ में कदाचित् यही मनोविज्ञान है। फाइलो पर 'तुरत', 'आवश्यक', 'अत्यंत आवश्यक' 'अति-तुरत' पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं, जैसे—'वह पत्र अत्यंत आवश्यक है' का 'अत्यंत आवश्यक' आदि। बोलचाल की भाषा, नाटकों, कथासाहित्य के कथनोपकथन में वाक्य में अनेक शब्दों का लोप करके उसे एक या दो शब्दों का कर लेते हैं। 'आपका नाम?' ('आपका नाम क्या है' के स्थान पर) 'तिवारी' ('भेरा नाम तिवारी है' के स्थान पर)। ऐसे ही 'अवश्य', 'जरूर-जरूर', 'हाँ', 'हाँ-हाँ', 'बखुशी', 'जहे-किस्मत' 'अहोभाग्य', 'वाह, क्या कहने' आदि। हिन्दी में बोलचाल में सज्ञा, क्रिया की पुनरुक्तियों का प्रयोग बहुत अधिक होता है 'कुछ चाय-वाय मँगावो', 'तुम्हें चलना-

यचना तो है नहीं ' किन्तु जालोचना कविता, या शास्त्रीय विवेचन में यह बात नहीं मिलेगी। ये अंतर मुख्यतः शब्दप्रयोग, महप्रयोग तथा वाक्य-रचना के स्तर पर मिलते हैं, किन्तु कभी-कभी ध्वनि, रूप-रचना तथा अर्थ के स्तर पर भी अंतर होता है। शब्द-प्रयोग के अंतर में मरा आनाय है, विजिष्ट क्षेत्रों में एक ही अर्थ में विजिष्ट शब्दों के प्रयोग में। उदाहरण के लिए सामान्य भाषा में जिस चीज के लिए 'नमक' शब्द का प्रयोग होता है, रसायनशास्त्र में उसे 'लवण' कहते हैं। महप्रयोग में आशय है दो या अधिक शब्दों का साथ-साथ प्रयोग। मटिया की भाषा में चादी और चोना के साथ 'तुड़कना' और 'उछलना' क्रिया का प्रयोग होता है, किन्तु हिन्दी में अन्य रूपों में इन गूजा शब्दों के साथ इन क्रियाओं का महप्रयोग नहीं मिलेगा क्योंकि ये निर्जीव हैं। वाक्य-रचना विषयक रूपान्तर बहुत अधिक मिलते हैं। अर्थ के स्तर पर भी अंतर मिलते हैं। सामान्य भाषा में 'टीका लगाना' तिलक लगाना है, किन्तु चित्रित्वा में मद्राश भाषा में यह 'मुर्दा लगाना' है। काव्यशास्त्र में 'द्युतरति' का एक अर्थ है तो भाषाशास्त्र में दूसरा, संगीत में 'सगत करना' का एक अर्थ है तो सामान्य भाषा में दूसरा। अतः ही यह सूची काफी बटाई जा सकती है।

समयान्त हिन्दी के मुख्य प्रयोजनमूलक रूप मान हैं। आगे इनके उपरूप भी हो सकते हैं, जिनका संकेत जोष्ठक में है। 1 बोलचालीय हिन्दी, 2 व्यापारी हिन्दी (इसमें भी मटिया की भाषा, सर्गिके के दलालों की भाषा, मद्राशाजार की भाषा आदि कई उपरूप हैं) 3 कार्यालयी हिन्दी (कार्यालय भी कई प्रकार के होते हैं, आगे उनमें भी भाषा के स्तर पर कुछ अंतर हैं), 4 शास्त्रीय हिन्दी (विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषाएँ शब्द के स्तर पर काफी कुछ अलग हैं जैसे संगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, भाषाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, योगशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, विधिशास्त्र आदि की), 5 तकनीकी हिन्दी (इंजीनियरी, दार्शनिकी, लुहारि, प्रेम, पौष्टिकी, मिला जाड़ि की तकनीकी भाषा), 6 समाजी हिन्दी (इसमें प्रयोग सामान्य वाक्यार्थ करते हैं), तथा 7 साहित्यिक हिन्दी (इसमें कविता, कथानासाहित्य, तथा नाटक की भाषा में अंतर होता है)।

एक परिशिष्टों में समस्त हिन्दी की मुख्यतः दो प्रकार की बातियाँ—क्षेत्रीय, प्रयोजनीय—का संक्षेप में ज्ञापन किया और देखा कि हिन्दी के मानक रूप अन्तरगत में इनके क्षेत्रीय और प्रयोजनीय अंतर परिचित हैं। हिन्दी के अनेक प्रकार के स्तर पर आरंभित हैं। प्रयोजनीय इनमें भी अनेक और परिचितों को समझे तथा प्रयोग करने समय इनका पूरा ध्यान रखना है। अपनी भाषा को संशुद्ध मानकर प्रयोग करने।

हिन्दी उच्चारण

भाषा का प्रयोग सबसे अधिक बोलकर किया जाता है, इसीलिए अच्छी भाषा के लिए अच्छा उच्चारण आवश्यक है। यदि किसी वक्ता की भाषा व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक हो, किन्तु उच्चारण भ्रष्ट हो तो उसका श्रोता पर वह प्रभाव नहीं पड़ता, जो अच्छे उच्चारण करनेवाले वक्ता का पड़ता है।

एक बात और। वक्ता कितनी तर्कसम्मत बातें करेगा, इसका पता तो चलता है बातें सुनने के बाद, किन्तु यदि उसका उच्चारण खराब हो तो ज्यों ही वह बोलना शुरू करता है, श्रोता के मन में धारणा बन जाती है, कि यह आदमी तो यो ही है, जिसे ठीक से उच्चारण करना नहीं आ रहा है, वह ठीक से बातें क्या करेगा ?

इस प्रकार उच्चारण वह पहली चीज है, जिसके आधार पर श्रोता किसी भी बोलनेवाले के प्रति पहली धारणा बनाते हैं, और यह ध्यान देने की बात कि (फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन) पहली धारणा बड़ी गहरी होती है, और वह प्रायः जन्दी नहीं बदलती।

इसलिए शुद्ध उच्चारण पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

यहाँ हिन्दी के उच्चारण पर विस्तार के साथ तथा उसके सभी पक्षों को लेते हुए विचार नहीं किया जा रहा है¹, बल्कि केवल उन विदुओं को लिया जा रहा है, जिन्होंने सबद्ध गलतियाँ लोग प्रायः करते हैं।

स्वर

अ—‘अ’ के उच्चारण से सबद्ध दो प्रकार की गलतियाँ प्रायः होती हैं। पहली तो यह कि हिन्दी के मानक उच्चारण में शब्द के मध्य में ‘अ’ स्वर, यदि वह

1. इस विषय की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए प्रस्तुत पत्रिकाओं के लेखकों की पुस्तक ‘हिन्दी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण’।

'ह' व्यजन के पढ़ने से तो कुछ-कुछ 'ए' जैसा उच्चरित होता है। जैसे 'कहना' या 'रहना'। जैसे ही, जहर, नहर, लहर, सहर, बहन, बहना, रहना, सहरना, बहना आदि में भी। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि 'ह' के बाद या तो अ हाँ (शहर) या कुछ भी न (रह) हो या अक्षरांत में ह (तहमद) हो। कुछ अन्य उदाहरण हैं जहाँ अ हाँ 'ए' जैसा उच्चारण होता है— नलहटी, महमूल, पहरा, चहल-पहल, महक, तहजीब तथा अहकार, आदि।

'अ' म मयद्व दूमरी गनती यह हाँती है कि प्रायः मस्कृतज हिन्दी भाषा या मराठी, ओडिया या दक्षिण भारत के लोग, 'अ' का उच्चारण उम स्थिति में भी करतें हैं, जहाँ मानक हिन्दी में इसका उच्चारण नहीं होता। उम मयध में दो-तीन वानें याद रग्न की ? (क) हिन्दी में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। जो शब्द वेग्न में अकारांत है, उनका उच्चारण व्यजनांत हाँता है। अर्थात् तुम, आप, पाप, राम, जप मद्य, ब्रह्म, जग, आज, हाट आदि शब्द वास्तविक उच्चारण में तुम, आप, पाप्, राम्, जप्, मद्य, ब्रह्म, जग्, आज्, हाट् आदि हैं। (ख) प्रथम अक्षर छोटपत्र यदि शब्द के मध्य में किमी व्यजन के बाद 'अ' हो तथा उमके बाद के व्यजन के बाद दीर्घ रग्न हो तो भी 'अ' का लोप हो जाता है। जैसे 'चलना' का उच्चारण 'चलूता' होगा या 'आम्यरुता' का उच्चारण 'आवश्यरुता' होगा। इसी प्रकार जगती, धरना, जगला, पतली, चलते, कमरा, वनता आदि में भी। (ग) पढ़ने अक्षर के बाद के 'अ' के बाद यदि व्यजन + ह्रस्व स्वर + व्यजन वा पेटने हाँ तो भी अ लुप्त हो जाएगा मत्तलव, एटनन, मखमल, जटवल।

प्र

'श्र' का उच्चारण हिन्दी में 'रि' हाँता है। बहन में लोग—प्रायः मेरठ तथा आसपाम के पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के— वृषा को 'श्रपा' 'कृषया' को 'श्रषया', 'श्रष्ण' को 'श्राण' अर्थात् 'रि' को 'र' बोलते हैं, जो अशुद्ध है। कभी-कभी उममें अर्थ का अन्वय भी हाँ जाता है। उदाहरण के लिए गूढ को बोर प्रह बहे तो अर्थ गूढ वा कुछ हो जाएगा। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के कुछ लोगों को मने 'श्रप्रदेश' के स्थान पर 'श्रप्रदेश' रहते सुना है। तो यह स्मरण रग्न की बात है कि 'श्र' हिन्दी में कभी स्थितियों में 'रि' ही उच्चरित हाँती है। 'र' व्यजन और 'ए' स्वर का योग।

इसी प्रकार गुजराती मराठी तथा दून में दक्षिण भारत के लोग 'श्र' का उच्चारण 'र' करते हैं। यह भी अशुद्ध है। उदाहरण के लिए दे लोग वृषा को वृषा अम् वा अम् वा 'श्रपा' को 'श्रपा' आदि बोलते हैं।

उम प्रश्न का ज हिन्दी में मानक उच्चारण म तो है न र लिये वा रि है।

‘आँ’

यह अंग्रेजी में आया हुआ स्वर है तथा अंग्रेजी से हिन्दी में लिए गए डॉक्टर, आफिस आदि पन्द्रह-सोलह शब्दों में ही मिलता है। बहुत से लोग इसके स्थान पर ‘आ’ बोलने की गलती करते हैं। किंतु इस तरह की गलती से कहीं-कहीं अर्थ भी बदल जाता है, अतः ‘आँ’ को ‘आँ’ ही बोलना चाहिए ‘आ’ नहीं। उदाहरण के लिए ‘काफो’ का अर्थ है ‘पर्याप्त’, किंतु ‘काँफो’ एक पेय है। ऐसे ही ‘वाल’ का अर्थ है ‘केज’ किंतु ‘वाँल’ का अर्थ है ‘गेद’ अथवा ‘हाल’ का अर्थ है ‘समाचार’ तो ‘हांल’ का अर्थ है नाटक, भाषण आदि के लिए विशेष प्रकार से बना बहुत बड़ा कमरा।

हिन्दी में आँ-युक्त कुछ बहुप्रचलित शब्द ये हैं

ऑनरेरी, ऑफिस, ऑमलेट, ऑर्डर, ऑर्डिनेम, काँफी, काँमा, कॉर्नफ्लेक्स, कॉल, कॉलर, कॉलिज, चाँक, चाँकलेट, चाँप, टॉप्स, डॉक्टर, पाँकिट, पाँट, पाँप, (म्युजिक, कार्ने), पॉलिश, पॉलिमी, प्लॉट, प्लैटफॉर्म, फॉर्म, फॉल (साडी का), फुटबॉल, वॉण्ड, वॉल, वास्केटबॉल, वेमबॉल, मटनचाँप, मनीऑर्डर, यूनिफॉर्म, लॉन, लॉन्टेनिम, लॉडें, वालीबॉल, हॉकी, हॉटडॉग, हॉल, हैडबॉल।

इ, उ

ये दोनों स्वर यदि शब्दों के अंत में आते हैं तो इनके उच्चारण में प्रायः गलती हो जाती है। लोग ह्रस्व ‘इ’ के स्थान पर दीर्घ ‘ई’ तथा ह्रस्व ‘उ’ के स्थान पर दीर्घ ‘ऊ’ बोल जाते हैं। जैसे ‘कवि’ का ‘कवी’, ‘भक्ति’ का ‘भक्ती’ या ‘व्यक्ति’ का ‘व्यक्ती’ आदि। इसी प्रकार ‘शत्रु’ का ‘शत्रू’, ‘वस्तु’ का ‘वस्तू’ तथा ‘धातु’ का ‘धातू’ आदि। अर्थात् शब्दांत में आनेवाले ‘इ’ ‘उ’ का उच्चारण बहुत संभवतः करना चाहिए।

ऐ, औ

ये दोनों स्वर मानक हिन्दी के उच्चारण में मूल स्वर हैं। अर्थात् इनके उच्चारण में जोन अचल रहनी चाहिए। उमें एक स्थान में दूसरे स्थान की ओर चलना नहीं चाहिए। इनके उच्चारण में प्रायः दो प्रकार की गलतियाँ मिलती हैं। मस्कृत तथा आर्यमज्जि परंपरा के वदत में लोग मस्कृत के उच्चारण के अनुगम ‘ऐ’ का उच्चारण ‘अट’ करने हैं। जैसे ‘भैतिक’ के स्थान पर ‘नटनिक’, ‘पैमा’ का ‘पटमा’ अथवा ‘भैतिक’ के स्थान पर ‘मटनिक’ आदि। वस्तुतः इसका उच्चारण ‘अ’ और ‘इ’ का योग न होकर मूल स्वर ‘ऐ’ है। दूसरी गलती टिकनी-टिक्याना तथा शत-शत के लोग करने हैं। यहाँ नई पीढ़ी के वदत में लोग ‘ऐ’ के स्थान पर ‘ए’ का उच्चारण करने हैं। अर्थात् ‘भैतिक’ और ‘वैदिक’ का ‘भैतिक’, ‘वैदिक’।

इसी के अनुरूप 'ओं' का उच्चारण मन्कृत और बायेंमनाज परपरामे 'अउ' मिनना है ना टिन्नी-ट्रिवाणा आदि मे 'ओं'। जैना 'गोरव' का 'गउरव' तथा 'गोरव' अथवा 'औरत' का 'अउरत' अथवा 'ओरत'। निष्कर्षत 'ऐ' के 'अउ' और 'ए' तथा 'ओं' के 'अउ' तथा 'ओ' उच्चारण मे वचना चाहिए।

हिन्दी-क्षेत्र के पूर्वी भाग मे 'ए' तथा 'ओं' क्रमश 'अए' तथा 'अओं' रूप मे मयुवनाक्षरवत् उच्चरित होते हैं। वहाँ के लोगों के लिए इनका मूल स्वर की तरह उच्चारण करना समभव नहीं है, अत उम क्षेत्र मे इसी को मानक रूप माना जा सकता है।

व्यजन

क, ख, ग, ज, फ

इनके उच्चारण के मयध मे हिन्दी प्रदेश मे पांच प्रकार के विचार मिलते हैं। काफी लोग तो ऐसे हैं जा इन सभी के स्थान पर प्रथम क, ख, ग, ज, फ, बोलते हैं। ऐसे लोग अधिवाशा अर्धशिक्षित या अशिक्षित वर्ग के हैं। इनका नारा है 'बदी लटाओ हिन्दी बनाओ'। दूसरे वर्ग के वे शिक्षित लोग हैं जो क, फ का तो ठीक उच्चारण करते हैं, किन्तु ख, ग या नहीं। इसका कारण यह है कि ये ध्वनियाँ (गजट, मेण्टीरज) अंग्रेजी के शब्दों मे भी आती हैं और अंग्रेजी पढाई जाती है, अत एर बोलते ही आरत है। तीसरे वर्ग मे वे शिक्षित लोग आते हैं जो शिक्षित हैं, और इन सभी का प्रयोग करना चाहते तो हैं किन्तु उन्हें पता नहीं है कि किय शब्द मे कहा जाननी ध्वनि है। इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग कभी तो क, ख, ग ज फ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ बोल जाते हैं और कभी क, ख, ग, ज, फ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ। उदाहरण के लिए 'गरीब' के लिए 'गरीब' और 'अगवार' के लिए 'अगवार' तो 'तहजा' के लिए 'तहजा' और 'फांज' के लिए 'फांज'। अन्तिम वर्ग मे शिक्षित लोगों मे से ओंऐ ऐसे लोग आते हैं जो इन सभी का ठीक प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग वे हैं जिनका विनोद-किर्मा स्तर पर उई मे मयध रता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या किया जाना चाहिए। तीन ही रास्ते हैं।

(१) इन सबका प्रथम क, ख ग ज, फ का दिया जाए। किन्तु इससे कई परिणामों हैं। (२) काल-काल कान-कान, जान-जान, गाना-गाना, धंरनी, बान-बान, फा-फा का-का मे अर्ध या अन्तर है अत अथ ही स्पष्टता के लिए एरके वर-वराता दी-दी होगा। (३) सुनिश्चित रूपसे प्रथम तथा अन्तिम-ध्वनी को स्पष्ट करने के समायाने लक्षित है इनका ठीक उच्चारण किया जाता है। (४) कभी काली-काली-काली न अथ मूल मे शब्दों का इन ध्वनियों के साथ उच्चारण न करना गौरव है। यदि इन ध्वनियों को स्पष्ट करने देंगे तो उन शब्दों का गौरव समायाने ही बरता है। उदाहरण के लिए 'नेहरू' को 'नेहुरी' और

बोलना और सुनना दोनों ही अटपटा लगता है। (ई) गालिव, फँज, जौक, फिराक आदि बहुत से नामों में ये ध्वनियाँ आती हैं, और इन नामों को विगाड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस रास्ते को नहीं अपनाया जा सकता।

(ख) दूसरा रास्ता ज, फ को स्वीकार करने तथा क, ख, ग के स्थान पर क, ख, ग का प्रयोग करने का है। ऊपर कही चारों बातें इसके भी विपरीत जाती हैं। अतः ऐसा नहीं कर सकते।

(ग) तीसरा रास्ता है, क, ख, ग, ज, फ को हिन्दी स्वीकार कर लें। ऐसा करने से इससे उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त एक और लाभ यह होगा कि हिन्दी-उर्दू उच्चारण में एक-दूसरे के बहुत समीप आ जाएँगी, साथ ही भारत के बाहर के उन मुस्लिम देशों के लोगों के लिए, जिनकी भाषाएँ अरबी, फारसी, तुर्की से सबद्ध हैं, हिन्दी सीखना, बोलना और समझना आसान हो जाएगा।

इन ध्वनियों के ठीक प्रयोग की जानकारी के लिए इस अध्याय के अंत में 'परिशिष्ट एक' में उन सारे शब्दों की लगभग पूरी सूची दी जा रही है, जो हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, तथा जिनमें ये ध्वनियाँ हैं। जो लोग इन ध्वनियों का ठीक प्रयोग करना चाहें, वे इन सूचियों को दो-चार बार पढ़कर, इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ इन ध्वनियों का प्रयोग होता है, और कहाँ नहीं होता।

ण-न

कौरवी, हरियाणवी, राजस्थानी तथा पंजाबी क्षेत्रों के कुछ लोग 'न' का उच्चारण 'ण' करते हैं। जैसे 'रानी' का 'राणी' अथवा 'खाना' का 'खाणा', 'जाना' का 'जाणा' आदि। इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बहुत-से लोग 'ण' का उच्चारण 'न' करते हैं। जैसे 'वीणा' का 'वीना', 'प्राण' का 'प्रान', 'गुण' का 'गुन' आदि। इस सबध में सामान्यतः यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 'राणा' को छोड़कर किसी भी तद्भव शब्द में 'ण' का प्रयोग नहीं होता। 'ण' केवल तत्सम शब्दों में ही आता है। वक्ता थोड़ा भी सावधान रहकर इस अशुद्धि से बच सकता है।

व-ब

पूरे हिन्दी प्रदेश में 'व' के स्थान पर काफी लोग 'ब' बोलते हैं। ब्रज-क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल की हिन्दी में यह प्रवृत्ति और भी अधिक मिलती है। वश, वक्तव्य, वधिक, वदना, वर्ण, वर्तमान, वस्तु, विद्यार्थी, विश्व, विश्वविद्यालय आदि के उच्चारण में यह अशुद्धि कही भी सुनी जा सकती है। बहुत से लोग व-ब के अर्थान्तरी भेद का भी ध्यान नहीं रखते। उदाहरण के लिए 'सेव' तो वेसन से (मीठा या नमकीन) बनाया जाता है, किन्तु 'सेब' फल है। कुछ लोग

दोनों को 'मैत्र' कहते हैं तो कुछ लोग दोनों को 'मैव'। व-व के आँच्चारणिक अंतर का ध्यान रखा जाना चाहिए।

य-ज

'य' के स्थान पर 'ज' के उच्चारण को गलती पूर्वी क्षेत्रों में विविध रूप में मिलती है यज्ञ-जज्ञ, यथायं-जथाय, यात्रा-जात्रा, युद्ध-जुद्ध। यह गलती जवद के आदि में तो प्रायः मिलती है, किन्तु कभी-कभी शब्द के मध्य में (अयोध्या, मयोग, मयात्रा, अयोग्य) भी मिलती है। थोड़ी मात्राधानी में इनमें बचा जा सकता है।

य-म

'य' के 'म' उच्चारण को गलती भी हिन्दी प्रदेश में बहुत व्यापक है शहर-नहर, शान-मान, घनीफा-मरीफा आदि। इसके विपरीत कुछ शब्दों में 'म' के स्थान पर 'य'—उच्चारण की अशुद्धि भी मिलती है मतरा-शतरा, प्रमाद-प्रशाद, नमस्कार-नमशकार। अन्तर्-उच्चारण के लिए इनका ध्यान रखना भी आवश्यक है।

नयुक्त व्यंजन

क्ष

हमारा मूल उच्चारण 'क्ष- प क्षा', किन्तु हिन्दी में इनका उच्चारण 'कक्ष' होता है। यून ने लोम शब्द के आदि में आने पर 'क्ष' के स्थान पर छ जोड़ते हैं जैसे 'क्षण' का 'छण' क्षति का 'छति', 'क्षत्रिय' का 'छत्रिय' या 'क्षुद्र' का 'छुद्र' आदि। इसी प्रकार शब्द के मध्य या अंत में आने पर बहुत में लोग इसके स्थान पर च्छ वाता भी अशुद्धि पर जाते हैं। जैसे अक्षर' का 'अच्छर', 'दक्षिण' का 'दच्छिण', 'रक्षा' का 'रच्छा' अथवा 'दक्ष' का 'दच्छ', 'वक्ष' का 'वच्छ' आदि। कभी-कभी इनमें अर्धभेद भी हो जाता है। वक्षान-रच्छा छात्र-भ्रात्र। क्ष-युक्त शब्द केवल गलत होते हैं।

क्ष

यह मूल रूप 'क्ष' है, किन्तु हिन्दी में अब इसका उच्चारण 'क्ष' (हिन्दी क्षेत्र का पश्चिमी भाग) तथा 'क्ष' (हिन्दी क्षेत्र का पूर्वी भाग) हो सकता है। इस में उच्चारण का अर्थसमानी अन्त उच्चारण जैसे (शान-मान, यज्ञ-जज्ञ) मिलेगा। महाभाष्य तथा भाष्य में कुछ शब्द क्षेत्रों में 'क्ष' का उच्चारण दर्ज किया है। यह ध्यान में रखने की बात है कि हिन्दी में इनका मूल उच्चारण 'क्ष' (पूर्वी क्षेत्र) या 'क्ष' (पश्चिमी क्षेत्र) ही है, 'क्ष' या 'क्ष' ही।

क्ष क्ष क्ष आदि

यह शब्द क्ष क्ष क्ष के प्रारंभ में हो गए हैं। यद्यपि क्ष क्ष क्ष, क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष

भी दूसरा व्यजन हो तो प्रायः लोग उस शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। जैसे 'स्टेशन' का 'इस्टेशन', 'अस्टेशन', 'सटेशन' या 'स्टूल' का 'सटूल', 'इस्टूल' आदि। उच्चारण की इस गलती की तीन स्थितियाँ हैं। कुछ लोग आदि में एक अतिरिक्त 'इ' बोलते हैं, तो कुछ लोग एक अतिरिक्त अ। कुछ अन्य लोग मुख्यतः पंजाब-हरियाणा के लोग मध्य में एक अतिरिक्त 'अ' जोड़कर उच्चारण करते हैं

शुद्ध उच्चारण	आदि में इ	आदि में अ	मध्य में अ
स्टेशन	इस्टेशन	अस्टेशन	सटेशन
स्केल	इस्केल	अस्केल	सकेल
स्प्रिंग	इस्प्रिंग	अस्प्रिंग	सप्रिंग
स्नेह	इस्नेह	अस्नेह	सनेह
स्लेट	इस्लेट	अस्लेट	सलेट

इस प्रकार आदिस्थानीय स् + य, व—इतर व्यजन के उच्चारण में इन तीनों प्रकार के आगमों (इ, अ, अ आगम) से बचने का यत्न करना चाहिए।

व्यजन + य, व

यदि शब्द के मध्य में व्यजन के बाद 'य' अथवा 'व' हो तो उच्चारण वह नहीं होता, जो वर्तनी में होता है, बल्कि यदि वह व्यजन अल्पप्राण हो तो द्वित्व हो जाता है

वर्तनी	मानक उच्चारण
वाक्याश	वाक्क्याश
राज्याधिकार	राज्ज्याधिकार
अत्यत	अत्त्यत
उपन्यास	उपन्त्यास
अन्वय	अन्वय

किन्तु यदि व्यजन महाप्राण हो तो उसके पहले उसका अल्पप्राण रूप आ जाता है

वर्तनी	मानक उच्चारण
व्याख्यान	व्याक्ख्यान
तथ्याधारित	तत्थ्याधारित
अध्यापक	अद्ध्यापक
अभ्यास	अब्भ्यास

एक शब्दों को जोड़ने समय बीच से तोड़ना पड़ता है। तोड़ने में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यंजन अल्पप्राण हो तो उसके द्वित्व के बीच में तोड़कर जोड़ना चाहिए। जैसे वाक्-न्याय, अत्-न्यत, अन्-न्वय आदि। उनके विपरीत यदि व्यंजन महाप्राण हो तो उसके पूर्व जो अल्पप्राण व्यंजन आएगा उसके बाद ही गलट टूटेगा। जैसे अक्-न्वय, अद्-ध्यापक, व्याक्-न्याय।

बलाघात

बलाघात का अर्थ है 'बल' का 'आघात'। बोलने में कुछ अंगों का उच्चारण कम बल से नाप करने है। जो अंग बल के साथ उच्चरित होने हैं उनको बलाघातयुक्त कहा जाता है।

हिन्दी में धातु तथा उभयका आज्ञा का रूप एक ही होता है। सामान्यतः इनके उच्चारण में अंतर नहीं होता। गैर-पृष्ठ अक्षरों *ca* के लिए हिन्दी में कौन-सी धातु है। उत्तर होगा—'घा'। उसी प्रकार कोई पूछे 'खाना' विद्या का मध्यम पुरुष एतन्नम आज्ञार्थ का क्या रूप होगा। उत्तर होगा—'घा'। इन दोनों 'घा' में बलाघात की दृष्टि में गैर-अन्तर नहीं है। किन्तु यदि वाक्य में प्रयुक्त करे तो आज्ञा का रूप अपेक्षात्मक अधिक बलाघातयुक्त होगा।

राम घा रहा है।

तू घाना रग।

वाक्य में बलाघात कारक-विद्वां आदि व्याकरणिक दृष्टियों पर नहीं होता, वह प्रायः आक्षिप्त दृष्टाद्यों पर होता है।

दिल्ली तक जाना है।

राम तो जाएगा।

'भी' और 'ही' से मिलित उपर्युक्त व्याकरणिक दृष्टियों में धोड़ी भिन्न है। यन्त्रा अपनी दृष्टानुसार पानी तो हूँ पर दल देता है और कभी नहीं।

- 1 (क) राम ही जाएगा।
- (ख) राम ही जाएगा।
- (ग) राम ही जाएगा।

- 2 (क) राम भी जाएगा।
- (ख) राम भी जाएगा।
- (ग) राम भी जाएगा।

वाक्य में धोड़ी-कभी दृष्टानुसार बलाघात भी दृष्टि है।

राम राम जाएगा और न सोएगा जाएगा।

एक शब्द से दो भा 'राम' और 'जाएगा' का जोड़ना ही जाता है बलाघात होता है। इसी तरह दो भाई सोए सोए और न सोए सोए है।

भई मुन्नू, रो नही । शाम होंगी, माँ आएगी ।

खाना बनाएगी, और तब जाकर खाना मिलेगा ।

एकाधिक बलाघातो मे सभी प्राय वरावर नही होते । उनमे प्राय थोडा-बहुत अन्तर होता है ।

वाक्य मे कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो सामान्यत सर्वाधिक सशक्त बलाघात उसी पर होता है । कुछ वाक्य है

आजकल क्या कर रहे हो ?

आम कहाँ से आए हैं ?

तुम वहाँ कैसे रहोगे ?

आज कौन आ रहा है ?

छुट्टियाँ कब हो रही है ?

बारात मे कुल कितने लोग है ?

यह किसका घर है ?

कैसे पूछ रहे हैं ?

सामान्यत निम्न प्रकार के वाक्यो मे विशेषण पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक बलाघात होता है, क्योंकि वाक्य की मुख्य सूचना वही मिलती है

राम अच्छा लडका है ।

मोहन शमीर है ।

उसका साला तो बुद्धू है ।

मेरा गला खराब है ।

इसी तरह निम्नांकित प्रकार के वाक्यो मे क्रियाविशेषण पर बल होता है

राम अच्छा गाता है ।

वह घोडा तेज दौडता है ।

नीलू गंदा लिखता है ।

ऐसे ही निम्नांकित प्रकार के वाक्यो मे नकारात्मक अव्यय पर अधिक बल पडता है

मैं नहीं चलने का ।

तुम मत बोलो ।

आप न उठे ।

वाक्य मे शब्द-विशेष पर बलाघात देने से अर्थ मे अन्तर आता है । उदाहरण के लिए

1 (क) उस किराएदार को एक खिडकीवाला मकान चाहिए ।

(ख) उस किराएदार को एक खिडकीवाला मकान चाहिए ।

(क) जिसमे एक खिडकी हो, (ख) खिडकीयुक्त एक मकान ।

2 (क) कम-से-कम इलायची लो ।

(घ) कम-से-कम उनायची लो ।

उनायची के स्थान पर पान, पानी, नांक, भवंत, मिठाई आदि अन्य अनेक शब्दों का भी एनी प्रकार प्रयोग हो सकता है ।

3 (क) आज कम-से-कम दोनूंगा ।

(ख) आज कम-से-कम चोर्लूंगा ।

4 (क) दया गाने के बाद पीना ।

(ख) दया गाने के बाद पीना ।

5 (क) राम आया और गाना गाकर चला गया ।

(ख) राम आया और गाना गाकर चला गया ।

पाचत्रे म विरोध बनापात परियर्तन में न होवर बनापात न होने (क) तथा होत (ख) में है । क में 'और' का अर्थ है 'तथा' (and) किन्तु (ख) में 'और' का अर्थ है 'और ज्यादा' (more) अथवा 'दूसरा' ।

6 कभी-कभी बनापात एक मन्द पर होने पर अनिश्चय (अंग्रेजी a) तथा दया, मन्द पर होत पर निश्चय (अंग्रेजी the) का भाव भी आ जाता है

(क) तुमने पौधे उगाए हैं (plants)

(ख) तुमने पौधे उगाए हैं । (the plants)

7 (क) का तो बहुत भरा है ।

(ख) का तो बहुत भरा है ।

बनापातसुबत 'बहुत' - बहुत ही ।

मेने ही •

एक आदमी आया है ।

एक आदमी आया है । (एक ही)

8 (क) भारत अभी जीत उन्नति करेगा ।

(ख) भारत अभी और उन्नति करेगा । (और भी)

9 (क) अब तो तुम कभी नहीं आओगे ।

(ख) अब तो तुम कभी नहीं आओगे । (कभी भी)

10 (क) महान नेता कभी नहीं पर मरना ।

(ख) मोहन नेता कभी नहीं पर मरना ।

(ख में भाव यह है कि काले शेरों द्वारा नेता मरे हैं ।)

(क) कहीं मरना नहीं होगी ।

(ख) कहीं मरना नहीं होगी ।

(घ) मे भाव यह है कि कोई और होगी ।

11 (क) इंजन चला । (सामान्य)

(ख) इजन चला । (आज्ञा)

ऐसे ही 'पानी गिरा'—'पानी गिरा' या 'वच्चा उठा'—'वच्चा उठा' आदि मे भी अतर है ।

निष्कर्षत अच्छे उच्चारण के लिए यह आवश्यक है कि बलाघात की इन वारीकियों का ध्यान रखा जाए । यह ध्यान देने की बात है कि ब्यता का कथ्य केवल शब्दों के सामान्य अर्थ से व्यक्त नहीं होता, वह बलाघात आदि से भी सबद्ध होता है ।

हिन्दी उच्चारण मे पाई जानेवाली क्षेत्रीय और प्रदेगोय भूले

हिन्दी भापी प्रदेशो मे हर क्षेत्र मे हिन्दी उच्चारण मे होनेवाली कुछ भूले तो समान रूप से सभी मे पाई जाती हैं । जैसे क, ख, ग, ज, फ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ, अत्य इ, उ के स्थान पर ई, ऊ, श के स्थान पर स, य के स्थान पर ज, तथा व के स्थान पर व आदि, कितु कुछ भूले ऐसी भी होती है जो केवल कुछ क्षेत्रो मे मिलती हैं तथा कुछ ऐसी भी है जो अत्यत सीमित स्थानो मे ही मिलती हैं । यहा हिन्दी उच्चारण की कुछ मुख्य क्षेत्रीय भूले सक्षेप मे दी जा रही है

कौरवी

अत्य 'इ' का 'ई' (रवि का रवी, पति का पती, गति का गती), अत्य 'उ' का 'ऊ' (भानु का भानू, गुरु का गुरू, शिशु का शिशू), 'इ' तथा 'उ' का 'अ' (खुशबू-खशबू, मन्दिर-मन्दर, तुम-तम, धनुष-धनष, मिठाई-मठाई), 'ऐ' का 'ए' (ऐनक-एनक, ऐसा-एसा), 'औ' का 'ओ' (औरत-ओरत, पौदा-पोदा, और-ओर), प्रारम्भिक ह्रस्व स्वर का लोप (असाढ-साढ, अगूठा-गूठा, इकट्टा-कट्टा, अनाज-नाज, इक्तीस-कत्तीस, इलाज-लाज, इक्यावन-क्यावन), आदि के अक्षर के दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व स्वर (आनद का अनद, ऐसे ही अश्चर्य, अजन्म, सहित्य, समाजिक), 'ऋ' का 'र' (नूप, ऋपा, ऋण, (गृह का ग्रह), आदीतर महाप्राण व्यजनो की महाप्राणता बहुत कम या नहीं के बराबर (साँझ-साँज, जीभ-जीब, तुम्हारा-तुमारा, घूँघट-घूँगट, भाभी-भावी, भूख-भूक, धोखा-धोका, झूठ-झूट), 'न' का 'ण' (जाना-जाणा, कौन-कौण, नवमी-णौमी, भगवान-भगवाण), 'व' का 'ब' (बिद्या, व्यापार), एक व्यजन के स्थान पर द्वित्व, (लोट्टा, गाड़ी, बोल्ला, जाह्वा, बेट्टा, नान्नी, माट्टी, चाच्चा), 'श' का 'स' (अकास, सोर, जोस, होस, साम, सोक), 'व' का 'म' (गँवार-गमार, पाँव-पाम, नीव-नीम, साँवन-सामन, गाँव-गाम), 'न' का 'ल' (मिलट, चिमली, लील), 'क्ष' का आदि मे 'छ' (छत्रिय)

तथा मध्य में 'ष्ठ' (परिष्ठा, भिष्ठा, निष्ठा), 'क्ष' का 'क्ष' (विद्यापी-विद्यापी, विद्यालय-विद्यालय), मयूत (विशेषतः र-युक्त) व्यंजनों का न्यायगत छे द्वारा म-धीकरण (निष्ठा, टिप्पणी, मयूत, मयूत धर्म धर्म धर्म), 'य' का आगम (बाष्ठा, तोष्ठा, तृष्ठा, तृष्ठा (ताम वा), तृष्ठा आदि)।

विहारी

इसमें पूर्वी उक्त प्रयोग का विचार नग्नित है, अर्थात् भांजपुरी मंगली, मंगिनी धर्म। अ या कुछ व्यंजनों उच्चारण (रहना उद, पेट), अथ उ उ, या उ, उ (भवती, धरती कपी, विपत्ती, माध, गह, वस्तु), विन्यासित रूप के स्थान पर अनुनासिक रूप (उटियां, छाटा, टीटू, उतिहात टांस्ट- तांपी, लीपी) 'म' से वर कुछ व्यंजनों व्यंजनों (आदि मियत) के पूर्व 'उ' या 'अ' का आगम (अष्टगत अष्टत र्मिप्रत, र्मिप्रति, अष्टत उनी जानान, अष्टत, अष्टत, अष्टत, अष्टत) 'जा' का 'अउ' या 'अर' (नउनी अउत गनत, गउरत, मउर), 'ग' का 'अउ' या 'अर' (मयनित, गउरा) 'ग' का 'र' (मतर, मा- मा- मति, मीत) 'व' का 'र' (कृदार, मारी वेरा, उजात, फा, वृदार), 'ण' का 'र' (रागत, प्रत प्रात प्रगत प्रनाम-वनाम), 'उ' का 'र' (रुते, विरगी अरता), 'प्र' का 'र' (विद्या, दिनत, विद्यत, अर्थ व्यापाम, व्यापण), 'य' का 'र' (कारत, मरतादा यादत, जागत जत जरपी जरपी), ध' का आगम में 'र' (उतिर लीभ उत) तथा मध्य में 'ष्ठ' (भिष्ठा, निष्ठा, परिष्ठा) या 'क्ष' (विष्ठा, निष्ठा) मयूत व्यंजनों र-युक्त न्यायगत छे द्वारा म-धीकरण (बाष्ठा, तोष्ठा, तृष्ठा, तृष्ठा (ताम वा), तृष्ठा आदि)।

राजस्थानी

अत्य 'इ' का 'ई', 'उ' का 'ऊ' (कवी, पती, दयालू, कृपालू), 'ऋ' का 'र' (ऋषा, ऋष्ण), 'ऐ' का 'ए' (है-हे, पैर-पेर, जैसा-जेसा), 'औ' का 'ओ' (ओजार, ओलाद, और-ओर), 'श' का 'स' (प्रकास, सक्कर, सुरू, सयम), 'घ' का 'घ' (विद्यार्थी, विद्यालय), 'व' का 'व' (सवाद, वेद) आदि ।

छोटे क्षेत्रों या सीमित स्थानों की भूलें अनेकानेक प्रकार की हो सकती हैं । जैसे ब्रज क्षेत्र के कुछ भागों में क्यो को च्यो, स्वाति को स्वाँति, कुछ कौरवी क्षेत्रों में डरपोक को डरपोच, बहुतेरा का भतेरा, बहादुर को भादर, मगही क्षेत्र में याद को आद, कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में ग्यारह को एगारह, अखबार को अकबार, दरभंगा में नाव का लाव, नदी का लदी, राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में पीछे को पीच्छे, सिरोही में शक्कर को चक्कर, छत्तीसगढ़ में सीता को छीता या छेना (पनीर) को सेना आदि कहते हैं । इनका 'स' का 'छ', 'छ' का 'स', 'न' का 'ल', 'क' का 'च' आदि रूपों में सामान्यीकरण किया जा सकता है ।

समवेतत हिन्दी प्रदेश में उच्चारण-विषयक भूलों में ह्रस्वीकरण (आ का अ, ई का इ, ऊ का उ, ए का ई, ओ का उ), दीर्घीकरण (अ का आ, इ का ई, उ का ऊ), केन्द्रीकरण (इ, उ का अ), क, ख, ग, ज, फ, का क, ख, ग, ज, फ, श का स, न का ल, ल का न, र का ल, ल का र, व का ब, य का ज, ण का न, क्ष का छ-च्छ, सयुक्त व्यंजन का स्वरागम द्वारा सरलीकरण आदि की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं । प्रायः ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द इन तथाकथित अशुद्ध रूपों में ही विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचलित हैं, और उस क्षेत्र के लोग जब हिन्दी बोलते हैं, तो हिन्दी के मानक उच्चारण के स्थान पर अपने क्षेत्रीय उच्चारण का ही प्रयोग कर देते हैं, अतः गलती हो जाती है ।

इसी तरह हिन्दीतर भारतीय तथा अभारतीय लोगों के हिन्दी उच्चारण में भी भूलें होती हैं । उदाहरण के लिए जापानी भाषा में 'र-ल' में अन्तर नहीं है । कई शब्दों में 'र-ल' एक दूसरे के स्थान पर भी आ सकते हैं, अतः जापानी जब हिन्दी बोलता है तो 'र' के स्थान पर 'ल' तथा 'ल' के स्थान पर 'र' की गलती वह प्रायः कर बैठता है । जापानी भाषा में महाप्राण व्यंजन नहीं है, अतः उनके उच्चारण में भी उसे कठिनाई होती है, किंतु थोड़े परिश्रम तथा अभ्यास के बाद वह उनका ठीक उच्चारण करने लगता है, किंतु 'ट, ठ, ड, ढ, ण, ङ, ढ' के उच्चारण उसके लिए टेढ़ी खीर है । यूरोप की सारी रोमांस तथा स्लाव भाषाओं तथा अफ्रीका की कई भाषाओं के लोगों के लिए भी हिन्दी उच्चारण की मुख्य कठिनाइयाँ टवर्ग तथा महाप्राण ही हैं ।

हिन्दीतर भारतीय भाषाओं के बोलनेवालों को भी हिन्दी उच्चारण में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनसे सबद्ध

अन्य प्रकार की अनुद्वियां भी वे कानों में । उदाहरणार्थ मराठी भाषी हिन्दी बोलने समय भी 'झ' का वही उच्चारण करने में जो मराठी में होता है 'झ्ये' या 'झी'। जैसे ही मराठी में 'च' 'ज' 'झ' आदि प्रकार के होते हैं । उनमें एक का सामान्य तात्पर्य है जैसे हिन्दी में है । किन्तु दूसरे प्रकार के 'च' 'ज' 'झ' भाषा में ही 'च' 'ज' 'झ' का उच्चारण पाए जाते हैं । जैसे ही मराठी में 'ळ' ध्वनि भी है । मराठी भाषी हिन्दी बोलने में भी 'ल' के स्थान पर कभी-कभी 'ळ' (तड़ी, उपळा पाछा) बोल जाते हैं । यह अंतिम अनुद्वि गुजराती भाषियों में भी होती है । जैसे ही गुजराती भाषी हिन्दी बोलने में भी (गुजराती उच्चारण की तरह) 'जु' या 'जि' के स्थान पर 'ज' (जुपि-जपि जुवा-जुवा) उच्चरित कर जाते हैं । अन्तिम भाषी 'झ' या 'झ्ये' बोलते हैं तथा प्रगाथी 'जू' या 'जु' (..नामितर स्वर) अंतिम हिन्दी बोलने समय 'जू' या 'जूं' बोलना चाहते हैं । जैसे ही तमिल भाषी मराठी भाषियों का अपभ्रंश रूप में उच्चरित (डाता-बाता, कृत-कृत नात-यात) कर जाते हैं । जैसे प्रगाथी प्रजाधी कर्मोपी भाषियों द्वारा शनि-यात हिन्दी उच्चारण की गृह मुख भूने अनम-अना ही जा रही है ।

यथादी

व्यजन को सरल बनाने के लिए स्वरागम (रजिन्दर, सुरिन्दर, परसाद, , करम, धरम, सकूल, सटेशन, पुत्तर, शमशान, सप्रिग, परयतन), 'इ', 'उ' का 'अ' (साबुन-सावण, मदिर-मदर, हिसाब-हसाब, भगिन-भगन, त्रिलोक-तरलोक), 'अ' का लोप (प्रमात्मा, प्रन्तु, स्प्ताह) आदि ।

कश्मीरो

'ऐ' का 'ए' (पैसा-पेसा, बैठ-बेठ), 'औ' का 'ओ' (औरत-ओरत), 'ख' का 'क' या 'ख' (मूक, राख, खेत), 'घ' का 'ग' (घोडा-गोडा, घी-गी, घर-गर, घास-गास), 'झ' का 'ज' (झडा-जडा, झुझलाहट, जुजलाहट), 'ढ' का 'ड' (ढूँढना-डूँढना, ढबना-डकना), 'ध' का 'द' (धन-दन, धरती-दरती, धृतराष्ट्र-दृतराष्ट्र), 'ण' का 'न' (राणा-राना, कारण-कारन, धारणा-धारना), 'फ' का 'फ' (फल, फूल), 'व' का 'व' (वरसात, वल), 'भ' का 'व' (वाई, वोजन, वेद, वारत, ब्रमर, वृतकाल), 'व' का 'व' (वेश्या, वाहन, विश्वास, विष्णु), 'य' का 'ज' (जात्रा), 'द्व' का 'द्य' का 'द्व' (विद्धान, विद्यालय, अद्दैत, विद्दार्थी) आदि ।

परिशिष्ट

(अ) क-युक्त शब्द

अकीदा, अवदनामा, अक्ल, अवलमद, अवलमदी, अर्क, आकवत, आका, आदमकद, आशिक, आशिकमिजाज, आशिकाना, आशिकी, इतकाम, इतकाल, इकवाल, इकवाली, इकरारनामा, इत्तफाक, इत्तफाकन, इत्तफाकिया, इतक्लाव, इतक्लावी, इलाका, इलाकेदार, इश्क, इश्कवाज, इश्कवाजी, इश्कमजाजी, इश्क-हकीकी, उकाव, कतरा, कता, कतार, कत्ल, कद, कदम, कदमचा, कदमबोसी, कदीम, कदीमी, कद्दावर, कद्र, कद्रदाँ, कद्रदान, कद्रदानी, कनात, कबूल, कब्ज, कब्जा कब्जियत, कब्जी, कन्न, कन्निस्तान, कब्ल, कमअक्ल, कयाम, कयामत, कयास, करार, करीना, करीव, करीवन, करीवी, कलई, कलईगर, कलईदार, कलम, कलम-दानी, कवायद, कव्वाली, कसवा, कसवी, कसम, कसमिया, कसाई, कसाईखाना, कसीदा, कसूर, कसूरवार, कस्दन, कस्साव, कस्सावखाना, कहकहा, कहत, कहवा, कहवाखाना, काजी, कातिल, कानून, कानूनन, कानूनगो, काफिया, काफिला, कावलियत, काविज, काविल, कावू, कायदा, कायम, कायम-मुकाम, कायल, किता, किला, किलाबन्दी, किलेदार, किलेदारी, कितलत, किस्त, किस्त-वार, किम्म, किस्मत, किस्सा, कीमत, कीमती, कीमा, कुदरत, कुदरती, कुरान, कुर्क, कुर्कअमीन, कुर्की, कुर्वान, कुर्वानी, कुसुर, कुसूरमद, कुसूरवार, कै, कैदी, काँम, काँमपरस्त, काँमपरस्ती, कौमियत, कौल, खालिक, गैरकानूनी, गैरमनकूला, चहलकदमी, चाक-चीवट, चाकू, जर्क-वर्क, जायका, जायकेदार, तकदीर, तकदीरी, तकरार, तकरीवन, तकरीर, तकलीफ, तकजा, तनकीद, तपेदिक,

इखराजात, इख्तियार, इख्तियारी, इवादतखाना, कवाडखाना, कवूतरखाना, कमखर्च, कमखर्ची, कमखवाव, कमवख्त, कमवख्ती कसाईखाना, कस्सावखाना, कहवाखाना, कारखाना, कारखानेदार, कूडाखाना, कैदखाना, खच्चर, खच्चरी, खजाची, खजाना, खत, खतोकितावत, खतरनाक, खतरा, खता, खतावार, खत्म, खफगी, खफीफ, खफीफा, खवर, खवरदार, खवरदारी, खवीस, खव्त, खव्ती, खव्तुलहवास, खम, खमदार, खमियाजा, खमीर, खयानत, खरगोश, खरदिमाग, खरदिमागी, खरवूजा, खराद, खरादना, खराव, खरावी, खरामा-खरामा, खराश, खरीता, करीद, खरीदना, खरीदार, खरीदारी, खरीफ, खर्च, खर्चा, खर्चीला, खलल, खलास, खलासी, खलीफा, खल्क, खस, खसम, खसरा, खसखस, खसलत, खसी, खस्ता, खस्ताहाल, खाक, खाकमार, खाका, खाकी, खातिर, खातिरदार, खातिरदारी, खातिरी, खान, खानदान, खानदानी, खानसामा, खाना, खानातलाशी खानावदोश, खानावदोशी, खामी, खामोश, खामोशी, खार, खारिज, खारिश, खालसा, खाला, खालिक, खालिस, खाली, खाविद, खास, खासगी, खासियत, खासुलखास, खासा, खासियत, खिजा, खिजाव, खिताव, खित्ता, खिदमत, खिदमतगार, खिदमतगारी, खिराज, खिलाफ, खिलाफत, खुद, खुदकाशत, खुदकुशी, खुदमुस्तार, खुदमुस्तारी, खुदगरज, खुदगरजी, खुदा, खुदाई, खुदापरस्त, खुदापरस्ती, खुदावन्द, खुदी, खुद्दार, खुद्दारी, खुनकी, खुफिया, खुवानी, खुमार, खुरमा, खुराक, खुराफात, खुराफाती खुर्द, खुर्दबीन, खुलासा, खुश, खुशखत, खुशामदीद, खुशकिस्मत, खुश-किस्मती, खुशखबरी, खुशनसीब, खुशनसीबी, खुशबू, खुशबूदार, खुशमिजाज, खुशहाल, खुशहाली, खुशामद, खुशामदी, खुशी, खुशक, खुशकी, खुसूसियत, खूँखवार खून, खूनखराबा, खूनी, खूबसूरत, खूबसूरती, खूबी, खेमा, खैर, खैरख्वाह, खैरसल्ला, खैरात, खैराती, खैरियत, खोजा, खोमचा, खौफ, खौफनाक, ख्याल, ख्याली, ख्वाब, ख्वाबी, ख्वाहमख्वाह, ख्वाहिश, ख्वाहिशमद, गमखोर, गमखोरी, गरीबखाना, गर्दखोर, गुसलखाना, गुस्ताख, गुस्ताखी, गोताखोर, गोशतखोर, घूसखोर, घूसखोरी, चडूखाना, चख, चर्ख, चर्खा, चर्खी, चारखाना, चिडियाखाना, चीख, चीखना, चुगलखोर, चुगलखोरी, छापाखाना, छेडखानी, जखीरा, जखीरेबाज, जखीरेबाजी, जख्म, जखमी, जच्चाखाना, जनखा, जनानखाना, जरखेज, जरखेजी, जुआखाना, जेबखर्च, जेलखाना, जोश-व-खरोश, टुकड-खोर, डाकखाना, डाकखर्च, ढलाईखाना, तखमीना, तखलिया, तख्त, तख्तनशीन, तख्तनशीनी, तख्ता, तख्ती, तनख्वाह, तनख्वाहदार, तल्ख, तल्खी, तवारीख, तसल्लीबख्श, तहखाना, तारीख, तारीख-वार, तारीखी, तुख्म, तोपखाना, दखल, दखलकार, दखलकारी, दमखम, दरख्त, दरख्वास्त, दर्जीखाना, दवाखाना, दस्तखत, दस्तखती, दस्तर-ख्वान, दाखिल, दाखिला, दिलखुश, दीवानखाना, दोरखा, दोज्रख, दोज्रखी,

गैरवाजिव, गैरसरकारी, गैरहाज़िर, गैरहाजिरी, गैरत, गैरतमद, गोता, गोताखोर, गोतामार, गौर, चिराग, चुगद, चोगा, तमगा, दगा, दगावाज़, दगावाजी, दरोगहल्फी, दारोगा, दाग, दागदार, दागवेल, दागी, दिमाग, दिमागदार, दिमागदारी, दिमागी, देग, देगची, नगमा, नावालिग, नावालिगी, नागा, नाजुकदिमाग, पैगम्बर, पैगाम, फरागत, फारिग, वगल, वगलगीर, वगावत, वगैर, वददिमाग, वददिमागी, वलगम, वलगमी, वाग, वागवान, वागवानी, वागी, वागीचा, वालिग, वुगचा, वुगची, वेचिराग, वेदाग, मकता-नजल, मगज, मगजी, मगरिव, मगरवी, मशगूल, मुगल, मुगलई, मुगलिया, मुगलता, मुवलिग, मुर्ग, मुर्गा, मुर्गावी, मुर्गी, रोगन, रोगनदार, रोगनी, रीगन, रीगनी, लुगत, लुगवी, लुगात, वगैरह, शगल, शलगम, शुगल, शतुरमुर्ग, सरगना, सरगोशी, सागर, सुराग, सौगात, सौगाती ।

(ई) ज-युक्त शब्द

अँगरेज़, अँगरेजियत, अँग्रेज़ी, अटीवाज़, अदाज, अदाजन, अदाजा, अकडबाज, अकडवाजी, अज़दहा, अज़मत, अजान, अजीज़, अटकलवाज़, अटकलवाजी, अदालतवाज़, अदालतवाजी, अमीरजादा, अर्ज़ी, अर्ज़ीदार, अर्ज़ीदावा, अर्ज़ीनवीस, अलगरज, अलगरजी, अलगोजा, आइनासाज़, आगज़नी, आजमाइश, आजमाइशी, आजमाना, आजमूदा, आज्ञाद, आज्ञादख्याल, आज्ञादी, आजिज़, आजिज़ी, आतिशवाज, आतिशवाजी, आदमज़ाद, आवाज़, आशिक-मिजाज, इतज़ाम, इतज़ार, इजहार, इजाज़त, इज़ाफा, इज़ारवद, इज़तदार, इत्रसाज़, इन्फ्लुएजा, इलज़ाम, इशारेवाजी, इश्कवाज़, इश्कवाजी, एकमज़िला, एतराज, एवज, एवजी, औज़ार, कज़ा, कनीज़, कवूतरवाज़, कवूतरवाजी, कब्ज़, कब्ज़ा, कब्ज़ियत, कब्ज़ी, कमज़ोर, कमज़ोरी, कमीज़, कर्ज़, कर्ज़दार, कर्ज़ी, कलाबाज, कलाबाजी, कागज़, काबिज़, कारगुजारी, कारसाज़, कारसाजी, कुदज़ेहन, कूढमगज़, कैंडावाज़, कोकीनवाज़, खजँची, खज़ाना, खमियाज़ा, खरबूज़ा, खिज़ा, खिज़ाव, खिल्लीवाज़, खुदगर्ज, खुदगर्ज़ी, खुदाहाफिज़, खुशज़ायका, खुशमिज़ाज़, गज़, गज़क, गज़ट, गज़ब, गज़ल, गज़लगो, गपोड-बाजी, गरज़, गरज़मद, गरजमदी, गरमबाज़ारी, गरममिज़ाज, गलेबाज़, गलेबाजी, गलीज़, गिरहबाज़, गुजर, गुज़र-बसर, गुज़रना, गुज़ारना, गुज़ारा, गुज़ारिश, गुटबाज़, गुटवाजी, गुस्सेबाज़, गैरज़रूरी, गैरजिम्मेदार, गैरहाज़िर, गैरहाज़िरी, गोलदाज़, गोलदाजी, घडीसाज़, घडीसाजी, घूँसेबाज़, घूँसेबाजी, चदरोज़ा, चकमेबाज़, चकल्लसबाजी, चचाज़ाद, चलतापुरज़ा, चालबाज़, चालबाजी, चिलगोज़ा, चीज़, चुटकुलेबाज़, चुटकुलेबाजी, चुहलबाजी, चूज़ा, चोचलेबाज, चोचलेबाजी, चोरबाज़ार, चोरबाज़ारिया, चोरबाजारी, चौमज़िला, छुरेबाजी, ज़जीर, जईफ, जईफी, ज़खीरा, ज़खीरेबाज़, ज़खीरेबाजी, ज़ख्मी,

नीमरजा, नेकजात, नेजा, नोजावरदार, नौरोज, पटेबाज, पटेबाजी, पतगवाज, पतगवाजी, पत्थरबाज, पत्थरबाजी, पन्नीसाज, पन्नीसाजी, परहेज, परीजाद, पाजेब, पायदाज, पायजेब, पालिसीबाज, पालिसीबाजी, पुर्जा, पुर्जी, पैतरेबाज, पैतरेबाजी, प्याज, प्याजी, प्याजू, फजर, फजल, फजूल, फजूलखर्ची, फज्ज, फजीता, फजीहत, फजूलखर्च, फजूलखर्ची, फडबाज, फडबाजी, फरजद, फर्ज, फरजी, फाजिल, फाटकेबाज, फाटकेबाजी, फालिजजदा, फासिज्म, फिरोजी, फुजूल, फैयाज, फैयाजी, वदानिबाज, वदानिबाजी, वजरिये, वजाज, वजाजा, वजुज, वटेरबाज, वटेरबाजी, बदइतजाम, बदइतजामी, वदजवान, वदजबानी, वदजात, वदजायका, वदतमीज, वदतमीजी, वदतहजीब, वदतहजीवी, बदनजर, वदपरहेज, वदपरहेजी, वदमजगी, वदमजा, वदमिजाज, वदमिजाजी, वदहजमी, वमबाज, वमबाजी, वर्कजदा, वल्लेबाज, वल्लेबाजी, वहानेबाज, वहानेबाजी, वागरज, वाजाव्ता, वामजा, वामजाक, वाज, वाजार, वाजारी, वाजारू, वाजी, वाजीगर, वाजीगरी, वाजू, वाजूवद, विलफर्ज, वुजदिल, वुजदिली, वुजुर्ग, वुजुर्गवार, वुजुर्गाना, बुलदआवाज, बेइज्जत, बेइज्जती, बेजवान, बेजर, बेजार, बेजारी, बेनजीर, बेनियाज, बेमजा, बेरोजगार, बेरोजगारी, बैजा, वैठकबाज, वैठकबाजी, वैतबाज, वैतबाजी, व्लाउज, मजिल, मजूर, मजूरशुदा, मजूरी, मक्खनबाज, मक्खनबाजी, मगज, मगजचट, मगजपच्ची, मगजी, मजकूर, मजदूर, मजदूरी, मजदूत, मजदूती, मजमूआ, मजमून, मजहब, मजा, मजाक, मजाकन, मजाकिया, मजाजी, मजार, मजेदार, मरकज, मरीज, मरीजा, मर्ज, मर्जी, महज, महफूज, मादरजाद, मालगुजार, मालगुजारी, मिजराव, मिजाज, मिजाजदार, मिजाजपुरसी, मिरजई, मिरजा, मीजान, मीनावाजार, मुतजिम, मुतजिर, मुंहजबानी, मुंहजोर, मुंहजोरी, मुअज्जम, मुआवजा, मुकदमेबाज, मुकदमेबाजी, मुक्केबाज, मुक्केबाजी, मुजक्कर, मुजायका, मुजिर, मुलजिम, मुलम्मासाज, मुलाजमत, मुलाजिम, मुलाहिजा, मुसीवतजदा, मुस्तकिलमिजाज, मूजी, मेज, मेजपोश, मेजवान, मेहमाननवाज, मेहमाननबाजी, मैगजीन, मोजा, मौजा, रगसाज, रगसाजी, रगरेज, रगरेजिन, रगरेजी, रगामेजी, रगीनमिजाज, रगीनमिजाजी, रडीबाज, रडीबाजी, रईसजादा, रईसजादी, रजा, रजामद, रजामदी, रजाई, रमजान, राज, राजदाँ, राजी, राजीनामा, राहजन, राहजनी, रिजर्व, रिजर्वेशन, रियाज, रियाजी, रूहअफजा, रेजगारी, रेजकारी, रेजगी, रेजा, रेजर, रोज, रोजमर्दा, रोजगार, रोजनामचा, रोजा, रोजादार, रोजाना, रोजी, रोजीना, रोडवेज, रौजा, लजीज, लज्जत, लज्जतदार, लटकेबाज, लटकेबाजी, लट्ठबाज, लट्ठबाजी, लतीफेबाज, लतीफेबाजी, लफ गेबाजी, लफ्ज, लफ्जी, लफ्फाज, लफ्फाजी, लवरेज, लवाजिमात, लाजिम, लाजिमी, लामजहब, लामजहबी, लिहाज, लिहाजा, लेजिम, लेहाजा, लांडेबाज, लांडेबाजी, वजन, वजनदार, वजनी, वजारत, वजीर,

फजीहत, फजल, फतह, फतहयाब, फतेह, फन, फनकार, फना, फर्क, फर्जद, फरमाइश, फरगाइशी, फरमान, फरमाना, फरमावरदार, फरमावरन्दारी, फर्नाग, फरलो, फरवरी, फरहग, फरहाद, फराक(ग) त, फरामोश, फरामोशी, फरार, फरारी, फराहम, फरियाद, फरियादी, फरिश्ता, फरीक, फरीकैन, फरेब, फरेबी, फरोश, फर्क, फर्ज, फर्जी, फर्द, फर्दन-फर्देन, फर्नीचर, फर्म, फर्मा, फर्माइश, फर्माना, फर्शा, फर्शागी, फर्नाग, फर्श, फर्शी, फनक, फलमफा, फनां, फनार्लन, फव्वारा, फमल, फसली, फमाद, फमादी, फमाना, फमाहत, फमील, फमीह, फस्द, फहम, फाइन, फाइल, फाउटेनपेन, फाका, फाकाकश, फाकाकशी, फाकामस्त, फाकेमस्त, फाकेमस्ती, फट्टा, फाख्तई. फाजिल, फाजिल-वाकी, फातिहा, फानी, फानूम, फायदा, फायदेमन्द, फायर-ब्रिगेड, फायर-मैन, फारम, फारम, फारमी, फारसीदाँ, फारिग, फार्नहाइट, फार्म, फाल, फालतू, फालमई, फालमा, फालिज, फालिजजदा, फालूदा, फाश, फामला, फासिज्म, फासिला, फामिस्ट, फामिस्टवाद, फाहा, फाहिशा, फिकरा, फिक्र, फिक्रमद, फिक्रमदी, फिटन, फिटिन, फिटर, फितना, फितरत, फितरती, फितूर, फिदवी, फिदा, फिनायल, फिरग, फिरगी, फिरट, फिरका, फिरकापरस्त, फिरकापरस्ती, फिरकावार, फिरकावाराना, फिरदौस, फिरनी, फिराक, फिरिश्ता, फिरां, फिलहाल, फिल्म्, फिल्मी, फिल्माना. फिहरिश्त, फी, फीसदी, फीता, फीरोजा, फीरोजी, फील, फीलखाना, फीलपांव, फीलवान, फीस, फुजूल, फुट, फुटनोड, फुटवाल, फुतूर, फुरकत, फुसंत, फुलस्केप, फेल, फेहरिस्त, फैसी, फैक्टरी, फैयाज, फैयाजी, फेशन, फेशनपरस्त, फेशनपरस्ती, फैशनेबल, फैसला, फोटो, फोटोग्राफ, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, फोता, फोनोग्राफ, फोरमैन, फौज, फौजदार, फौजदारी, फौजी, फौत, फौतशुदा, फौरन, फौरी, फौलाद, फौलादी, फ्रास, फ्रासीसी, वदफेल, वदफेली, वनफशा, वनफशई, वर-खिलाफ, वरतरफ, वर्फ, वर्फानी, वर्फिस्तान, वर्फी, वर्फीला, वावफा, वालसफा, बिलफर्ज, विलातकल्लुफ, वेइसाफ, वेइसाफी, वेखौफ, वेतकल्लुफ, वेतकल्लुफी, वेफसल, वेफायदा, वेफिक्र, वेफिक्री, वेमसरफ, वेलुत्फ, वेवफा, वेवफाई, मयफरोश, मसरूफ, मसरूफियत, महफिल, महफूज, माफ, माफिक, माफी, माफीदार, माफी-नामा, मारफत, मुसिफ, मुसिफी, मुआफ, मुआफिक, मुखफफ्फ, मुखालफत, मुखालिफ, मुख्तलिफ, मुतफन्नी, मुतफर्रिक, मुतफर्रिकात, मुनाफा, मुनाफाखोर, मुनाफाखोरी, मुफलिस, मुफलिसी, मुफस्सल, मुफस्सिल, मुफीद, मुफ्त, मुफ्तखोर, मुफ्तखोरी, मुफती, मुसन्निक, मुसाफिर, मुसाफिरखाना, यकतरफा, याफता, यूनिफार्म, रफ, रफा, रफादफा, रफू, रफूगर, रफूगरी, रफूचक्कर, रफूतार, रफूतारफूता, राइफल, रूहअफजा, लताफत, लतीफा, लतीफेबाज, लतीफेबाजी, लफगा, लफगेबाज, लफगेबाजी, लफज, लफ्फाज, लफ्फाजी, लिफाफा, लिफा-फिया, लिहाफ, तुत्फ, लेफ्टिनेट, वक्तन-फवक्तन, वक्फ, वजीफा, वफा, वफादार, वफादारी, वफात, वाकिफ, वाकिफकार, वाकिफकारी, वाकिफियत, वाटरप्रूफ,

वर्तनी

लिखित भाषा को वर्तनी की सहायता लेनी पडती है, इसीलिए अशुद्ध वर्तनी से लिखित भाषा की मानकता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती ।

वर्तनी की समस्या किसी-न-किसी रूप में प्रायः सभी भाषाओं में होती है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि संस्कृत जैसी सुव्यवस्थित तथा पाणिनि द्वारा मानकीकृत भाषा में भी सभी शब्दों की एक वर्तनी नहीं है । उदाहरणार्थ कौलाश-कौलास, उषा-ऊषा, कर्म-कर्म, ओषधि-औषधि आदि बहुत से शब्दों की दो-दो वर्तनियाँ ठीक मानी जाती हैं । अनेकानेक दृष्टियों से प्रशंसित भाषा अंग्रेजी भी इसका अपवाद नहीं ।

हिन्दी वर्तनी की समस्याओं को यहाँ दो रूपों में लिया जा रहा है । प्रारंभ में कारणों के अनुसार तथा अंत में मुख्य समस्याओं को अलग-अलग ।

(क) शुद्ध उच्चारण के ज्ञान का अभाव

मुख्यतः विद्यार्थियों तथा सामान्य लोगों द्वारा होनेवाली वर्तनी की भूलों का यह बहुत बड़ा कारण है । लोग गलत उच्चारण करते हैं, और अपने उच्चारण के अनुरूप गलत लिखते भी हैं । इस प्रकार की भूलों में मुख्य निम्नांकित हैं

- (1) शब्दान्त में इ के स्थान पर ई—शक्ती, भक्ती, कवी, रवी, शाती ।
- (2) शब्दान्त में उ के स्थान पर ऊ—गुरू, मधू, कटू, वस्तू, विन्दू ।
- (3) क्ष के स्थान पर शब्द के प्रारंभ में छ तथा शब्द के बीच में च्छ—छमा, छत्रिय, शिच्छा, परीच्छा, प्रतीच्छा ।
- (4) श के स्थान पर स—सहर, साम, सव्द, सायद, सोर, सौर्य ।
- (5) स के स्थान पर श—नमश्कार, प्रशाद ।
- (6) ड के स्थान पर ङ—रेडियो, मोडा ।
- (7) ङ के स्थान पर ड—घोडा, कडाह, गाडी ।
- (8) ण के स्थान पर न—गुन, प्रान, बीना, प्रनाम ।
- (9) न के स्थान पर ण—जाणा, आणा ।

- (6) ड-ड—कभी-कभी इन दोनों के प्रयोग में भी गटवडी मिलती है घोडा, पडना, कड्कण, जड्घा ।
- (7) र के विभिन्न रूपों के वास्तविक उच्चारण तथा प्रयोग की जानकारी न होने से भी प्रायः भूले होती है वस्त (वस्त्र), धर्म (धर्म) । 'र' तथा उसके विभिन्न रूपों के प्रयोग के सवध में निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं

• —ट ड के बाद आता है राष्ट्र, ड्रामा

• —अन्य सभी व्यंजनो के बाद आता है क्रम, ग्रास, त्राण, द्रोह, प्राण आदि ।

र—(I) शब्द के प्रारंभ में स्वर के पहले रत, राम, रीति, रोप,

(II) शब्द के बीच में दो स्वरों के बीच मरण, कुरूप, परात, कुरीति,

(III) शब्द के अन्त में स्वर के बाद कर, हाट, सिर, शूर, देर, शोर ।

• —व्यंजन के पूर्व (धर्म, कार्य, पर्व, शर्त) ।

यदि इन बातों का ध्यान रखे तो 'र' = विषयक भूले नहीं होगी ।

- (8) — - - —इनमें अन्तर न जानने से इनका ठीक प्रयोग नहीं हो पाता । निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं ।

• —यह (अनुस्वार) व्यंजन है । इसका प्रयोग समस्थानीय व्यंजन (सयुक्त व्यंजन का प्रथम सदस्य, विस्तार के लिए देखिए आगे) रूप में होता है गगा-गङ्गा, पखा-पङ्खा, चचल-चञ्चल, झझा-झञ्झा, आनद-आनन्द, धधा-धन्धा, पप-पप्प, कुभ-कुम्भ । ऐसे शब्दों में अनुस्वार या नासिक्य व्यंजन, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है । य (सयुक्त), र (सरचना) ल (सलाप), स (ससार) श (सशय), ह (सहार) के पूर्व सयुक्त व्यंजन के प्रथम नासिक्य सदस्य के रूप में यही आता है नासिक्य व्यंजन नहीं । अर्थात् सन्सार, सन्शय आदि लिखना अशुद्ध है । व के पूर्व म या अनुस्वार में कोई भी आ सकता है सवाद, सम्वाद, सवेदना-सम्वेदना ।

• यह (चन्द्रबिन्दु या अनुनासिक) स्वर या व्यंजन नहीं है । यह केवल स्वर को अनुनासिक बना देता है । सभी स्वरों का अनुनासिक रूप बनाने में यह काम आता है अँ, आँ, ईँ, ईँ, उँ, ऊँ, एँ, ऐँ, ओँ, औँ । मात्राओं के साथ— ऀँ, ँँ, ैँ, ुँ, ूँ, ेँ, ोँ । प्रयोग में अब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो सुविधा के लिए चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार ही लिखते हैं । जैसे ईँट, विघना, मे, मैं, होठ, भी । ऐसे शब्दों में वस्तुतः चन्द्रबिन्दु होना चाहिए, किंतु अनुस्वार लिखा जाता है ।

पेंतीस-पर्यंतिस, छत्तिस-छत्तीस, मर्यंतिस-मैतिम-संतोस, अटनिम-अरतिम-
 श्रडतीस, उनतालिस-गुनतालिस-उन्नालिम-उन्तालीस, चालिम-चालीस,
 एकतालिस-इकतालिम-इकतालीस, वयालिम-वयालीस, नैतालिम-नेतालिम-
 तेंतालीस-तिरालिस, चउवालिम-चौवालीम-चौआलीस, पेतालिम-पेंतालिम-
 पेंतालीस-पर्यंतालिस, छियालीस-छयालीम-छियालिस-छयानिम, नैतालिम-
 सेंतालीस-सयंतालिम, अरतालिम-अडतालिस-श्रडतालीम, उननचाम-
 उनचास-गुनपचाम-उनचस, एकावन-इकयावन, उक्कावन, तिरवन-तिरेपन-
 त्रेपन-त्रेप्पन, चउअन-चौअन-चौवन, पचपन-पचावन, सत्तावन-मतावन,
 श्रट्टावन-अठावन-अठावन, ओनमठ-उनसठ, एकसठ-उकमठ, तिरमठ-तिरेमठ
 -त्रेमठ, पैसठ-पर्येसठ, छाछठ-छियाछठ-छ्यासठ, मरमठ-मडमठ, अन्मठ-
 श्रडसठ, उनहत्तर-ओनहत्तर-गुनहत्तर, एकहत्तर-इकहत्तर-खत्तर-रत्तर,
 तिरहत्तर-तिहत्तर, चउहत्तर-चौहत्तर, पचहत्तर-पिचहत्तर-पछत्तर, मतत्तर-
 सतहत्तर, उनासी-उन्यासी-गुन्यानी, एकासी-उकानी-इकयासी, पचानी-
 पिच्चासी, छियासी-छयासी, सतासी-सत्तासी, श्रट्टासी-अठामी, नवे-नव्वे-नव्वे
 -नध्वे, पच्चानवे-पचानवे, पिच्चानवे, छानवे-छियानवे, सत्तानवे-मतानवे,
 श्रट्टानवे-अठानवे, निरणवे-निननवे, निन्नानवे-निन्यानवे ।

ऐसे ही अढाई-ढाई, पहिला-पहला । छठां-छटा-छवां-छवां भी है ।
 स्पष्ट ही ये वर्तनी भेद उच्चारण से बहुत अधिक सम्बद्ध है ।

(2) इ-युक्त तथा अ-युक्त रूप पहिला-पहला, सिर-सर, वहन-वहिन,
 मन्दिर-मन्दर, पडित-पडत, भगिन-भगन, दर्जिन-दर्जन, जमादारिन-जमा-
 दारन, महाराजिन-महाराजन, दरिया-दरया ।

(3) उ-युक्त तथा अ-युक्त या दोनो से शून्य रूप—सावुन-सावन, मरम्मत-
 मुरम्मत, यमुना-जमुना-जमना । कुछ के दो मानक रूप हैं चौधरी-चौधुरी ।
 हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भाग में 'चौधुरी' चलता है तो पश्चिमी में चौधरी ।

(4) स-युक्त रूप तथा श-युक्त रूप वसिष्ठ-वशिष्ठ, नमस्कार-
 नमश्कार, दोसा-दोशा, प्रसाद-प्रशाद, कंशरी-केशरी ।

(5) ष-युक्त रूप तथा श-युक्त कोष-कोश । पहले दोनो ही का प्रयोग
 शब्दकोश तथा खजाना, दोनो के लिए होता था । अब 'कोश' का प्रयोग शब्द-
 कोश के लिए तथा 'कोष' का खजाने के लिए होने लगा है, यद्यपि मूलतः ऐसा
 कोई अन्तर नहीं है । ऐसे ही सस्कृत में वेश-वेष दोनो चलते हैं ।

(6) य-युक्त तथा ज-युक्त जमुना-यमुना, यश-जश, यद्यपि-यद्यपि ।

(7) व-युक्त-ब-युक्त वन-वन, बाह्य-बाह्य, बिन्दु-बिन्दु, वश-बश ।

(8) य-युक्त, व-युक्त तथा दोनो से रहित जायेगा-जावेगा-जायगा-
 जाएगा, जाये-जावे-जाय-जाए, खायेगा-खावेगा-खायगा-खाएगा, पायेगा-
 पावेगा-पायगा-पाएगा । ऐसे ही अन्य आकारान्त धातुओ के ए-वाले रूप ही

मानक हैं (चलाए, गाए, मिलाए), य, ये, वे-वाले नहीं ।

(9) य-युक्त तथा य-रहित लिए-लिये । कुछ लोगों की मान्यता है कि 'लिए' का प्रयोग क्रिया रूप में तथा 'लिये' का अव्यय (राम के लिए) रूप में होना चाहिए । मेरे विचार में 'लिए' का प्रयोग दोनों के लिए होना चाहिए । इस प्रकार के विशेषण (नई, नए, पराई, पराए) तथा क्रिया (आई, आए, गई, गए) रूपों को भी 'य' के बिना ही लिखना चाहिए ।

(10) अन्य—कुछ मिश्रित समस्याओं के शब्द भी हैं, जिनके मानक रूप का संकेत यहाँ किया जा सकता है खींचना-खेंचना, चाकू-चक्कू, मकौड़े-मकौड़े, चखना-चाखना, प्रेस-प्रेस, पेन-पैन, टेलीफोन-टेलीफून, भूकना-भोकना, एतना-इतना, ओतना-उतना, एकलौता-इकलौता, काफी-काँफी—कौफी, विषण-विषण, अन-अन्न, सन्यास-सन्यास, रखा-रक्खा, चक्खा-चखा, जूठा-झूठा, घटना-गटना, भम्भड-भम्भड, गठ्ठर-गट्ठर, बदरीनाथ-बदरीनाथ, बग्घी-बग्घी, मौलवी-मोलवी, शेख-शैख, पडोसी—पडोसी, पडोस—पडोस ।

(छ) लिपि को अस्पष्टता

वर्तनी की कुछ गलतियाँ लिपि की अस्पष्टता के कारण भी होती हैं । उदाहरण के लिए 'स्त्र' तथा 'स्त्र' में कम अन्तर है, अतः काफी लोग सहस्त्र को 'सहस्त्र' लिखते तथा बोलते हैं ।

'द्य' 'ध' में अन्तर की कमी के कारण पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के कुछ लोग विद्यार्थी तथा विद्यालय को 'विद्यार्थी' और 'विद्यालय' लिखते भी देखे गए हैं । इस अशुद्ध वर्तनी का प्रभाव उच्चारण पर भी पड़ता है । कुछ लोग 'विद्यार्थी' तथा 'विद्यालय' भी लिखते और बोलते हैं ।

अंग्रेजी वर्तनी का प्रभाव

कुछ शब्दों की अंग्रेजी वर्तनी ने भी हिन्दी वर्तनी को भी प्रभावित किया है । यह प्रभाव सीधे न पड़कर उच्चारण के माध्यम से पड़ा है । उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्तनी (Shukla) के कारण 'शुक्ल' का उच्चारण हिन्दी में 'शुक्ला' हो गया और फिर उर्मी के प्रभाव से लोग 'शुक्ल' के स्थान पर 'शुक्ला' लिखने भी लगे हैं । कहना न होगा कि हिन्दी में 'शुक्ला' लिखना अशुद्ध है 'शुक्ल' ही लिखना चाहिए । ऐसे ही गुप्ता, मिश्रा, बुद्धा (दिल्ली का 'बुद्धा गार्डन'), अशोका (दिल्ली का 'अशोका' होटल) लिखना भी अशुद्ध है । अंग्रेजी वर्तनी ने कभी-कभी तो नए शब्द को जन्म दे दिया है । उदाहरण के लिए नामों के माथ प्रयुक्त 'सिंह' (जैसे मदन मोहन सिंह) को अंग्रेजी में Sinha लिखा गया और फिर इसी Sinha को गलती से 'सिनहा' पढ़ लिया गया । परिणामतः दो शब्द बन गए सिंह और सिनहा ।

वर्तनी सम्बन्धी कुछ बातें ऊपर आ चुकी हैं। कुछ पूर्ववर्ती तथा कुछ नई समस्याओं को यहाँ अलग दिया जा रहा है।

(1) पञ्चम नासिक्य व्यञ्जन—अनुस्वार

इनके लेखन के मुख्य नियम ये हैं

अनुस्वार तथा नासिक्य व्यञ्जन में विकल्प	केवल नासिक्य व्यञ्जन	केवल अनुस्वार
ङ् + क, ख, ग, घ (पङ्क अथवा पक या गङ्गा अथवा गगा आदि)	ङ् + म (वाङ्मय, पराङ्मुख)	+ह (सहार)
ञ् + च, छ, ज, झ (पञ्च अथवा पञ्च आदि)	×	+य (सयम)
ण् + ट, ठ, ड, ढ (पण्डित अथवा पडित या डण्डा अथवा डडा आदि)	+ण (अक्षुण्ण) +म (मृण्मय) +य (पुण्य) +व (कण्व)	×
न + त, थ, द, ध (अन्दर अथवा अदर या अत अथवा अन्त आदि)	+न (अन्न) +म (जन्म) +य (अन्य) +व (अन्वेषण) +ह (कान्ह, किन्हे)	+श (वश) +स (ससार) +र (सरचना) +ल (सलग्न)
म + प, फ, ब, भ, व (दभ अथवा दम्भ या पप अथवा पम्प, सवेदना अथवा सम्वेदना आदि)	+न (निम्न) +म (सम्मन्य) +य (साम्य) +र (विन्म्र) +ल (अम्ल) +ह (तुम्हे)	×

(2) अनुनासिक (चर्द्रविदु)—अनुस्वार

टाइपिंग मशीन (टकण यत्र) में अनुनासिक (चर्द्रविदु, °), नहीं होता अतः टकित सामग्री में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ 'साँस' के लिए 'सास' या 'ऊघना' के लिए 'ऊँघना'। कई पत्र-पत्रिकाओं (जैसे धर्मयुग, सारिका आदि) में भी प्रेस की सुविधा की दृष्टि से अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। इन्हीं सब के प्रभाव-स्वरूप बहुत

गलत है तो 'कृपा' को 'क्रिपा'। ऐसे ही शब्द 'पृष्ठ' है 'प्रिष्ठ' नहीं, 'ऋण' है 'रिण' नहीं, 'ऋचा' है 'रिचा' नहीं। इसी प्रकार दृष्टि, तृपा, तृष्णा, पैत्रिक, तृतीय शुद्ध शब्द है, द्विष्टि, त्रिषा, त्रिष्णा, पैत्रिक नहीं। 'मातृक' तथा 'मात्रिक' दोनों शब्द शुद्ध हैं, किंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। 'मातृक' का अर्थ है 'माता-सवधी' जबकि 'मात्रिक' का अर्थ है, 'मात्रा-सवधी' जैसे 'मात्रिक छद्'। यो एक सस्कृत शब्द 'मात्रक' भी है जिसका अर्थ 'डकाई' आदि होता है।

छ-क्ष

लेखन तथा उच्चारण दोनों ही में एक के स्थान पर कुछ लोग दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि क्षण, क्षणिक, क्षत्रिय, क्षमा, क्षय, क्षार, क्षितिज, क्षुद्र, क्षुब्ध, क्षेत्र, क्षेपक, क्षोभ आदि में 'क्ष' है, 'छ' नहीं। इसके विपरीत छत्र (राज-चिह्न, छतरी), क्षत्र (क्षत्रिय, तुलनीय-स्त्री० क्षत्राणी), छात्र (विद्यार्थी)—क्षात्र (क्षत्रिय-सवधी) दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, किंतु वर्तनी-भेद से इनके अर्थ बदल जाते हैं।

च्छ-क्ष

शब्द के आदि में जैसे छ-क्ष की गलती होती है, वैसी ही शब्द के बीच में च्छ-क्ष की गलती होती है। कुछ लोग 'क्ष' के स्थान पर 'च्छ' का प्रयोग कर जाते हैं शिक्षा—शिच्छा, वक्षस्थल-वच्छस्थल। इसके विपरीत सस्कृत बनाने या शुद्ध बोलने के प्रयास में कुछ लोग 'इच्छा' के स्थान पर 'इक्षा' या 'स्वच्छ' के स्थान पर 'स्वक्ष' का प्रयोग कर जाते हैं। 'कच्छा' (पहनने का जाघिया) तथा 'कक्षा' (दर्जा) दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, किंतु दोनों के अर्थ में अन्तर है।

व्द-द्व

'व्द' में 'व' के बाद (व् + द) द है शब्द, अव्द। 'द्व' में 'द' के बाद (द्व + व) 'व' है द्वादशी, विद्वान्, द्वेष। बहुत से लोग यह क्रम-भेद न समझ पाने के कारण 'द्वादशी' को व्दादशी, 'विद्वान्' को विव्दान् आदि लिखते हैं जो गलत है। नागरी लिपि के सयुक्त व्यंजनो से सबद्ध जानकारी न होने से यह गलती हो जाती है।

मिलाना-अलगाना

हिन्दी लेखन में शिरोरेखा लगाते हैं, अतः वर्तनी की यह भी एक समस्या है कि किन शब्दों को मिलाकर लिखें और किन्हे अलगाकर लिखें। उदाहरण के लिए 'रामने' लिखें अथवा 'राम ने', 'राज भवन' लिखें या 'राजभवन'। ऐसे पदों अथवा शब्दों के लेखन में आज हिन्दी-जगत् में एकरूपता नहीं है। इस समस्या को निम्नांकित वर्गों में रखा जा सकता है

(1) कारक-चिह्न—कारक चिह्नो को लिखने के सवध मे आजकल तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं (अ) कुछ लोग (मुख्यत वनारस मे, सस्कृत के आधार पर) सज्ञा तथा सर्वनाम, दोनो ही के साथ कारक-चिह्नो को मिलाकर लिखते हैं रामने, मैंने, मोहनको, तुमको, सीतासे, इससे। (आ) कुछ लोग (किशोरीदास वाजपेयी आदि) दोनो ही स्थितियों मे कारक-चिह्नो को अलग रखते हैं राम ने, मैं ने, मोहन को, तुम को, सीता से, इस से। (इ) सामान्यत लोग सज्ञा के साथ तो इन्हे मिलाकर नहीं लिखते हैं, किंतु सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं राम ने, मैंने, मोहन को, तुमको, सीता से, इससे।

वस्तुत वैज्ञानिक दृष्टि से तो सज्ञा और सर्वनाम दोनो के साथ ने, को, से, का, के, मे को अलग लिखना ठीक है क्योंकि ने, को आदि की शब्द के रूप मे स्वतंत्र सत्ता है, और स्वतंत्र शब्दो से ये विकसित भी हैं, किंतु इन रूपो मे इन्हे अलग लिखनेवाले बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति मे यही उचित है कि इन्हे सज्ञा के साथ अलग तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाए। इसके पक्ष मे कई तर्क दिए जा सकते हैं (क) अधिकांश लोग इसी रूप मे इन्हे लिखते है। (ख) सज्ञा तथा सर्वनाम दोनो के साथ मिलाकर लिखना तो उपर्युक्त तीनों पद्धतियों मे सवमे अवैज्ञानिक है। केवल सस्कृत का अधानुकरण करनेवाले ही ऐसा करते हैं। अत सज्ञा के साथ अलग तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना कम-से-कम उतना अवैज्ञानिक न होकर मध्यम मार्ग का है। (ग) यदि कई सज्ञा शब्द साथ आएँ तो केवल अंतिम के साथ कारक-चिह्न लगता है, अत अलगाकर लिखना आवश्यक हो जाता है (जैसे राम, मोहन और सीता ने) नहीं तो केवल एक मे कारक-चिह्न लगेगा, इसके विपरीत सर्वनाम मे प्राय सभी के साथ लगता है (जैसे उसने, तुमने और मैंने) अत मिलाकर लिखा जा सकता है। (घ) सज्ञा के साथ कभी-कभी इकहरा अवतरण-चिह्न लगता है अत मिलाकर नहीं लिखा जा सकता ('अज्ञेय' ने 'हरिऔध'को, 'निराला' मे, 'प्रसाद' से) किंतु सर्वनाम के साथ प्राय ऐसा नहीं किया जाता अत मिलाकर लिखा जा सकता है। (ङ) सर्वनाम के सयुक्त रूप मिलते हैं (मुझे, हमे, तुम्हें, तुझे, उसे, उन्हें, इसे, इन्हे, जिसे, जिन्हे आदि) अत अन्य रूपो को सयुक्त रखना, इन रूपो के अनुरूप है, किंतु सज्ञा के ऐसे रूप नहीं मिलते, अत इसके रूपो को असयुक्त रखना इसकी प्रकृति के अनुरूप है। निष्कर्षत इन्हे सज्ञा के साथ अलगाकर तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना चाहिए।

(2) समस्त पद—समस्त पदो को अलग-अलग लिखना (गृह विज्ञान, देश भक्ति, जन्म दिन) अशुद्ध है, क्योंकि ये किसी 'लघु रचना' (गृह का विज्ञान, देश के प्रति भक्ति, जन्म का दिन) के सक्षिप्त होते हैं। सक्षेप होने के कारण या तो लुप्त पद का प्रतीक योजक चिह्न इनके बीच मे दिया जाना चाहिए (गृह-विज्ञान, देश-भक्ति, जन्म-दिन) अथवा मिलाकर लिखना चाहिए (गृहविज्ञान, देशभक्ति, जन्मदिन)। दो से अधिक शब्द हो (तन-मन-धन से) अथवा शब्द बडे हो (राज-

नीति-विज्ञान) तो योजक चिह्न देना ही अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि मिलाने से शब्द अधिक बड़ा (राजनीतिविज्ञान) हो जाता है। सधि करने पर तो स्पष्ट ही शब्दों को मिलाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता है। शिरोरेखा, जिला-धीश, ग्रामोन्नति, वियोगावस्था, ग्रीष्मावकाश। दो अपवाद हैं (क) द्वन्द्व समास में केवल योजक चिह्न ही देना चाहिए। (माता-पिता, भाई-बहिन, हँसी-मजाक, हाथ-पैर) उन्हें मिलाना (मातापिता) नहीं चाहिए। (ख) मिलाने से यदि अर्थ में भ्रम की गुजाइश हो तो भी नहीं मिलाना चाहिए। उदाहरण के लिए 'भू-तत्व' और 'भूतत्व' में अंतर करने के लिए 'भू-तत्व' रूप में लिखना ही उचित है।

(3) भी, तो, तक, भर, श्री, श्रीमती, जी—ये सभी बिना मिलाए अलग लिखे जाने चाहिए राम भी, रोटी तो, पानी तक नहीं दिया, सेर भर आटा, श्री गुप्त, गाधी जी।

(4) ही—इसे सज्ञा के साथ अलग (राम ही, सीता ही) किंतु सर्वनाम के साथ कुछ शब्दों के साथ मिलाकर (हमी, मुझी, तुझी, तुम्ही, उसी, उन्ही, इसी, इन्ही, जिसी, जिन्ही, किसी, किन्ही आदि) तथा कुछ के साथ अलग (मे ही, हम ही, वे ही, ये ही, जो ही) आदि लिखते हैं।

(5) कर, के—पूर्वकालिक क्रिया में 'कर' अथवा 'के' को मिलाकर लिखना चाहिए मैं खाकर आया हूँ, रोककर, चलकर, काम करके आएगा। यदि 'कर' तथा 'के' दोनों हो तो 'कर' मिलाकर लिखा जाएगा, तथा 'के' को अलग—मैं खाकर के आऊँगा। यदि दो क्रिया रूप हो तो दोनों के बीच में योजक चिह्न होगा और 'कर' अथवा 'के' अंतिम के साथ मिलाया जाएगा। खा-पीकर आना, रो-धोके थक गया।

(6) योजक चिह्न—इसका प्रयोग निम्नांकित स्थितियों में होता है

(1) द्वन्द्व समास में—रात-दिन, हवा-पानी, माँ-बाप। (2) अन्य समासों में विकल्प से—देशभक्ति अथवा देश-भक्ति। (3) सा, से, सी, जैसा, जैसे, जैसी के साथ—फूल-सा लडका, जरा-सी जान, थोड़े-से लोग, तुम-जैसा धूर्त, उस-जैसा नेता, दुग्ध-सा श्वेत। यह ध्यान देने की बात है कि यह 'से' करण तथा संप्रदान कारक के चिह्न 'से' से भिन्न है। कारक-चिह्न 'से' में वचन-लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता, किंतु इसके सा-से-सी रूप बनते हैं। (4) जहाँ सधि करने से अर्थ-परिवर्तित हो जाए वहाँ भी योजक-चिह्न लगाना चाहिए—सह-अनुभूति, सहानुभूति। (5) जहाँ सधि करने से शब्द उच्चारण की दृष्टि से अटपटा, बड़ा अथवा अस्पष्ट हो जाए वहाँ भी अल्प-संख्यक और बहु-अल्पसंख्यक, उनकी अति-आदर्शवादिता। (6) 'न' के साथ—कभी-न-कभी, कही-न-कही, किसी-न-किसी।

लेखन में अकों का प्रयोग

प्रस्तुत प्रकरण को बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से वर्तनी के अन्तर्गत तो नहीं रखना चाहिए, किन्तु किसी अन्य अध्याय के अन्तर्गत सुविधापूर्वक न रख पाने तथा लेखन से सम्बद्ध होने के कारण, इसे यही रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में कई बातें ध्यान में रखने की हैं (1) बहुत में लोग धीरे-धीरे, चलते-चलते, अपनी-अपनी जैसे द्विरुक्तियों को 'धीरे-2' या 'धीरे 2' रूप में लिखते हैं, किन्तु 2 की सहायता में यह लेखन-पद्धति हिन्दी के मानक लेखन में स्वीकृत नहीं है। इसे धीरे-धीरे, चलते-चलते या अपनी-अपनी रूप में ही योजक चिह्न देते हुए दो बार लिखना चाहिए। (2) सामान्यतः वाक्य में यदि कोई सख्या आए तो उसे अक्षरों में लिखना चाहिए (एक आदमी जा रहा था, दो घोड़े मर गए, एक सौ लोग दब गए, तीन हजार रुपए खर्च हो गए आदि) अकों में (1 आदमी जा रहा था, 3 हजार रुपए खर्च हो गए आदि) नहीं। गणित के वाक्य अपवाद हैं। (3) ' ' से तक' रूप में दो सख्याएँ आने पर कुछ लोग '2 से चार तक' या 'दस से 20 तक' रूप में लिखते हैं जो अमानक है। इन्हें 'दो से चार तक' या 'दस से बीस तक' रूप में लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक सख्या अक्षर में लिखे तथा दूसरी सख्या अक में। हाँ दोनों को ही अकों में भी लिखा जा सकता है 10 से 20 तक, 1000 से 10000 तक। (4) सख्याओं के लेखन में कभी-कभी अस्पष्टता या द्वि-अर्थकता भी आ जाती है, जिससे वचना चाहिए। उदाहरण के लिए '5 से 20 हजार' तक के दो अर्थ निकल सकते हैं 5 हजार से 20 हजार तक या 5 से 20,000 तक। इस प्रकार के द्वि-अर्थक लेखन से वचना चाहिए। अच्छा ही कि यदि पहली सख्या भी दूसरी की तरह 'सौ', 'हजार', 'लाख' या 'करोड़' आदि है तो दोनों के साथ 'सौ' आदि का प्रयोग करना चाहिए (10 हजार से 20 हजार तक), किन्तु यदि ऐसा नहीं तो अकों में (10 से 20,000 तक) लिखना चाहिए। (5) मानक लेखन में सौ, हजार, लाख, करोड़ का समुचित प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी के प्रभाव से कुछ लोग एक लाख तिरपन हजार या 1 लाख 53 हजार के स्थान पर 153 हजार या 4 करोड़ 80 लाख के स्थान पर 480 लाख जैसे प्रयोग करते हैं, जो मानक नहीं हैं। (6) सवा, डेढ़, पौने का भी समुचित प्रयोग मानक हिन्दी का आवश्यक अंग है। जैसे सवा सौ, डेढ़ लाख, पौने दो करोड़ आदि। इन्हें 1 सौ 25, 150 हजार, 1 $\frac{3}{4}$ करोड़ आदि लिखना-कहना अमानक है। हाँ 1 लाख 50 हजार या 1 करोड़ 75 लाख जैसे प्रयोग भी चल पड़े हैं।

संज्ञा

संज्ञा नाम को कहते हैं। नाम प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव (जैसे सौंदर्य) या क्रिया (जैसे चलना), किसी का भी हो सकता है। संज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक।

संज्ञाओं के बहुवचन

सामान्यत व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन के रूप नहीं बनते। ये एकवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि वह नाम कई व्यक्तियों का हो तो बहुवचन के रूप बन सकते हैं। उदाहरण के लिए 'राम' व्यक्तिवाचक संज्ञा है अतः इसका प्रयोग 'राम' रूप में ही होता है, इसमें रूपांतर नहीं होते। किंतु हम जानते हैं कि भारतीय पुराणों में तीन राम हैं कृष्ण के भाई बलराम, जमदग्नि के पुत्र परशुराम और सीता के पति राम। हम कह सकते हैं—भारतीय पुराणों के तीनों रामों की कथाएँ मैंने पढ़ी है। ऐसे ही जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी गुण या विशेषता का प्रतीक बन जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वैसे स्थिति में उस संज्ञा का भी बहुवचन में प्रयोग होता है घर-घर में सीता-सावित्रियाँ नहीं होती। आज का समाज तो त्रिशंकुओं का है। जयचंदों के कारण हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सफल नहीं हो पाता था। ऐसे ही विभीषण (घर का भेदी, देशद्रोही), द्रौपदी (एकाधिक पतियोवाली), हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, रावण, कस, हिटलर तथा नादिरशाह आदि के भी बहुवचन के रूप आवश्यकतानुसार प्रयुक्त हो सकते हैं।

जातिवाचक संज्ञाएँ सामान्यतः तो जाति का बोध कराती हैं, किंतु यदि उस नाम से कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गया हो तो वे व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसी गांधी, नेहरू, मालवीय जी, पटेल। इसी प्रकार 'पुरी' का अर्थ तो पुर या शहर है किंतु इसका प्रयोग 'जगन्नाथपुरी' के लिए भी होता है।

भाववाचक संज्ञाओं के सामान्यतः बहुवचन के रूप नहीं होते, किंतु वे अलग-अलग डकाइयों को व्यक्त करें तो उनके भी बहुवचन के रूप होते हैं मैं इन तरह-तरह के मुखों से ऊब गया हूँ। रोज-रोज की इन चढाइयों ने मुझे बहुत दुखी

कर रखा है। अभी तो उस दर्जी को कई सिलाइयो के पैसे देने है।

वस्तुतः किसी सज्ञा के बहुवचन का रूप बना सकते हैं या नहीं, यह जानने के लिए यह देख लेना चाहिए कि वह सज्ञा उस प्रसंग में गणनीय है या नहीं। यदि गणनीय नहीं है तो बहुवचन का रूप नहीं बनेगा। यह तो कहा जा सकता है कि 'गमियो में मैं बहुत ज्यादा पानी से नहाता हूँ', किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि 'गमियो में मैं बहुत ज्यादा पानियों से नहाता हूँ।' इसके विपरीत यदि पानी गणनीय है तो बहुवचन का रूप बनेगा—'उस जगद्वार ने अलग-अलग गिलामो में अलग-अलग रंगों के पानी भरे फिर उन सभी पानियों को एक में मिला दिया। लोगो ने आश्चर्य से देखा वह मिश्रित पानी सफेद था। ऐसे ही 'राजकुमार को उन सभी पानियों (अलग-अलग नदियों के) से अभिषेक कराया गया।'

यह ध्यान देने की बात है कि गणनीय सज्ञा के साथ ही सख्यावाचक विशेषण (एक घोड़ा, दो आदमी, सौ पेड़) आते हैं, अगणनीय के साथ (एक घी, दो तेल) नहीं।

सज्ञाओं के कारकीय रूप

यों तो हिन्दी सज्ञाओं के सभी कारको में रूप बनते हैं किंतु उनमें काफी रूप पूर्णतः अलग न होकर केवल कारक-चिह्नों के कारण अलग होते हैं। जैसे घोड़ों ने (कर्ता), घोड़ों को (कर्म-संप्रदान), घोड़ों से (करण-अपादान), घोड़ों का (सवध), घोड़ों पर (अधिकरण)। ध्यान देने की बात है कि इन सभी कारको में एक ही रूप 'घोड़ों' आया है, इसीलिए हिन्दी कारकीय रूपों को हर कारक के अलग-अलग रूप में न देखकर केवल तीन रूपों में देखना सुविधाजनक होगा

(क) मूल रूप—जिस रूप के साथ कोई भी कारक-चिह्न न आए लड़का गया। घोड़े दौड़े। मैंने तीन चीते देखे।

(ख) विकृत रूप—जिस रूप के साथ कारक-चिह्न अवश्य आए लड़के ने खाना खाया, घोड़ों ने पानी पिया, चीतों से सभी डरते हैं।

(ग) सर्वोपनि रूप—जिसका प्रयोग केवल सर्वोपनि के लिए ही ओ लड़के, ऐ वच्चे।

इस दृष्टि से हिन्दी सज्ञा शब्दों को चार वर्गों में रखा जा सकता है, जिनके रूप निम्नांकित प्रकार से बनते हैं

(1) आकारात् पुल्लिङ्ग—जैसे लड़का, घोड़ा, वच्चा

	एफ०	बहु०
मूल रूप	लड़का	लड़के
विकृत रूप	लड़के	लड़कों

	एक०	बहु०
मूल	पुस्तक	पुस्तकें
विकृत	पुस्तक	पुस्तको
सबोधन	पुस्तक	पुस्तको
इनमें प्रत्यय है		

	एक०	बहु०
मूल	शून्य	एँ
विकृत	शून्य	ओ
सबोधन	शून्य	ओ

अन्यो के बहुवचन के रूप भी इसी प्रकार एँ, ओ, ओ जोड़कर बनाए जाते हैं माताएँ, माताओ, माताओ, बहुएँ, बहुओ, बहुओ आदि ।

संज्ञा शब्दों के कारकीय रूपों की रचना के सबंध में निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं

(क) इन प्रत्ययों के जोड़ने पर निम्नांकित परिवर्तन होते हैं (अ) आकारात् पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर 'आ' का लोप हो जाता है घोडा + ए = घोड + ए = घोडे, घोडा + ओ = घोड + ओ = घोडो, घोडा + ओ = घोडो । (आ) ईकारात्, ऊकारात् के वाद आँ, औ, ओ, प्रत्यय जोड़ें तो ई का इ और ऊ का उ हो जाता है दवाई + आँ = दवाईयाँ, बहू + ओ = बहुओ । जो लोग इसका ध्यान नहीं रखते वे दवाईयो, साधूओ, डाकूओ जैसे गलत रूपों का प्रयोग कर जाते हैं । (इ) इ के वाद आँ, औ, ओ आएँ तो य का आगम हो जाता है जाति + आँ = जातियाँ, कवि + ओ = कवियो, लडकी + आँ = लडकियाँ, कवि + ओ = कवियो । (ई) इयात् स्त्री० संज्ञा में आँ, औ, ओ जोड़ें तो 'या' का लोप हो जाता है गुडिया + आँ = गुडि + आँ = गुडि + य + आँ = गुडियाँ, चिडिया + ओ = चिडि + ओ = चिडि + य + ओ = चिडियो ।

(ख) आकारात् पुल्लिंग के सामान्य रूप ऊपर दिए गए हैं । कुछ आकारात् पुल्लिंग संज्ञाएँ अपवाद हैं (1) सस्कृत आकारात्—पिता, विधाता, नेता, विजेता, सवाददाता, विक्रेता, अभिनेता, राजा, कर्ता, आदि, (2) द्विरुक्तिवाले शब्द—बाबा, मामा चाचा, लाला, बाबा, पापा, दादा, (3) मुखिया, अगुआ, सूरमा, रनिया, (4) दारोगा, अम्बा । इन सभी के ए-वाले रूप (लडके, घोडे की तरह) नहीं बनते । वहाँ या तो शून्य आता है या 'नण', 'नोग' आदि । अर्थात् 'वे राजे गए' न होकर 'वे राजा गए' या 'वे राजा लोग गए' । इन अपवाद शब्दों के ओ, औ वाले रूप 'आ' हटाकर नहीं बनते बल्कि वैसे ही बनते (राजाओ, न कि राजो, महाराजाओ, न कि महाराजो, सूरमाओ, विजेताओ, सवाददाताओ) है या

फिर लोग (राजा लोगो, लाला लोगो) मे ओ तथा ओ (ऐ राजाओ, हे विजेताओ) जोडकर ।

(ग) आकारात पु० स्थान नामो के बाद कारक-चिह्न आए तो आ का ए हो जाता है पटने से, आगरे का, कलकत्ते मे । 'मथुरा' का 'मथुरे' नहीं होता क्योंकि 'मथुरा' स्त्री० है । आ के ए होने के दो अपवाद हैं (1) 'आ' के पूर्व यदि य, व हो तो प्राय ए नहीं होता गया से, गोवा का न कि 'गये से', 'गोवे का' । कभी-कभी 'गए से', 'गोवे से' जैसे प्रयोग मिलते हैं, किंतु बहुत कम । (2) विदेशी स्थान नामो मे प्राय 'आ' का 'ए' नहीं होता अमरीका से, कनाडा मे, अर्जेन्टाइना का न कि 'अमरीके से' आदि । यह ध्यातव्य है कि 'पटना' तथा 'अर्जेन्टाइना' दोनो के अत मे 'ना' है किंतु पहले मे 'ए' होता है, दूसरे मे नहीं ।

(घ) एक बात विशेष ध्यान देने की है । बहुत लोग प्रयुक्त करते हैं ऐ विद्यार्थियो, हे देशवासियो, ओ नेताओ । ये रूप गलत है । विकृत बहुवचन रूप मे 'ओ' लगता है, किंतु सबोधन बहुवचन मे 'ओ' । अर्थात्, होना चाहिए ऐ विद्यार्थियो, हे देशवासियो, ओ नेताओ ।

(ङ) कुछ लोग 'चाचा' आदि का 'चाचाओ' तथा चाची आदि का, चाचियाँ और 'चाचियो' न बनाकर 'चाचा' और 'चाची' का ही सर्वत्र प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसे प्रयोग अपवाद हैं । सामान्यत चाचाओ, चाचियाँ तथा चाचियो का प्रयोग होता है ।

निम्नांकित वाक्यो को पढिए और बतलाइए कि उनके कौन-से रूप अशुद्ध है, और कौन-से शुद्ध

1. (क) भारत मे अब राजे और नवाब नहीं रहे ।
(ख) भारत मे अब राजा और नवाब नहीं रहे ।
2. (क) हर दफा तुम यही बात कहते हो ।
(ख) हर दफे तुम यही बात कहते हो ।
3. (क) तुम गदहा हो ।
(ख) तुम गदहे हो ।
4. (क) मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ, किंतु इसके उलटा तुम मुझसे नफरत करते हो ।
(ख) मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ, किंतु इसके उलटे तुम मुझसे नफरत करते हो ।
5. (क) उसके मामा के घर शादी है ।
(ख) उसके मामे के घर शादी है ।
6. (क) वे अमरीके से आए हैं ।
(ख) वे अमरीका से आए हैं ।
7. (क) लाला के घर चोरी हो गई ।

- (ख) लाले के घर चोरी हो गई ।
 8 (क) गुप्ता ने बहुत पैसा कमाया ।
 (ख) गुप्ते ने बहुत पैसा कमाया ।
 9 (क) श्रागरा का पेठा अच्छा होता है ।
 (ख) श्रागरे का पेठा अच्छा होता है ।
 10 (क) मथुरा मे पेडा लाना ।
 (ख) मथुरे से पेडा लाना ।
 11 (क) वह घोडा पर वैठा है ।
 (ख) वह घोडे पर वैठा है ।

उपर्युक्त मे 1-क, 5-क, 6-ख, 7-क, 8-ख, 10 क,-11-ख, ठीक हैं । इन्हे ऊपर लिया जा चुका है । शेष की समस्या नई है । 2 मे 'क' तथा 'ख' दोनो का प्रयोग खूब हो रहा है । पुरानी पीढी के तथा उर्दूवाले 'दफा' का ही प्रयोग करते हैं, उसमे 'दफे' नहीं वनाते किंतु अन्य लोग 'दफे' वनाते हैं । इस प्रकार किमी को भी अमानक कहना कठिन है । यो मूलत यह शब्द 'दफअ' है, अत इसका दफे वनना नहीं चाहिए । इस प्रकार वास्तविक रूप मे 'दफा' को अपरिवर्तित रूप मे ही प्रयोग होना चाहिए । 4 मे ख ठीक है । मानक प्रयोग 'इस के उलटे', 'इसके बदले' आदि का ही है । 3 के विषय मे यह जानने की बात है कि कर्ता के वाद के आकारात पूरक (विशेषण या सज्ञा) एकारात हो जाते है 'तुम वच्चे/लडके/गदहे/अच्छे भले,बुरे हो' क्रियाविशेषण तो एकारात होगा ही 'वह किनारे/आगे/पीछे है । इस तरह 3 ख ठीक है ।

लिंग

विश्व में दो प्रकार की भाषाएँ होती हैं (क) जिनमें लिंग नहीं होता। जैसे फ़ारसी, तान्त्रिक, इस्तोनियन, उजबेक आदि, (ख) जिनमें लिंग होता है। जैसे हिन्दी, संस्कृत आदि। लिंगवाली भाषाएँ भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे हिन्दी आदि दो लिंगवाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि तीन लिंगवाली तथा चेचेन आदि तीन से अधिक लिंगवाली।

हिन्दी में लिंग दो प्रकार के हैं : प्राकृतिक, व्याकरणिक। प्राकृतिक लिंग नर-मादा में होते हैं। जैसे पिता, चाचा, घोड़ा, ऊँट आदि पुल्लिंग तो माता, चाची, घोड़ी, ऊँटनी आदि स्त्रीलिंग। व्याकरणिक लिंग निर्जीव पदार्थों के नामों में माने जाते हैं। जैसे हिन्दी में दरवाजा, पानी, घर, पेड़ आदि का प्रकृतित कोई लिंग नहीं है, किंतु ये पुल्लिंग हैं। इसके विपरीत खिड़की, मिट्टी, इमारत, लता आदि का भी प्रकृतित कोई लिंग नहीं है, किंतु ये स्त्रीलिंग हैं।

कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनका एक नाम पुल्लिंग है तो दूसरा नाम स्त्रीलिंग। जैसे भवन-इमारत, स्टूल-तिपाई, पत्ता-पत्ती, काठ-लकड़ी आदि।

हिन्दी में इस समय लिंग की दृष्टि से तीन प्रकार के शब्द हैं

(1) पुल्लिंग—इनमें सजीव में नर (जैसे मर्द, बैल, शेर, घोड़ा आदि) तथा निर्जीव में, हिन्दी में परम्परागत रूप से स्वीकृत पुल्लिंग शब्द (जैसे मकान, पेड़, नल आदि) आते हैं।

(2) स्त्रीलिंग—इनमें सजीव में मादा (जैसे औरत, गाय, शेरनी, घोड़ी) तथा निर्जीव में, हिन्दी में परम्परागत रूप से स्वीकृत स्त्रीलिंग शब्द (जैसे इमारत, लता, कुर्सी, पुस्तक आदि) आते हैं।

(3) द्विलिंगी शब्द—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होने पर पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, तथा स्त्री के लिए प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिंग रूप में। इस वर्ग में उन सभी पदों के नाम आते हैं, जिन पर पहले प्रायः पुरुष नियुक्त होते थे, किंतु अब स्त्रियाँ भी नियुक्त होती हैं। प्रधानमन्त्री (इंदिरा गांधी) आ रही हैं—प्रधान मन्त्री (मोरार जी देसाई) आ रहे हैं। इस प्रकार के कुछ अन्य

शब्द हैं: राज्यपाल कमिश्नर कलेक्टर मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश, प्रोफेसर रीडर टाक्टर निदेशक राजदूत, मंत्री, सचिव आदि। कभी 'डाक्टर' का प्रयोग पुरुष टाक्टर के लिए तथा महिला 'डाक्टर' या 'डाक्टरनी' आदि का प्रयोग स्त्री टाक्टर के लिए होता था, किंतु अब ऐसा नहीं होता। ऐसे ही 'मंत्री' का स्त्रीलिंग 'मन्त्री' है किंतु महिला मंत्री को भी 'मंत्री' ही कहते हैं चाहे वह मुख्यमंत्री (श्रीमती मत्स्यी) हो या नामान्य मंत्री। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे पदों के लिए स्त्रीलिंग रूप बनाकर प्रयोग करने की परम्परा अब हिन्दी में नहीं है। इन्हींलिए मानक हिन्दी में अब निदेशिका, निर्देशिका, अध्याक्षा जैसे स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग प्रायः कम हो रहा है। हा, व्यवस्थापक-व्यवस्थापिका सपादक-सपादिका, नयोजक-नयोजिका, सरक्षक-सरक्षिका अब भी चल रहे हैं।

पुरुष-स्त्री, नर-मादा

कुछ लोग कभी-कभी पुरुष-स्त्री का प्रयोग नर-मादा के अर्थ में करते हैं, किंतु ऐसा करना गलत है। पुरुष-स्त्री का प्रयोग मानव तक सीमित है, तथा नर-मादा का प्रयोग मानवतर जीवों अर्थात् पशु-पक्षियों कीड़ों-मकोड़ों के लिए होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 'नर गीदड़' तथा 'मादा गीदड़'-जैसे प्रयोग तो ठीक हैं किंतु 'पुरुष गीदड़' 'स्त्री गीदड़' जैसे प्रयोग गलत हैं।

स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग

प्यार में प्रायः बहुत से पिता अपनी 'बेटी' को 'बेटा' कहकर संबोधित करते हैं। इसका सामाजिक कारण है। पहले समाज में पुत्र का पैदा होना कई स्पष्ट कारणों से अच्छा माना जाता था, तथा पुत्री का पैदा होना बुरा। यहाँ तक कि कई स्थानों पर पुत्र के पैदा होने पर लोग बधाइयाँ देते थे, गीत गाए जाते थे, खुशियाँ मनाई जाती थी किंतु लड़की के पैदा होने पर एक प्रकार से भातम छा जाता था। इस प्रकार 'बेटा' शब्द 'बेटी' की तुलना में 'प्रिय' और 'महत्त्ववाना' माना जाता था। उसी प्यार और महत्त्व की अभिव्यक्ति के लिए अब बहुत से लोग 'बेटी' को 'बेटा' रूप में संबोधित करते हैं। इसका प्रयोग अब इतना बढ गया है कि इसे अमानक करार देना उपयुक्त नहीं है।

लिंग की अशुद्धि

हिन्दी बोलने और लिखने में बहुत से लोग लिंग की गलती करते हैं। ये गलतियाँ पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र (पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार) में ज्यादा होती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बंगला-असम आदि पूर्वी भाषाओं में लिंग-चेतना हिन्दी की तुलना में कम है। लगता है कि मागधी प्रांत की अशुद्धि से ही यह विशेषता चली आ रही है। भोजपुरी मगही, मैथिली की उनी

परपरा मे है, अत परपरा तथा पास की इन पूर्वी भाषाओ के सपर्क और प्रभाव के कारण पूर्वी क्षेत्र के हिन्दी भाषी लोगो मे पश्चिमी क्षेत्र की तुलना मे भाषिक लिंग की चेतना बहुत कम है। साथ ही हिन्दी-क्षेत्र बहुत बडा है, अत बहुत से शब्द पूर्वी क्षेत्र मे एक लिंग के माने जाते है तो पश्चिमी क्षेत्र मे दूसरे लिंग के। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणो से पश्चिमी क्षेत्र की मान्यताएँ ही प्राय मानक हिन्दी मानी जाती है, अत पूर्वी क्षेत्र की मान्यताएँ अमानक करार दे दी गई है। उदाहरण के लिए पश्चिम मे 'हाथी' पुल्लिग है और 'हथिनी' स्त्रीलिग तो पूर्वी क्षेत्र मे 'हाथी' स्त्रीलिग है तो हत्था पुल्लिग। इसका परिणाम यह हुआ है कि पश्चिम का व्यक्ति कहेगा 'हाथी खाता है' तो पूरव का कहेगा 'हाथी खाती है,' और स्वभावत पूरव का यह प्रयोग अमानक कहलाएगा। रूमाल, दर्द, तकिया, गिलास, कोट, तौलिया, बटन, कालर, पेन आदि काफी शब्द ऐसे है जिन्हे पूरव के लोग स्त्रीलिग रूप मे बोलते है, किंतु मानक हिन्दी मे जो पुल्लिग है। इसके विपरीत पतलून, पैट, प्लेट, गिरगिट, फुटबाल, सलाद, सिगरेट आदि पूर्वी क्षेत्र मे पुल्लिग है तो पश्चिमी मे स्त्रीलिग है। दही शब्द मानक हिन्दी मे तो पुल्लिग माना जाता है किंतु हिन्दी की प्राय सभी बोलियों (पूर्वी, पश्चिमी) मे वास्तविक प्रयोग मे यह स्त्रीलिग है। यहाँ तक कि दिल्ली की ठेठ हिन्दी मे भी। इसीलिए उसके प्रयोग मे दोनो ही क्षेत्रो के लोग गलती कर जाते है।

हिन्दी बोलने तथा लिखने मे लिंग को इस प्रकार की गलतियाँ क्षेत्रीय प्रभाव से होती है। इसी प्रकार की गलतियाँ सस्कृत-प्रभाव से भी कभी-कभी हो जाती है। उदाहरण के लिए 'व्यक्ति' शब्द हिन्दी मे पुल्लिग है किंतु सस्कृत मे स्त्रीलिग है। परिणामत सस्कृत परपरा के लोग बोलते है 'गाधी जी अच्छी व्यक्ति थे' जब कि हिन्दी मे होना चाहिए 'गाधी जी अच्छे व्यक्ति थे। ऐसे ही 'उपनिषद्' सस्कृत मे स्त्रीलिग है, किंतु हिन्दी मे पुल्लिग है, अत 'बृहदारण्यक बहुत बडी उपनिषद् है' जैसे वाक्य जो सस्कृत परपरावालो के मुह से सुनाई पडते है, अशुद्ध है। व्याकरण सस्कृत मे पुल्लिग न होकर नपुंसक लिंग है, और सस्कृत परपरा के लोग इसे हिन्दी मे स्त्रीलिग मे प्रयोग करते है, किंतु हिन्दी मे 'व्याकरण' शब्द पुल्लिग है। इसी प्रकार आर्यसमाजी लोग प्राय 'आर्यसमाज' शब्द का प्रयोग (कदाचित् 'सभा' या 'सोसाइटी' के प्रभाव से) स्त्रीलिग मे करते है किंतु मानक हिन्दी मे वह पुल्लिग है। 'आत्मा' सस्कृत मे पुल्लिग है, तो हिन्दी मे स्त्रीलिग।

इम तरह पूर्वी क्षेत्रो के हिन्दी-वासी, सस्कृत से प्रभावित किसी भी क्षेत्र के हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी-भाषियो को लिंग-विषयक अशुद्धियो मे विशेष सावधान रहना चाहिए और सदेह होने पर कोश मे देखना चाहिए।

एक व्याकरणिक लिंग मे दोनो प्राकृतिक लिंग

जीवो के बहुत से ऐसे नाम है जो स्त्रीलिग या पुल्लिग मे प्रयुक्त होते हैं,

किंतु स्त्रीलिंग में पुल्लिंग तथा पुल्लिंग में स्त्रीलिंग भी समाहित होता है। उदाहरण के लिए गिल्हरी, छिपकली, चींटी, बुलबुल आदि स्त्रीलिंग हैं किंतु इनमें उनके नर भी समाहित हैं। ठीक इसके उल्टे कौवा, तोता, चींता, भेड़िया, वाग्दमिन्ना, हिरन आदि पुल्लिंग हैं, किंतु इनमें इनकी मादा भी समाहित हैं।

एक बात उल्लेख्य है कि मधुर स्वर में मादा कोयल नहीं गाती, बल्कि नर कोयल गाता (ती) है, किंतु हिन्दी में मुकठी कोयल मादा ही मानी गई है।

पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में अन्य अंतर

कुछ पुल्लिंग-स्त्रीलिंग शब्दों में अन्य प्रकार के भी अंतर होते हैं।
उदाहरणार्थ

(क) 'घडा' पुल्लिंग है और 'घडी' स्त्रीलिंग है, किंतु दोनों के दो अर्थ हैं, तथा दोनों में कोई संवध नहीं। कभी था, यह और बात है। कोडा-कोटी, छडा-छडी, वाला-वाली में भी यही बात है।

(ख) 'पपीता' पुल्लिंग शब्द है किंतु यह मादा है। इसी पर फल लगता है। 'पपीती' स्त्रीलिंग शब्द है, किंतु यह नर है। यही पराग-सेचन करता है।

(ग) नाना-नानी, चाचा-चाची, मामा-मामी, दादा-दादी आदि तो पति-पत्नी हैं, किंतु माला-साली, माला-माली, चींटा-चींटी, तोता-तूती, नहीं।

(घ) कुछ पुल्लिंग-स्त्रीलिंग शब्दों में बड़े-छोटे का अंतर होता है नद-नदी, लोटा-लुटिया, नाला-नाली।

हिन्दी भाषा में लिंग-प्रयोग की परिधि

हिन्दी में लिंग-प्रयोग की परिधि सभी वाग्भागों (पाटर्न आफ स्पीच) तथा प्रत्यय तक फैली हुई है।

नज्ञा चाचा-चाची, दरवाजा-खिडकी, नाला-नाली, लोटा-लुटिया

सर्वनाम मेरा-मेरी इसका-इसकी, अपना-अपनी। ये रूप तत्त्वतः सर्वनामिक विशेषण हैं। ऐसा-ऐसी, इतना-इतनी आदि भी यही हैं।

विशेषण अच्छा-अच्छी, बड़ा-बड़ी, चौड़ा-चौड़ी, माननीय-माननीया।

क्रिया आना है-आती है गया-गई, जाएगा-जाएगी।

क्रियाविशेषण राम नोता आया-सीता नोती आई।

प्रत्यय वाला-वाली, वान-वती, आ-ई।

सर्वनाम

हिन्दी के सभी सर्वनाम (मैं, तुम, वह, जो, वॉन, वॉर्ड आदि) दोनों लिंगों के लिए प्रयुक्त होने हैं। केवल उनके संबध के रूप (मेरा, उसका, अपना) ही दोनों

लिंगों में अलग-अलग होते हैं।

पुल्लिंग क्रियात्मको में स्त्रीलिंग भी समाहित

कुछ पुल्लिंग क्रियाओं में स्त्रीलिंग भी समाहित होता है। दूर कोई आता दीघ रता है, और यह स्पष्ट नहीं है कि पुरुष है अथवा स्त्री, लडका है या लडकी, या फिमी के पैरों की चाप मात्र मुनाई पड रही है और यह ज्ञात नहीं है कि आने-जाना किस लिंग का है तो कहेंगे—कोई आ रहा है। ऐसे ही 'कौन कहता है कि ' में 'कौन कहता है' में 'कौन कहती है' भी सम्मिलित है। इसी प्रकार 'कोई आया क्या' 'कौन-कौन चलेंगे?' 'कौन चलेगा' 'कोई मिला तो पूछ लूंगा' में भी पुल्लिंग में स्त्रीलिंग भी समाहित है।

लिंगीय प्रत्यय

हिन्दी के लिंगीय प्रत्यय तन्मम, तद्भव तथा विदेशी तीनों हैं। इनके प्रयोग में गतकला अपेक्षित है, नहीं तो गलती हो जाती है। जैसे तो नी, इन, आनी, इया, आदि कई स्त्री-प्रत्यय हिन्दी में आते हैं। किंतु गलती मुख्यतः आ और ई के प्रयोग में होती है। पहले 'आ' की बात ले। इसका प्रयोग या तो तत्सम शब्दों के साथ (श्रद्धेया, आदरणीया, माननीया, मुता, प्रिया) करना चाहिए या फिर अरबी शब्दों (मागूजा, मुहनरमा, मलिका, मरहूमा) के साथ। अन्य प्रकार के शब्दों (तद्भव, देजज) के साथ उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ तक 'ई' का प्रयोग है वह हिन्दी का सबसे अधिक प्रयुक्त स्त्री-प्रत्यय है, उसीलिए इसके प्रयोग में गलती भी गृह्य होती है। उदाहरण के लिए 'ताजी खबर' प्रयोग गलत है। प्रसिद्ध फिमी नीत है 'आज की ताजा खबर'। अर्थात् 'ताजा' का 'ताजी' नहीं बनना चाहिए। यह दूसरी बात है कि लोग यह भूल गए हैं और 'ताजी सवजी', 'ताजा खाना', 'ताजे फल' जैसे प्रयोग गृह्य चल रहे हैं। तन्वत 'ताजा सवजी', 'ताजा खाना', 'ताजाफल' प्रयोग ही ठीक हैं। उसी प्रकार फारसी का एक प्रत्यय है 'आना' जिसका विकास हिन्दी में 'आना' (गाल-आना-सालाना) रूप में हुआ है। उसमें स्त्रीलिंग का ई प्रत्यय नहीं चलता। दोनों लिंगों में यह 'आना' ही रहता है। मानाना चलना, मानाना आमदनी। गैर जिम्मेदाराना हरकते, कानिमाना नजरे, वह-शिवाना रखने में भी वही बात है। यही 'आना' मस्ताना, मर्दाना में भी है, जत प्रयोग होना चाहिए 'मस्ताना चाल', न कि 'मस्तानी चाल', 'मर्दाना औरत' न कि 'मर्दानी औरत'। सुभद्राकुमारी चौहान की प्रसिद्ध पंक्ति है 'गृह लड़ी मर्दानी पर जो जानी वाली रानी थी' में 'ई' के प्रयोग की यह गलती अमर हो गई है। ऐसे ही 'जनाना सवारी' न कि 'जनानी सवारी'। हिन्दी के कई अन्य विशेषणों में भी 'ई' जोड़ने की गलती लोग कर जाते हैं 'नटाका औरत' न कि 'नटाकी औरत' 'दुतरा लाल' न कि 'दुदरी लाल', 'दुतरा मार' न कि 'दुतरकी मार', 'ताजा

खबर' न कि 'ताजी खबर।' ('आज की ताजा खबर 'फिल्म' का प्रसिद्ध गाना है 'आज की ताजा खबर')। ऐसे ही ताजी सब्जी, ताजी रोटी जैसे प्रयोग गलत हैं। ठीक है ताजा सब्जी, ताजा रोटी। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने कहा था 'हमारी मेना चौकन्ती है'। यह प्रयोग गलत है। होना चाहिए 'हमारी मेना चौकन्ता है।'

हिन्दी में पुल्लिंग का प्रसिद्ध प्रत्यय है 'आ'। इसका भी गलत प्रयोग लोग कर जाते हैं। पंजाबी लोग बोलते हैं 'भारा वदन'। होना चाहिए 'भारी वदन'। हिन्दी का 'खारी' शब्द भी ठीक ऐसे ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद में प्रयोग आते हैं 'खारी पानी'। वस्तुतः 'खार' में विशेषण का प्रत्यय 'ई' मिलने से 'खारी' शब्द बना है जिसका अर्थ है 'खार' (स० धार) वाला'। यह 'ई' अच्छी, बड़ी आदि की 'ई' की तरह यदि लिंग का प्रत्यय होता तो अच्छा, बड़ा आदि की तरह 'खारा' बनता। किंतु ऐसा है नहीं। यह विशेषण प्रत्यय है। इसीलिए जैसे 'भारी' (भार+ई) का 'भारा' रूप गलत है, वैसे ही 'खारी (खार+ई) का खारा भी शुद्ध नहीं है। यह बात दूसरी है कि 'खारा' शब्द अब बहुत चल पड़ा है। 'सुनहरी, शब्द भी मूलतः इसी श्रेणी का है। उर्दू में अब भी प्रयोग है 'सुनहरी मौका'। हिन्दी में भी पहले यही चलता था। किंतु इधर 'काला-काली' 'पीला-पीली' के सादृश्य पर इसके सुनहरा-सुनहरी रूप प्रयुक्त होने लगे हैं।

द्विलिङ्गी शब्द

हिन्दी में रिक्शा, टिकट आदि कुछ द्विलिङ्गी शब्द भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में खूब हो रहा है। अच्छा हो कि एकरूपता की दृष्टि से ऐसे शब्दों का एक लिंग निर्धारित कर दिया जाए और सभी लोग उसी लिंग में उसका प्रयोग करें।

वचन

हिन्दी में दो वचन हैं एकवचन, बहुवचन। एकवचन के रूप, आधार हैं और प्रायः उन्हीं से बहुवचन के रूप बनते हैं।

बहुवचन बनाने के नियम

हिन्दी में शब्दों के बहुवचन के रूप चार बातों पर निर्भर करते हैं

1. शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग,
2. शब्द के अन्त में कौन-सी ध्वनि या ध्वनियाँ हैं,
3. शब्द का बहुवचन संबोधन है या किसी अन्य कारक का रूप,
4. यदि अन्य कारक रूप है तो वह वाक्य में कारक-चिह्न के साथ प्रयुक्त हो रहा है या बिना कारक-चिह्न के।

उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए हिन्दी के सज्ञा शब्दों को पहले पुल्लिंग-स्त्रीलिंग दो वर्गों में रखा जा रहा है। फिर अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से उनके उपवर्ग बनाए जा रहे हैं

पुल्लिंग सज्ञा शब्द

हिन्दी में पुल्लिंग सज्ञा शब्द अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से छह प्रकार के होते हैं :

- (क) व्यजनात—जैसे मित्र, बालक, मकान आदि।
- (ख) आकारात—जैसे लडका, घोड़ा, भतीजा आदि।
- (ग) इकारात—जैसे मुनि, कवि आदि।
- (घ) ईकारात—जैसे हाथी, विद्यार्थी, भाई आदि।
- (ङ) उकारात—जैसे गुरु, साधु आदि।
- (च) ऊकारात—जैसे भालू, डाकू आदि।

स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द

स्त्रीलिंग सज्ञा शब्द अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से आठ प्रकार के होते हैं।

- (क) व्यजनात—जैसे किताब, रात, आंख आदि ।
 (ख) आकारात—जैसे लता, कथा, माता, कामना आदि ।
 (ग) इकारात—जैसे तिथि, रीति, जाति आदि ।
 (घ) ईकारात—जैसे लडकी, गाडी, नदी आदि ।
 (ङ) उकारात—जैसे वस्तु ।
 (च) ऊकारात—जैसे वहू ।
 (छ) औंकारात—जैसे गी ।
 (ज) डयात—जैसे गुडिया, चिडिया आदि ।

हिन्दी में अकारात शब्द (स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग) नहीं हैं । लिखने में जो अकारात हैं, वस्तुतः वे व्यजनात हैं । अर्थात् बालक, मकान, किताब, रात आदि वस्तुतः बालक, मकान, किताब, रात हैं ।

उपर्युक्त पुल्लिंग-स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के नियम निम्नांकित हैं

(1) आकारात पुल्लिंग मज्ञा शब्द यदि वाक्य में बिना कारक चिह्न के आ रहा है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अन्तिम 'आ' को 'ए' कर देते हैं

एकवचन

लडका दौड रहा है ।
 घोडा घास चर रहा है ।

बहुवचन

लडके दौड रहे हैं ।
 घोडे घास चर रहे हैं ।

अपवाद

चार प्रकार के शब्द इस आकारात पुल्लिंग के अपवाद हैं

- (1) श्राकारात संस्कृत शब्द—राजा, योद्धा, नेता, मखा, पिता, कर्ना, दाता, देवता, भ्राता, अभिनेता, ऋता, विक्रेता, विजेता, मवाददाना आदि ।
 (2) द्विरुक्त्विवाले शब्द—चाचा, काका, बाबा, नाना, मामा, दादा, लाला, पापा आदि ।
 (3) फूला, नाया, मुखिया, अगुजा, सूरमा आदि द्विरुक्त्विगरहित तद्भव शब्द ।
 (5) अरबी-फारसी के शब्द—दागीना, अद्या । उनके अन्त्य 'आ' का 'ए' नहीं होता ।

(2) अन्य नामों के पुल्लिंग शब्द (अर्थात् व्यजनात, एकारात, ईकारात, उकारात, ऊकारात) पारस-सिंह रहित होने पर बहुवचन में भी ज्यो-के-ज्यो रहते हैं । उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता । अर्थात् दोनों वचनों में समान रहते हैं

एकवचन

यहाँ एक मरान है ।
 यहाँ एक मुनि है ।
 यहाँ एक विद्यार्थी पढ़ता है ।

बहुवचन

यहाँ बहुत-से मरान हैं ।
 यहाँ बहुत-से मुनि हैं ।
 यहाँ बहुत-से विद्यार्थी पढ़ते हैं ।

वहाँ एक साधु है ।

वहाँ बहुत-से साधु हैं ।

वहाँ एक डाकू है ।

वहाँ बहुत-से डाकू हैं ।

(3) स्त्रीलिंग इकारात, ईकारात, इयात शब्दों का कारक-चिह्न-रहित बहुवचन बनाने के लिए 'इ', 'ई', 'इया' के स्थान पर 'इयाँ' जाड़ देते हैं

एकवचन

बहुवचन

विधि

विधियाँ

जाति

जातियाँ

गुडिया

गुडियाँ

गाड़ी

गाड़ियाँ

लडकी

लडकियाँ

चिडिया

चिडियाँ

(4) सभी प्रकार के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का ऐसा बहुवचन बनाने के लिए जिनका प्रयोग कारक-चिह्न के साथ होता है, 'ओ' जोड़ते हैं। इसके मुख्य नियम ये हैं

(क) व्यजनात, ह्रस्व उकारात तथा ओकारान्त शब्दों में बिना किसी परिवर्तन के 'ओ' जोड़ते हैं—घर + ओ = घरों, मित्र + ओ = मित्रों, आँख + ओ = आँखों, साधु + ओ = साधुओं, वस्तु + ओ = वस्तुओं, गौ + ओ = गौओं ।

(ख) आकारात पुल्लिंग में तथा इयात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में यह 'ओ' 'आ' के स्थान पर आता है, अर्थात् 'आ' हट जाता है ।

घोड़ा + ओ = घोड़ों

लडका + ओ = लडकों

गुडिया + ओ = गुडियों

मुखिया + ओ = मुखियों

(ग) ईकारात, इकारात शब्दों में शब्द और ओ के बीच 'य' आ जाता है, और दीर्घ ई का ह्रस्व इ कर देते हैं

कवि + ओ = कवियों

हाथी + ओ = हाथियों

लडकी + ओ = लडकियों

तिथि + ओ = तिथियों

(घ) ऊकारात शब्दों में अन्तिम ऊ को ह्रस्व 'उ' कर देते हैं

डाकू + ओ = डाकूओं

बहू + ओ = बहूओं

बहुवचन के कारक-चिह्न के साथ कुछ प्रयोग हैं

मित्रों ने बुलाया है ।

लडकों के लिए पुस्तकें खरीदी गई हैं ।

कवियों से कविताएँ सुननी हैं ।

हाथियों को रोटी दो ।

साधुओं को बुलाओ ।

पुन्निम डाकुओं पर गोलियाँ बरमाने लगी ।
 श्रीयों में दर्द है ।
 उन लताओं का अपना अलग मीन्दर्य है ।
 उन तिथियों को मैं बाहर रहूँगा ।
 लटकियों ने गीत गाए ।
 इन वस्तुओं को छोड़ दो ।
 इन गुट्टियों में बीचवाली मचमे मुन्दर है ।

(5) स्त्रीलिंग-पुल्लिंग सभी प्रकार के मत्रा शब्दों का मयोधन बहुवचन बनाने के लिए सभी शब्दों में 'ओ' जोड़ते हैं । नियम वही है जो पीछे 'ओ' जोड़ने के लिए बताया गया है । अर्थात् कारक-चिह्न-सहित बहुवचन के रूपों में 'ओ' के स्थान पर 'ओ' कर देने में (दूसरे शब्दों में अनुनासिकता हटा देने में) मयोधन बहुवचन के रूप बन जाते हैं

मित्रो ! तुम कहाँ जा रहे हो ?
 लडको ! यहाँ आओ ।
 लटकियो ! बैठो ।

इसी तरह कवियों, नाथियों, नाधुओं, डाकुओं तथा गाँवों आदि ।

अपवाद

(1) कभी-कभी गण, वृन्द, जन, लोग जोड़कर भी बहुवचन के रूप बनाए जाते हैं

कारक-चिह्न-रहित-गुरु—गुरुजन, राजा—राजा लोग, मत्री—मत्रिगण,
 कवि—कविवृन्द ।

कारक-चिह्न-सहित—गुरुजनो, राजा लोगो, मत्रिगण, कविवृन्द ।

सयोधन —गुरुजनो, राजाओ अथवा राजा लोगो, मत्रिगण, कवि-
 वृन्द ।

(2) कभी-कभी पुनरक्ति द्वारा भी बहुवचन की अभिव्यक्ति की जाती है
 निपाहियों ने गाँव का कोना-कोना छान मारा ।
 वे अपना प्रचार करने गाँव-गाँव जाते हैं ।
 मैं यहाँ का घर-घर जानता हूँ ।

(3) कुछ विद्वानों ने बहुवचन अग्नी-फारसी के बान और धान प्रत्यय जोड़कर बनते हैं मयराज, अष्टनगज गदाहान, मालिकान, माह्वान, जवाहरात, पापनात मसागत जगलान दगात ।

(4) पीछे आकारान्त पुल्लिंग शब्दों में कुछ अपवाद दिए गए हैं जिनमें बहु-

वचन ए लगाकर (जैसे 'घोडा' से 'घोडे') नहीं बनते। उनमें कुछ मुख्य शब्दों के बहुवचन हैं

शब्द	कारक-चिह्न-रहित	कारक-चिह्न-सहित
राजा	राजा, राजा लोग	राजाओ, राजा लोगो
नेता	नेता, नेता गण, नेता लोग	नेताओ, नेता लोगो
अभिनेता	अभिनेता, अभिनेता गण	अभिनेताओ
मुखिया	मुखिया, मुखिया लोग	मुखिया लोगो
देवता	देवता	देवताओ

(5) अँग्रेजी आदि कुछ भाषाओं में एक सज्ञा का एक ही बहुवचन का रूप होता है। हिन्दी में हर सज्ञा शब्द के तीन बहुवचन के रूप होते हैं

(क) कारक-चिह्न-रहित (जैसे साथी—मेरे सभी साथी आ रहे हैं।)

(ख) कारक-चिह्न-सहित (जैसे साथियों—मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ दिया।)

(ग) सबोधन (जैसे साथियों—मेरे साथियों, यहाँ आओ।)

इसीलिए अँग्रेजी आदि भाषाओं के अनुकरण पर हिन्दी में केवल एक बहुवचन रूप बताना अशुद्ध है।

(6) इन्द्रिय के बहुवचन रूपों 'इन्द्रियाँ', 'इन्द्रियों', 'इन्द्रियों' में प्रथम रूप अपवाद है। इसे नियमानुसार 'इन्द्रियों' होना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग प्रयोग करते भी हैं, किन्तु शुद्ध रूप 'इन्द्रियाँ' है। जो 'इन्द्री' से बना है। हिन्दी में अब 'इन्द्री' का प्रयोग नहीं होता। उसके स्थान पर 'इन्द्रिय' ही चलता है।

एकवचन में प्रयोग नहीं

हिन्दी में कुछ शब्द (जैसे 'दर्शन') ऐसे भी हैं जिनका प्राय बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अतः उनका एकवचन में प्रयोग अमानक है

अशुद्ध—भला आपका दर्शन हुआ।

शुद्ध—भला आपके दर्शन हुए।

लोग कहते हैं, वह चोर है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विहार में बहुत से लोग कहते हैं

लोग कहता है, तो कहने दो।

किन्तु ऐसे प्रयोग अमानक हैं। 'लोग' का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होना चाहिए। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बतलाइए कि कौन-से वाक्य शुद्ध हैं और कौन-से अशुद्ध

1. (क) मैंने हस्ताक्षर कर दिए।

(ख) मैंने हस्ताक्षर कर दिया।

- 2 (क) देखने ही देखते महात्मा जी के प्राण-पक्षेड उड गए ।
(ख) देखते-ही-देखते महात्मा जी का प्राण-पक्षेड उड गया ।
- 3 (क) कयो भ्रांसू वह रहा है ?
(ख) कयो भ्रांसू वह रहे है ?
- 4 (क) उन्होने प्राण त्याग दिया ।
(ख) उन्होने प्राण त्याग दिये ।

इनमे 1-क, 2-क, 3-ख, 4-ख शुद्ध है क्योंकि हन्ताक्षर, प्राणपक्षेड, भांसू तथा प्राण का प्रयोग हिन्दी में बहुवचन में ही होता है ।

बहुवचन नहीं

गभी शब्दों का बहुवचन नहीं बनता । पीछे 'सजा' प्रकरण में कहा जा चुका है कि सामान्यतः भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक मज्ञाओं में बहुवचन के रूप नहीं बनते । एम दृष्टि में मज्ञाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है 'गणनीय मज्ञा', 'अगणनीय मज्ञा' । बहुवचन केवल गणनीय मज्ञाओं का बनता है, अगणनीय (जैसे पानी, धी, चीनी, आटा, गुन्दरना आदि) का नहीं ।

'अनेक' शब्द ही बहुवचन है, अतः उसका भी बहुवचन नहीं बनाना चाहिए ।
उनीनिण

अध्यापक ने अनेको प्रश्न पूछे ।

वापस ठीक नहीं है । हाना चाहिए

अध्यापक ने अनेक प्रश्न पूछे ।

निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि कौन अशुद्ध और कौन शुद्ध है

- 1 (क) यह जवाहरात की दूकान है ।
(ख) यह जवाहरातो की दूकान है ।
- 2 (क) एन शागजातो को नेंभाल कर रख दो ।
(ख) एन शागजात को नेंभालकर रख दो ।
(ग) एन शागजो को नेंभालकर रख दो ।
- 3 (क) आप साहयानो में मरी एक अजं है ।
(ख) आप साहयान में मरी एक अजं है ।

इसमें 1-ख, 2-ख, ग, और 3-ख शुद्ध हैं शेष अशुद्ध हैं ।

यस्तुत आन (गदालात, यागात, मयानात, डेदगत) तथा आन (नेवगत, बागात, भातियान, अपमगत) फारसी के बहुवचन के प्रत्यय हैं, अतः जिन शब्दों में ये लगे होंगे (जैसे जिन में बहुवचन प्रत्यय हैं) उमाना अशुद्ध है । जवाहरात की स्थिति बहुत ही विचित्र है क्योंकि 'जोहर का बहुवचन जवाहरात जवाहर' का बहुवचन 'जवाहरात' और जवाहरात का बहुवचन 'जवाहरात' । हिन्दी

मे एकवचन मे 'जवाहर' और बहुवचन मे 'जवाहरात' का प्रयोग ही चलता है ।

'देहात' शब्द फारसी 'देह' (गाँव) का बहुवचन है, किंतु इसका प्रयोग सामान्यत एकवचन मे ही होता है

देहात की स्थिति बडी खराब है।

वहाँ का सारा देहात मेरा देखा हुआ है ।

वस्तुतः विदेशी भाषाओ से शब्द तो अन्य भाषाएँ प्राय लेती है, किंतु बहुवचन के प्रत्यय आदि व्याकरणिक तत्त्व नहीं । हिन्दी पर फारसी का प्रभाव इस दृष्टि से काफी असामान्य है । हिन्दी ने फारसी से बहुत सारे उपसर्ग तथा प्रत्यय ग्रहण कर लिए हैं, और उनमे से काफी को पूरी तरह आत्मसात कर दिया है ।

अंग्रेजी बहुवचन रूपो का प्रयोग अनुचित

अंग्रेजी भाषा से हिन्दी ने शब्द तो लिए है, किंतु बहुवचन के प्रत्यय नहीं । इसीलिए

साँप तीन फीट लवा है ।

कहना गलत है । कहना चाहिए

साँप तीन फुट लवा है ।

अशुद्ध—मेरी टाइज कहां हैं ?

शुद्ध—मेरी टाइयाँ कहां है ?

अशुद्ध—मेरे कोट्स धुला दो ।

शुद्ध—मेरे कोट धुला दो ।

अशुद्ध—क्या तुम्हारे सभी ड्राइवर्ज ने छुट्टी ले रखी है ?

शुद्ध—क्या तुम्हारे सभी ड्राइवरो ने छुट्टी ले रखी है ?

अर्थात् अंग्रेजी शब्दो मे आवश्यकतानुसार हिन्दी के ही बहुवचन के प्रत्यय लगने चाहिए ।

ऊपर फुट-फीट की बात की गई । कुछ लोग 'फुट' के स्थान पर भी 'फीट' का ही प्रयोग करते हैं । वे भूल जाते है 'फीट' बहुवचन है । अर्थात् यह कहना गलत है

वह पौधा एक फीट का हो गया है ।

कहना चाहिए

वह पौधा एक फुट का हो गया है ।

'जनता' मे एक से अधिक व्यक्ति का भाव है किंतु उसका प्रयोग एकवचन मे ही होता है

जनता नेहरू को बहुत चाहती थी ।

जनता उन्हे बचाने को दौडी ।

इस प्रकार 'लोग' और 'जनता' दोनों एक सीमा तक ममानार्थी है किंतु 'लोगो' का प्रयोग बहुवचन में होता है तो जनता का एकवचन में।

आदर के लिए बहुवचन

हिन्दी में आदर के लिए एकवचन की सज्ञा के साथ भी बहुवचन सर्वनाम, बहुवचन विशेषण, बहुवचन क्रिया तथा बहुवचन क्रियाविशेषण का प्रयोग होता है

राम ने कहा कि वे वन को जाएँगे।

यह कहना गलत है

राम ने कहा कि वह वन को जाएगा।

इसी कारण छोटे पदों (उदाहरणार्थ 'चपरासी') पर काम करनेवालों को हम कहेंगे

वह आ रहा है।

किंतु, बड़े पदों (उदाहरणार्थ 'कुलपति') पर काम करनेवालों को हम कहेंगे

वे आ रहे हैं।

ऐसे ही

नया चपरासी श्रच्छा है।

नए कुलपति श्रच्छे हैं।

पूर्ववर्ती तथा परवर्ती दोनों ही विशेषण दूसरे वाक्य में बहुवचन में हैं।
क्रियाविशेषण भी

नीकर ट्रेन में सोता आया है।

पिताजी ट्रेन में सोते आए हैं।

आदरार्थ एकवचन के साथ बहुवचन की क्रिया उपर्युक्त वाक्यों में है। जहाँ तक सज्ञा का प्रश्न है वह भी एकवचन की होते हुए भी एकवचन की न रहकर बहुवचन की हो जाती है

महात्मा जी के छोटे लडके गए।

हिन्दी में यह परंपरा फारसी से आई है (दे० हिन्दी भाषा—भोलानाथ तिवारी—में 'हिन्दी भाषा पर अन्य भाषाओं का प्रभाव' शीर्षक अध्याय) सस्कृत में कहने के लिए 'आदरार्थ बहुवचने' तथा 'पूजनार्थ बहुवचनम् स्यात्' का संकेत है किंतु वास्तविक प्रयोग में आदर के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन कम ही मिलता है, इसी लिए सस्कृत परंपरा के लोगों की जवान पर ऐसे प्रयोग चढ़े नहीं हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे लोग 'पाणिनि लिखता है', 'कालिदास कहता है', 'शेक्सपियर इसे मानता है' जैसे प्रयोग करते हैं जो हिन्दी में मानक नहीं हैं। हर आदरणीय के लिए बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए।

एकाधिक के प्रतिनिधि के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन

लेखक, नेता, राष्ट्रपति, सपादक आदि अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ग्रथकार द्वारा अपने लिए बहुवचन का प्रयोग भारतीय परंपरा में बहुत प्राचीन है। इसके लिए कारण-स्वरूप यह कहा गया है कि जहाँ वक्ता या ग्रथकार अपनी व्यक्तिगत राय न व्यक्त कर के अपने जैसे अनेक लोगों की राय व्यक्त कर रहा होता है, सहज ही वहाँ, वह बहुवचन का प्रयोग करता है। सपादक के बारे में भी यह ठीक है। जहाँ तक नेता, राष्ट्रपति या राष्ट्र का कोई भी प्रतिनिधि बोलता या लिखता है जब वह राष्ट्र की ओर से बोलता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन (हम, हमें, हमारा आदि) का प्रयोग करता है तथा जब उसे अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करनी होती है तो एकवचन का। हाँ बिना किसी ऐसे कारण के कुछ लोग 'मैं' के स्थान पर 'हम' या 'मेरा' के स्थान पर 'हमारा' का प्रयोग करते हैं, वह गलत है। उदाहरण के लिए

किसी ने पूछा

आपका नाम क्या है ?

आपने जवाब दिया

'हमारा नाम रमानाथ है।'

तो यहाँ 'हमारा' का प्रयोग गलत है। 'मेरा' का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे ही आप अपने अकेले के लिए कहे

'हम कल काशी जा रहे हैं।'

तो आप गलत बोल रहे हैं। आपको कहना चाहिए

मैं कल काशी जा रहा हूँ।

किंतु 'भारत हमारा देश है', 'गांधी जी हमारे नेता थे' जैसे प्रयोग ही ठीक हैं 'गांधी जी मेरे नेता थे' जैसे नहीं। इस प्रकार उत्तम पुरुष के इन प्रयोगों से सतर्क रहना चाहिए।

अन्य सर्वनाम एकवचन, बहुवचन

जहाँ तक मध्यम पुरुष के सर्वनामों का प्रश्न है, प्रयोग, व्याकरणिक स्थिति से थोड़ा हटकर होता है। व्याकरणिक दृष्टि से 'तू' एकवचन, 'तुम' बहुवचन है, किंतु प्रयोग में अनौपचारिक रूप से छोटे के लिए तथा माँ और भगवान के लिए एकवचन 'तू' का प्रयोग होता है, छोटे और बराबर के लिए एकवचन में 'तुम' का, तथा छोटे या बराबर के लिए बहुवचन में 'तुम लोग' 'तुम लोगों' का। आदर के लिए दूसरा रूप 'आप' आता है जिसका बहुवचन 'आप लोग', तथा 'आप लोगों' होता है। अन्य पुंज में ये, इन, वे, उन, जिन, किन आदिका प्रयोग आदर के

लिए एकवचन में होता है तो 'ये लोग', 'इन लोगो', 'वे लोग', 'उन लोगो', 'जिन लोगो' आदि का बहुवचन में।

बहुवचन के लिए एकवचन का प्रयोग

कभी-कभी बहुवचन के लिए भी एकवचन का प्रयोग होता है
 पजाबी परिश्रमी होता है।
 हिन्दुस्तानी सकोची होता है।
 अग्रज समय का पावद होता है।
 बंगाली कला-प्रेमी होता है।
 कुत्ता वफादार होता है।
 कौआ चालाक होता है।
 गुलाब का फूल सुन्दर होता है।

मोटे टाइप के सभी पद या पदबन्ध एकवचन होते हुए भी बहुवचन की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ न तो 'पजाबी' का अर्थ 'एक पजाबी' है और न 'गुलाब का फूल' का अर्थ 'गुलाब का एक फूल'।

वचन सवधी कुछ अन्य अशुद्धियाँ

हिन्दी बोलने तथा लिखने में और भी तरह-तरह की वचन सवधी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं

मुझे एक फूल की माला चाहिए।

क्या 'एक फूल' की माला संभव है? नहीं। वस्तुतः यह अशुद्धि 'गलत क्रम' तथा 'फूलो' के स्थान पर 'फूल' के प्रयोग का परिणाम है। होना चाहिए

मुझे फूलों की एक माला चाहिए।

ऐसे ही

यह करिश्मा देखकर सबने दाँत तले उँगली दवा ली।

उँगली 'दाँतो' तले दवाई जा सकती है, 'दाँत' तले नहीं। नीचे के दोनों वाक्यों को पढ़िए और देखिए क्या अंतर है

आप लोगो की नाक कट गई।

आप लोगो की नाके कट गई।

ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि पहले में 'नाक कटना' मुहावरा है किंतु 'नाके कटना' मुहावरा नहीं है, अतः दूसरे वाक्य का प्रयोग केवल तब ही किया जा सकता है, जब सचमुच ही नाके कट गई हो। बहुत से लोग गलती में पहले वाक्य के स्थान पर दूसरे का तथा दूसरे के स्थान पर पहले का प्रयोग कर जाते हैं। ऐसे ही

हमारे मुँह पर कालिख लग गई। (मुहावरा)

हमारे मुँहो पर कालिख लग गई। (सामान्य)

उनका सिर नीचा हो गया। (मुहावरा)

उनके सिर नीचे हो गए। (सामान्य)

इसके उलटे कुछ मुहावरे बहुवचन में होते हैं, एकवचन में नहीं

मेरे तो हाथ कट गए। (मुहावरा)

मेरा तो हाथ कट गया। (सामान्य)

बहुत से लोग बोलते हैं

तुम्हारे पास दो रुपया है क्या ?

उसे दस रुपया चाहिए।

होना चाहिए 'दो रुपए हैं क्या' तथा 'दस रुपए चाहिए'। ऐसे ही

कुछ पैसा मुझे भी दो।

उसके पास बहुत पैसा है।

भी गलत है। होना चाहिए 'कुछ पैसे' तथा 'बहुत पैसे' है।

ये वाक्य ठीक हैं

सभी पार्टियों के लोग वहाँ थे।

सभी दलों के लोग उन्हें चाहते हैं।

किंतु काफी लोग बोलते हैं

सभी श्रेणी के लोग सभा में थे।

सभी वर्ग के लोग वहाँ आएँगे।

सभी स्तर के व्यक्ति इसे पसंद करते हैं।

सभी मत के लोग उन्हें वोट देंगे।

ऊपर के दोनों वाक्यों में प्रयुक्त पार्टियों तथा दलों से तुलना करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि परवर्ती चारों वाक्यों में 'श्रेणी', 'वर्ग', 'स्तर' तथा 'मत' का प्रयोग गलत है। होना चाहिए 'श्रेणियों', 'वर्गों', 'स्तरों', तथा 'मतों'। निम्नांकित वाक्यों को पढ़िए .

बीमार को मौसमी अनार और अगूर का रस दो।

बीमार को मौसमी, अनार और अगूर के रस दो।

प्रायः लोग दोनों का बिना ठीक से अर्थ समझे प्रयोग करते हैं। यदि 'मौसमी अनार और अगूर' का मिश्रित रस देना हो तो पहले वाक्य का प्रयोग होता, किंतु यदि तीनों के अलग-अलग रस देने की बात हो तो दूसरे वाक्य का प्रयोग होगा।

नीचे कुछ वाक्य लिए जा रहे हैं

1. मैं इस आफिस में चार वर्ष/वर्षों से काम कर रहा हूँ।

2. सात-आठ महीने/महीनों से बेकार हूँ।

- 3 दो सप्ताह/सप्ताहों में उसे वापस बुला लूंगा ।
- 4 दो हफ्ते/हफ्तों में उसे वापस बुला लूंगा ।
- 5 दो घंटे/घंटों में तुम क्या-क्या कर लोगे ?
- 6 दो मिनट/मिनटों में आता हूँ ।
- 7 दस सेकंड/सेकंडों में मैंने वह दूरी तय कर ली ।

इन सभी में -ओ वाले बहुवचन के रूपों का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि कारक-चिह्न के पूर्व विकृत रूप (यहाँ बहुवचन) ही आना चाहिए, किंतु प्रायः लोग एकवचन के रूपों का ही प्रयोग करते हैं। मुख्यतः 6, 7 में तो एकवचन का प्रयोग इतना प्रचलित है, कि शुद्ध बहुवचन का प्रयोग अटपटा लगता है। लगता है कि हिन्दी-भाषी जनता के मन में एकवचन में प्रयुक्त होने-वाली ये बहुवचन की इकाइयाँ 'एक परिमाण' का विव वनाती हैं, और इसीलिए इनका एकवचन में प्रयोग बढ़ रहा है।

- 1 आठ-दस इंच के लेस से काम चल जाएगा ।
- 2 दो-तीन फुट से क्या होगा ?
- 3 साढ़े तीन गज के टुकड़े में कमीज़ बन जाएगी ।
- 4 दोनों परदों के लिए पाँच मीटर से कम कपडा नहीं चाहिए ।
- 5 चार रती/माशे/तोले में क्या होगा ?
- 6 दो छटाक/पाव/सेर/कीलो/मन/टन/क्विंटल से बात नहीं बनेगी ।

यों इसमें सदेह नहीं कि बहुवचनवाले-ओ युक्त रूप ही मानक हैं, अतः उन्हीं के प्रयोग का यत्न होना चाहिए, किंतु ये एकवचनीय प्रयोग इतने प्रचलित हो गए हैं कि उन्हें अमानक मानना कठिन है। लगता है कि वक्ता के मस्तिष्क में इनकी भी एक सामूहिक इकाई (एकवचन) का विव बनने लगा, बहुत (बहुवचन) का नहीं।

कारक

हिन्दी में ने, को, से, का (की, के), मे, पर आदि मुख्य कारक-चिह्न या परसर्ग हैं। कारक-चिह्नो के प्रयोग में तीन प्रकार की भूले प्राय होती हैं (क) जहाँ किसी कारक-चिह्न का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ उसे छोड़ जाना। जैसे 'राम रोटी खाया और चला गया।' होना चाहिए 'राम ने रोटी खाई और चला गया।' (ख) जहाँ किसी कारक-चिह्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वहाँ उसका प्रयोग कर जाना। जैसे 'विद्यार्थी को इस कविता को समझा दो।' होना चाहिए 'विद्यार्थी को यह कविता समझा दो।' यहाँ 'को' अनावश्यक है। (ग) एक कारक-चिह्न के स्थान पर दूसरे कारक-चिह्न का प्रयोग कर जाना। जैसे 'से' के स्थान पर 'को'—राम को पूछो, क्या वह चलेगा। होना चाहिए—राम से पूछो कि क्या वह चलेगा।

यहाँ कारक-चिह्नो तथा सवद्ध समस्याओं को अलग-अलग लिया जा रहा है।

'ने' का प्रयोग

कर्त्ता कारक में 'ने' का प्रयोग सामान्यतः केवल सकर्मक धातुओं से बने भूतकालिक कृदन्त लिखा, पढा, किया, दिया, लिखे, पढे, किए, दिए, लिखी, पढी, की, दी, लिखी, पढी, की, दी, आदि) से बनी क्रियाओं के साथ होता है। राम ने रोटी खाई, मोहन ने पत्र लिखा है, सीता ने आम खरीदे थे। इन वाक्यों में खाई, लिखा, खरीदे सकर्मक धातु खाना, लिखना, खरीदना के भूतकालिक कृदन्त हैं, अतः इनके कर्त्ता के साथ 'ने' लगा है। अकर्मक धातुओं से बने क्रिया-रूपों के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता। राम गया, मोहन बहुत चिल्लाया, सीता खूब सोई।

कुछ अपवाद हैं

(क) बोलना, भूलना, लाना सकर्मक क्रियाएँ हैं किन्तु इनसे बने भूतकालिक रूपों के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता। (अ) किसान बोला। (आ) तुम भूल गए हो। (इ) मोहन मिठाई लाया।

(ख) नहाना, छीकना, खाँसना, अकर्मक क्रियाएँ हैं किन्तु इनमें बने भूतकालिक कृदन्तों के साथ 'ने' का प्रयोग होता है। (अ) राम ने नहाया (कुछ लोग

‘राम नहाया’ भी बोलते हैं ।) (आ) मोहन ने छीका । (ई) सीता ने खाँसा ।

(ग) लगना, सकना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पडना, सहायक क्रियाएँ लगने पर सकर्मक धातुओं के साथ भी ‘ने’ का प्रयोग नहीं होता (अ) सीता रोटी खाने लगी । (आ) राजीव सारा खाना खा गया । (इ) मोहन पत्र नहीं लिख सका । (ई) हीरा अपना काम कर चुका ।

(घ) कुछ लोग तो वकना, जानना आदि के साथ ‘ने’ का प्रयोग करते हैं, किन्तु कुछ लोग नहीं करते ।

‘ने’ के प्रयोग के सबध में एक बात ध्यान देने की है कि जिस वाक्य में ‘ने’ का प्रयोग होता है, क्रिया, लिंग-वचन में कर्त्ता के अनुरूप नहीं होती । यदि कर्म के साथ कोई भी कारक-चिह्न न हो तो क्रिया कर्म का अनुसरण करती है

राम ने रोटी खाई ।

सीता ने आम खाया ।

मोहन ने चावल खाए ।

किन्तु यदि कर्म के साथ कारक-चिह्न हो तो क्रिया सर्वदा पुल्लिंग-एकवचन होती है, न तो वह कर्त्ता का अनुसरण करती है, और न कर्म का

लडकी ने लडकियों को पीटा ।

लडकियों ने लडकी को पीटा ।

लडके ने लडकी को पीटा ।

लडकी ने लडके को पीटा ।

‘ने’ के प्रयोग-विषयक मुख्य अशुद्धियाँ तीन-चार प्रकार की होती हैं

‘ने’ का प्रयोग न करना—अवधी, वधेली, छत्तीसगढी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बोलियों तथा अहिन्दी-भाषियों से यह गलती प्रायः हो जाती है, क्योंकि इन बोलियों तथा भाषाओं में ‘ने’ के समकक्ष कोई कारक-चिह्न नहीं है । इन क्षेत्रों में प्रायः सुनाई पडता है

मैं उसको देखा हूँ ।

होना चाहिए

मैंने उसको देखा है ।

ने का अनावश्यक प्रयोग—उपर्युक्त क्षेत्रों के ही लोग अतिरिक्त सावधानी के कारण कभी-कभी यह गलती कर जाते हैं

मैंने जा रहा हूँ ।

होना चाहिए

मैं जा रहा हूँ ।

इससे बचने के लिए भी ऊपर संकेतित नियमों पर ध्यान देना चाहिए ।

को, ए, एँ के स्थान पर ने का प्रयोग—यह गलती प्रायः पश्चिमी पंजाब, हरियाना तथा इन्हीं के प्रभाव से दिल्ली और आम-पात के लोगों में हो जाती है

राम ने जाना है ।

होना चाहिए

राम को जाना है ।

उसने काम करना है ।

ठीक होगा :

उसे काम करना है ।

ऐसे ही

उन्होंने आपसे कुछ पूछना है ।

ठीक है

उन्हे आपसे कुछ पूछना है ।

गलत क्रम—ने के प्रयोग के सबध मे यह ध्यान रखना पर्याप्त नहीं है कि कब उसका प्रयोग करे और कब न करे, बल्कि यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि वाक्य मे उसका क्रम क्या हो । कौन-सा क्रम गलत है, और किस क्रम का विशिष्ट अर्थ है । तीन वाक्य है

(क) वे लोग जो कल आए थे, ने बड़ी शैतानी की ।

(ख) उन लोगो ने बड़ी शैतानी की, जो कल आए थे ।

(ग) जो लोग कल आए थे, उन्होंने बड़ी शैतानी की ।

इनमे क गलत (वे लोग ने) तथा अटपटा है । 'ख' 'ग' मे बल आ अतर है । यो विशिष्ट सदर्थ मे इसे यो भी रखा जा सकता है

(घ) कल आनेवालो ने बड़ी शैतानी की ।

'को'

'ने' की तरह 'को' का सबध केवल कर्ता कारक से न होकर कई कारको से है

कर्ता—राम को जाना चाहिए ।

कर्म—मैंने भी उस शेर को देखा ।

सप्रदान—लडके को दो ।

अधिकरण—वह रात को आता है ।

जहाँ तक कर्म का सबध है सामान्यत 'को' का प्रयोग निर्जीव के साथ नहीं होता

मैंने रोटी खाई ।

तुमने दिल्ली देखी है क्या ?

डाकिया चिट्ठियाँ वांटता है ।

वहर्द मेज बनाता है ।

यो जातिवाचक मजीव का प्रयोग भी विना 'को' के होता है

तुम आदमी नहीं पहचानते ।

मैं अभी कोई डाक्टर बुलाता हूँ ।

यदि इनके स्थान पर व्यक्तिवाचक सज्ञा रख दी जाए तो

तुम मोहन को नहीं पहचानते ।

मैं अभी डाक्टर वर्मा को बुलाता हूँ ।

‘मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ’ मैं ‘को’ जोड़ना तथा उसके अनुरूप ‘कोई’ को ‘किसी’ करना अनावश्यक है । बहुत-सी जातिवाचक सजीव सज्ञाओं के साथ ‘को’ लगाया भी जाता है, नहीं भी, किन्तु दोनों के अर्थ में अंतर है । यदि किसी निश्चित (definite) की बात की जा रही हो तो ‘को’ लगता है नहीं तो नहीं

मैंने साँप को देखा ।

(I saw the snake)

मैंने साँप देखा ।

(I saw a snake)

ऐसे ही

मैंने जगल में शेर को देखा ।

मैंने जगल में शेर देखा ।

स्पष्ट ही ‘साँप को’ तथा ‘शेर को’ का मतलब है ‘कोई खास साँप’ तथा ‘कोई खास शेर’ तथा केवल ‘साँप’ और ‘शेर’ का मतलब है ‘कोई भी ।’

‘को’ का सीधा सबध क्रिया से होता है । इस आधार पर धातुओं के दो भेद किए जा सकते हैं को—ग्राही धातुएँ, अन्य धातुएँ । प्रथम में वे धातुएँ आती हैं जिनके साथ को आ सकता है, जैसे देखना, दूसरे में वे धातुएँ हैं जिनके साथ ‘को’ नहीं आ सकता । इसमें प्रायः अकर्मक धातुएँ आती हैं । जैसे बैठना, सोना आदि ।

कुछ धातुएँ द्विकर्मक होती हैं । ऐसी धातुओं के साथ गौण कर्म के साथ ‘को’ आता है

मैंने श्याम को पत्र लिखा ।

उसने बच्चे को कहानी सुनाई ।

ना-अत्य क्रिया-रूप के कर्त्ता के साथ ‘को’ लगता है

बच्चे को जाना है ।

शीला को पत्र लिखना था ।

(इसमें ‘शीला को’ द्वि-अर्थी है कर्त्ता शीला, शीला के लिए) ।

मोहन को अभी बहुत काम करना है ।

राजीव को त्यागपत्र देना पड़ेगा ।

‘को’ का प्रयोग कभी-कभी ‘के लिए’ के अर्थ में भी होता है

कहने को तो तुम भी आदमी हो ।

करने को तो मैं भी यह कर सकता हूँ ।

मुझे देखते ही वह मारने को दौड़ा ।

वह भी चलने को तैयार है ।

क्रोध, सतोष, भूख, प्यास, घृणा के प्रसंग में आधार के साथ को, ए, एँ का प्रयोग होता है

उस अध्यापक को बहुत क्रोध आता है ।

उसे मेरी बात सुनकर सतोष हो गया ।

नौकर को भूख लगी है ।

उन्हे प्यास लगी होगी ।

शीला को उस व्यक्ति से घृणा हो गई है ।

‘को’ के प्रयोग-विषयक गलतियाँ मुख्यतः निम्नांकित प्रकार की होती हैं

‘को’ का अनावश्यक प्रयोग—बहुत से वाक्यों में लोग ‘को’ का अनावश्यक प्रयोग करते हैं

इस छद को समझाइए ।

इसका ठीक रूप होगा

यह छद समझाइए ।

ऐसे ही

वह रोटी को खा चुका, अब चावल खा रहा है ।

ठीक रूप

वह रोटी खा चुका, अब चावल खा रहा है ।

‘को’ के अनावश्यक प्रयोग से बचने के लिए चाहिए कि वाक्य में ‘को’ का प्रयोग करते समय यह देख ले कि बिना उसके, अर्थ में परिवर्तन आए बिना वाक्य बन सकता है या नहीं । यदि बन सकता हो तो, उसी का प्रयोग करे ।

‘से’ के स्थान पर को का प्रयोग—बहुत से लोग यह गलती भी करते हैं

(क) राम को पूछो । (अशुद्ध)

राम से पूछो । (शुद्ध)

(ख) उनको मिलो, और उन्हे समझाओ । (अशुद्ध)

उनसे मिलो और उन्हे समझाओ । (शुद्ध)

(ग) मोहन को बोलो कि मुझसे मिल ले । (अशुद्ध)

मोहन से कहो कि मुझसे मिल ले । (शुद्ध)

‘के/रे’ के स्थान पर ‘को’ का प्रयोग—पूर्वी क्षेत्रों के बहुत से लोग यह गलती करते हैं

(क) अरुण को तीन बेटे हैं । (अशुद्ध)

अरुण के तीन बेटे हैं । (शुद्ध)

(ख) मोहन को दो बेटियाँ हैं । (अशुद्ध)

मोहन के दो बेटियाँ हैं । (शुद्ध)

- (ग) श्याम को कोई भी सतान नहीं है । (अशुद्ध)
 श्याम के कोई भी सतान नहीं है । (शुद्ध)
- (घ) इन महिलाओं को कोई भी नहीं है । (अशुद्ध)
 इन महिलाओं के कोई भी नहीं है । (शुद्ध)
- (ङ) उस अहीर को चार भैंसों और दो गाएँ हैं । (अशुद्ध)
 उस अहीर के चार भैंसों और दो गाएँ हैं । (शुद्ध)
- (च) तुमको भी तो एक बेटा है । (अशुद्ध)
 तुम्हारे भी तो एक बेटा है । (शुद्ध)

क्रम की अशुद्धि—बहुत से लोग वाक्य में 'को' को गलत स्थान पर प्रयुक्त करते हैं

मोहन, जो आगरे का रहनेवाला है, को प्रथम पुरस्कार मिला है ।

इस वाक्य का मानक रूप

- (क) आगरे के मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला है । या,
 (ख) आगरे के निवासी मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला है । या,
 (ग) मोहन को, जो आगरे का है, प्रथम पुरस्कार मिला है ।

'से'

इसका प्रयोग निम्नांकित कारकों में होता है

कर्ता—मोहन से चला नहीं जाता । (असमर्थता)

राम से रहा नहीं गया । (बाध्यता)

मैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाता हूँ । (प्रेरित कर्ता)

कर्म—कुछ क्रियाओं के वाक्यों में गौण कर्म के साथ

मैंने राम से कहा ।

मोहन ने प्राध्यापक से प्रार्थना की ।

करण—हत्यारे को वदक से मारो ।

अपादान—पेड़ से पत्ता गिरा ।

'से' का प्रयोग सामान्यतः ठीक होता है । कुछ लोग निम्नांकित गलतियाँ करते हैं

'से' के स्थान पर 'के द्वारा' का प्रयोग—वाक्य में जहाँ 'से' का प्रयोग उपर्युक्त है, 'के द्वारा' का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए ये वाक्य गलत हैं

मैंने यह बात उसके द्वारा सुनी थी ।

वह लकड़ी कुल्हाड़ी के द्वारा काट रहा है ।

यह पत्र किसके द्वारा टाइप करवाया है ।

इन सभी में 'के द्वारा' के स्थान पर 'से' का प्रयोग करना चाहिए ।

‘से’ का अनावश्यक प्रयोग—आँख, कान, हाथ आदि के साथ ‘से’ के प्रयोग की सर्वदा अपेक्षा नहीं होती

यह आँखो-देखी घटना है ।

वह कानो-सुनी बात थी ।

किसके हाथ भेजूं ?

ऐसे स्थानों पर ‘से’ का प्रयोग हिन्दी में अनावश्यक है ।

क्रम की अशुद्धि—वाक्य में ‘से’ को कभी-कभी लोग गलत जगह रख जाते हैं ।

रामनगर, जो गगा के तट पर है, से थोड़ी ही दूरी पर वह गाँव है ।

होना चाहिए

रामनगर से, जो गगा के तट पर है, थोड़ी ही दूरी पर वह गाँव है ।

अथवा

गगा तट पर बसे रामनगर से थोड़ी ही दूरी पर वह गाँव है ।

‘के लिए’

इससे सवद्ध गलतियाँ मुख्यतः दो-तीन प्रकार की होती हैं

‘के’ हेतु का प्रयोग—कुछ लोग सस्कृतनिष्ठ हिन्दी लिखने-बोलने के प्रयास में ‘के लिए’ के स्थान पर ‘हेतु’ का प्रयोग करके हिन्दी को अनावश्यक रूप से बोझिल बना देते हैं ।

प्रवेश (के) हेतु वहाँ जाइए ।

बेकारों के हेतु एक सूचना ।

को का प्रयोग—कुछ लोग ‘के लिए’ के स्थान पर ‘को’ का प्रयोग कर जाते हैं, जो अशुद्ध है ।

चलने को सवारी कहाँ है ?

खर्च करने को रुपए चाहिए ।

काटने को कुल्हाड़ी दो ।

गलत क्रम

ऐसे लोगों के, जो बाहर से आते हैं, लिए वहाँ धर्मशालाएँ हैं ।

होना चाहिए

ऐसे लोगों के लिए, जो बाहर से आते हैं, वहाँ धर्मशालाएँ हैं ।

अथवा

बाहर से आनेवालों के लिए वहाँ धर्मशालाएँ हैं ।

पर

हिन्दी में ‘पर’ कई हैं (क) पर (पख), (ख) पर (लेकिन), (ग) पर (के बाद,

जैसे 'उस पर भी तुरा यह कि)'। यहाँ 'पर' अधिकरण कारक का कारक-चिह्न है, जो प्राय 'ऊपर' का अर्थ देता है

सवार घोड़े पर है।

किंतु सर्वदा नहीं

वह घर पर है।

यहाँ 'के ऊपर' का भाव नहीं है, बल्कि 'घर पर मौजूद' होने का भाव है। वह व्यक्ति घर के भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है या आम-पास भी हो सकता है।

'पर' के प्रयोग से सबद्ध मुख्य अशुद्धियाँ निम्नांकित हैं

'पै' उच्चारण—ब्रज-क्षेत्र के लोग प्राय पर के स्थान पर 'पै' बोलते हैं। यह औच्चारणिक गलती है वह घोड़े पै आ रहा है।

'के पास' के स्थान पर (पै) का प्रयोग—यह अशुद्धि भी ब्रज-प्रदेश के लोग ही करते हैं

मुझ पै (पर) पैसे नहीं है।

इतिहास की कापियाँ तो डा० शर्मा पै (पर) हैं।

आलोचना किस पै (पर) है ?

(आलोचना कौन पढ़ाता है ?)

'से' के स्थान पर 'पर'—यह गलती भी ब्रज-प्रदेश में ही मिलती है। लोग प्राय बोलते हैं

उन पै (पर) तो चला नहीं जाता।

पर का अनावश्यक प्रयोग—कुछ लोग 'पर' का अनावश्यक प्रयोग करते हैं वह कहाँ पर है ?

वस्तुतः 'कहाँ' पर्याप्त है, 'कहाँ पर' की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही यद्यपि 'स्थान' और 'जगह' पर्याय हैं किंतु कई प्रयोगों में 'स्थान' के साथ 'पर' लगता है, किंतु 'जगह' के साथ नहीं

लडका किस स्थान पर है ?

लडका किस जगह है ?

'जगह' के साथ 'स्थान' के सादृश्य पर 'पर' का प्रयोग अनावश्यक है

लडका किस जगह पर है ?

पर का लोप—कभी-कभी लोग 'पर' का व्यर्थ में लोप कर देते हैं। प्रयोग चलते हैं

मोहन घर में है। (घर के भीतर)

मोहन घर पर है। (घर पर उपस्थित, भीतर या बाहर या आसपास)

मोहन घर है।

यह तीसरा प्रयोग अमानक है। 'मोहन कहाँ है' प्रश्न के उत्तर में नौग प्राय

ऐसा कह जाते हैं। मानक रूप होगा—मोहन घर पर है।

क्रम की अशुद्धि—तुम्हारी छत जो चू रही है, पर सीमेट लगाने की जरूरत है। होना चाहिए—तुम्हारी छत पर, जो चू रही है, सीमेट लगाने की जरूरत है।

‘मे’

‘मे’ के प्रयोग में प्रायः गलती कम ही होती है। कुछ मुख्य गलतियों की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है।

‘मे’ तथा ‘पर’ का भेद—‘मे’ तथा ‘पर’ के अर्थ में अंतर है, अतः उनके अंतर को समझते हुए प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए ‘मन में’ तथा ‘मन पर’ दोनों अपने स्थान पर ठीक हैं किंतु दोनों का प्रयोग एक स्थान पर नहीं हो सकता। ‘मन में एक बात है’ तो ‘मन पर बोझ है’। ऐसे ही ‘वह घर में है’ और ‘वह घर पर है’ एक नहीं है।

‘मे’ का अनावश्यक प्रयोग—कुछ लोग ‘मे’ का अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं—भारत में तो नहीं किंतु बाहर में ऐसा होता है। यहाँ या तो ‘बाहर’ का प्रयोग होना चाहिए या फिर ‘बाहर के देशों में’ का। ऐसे ही ‘दरअसल में’ तथा ‘दर हकीकत में’ में भी ‘में’ अनावश्यक है। ‘दर’ का भी अर्थ ‘में’ है, अतः ‘दर’ और ‘में’ का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। या तो ‘दर-असल’ या ‘असल में’ या फिर ‘दर हकीकत’ या ‘हकीकत में’। ‘कालान्तर में’ के संबंध में विवाद है। कुछ लोग मात्र ‘कालांतर’ का प्रयोग करना सगत मानते हैं, तो कुछ लोग ‘कालांतर में’ का। मैं ‘कालांतर में’ में ‘में’ को अनावश्यक मानता हूँ।

क्रम-दोष—वाक्य में, ‘में’ के क्रम की भी गलती प्रायः लोग करते हैं।

उदाहरण के लिए—‘दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, में सड़क-दुर्घनाएँ बहुत होती हैं।’ में ‘में’ का क्रम ठीक नहीं है। अधिक अच्छा होगा—‘दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, सड़क दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं।’ ‘भारत की राजधानी दिल्ली में सड़क-दुर्घनाएँ बहुत होती हैं।’ और अच्छा होगा।

कारक-चिह्नों के प्रयोग में मुख्यतः इसी प्रकार की गलतियाँ होती हैं। वाक्य में कारक-चिह्नों के स्थान के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि वे उसी शब्द के साथ आते हैं, जिनसे उनका संबंध होता है, उससे अलग नहीं। पीछे, ने, को, से, पर, में आदि के उदाहरण दिए गए हैं। यो अच्छे लेखकों को कारक-चिह्न मात्र पास रख देने से सतोष नहीं होता। कुछ उदाहरण हैं।

किंतु कभी-कभी कारक-चिह्न पास रख देने से भी वाक्य का अपेक्षित स्वरूप नहीं बन पाता।

1. (क) उसके घर, जो काफी पुराना है, में बहुत सीलन है।

(ख) उसके घर में, जो काफी पुराना है, बहुत सीलन है।

- (ग) उसका घर काफी पुराना है, और उसमें बहुत सीलन है ।
- 2 (क) हमारी नई अर्थनीति, जो इस वर्ष से लागू हो रही है का आधार बहुत स्पष्ट नहीं है ।
- (ख) हमारी नई अर्थनीति का आधार, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, बहुत स्पष्ट नहीं है ।
- (ग) इस वर्ष से लागू हो रही, हमारी नई अर्थनीति का आधार बहुत स्पष्ट नहीं है ।
- (घ) हमारी नई अर्थनीति का, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, आधार बहुत स्पष्ट नहीं है ।
- 3 (क) उसी गाँव, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, के बाहर उनका स्मारक बनेगा ।
- (ख) उसी गाँव के बाहर, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, उनका स्मारक बनेगा ।
- (ग) जो गाँव उनकी कर्मभूमि रहा है, उसी के बाहर उनका स्मारक बनेगा ।
- (घ) उनका स्मारक उसी गाँव के बाहर बनेगा जो उनकी कर्मभूमि रहा है ।

इन तीनों ही वाक्यों के 'क' तो विल्कुल अटपटे हैं । 'ख', 'क' से अच्छे होते हुए भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते । पहले में 'ख' की तुलना में 'ग' हिन्दी की प्रकृति के अधिक अनुरूप है । दूसरे में 'ग' अच्छा है, यों कुछ लोग 'घ' भी पसंद करते हैं । तीसरे में भी 'ग' 'ख' से अच्छा है ।

सर्वनाम

‘सर्वनाम’ के प्रयोग से वाक्य सुंदर बन जाते हैं। यदि सर्वनाम न होते तो ‘राम ने राम के पिताजी को राम के छात्रावास में बुलाया’ जैसे भोड़े वाक्य प्रयुक्त करने पड़ते। हर भाषा में सर्वनामों के प्रयोग से सबधित विशेष नियम होते हैं। जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ हिन्दी सर्वनामों के प्रयोग सबधी केवल उन बातों को लिया जा रहा है जिनकी गलती प्रायः हो जाती है।

हिन्दी के मुख्य सर्वनामों के एकवचन-बहुवचन के रूप ये हैं

	एकवचन	बहुवचन (स०) ¹	बहुवचन (वि०) ²
उत्तम पुरुष	मैं	हम	हम लोग, हम सब
	मुझ	हम	हम लोगो, हम सबो
	मेरा	हमारा	हम लोगो का, हम सबो का
मध्यम पुरुष	तू	तुम	तुम लोग, तुम सब
	तुझ	तुम, तुम्ह	तुम लोगो, तुम सबो
	तेरा	तुम्हारा	तुम लोगो का, तुम सबो का
अन्य पुरुष	वह	वे	वे लोग, वे सब
	उस	उन, उन्हो,	उन लोगो, उन सबो
		उन्ह	
निश्चयवाचक (निकटवर्ती)	यह	ये	ये लोग, ये सब
	इस	इन, इन्ह,	इन लोगो, इन सबो
		इन्हो	
सवधवाचक	जो	×	जो लोग, जो-जो, जो-जो

1 स०—सयोगात्मक

2 वि०—वियोगात्मक। ‘हम’ सयोगात्मक रूप है तो ‘हम लोग’ वियोगात्मक, क्योंकि इसमें बहुवचनद्योतक ‘लोग’ अलग से जोड़ा गया है।

			लोग, जो-जो चीजें
	जिस	जिन, जिन्ह, जिन्हो	जिन-जिन लोगो, जिस-जिस जिन-जिन चीजो
प्रश्नवाचक	कौन, क्या	×	कौन लोग, कौन-कौन, कौन- कौन लोग, कौन-कौन चीजे
	किस	किन, किन्ह, किन्हो	किन लोगो किन-किन, किन- किन लोगो, किन-किन चीजो, किस-किस
अनिश्चयवाचक	कोई, कुछ	×	कोई-कोई, कोई-कोई लोग, कुछ चीजे
	किसी	किन्ही	किन्ही, किन्ही लोगो, किन्ही- किन्ही चीजो, किमी-किमी
आदरसूचक	आप	×	आप लोग
	आप	×	आप लोगो
निजवाचक	आप	×	आप सब, आप लोग, आप- लोगो
	आप-मे-आप	×	×
	अपने आप	×	×

हिन्दी सर्वनामो मे प्रयोग की दृष्टि मे दो प्रकार के बहुवचन के रूप हैं। बहु० (स०)—बहुवचन के मयोगात्मक रूप हैं जिनका संस्कृत आदि से विकास हुआ है, किन्तु बहु० (वि०)—हिन्दी ने अपनी आवश्यकता की दृष्टि से बना लिए हैं। ये वियोगात्मक रूप हैं। इन दोनों के प्रयोग के मन्वय मे ये बातें ध्यान देने की हैं

(क) उत्तम पुरुष के 'हम', 'हमारा' तथा इनमे बचनेवाले हम को, हमे हमसे, हमसे, हम पर, हमारी आदि बहु० (स०) रूप, बहुवचन होने के बावजूद अब प्राय बहुवचन के लिए नहीं आते। लोग में, मुझ, मेरा के स्यान पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ—हम जा रहे हैं, मुझे दो रुपये दे दो—हमे दो रुपये दे दो, मुझमे यह नहीं होने का—हमने यह नहीं होने का, मेरा घर गाँव मे है—हमारा घर गाँव मे है आदि। यद्यपि यह ध्यान रखने योग्य है कि 'मे', 'मुझ', 'मेरा' के स्यान पर इस प्रकार 'हम', 'हमारा' का प्रयोग व्याकरण-सम्मत प्रयोग नहीं माना जा सकता, इसीलिए इनमे भ्रमक वचना चाहिए (दे० पीछे 'वचन' शीर्षक अध्याय) जत्र बहुवचन के इन रूपों का प्रयोग एकवचन मे होने लगा, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है—हिन्दी मे लोग, 'नव', 'लोगो', 'नवो' लगाकर बहुवचन के रूप बनाए जाने लगे। अब उत्तम पुरुष के बहुप्रयुक्त तथा मानक बहुवचन रूप हम लोग, हम नव, हम लोगो आदि ही हैं हम लोग जा रहे हैं, हम लोगो को दूर जाना है, हम लोगो का उद्देश्य नमाज मेवा है, हम

सबो को भला कौन पूछता है ?

(ख) मध्यम पुरुष के बहु० (स०) रूपों (तुम, तुम्हारा आदि) का विकास तो संस्कृत के बहुवचन के रूपों से हुआ है, और व्याकरणिक दृष्टि में ये बहुवचन के रूप हैं, किंतु इनका प्रयोग पूरी तरह एकवचन के रूप में ही होता है। यदि आदरसूचक 'आप' को भी मिला ले तो एकवचन के प्रयोग की स्थिति यह है

(1)	(2)	(3)
तू	तुम	आप

'तू' छोटे (नीकर, बच्चा), माँ आदि अत्यंत निकट के बड़ों (माँ, तू कहाँ जा रही है) तथा भगवान (हे भगवान् तू बड़ा दयालु है) के लिए प्रयुक्त होता है। यह पूर्णतः अनौपचारिक है। 'तुम' छोटे (नीकर, छोटा भाई आदि) के लिए तथा बराबरवालों (जैसे मित्र) के लिए आता है। यह भी अनौपचारिक है। 'आप' औपचारिक है। इसके प्रयोग में निकटता की वह गंध नहीं है जो 'तू', 'तुम' में है। इसका प्रयोग उनके लिए होता है जो रिश्ता, पद, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आदि की दृष्टि से बड़े हैं तथा जिनसे 'तू'-'तुम'-स्तर की निकटता नहीं है। मध्यम पुरुष में 'तू', 'तुम' दोनों के बहुवचन के रूप 'तुम लोग', 'तुम सब' तथा 'तुम लोगो' 'तुम सबो' हैं तुम लोग क्या करते हो ? तुम लोगो को यह काम करना है। तुम लोगो का इरादा क्या है ? तुम सबो ने समझ क्या रखा है ? ऐसे ही 'आप' का बहुवचन 'आप लोग', 'आप सब', 'आप लोगो' हैं। आप लोग क्या करते हैं ? आप लोगो को सजा मिलेगी, आप सबको जाना पड़ेगा।

(ग) अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम की स्थिति उपर्युक्त से भिन्न है और एक तीसरे प्रकार की है। इन दोनों के एक० के रूपों का प्रयोग प्रायः अनादर और नैकट्यसूचक एक० के लिए होता है। बहु० (सयोगात्मक) के रूपों का प्रयोग प्रायः आदरसूचक एक० के लिए होता है 'पिता जी गए किंतु वे कल आ जाएँगे। उन्हें मेरे साथ चलना है, ऐसा उन्होंने मुझसे कह रखा है।' 'ये तुम्हारे पिताजी हैं क्या ? इन्होंने यह सिर पर क्या लगा रखा है ?' बहु० (वियोगात्मक) का प्रयोग आदरसूचक तथा अनादरसूचक दोनों प्रकार के बहु० के लिए होता है 'वहाँ कई मजदूर काम कर रहे हैं, उन लोगो के लिए खाना भेजना है।' 'आज तो तुम्हारे कई अध्यापक वहाँ बैठे हैं। उन लोगो को भी यही बुला लूँ क्या ?' 'उन लोगो', 'इन लोगो' का प्रयोग आदरसूचक रूप में तथा 'उन सबो', 'इन सबो' का प्रयोग अनादरसूचक अर्थ में करते हैं।

(घ) सबधवाचक, प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक कई दृष्टियों से एक वर्ग के हैं। (अ) इनके मूल रूप (जिनके साथ कारक-चिह्न नहीं लगते) बहु० के सयोगात्मक रूप नहीं होते किंतु वियोगात्मक बहुवचन में होते हैं। (आ) इनमें कुछ लोग अपने वैयक्तिक प्रयोगों में आदर के लिए सज्जन (जो आया था, जो आए थे, जो

सज्जन आए थे, जिन्होंने, जिन लोगो ने, जिन सज्जनो ने) जोड़ लेते हैं। (ड) बहु० (वियोगात्मक) के रूप पुनरुक्ति में भी बन जाते हैं जो-जो, जो-जो सज्जन/लोग। चीजें, जिन-जिन, जिम-जिस, कौन-कौन, किन-किन, कोई-कोई, किसी-किसी।

‘जिन्होंने’ का प्रयोग अब कम होने लगा है। उसके स्थान पर प्रायः ‘जिन लोगो ने’ जिन सज्जनो ने’, ‘जिन-जिन ने’ के प्रयोग होते हैं। ‘किन्होंने’ का प्रयोग तो अब बिल्कुल नहीं होता। इसके स्थान पर ‘किन लोगो ने’, ‘किन सज्जनो ने’, ‘किन-किन ने’ चलते हैं।

‘कौन’ का प्रयोग व्यक्ति के लिए और ‘क्या’ का प्रयोग वस्तु (क्या लोगे ?) और ‘मानव्रेतर जीव’ (इस झाड़ी में क्या बोल रहा है) के लिए होता है। हाँ ‘सा’ नगाने पर ‘कौन’ सभी के लिए आ सकता है कौन-सा आदमी, कौन-सी औरत, कौन-सा जानवर/कीड़ा/कपड़ा/पदार्थ। ‘क्या’ का प्रयोग अपवादत हो जादमी के लिए होता है ‘वह भी क्या आदमी है’, किंतु तब यह सर्वनाम न होकर केवल प्रश्नमूचक अव्यय को जाना है।

(ड) निजवाचक सर्वनाम ‘आप’ के ‘आप’ (तुम आप चले जाओ) ‘अपना’ (तुम अपना काम करो), ‘अपने-आप’ (वे अपना काम अपने-आप कर लेंगे) ‘आप-से-आप’ (फोडा आप-से-आप/अपने-आप वह गया) रूप होते हैं।

ऊपर सर्वनाम के रूपों में अंतर तथा प्रयोग-विषयक मुख्य बातों का उल्लेख संक्षेप में किया गया। यों तो इनका ध्यान न रखने पर प्रायः अशुद्धि हो जाती है, किंतु इनके अतिरिक्त कुछ और प्रकार की भ्रूले भी हो जाती हैं

(1) उत्तम पुरुष

	मानक रूप	भ्रमानक रूप
एक०	मुझे, मुझको मुझ से मुझ में, मुझ पर	मेरे को मेरे से मेरे में, मेरे पर
बहु०	हममें, हमको हमसे हममें, हम पर	हमारे को हमारे से हमारे पर

(2) मध्यम पुरुष

	मानक रूप	भ्रमानक रूप
एक०	तुझे, तुझको तुझ से तुझ में, तुझ पर	तेरे को तेरे से तेरे में, तेरे पर

सबो को भला कौन पूछता है ?

(ख) मध्यम पुरुष के बहु० (स०) रूपो (तुम, तुम्हारा आदि) का विकास तो संस्कृत के बहुवचन के रूपो से हुआ है, और व्याकरणिक दृष्टि से ये बहुवचन के रूप हैं, किंतु इनका प्रयोग पूरी तरह एकवचन के रूप में ही होता है। यदि आदरसूचक 'आप' को भी मिला ले तो एकवचन के प्रयोग की स्थिति यह है

(1)

तू

(2)

तुम

(3)

आप

'तू' छोटी (नौकर, बच्चा), माँ आदि अत्यंत निकट के बडो (माँ, तू कहाँ जा रही है) तथा भगवान (हे भगवान् तू बड़ा दयालु है) के लिए प्रयुक्त होता है। यह पूर्णतः अनौपचारिक है। 'तुम' छोटी (नौकर, छोटा भाई आदि) के लिए तथा वरावरवालो (जैसे मित्र) के लिए आता है। यह भी अनौपचारिक है। 'आप' औपचारिक है। इसके प्रयोग में निकटता की वह गंध नहीं है जो 'तू', 'तुम' में है। इसका प्रयोग उनके लिए होता है जो रिश्ता, पद, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आदि की दृष्टि से बड़े हैं तथा जिनसे 'तू'-'तुम'-स्तर की निकटता नहीं है। मध्यम पुरुष में 'तू', 'तुम' दोनों के बहुवचन के रूप 'तुम लोग', 'तुम सब' तथा 'तुम लोगो' 'तुम सबो' है तुम लोग क्या करते हो ? तुम लोगो को यह काम करना है। तुम लोगो का इरादा क्या है ? तुम सबो ने समझ क्या रखा है ? ऐसे ही 'आप' का बहुवचन 'आप लोग', 'आप सब', 'आप लोगो' है . आप लोग क्या करते हैं ? आप लोगो को सजा मिलेगी, आप सबको जाना पड़ेगा।

(ग) अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम की स्थिति उपर्युक्त से भिन्न है और एक तीसरे प्रकार की है। इन दोनों के एक० के रूपो का प्रयोग प्रायः अनादर और नैकट्यसूचक एक० के लिए होता है। बहु० (सयोगात्मक) के रूपो का प्रयोग प्रायः आदरसूचक एक० के लिए होता है 'पिता जी गए किंतु वे कल आ जाएँगे। उन्हें मेरे साथ चलना है, ऐसा उन्होंने मुझसे कह रखा है।' 'ये तुम्हारे पिताजी हैं क्या ? इन्होंने यह सिर पर क्या लगा रखा है ?' बहु० (वियोगात्मक) का प्रयोग आदरसूचक तथा अनादरसूचक दोनों प्रकार के बहु० के लिए होता है 'वहाँ कई मजदूर काम कर रहे हैं, उन लोगो के लिए खाना भेजना है।' 'आज तो तुम्हारे कई अध्यापक वहाँ बैठे हैं। उन लोगो को भी यही बुला लूँ क्या ?' 'उन लोगो', 'इन लोगो' का प्रयोग आदरसूचक रूप में तथा 'उन सबो', 'इन सबो' का प्रयोग अनादरसूचक अर्थ में करते हैं।

(घ) सवधवाचक, प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक कई दृष्टियों से एक वर्ग के हैं। (अ) इनके मूल रूप (जिनके साथ कारक-चिह्न नहीं लगते) बहु० के सयोगात्मक रूप नहीं होते किंतु वियोगात्मक बहुवचन में होते हैं। (आ) इनमें कुछ लोग अपने वैयक्तिक प्रयोगों में आदर के लिए मज्जन (जो आया था, जो आए थे, जो

सज्जन आए थे, जिन्होंने, जिन लोगो ने, जिन सज्जनो ने) जोड़ लेते हैं। (इ) बहु० (वियोगात्मक) के रूप पुनरुक्ति से भी बन जाते हैं जो-जो, जो-जो सज्जन/लोग। चीजें, जिन-जिन, जिस-जिस, कौन-कौन, किन-किन, कोई-कोई, किसी-किसी।

'जिन्होंने' का प्रयोग अब कम होने लगा है। उसके स्थान पर प्रायः 'जिन लोगो ने' 'जिन सज्जनो ने', 'जिन-जिन ने' के प्रयोग होते हैं। 'किन्होंने' का प्रयोग तो अब बिल्कुल नहीं होता। इसके स्थान पर 'किन लोगो ने', 'किन सज्जनो ने', 'किन-किन ने' चलते हैं।

'कौन' का प्रयोग व्यक्ति के लिए और 'क्या' का प्रयोग वस्तु (क्या लोगे ?) और 'मानवेतर जीव' (इस झाड़ी में क्या बोल रहा है) के लिए होता है। हाँ 'सा' लगाने पर 'कौन' सभी के लिए आ सकता है कौन-सा आदमी, कौन-सी औरत, कौन-सा जानवर/कीड़ा/कपड़ा/पदार्थ। 'क्या' का प्रयोग अपवादत हो आदमी के लिए होता है 'वह भी क्या आदमी है', किंतु तब यह सर्वनाम न होकर केवल प्रश्नसूचक अव्यय को जाता है।

(ङ) निजवाचक सर्वनाम 'आप' के 'आप' (तुम आप चले जाओ) 'अपना' (तुम अपना काम करो), 'अपने-आप' (वे अपना काम अपने-आप कर लेंगे) 'आप-से-आप' (फोडा आप-से-आप/अपने-आप वह गया) रूप होते हैं।

ऊपर सर्वनाम के रूपों में अंतर तथा प्रयोग-विषयक मुख्य बातों का उल्लेख संक्षेप में किया गया। यों तो इनका ध्यान न रखने पर प्रायः अशुद्धि हो जाती है, किंतु इनके अतिरिक्त कुछ और प्रकार की भूलें भी हो जाती हैं

(1) उत्तम पुरुष

	मानक रूप	अमानक रूप
एक०	मुझे, मुझको मुझ से मुझ में, मुझ पर	मेरे को मेरे से मेरे में, मेरे पर
बहु०	हममें, हमको हमसे हममें, हम पर	हमारे को हमारे से हमारे पर

(2) मध्यम पुरुष

	मानक रूप	अमानक रूप
एक०	तुझे, तुझको तुझ से तुझ में, तुझ पर	तेरे को तेरे से तेरे में, तेरे पर

बहु०	तुम्हे, तुम को तुमसे तुमसे, तुम पर	तुम्हारे को तुम्हारे से तुम्हारे में, तुम्हारे पर
------	--	---

आजकल पूरे हिन्दी प्रदेश में ये अमानक रूप बहुत प्रचलित हैं। इनके स्थान पर मानक रूपों का प्रयोग होना चाहिए।

(2) मानक रूप

श्रमानक रूप

मुझे, मुझको (मुझे जाना है)	मैंने (मैंने जाना है)
तुम्हे, तुमको (तुम्हे जाना है)	तुमने (तुमने जाना है)
उसे, उसको	उसने
जिसे, जिसको	जिसने
किसे, किसको	किसने

अर्थात् 'ए' और 'को' से बननेवाले रूपों के स्थान पर 'ने' के रूपों का प्रयोग। यह गलती पजाव तथा हरियाणा के लोगों में प्रायः मिलती है।

(3) 'अपना' के स्थान पर 'मेरा' और 'हमारा' का प्रयोग-विषयक अशुद्धि भी काफी मिलती है

(क) मेरी (अपनी) परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारे घर चलूंगा।

(ख) हमारा (अपना) तो लक्ष्य है अपने देश की उन्नति करना।

(ग) उस समय मेरी निगाह मेरे (अपने) मित्र की ओर थी।

(4) यह बात सभी लोग जानते हैं कि सर्वनाम सज्ञा के स्थान पर आते हैं, इसीलिए लेखन में सज्ञा पहले आनी चाहिए तथा सर्वनाम बाद में। यदि ऐसा न करके सर्वनाम का पहले प्रयोग किया जाए तो पाठक प्रारंभ में यह नहीं समझ पाएगा कि वह सर्वनाम किसके लिए आ रहा है। यह बात रचना, परिच्छेद, अनुच्छेद तथा एक सीमा तक वाक्य के लिए भी ठीक है। उदाहरण के लिए 'अपनी बात मनवाने के लिए मोहन जिद करने लगा' वाक्य को 'मोहन अपनी बात मनवाने के लिए जिद करने लगा' कहना अधिक उपयुक्त होगा।

जहाँ तक वाक्य में सज्ञा के पहले और सर्वनाम के बाद में प्रयोग का प्रश्न है, कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए सर्जनात्मक साहित्य में उत्सुकता जगाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग कभी-कभी पहले करते हैं। ऐसे ही कथा साहित्य में, यदि प्रसंग में सज्ञा का स्पष्ट संकेत है तो आवश्यक नहीं कि सज्ञा का प्रयोग पहले किया जाए। बल्कि वह एक प्रकार से दोष है। उदाहरण के लिए 'मोहन राम को बेत से मारने लगा, और मारते-मारते उसने उसकी चमड़ी उधेड़ दी। राम चिडचिडा रहा था, किंतु मोहन ने उसकी एक न सुनी।' अब यहाँ कोई यह कहे कि 'मारते-मारते

मोहन ने राम की चमड़ी उधेड़ दी' तो इस प्रसंग में सर्वनाम को छोड़कर सज्ञा का यह प्रयोग अटपटा लगेगा।

(5) सामान्य भाषा तो सर्वनाम के प्रयोग सबधी सामान्य मानक नियमों का प्रयोग करती है, किंतु सर्जनात्मक भाषा, जैसा कि इस पुस्तक में अन्यत्र भी कहा जा चुका है, विशेष सौंदर्य की सृष्टि करती है। उदाहरण के लिए पहले सज्ञा का प्रयोग करके फिर सर्वनाम के प्रयोग की बात ऊपर कही कई, किंतु साथ ही यह भी कहा गया कि पाठक में उत्सुकता जगाने के लिए प्रारंभ में कुछ दूर तक केवल सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सर्जनात्मक भाषा में जोर देने के लिए ऐसे स्थानों पर भी सज्ञा का प्रयोग करते हैं, जहाँ सामान्यतः सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए

(क) यदि भारत उसकी संस्कृति, तथा उसकी जनता को जानना चाहते हो तो उसका भ्रमण करो।

(ख) यदि भारत, भारत की संस्कृति, तथा भारत की जनता को जानना चाहते हो भारत का भ्रमण करो।

'क' मानक वाक्य है। 'ख' उसका विचलित रूप है, जिसमें बल देने के लिए सारे सर्वनामों को हटाकर एक ही सज्ञा का बार-बार प्रयोग किया गया है। यह 'ख' वाक्य सामान्य भाषा की दृष्टि से गलत है, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग न करके एक ही सज्ञा का बार-बार प्रयोग किया गया है, किन्तु सामान्य नियमों का उल्लंघन करके, इसे जो रूप दिया गया है, वह अधिक सशक्त तथा प्रभावी है।

(6) ऊपर आदर-अनादर, औपचारिकता-अनौपचारिकता तथा निकटता-अनिकटता आदि सामाजिक सबधों की बात की जा चुकी है। सर्वनामों के प्रयोग में इन सबधों का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। सब पूछा जाए तो सर्वनामों के प्रयोग में सामाजिक सबधों की धुम-पँठ जितनी हिन्दी में है विश्व की कम भाषाओं में होगी।

(7) हिन्दी सर्वनामों में अग्रज्जी आदि (ही, शी, हट)की तरह लिंग-भेद नहीं है। केवल सबध के रूपों (तुम्हारा-तुम्हारी, उनका-उनकी, अपना-अपनी) में ही उसका मकेत है उसके लडके, उसकी लडकियाँ।

(8) वचन की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, और हमने देखा, कि, व्याकरण की पुस्तकों में न मिलने पर भी, कुछ सर्वनामों के, वान्तविक प्रयोग में दो बहुवचन हैं। इनका पूरा ध्यान न रखने पर भ्रम की गुंजाइश रहती है। उदाहरण के लिए व्याकरणिक दृष्टि से 'तुम' बहुवचन है, किन्तु 'तुम खाना खा लो' में 'तुम' एकवचन है। ऐसे ही 'वे आ रहे हैं' में 'वे' बहुवचन है किन्तु आदरार्थ में यह एकवचन है। इस प्रकार के भ्रम से पाठक और श्रोता को बचाने के लिए बहुवचन की अभिव्यक्ति के लिए 'लोग' (हम लोग, वे लोग, जो लोग) या 'नव' (हम सब, तुम सब, वे सब) का प्रयोग करना चाहिए। इन प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि 'हम' के साथ

‘लोग’ का प्रयोग सामान्य बहुवचन की अभिव्यक्ति करता है, किंतु ‘सब’ का प्रयोग यह कहता है कि ‘हम सब’ में जो लोग शामिल है, आपस में काफी निकट के हैं। तुम, वे, ये के साथ ‘लोग’ का प्रयोग सामान्य बहुवचन का चोतक है, किंतु ‘सब’ के प्रयोग में सामाजिक दृष्टि से कुछ अनादर या छोटे का भाव है। उदाहरण के लिए ‘ये सब बैठे’ का प्रयोग नौकरो, मजदूरों, बच्चों, बहुत निकट के मित्रों आदि के लिए ही किया जा सकता है, बड़ों आदि के लिए नहीं।

(9) सर्वनामों के प्रयोग में एकरूपता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग ‘यह’ या इसके किसी रूप से किसी बात का प्रारंभ करते हैं, किंतु आगे चलकर ‘वह’ या उसके रूपों का प्रयोग करने लगते हैं। उदाहरणार्थ ‘वह आदमी आया है, इससे तो बात करना भी मुझे पसंद नहीं, ऐसा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। मेरे मित्रों की भी उसके बारे में यही धारणा है।’ यह ध्यान में रखने की बात है कि ‘यह’ तथा इसके रूपों का प्रयोग ‘काल’ या ‘स्थान’ की दृष्टि से निकट के लिए होता है ‘यह घटना, उस घटना से अधिक दुखद है’, ‘यह उससे अच्छा है।’ ऐसे ही कभी ‘आप’ के प्रयोग तथा कभी ‘तुम’ के प्रयोग की अशुद्धि भी मिलती है। अर्थात् एक ही व्यक्ति के लिए एक ही परिच्छेद में कभी ‘आप’ और कभी ‘तुम’ का प्रयोग।

(10) सर्वनाम अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं किंतु सज्ञा के साथ आने पर वे विशेषण हो जाते हैं यह लड़का, वह आदमी, जो घर। सर्वनाम के सबंध कारकीय रूप (मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, अपना आदि) विशेषण ही होते हैं।

(11) ‘आप’ के प्रयोग के विषय में निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं (क) इसका प्रयोग प्रायः मध्यम पुरुष में आदरार्थ होता है आप बैठिए। (ख) यदि अन्य पुरुष आदरणीय है तथा निकट है तो उसके लिए भी ‘आप’ का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वक्ता मंच पर बैठा है और कोई खड़े होकर श्रोताओं को उनका परिचय दे रहा है। ऐसी स्थिति में ‘ये’ का प्रयोग न करके ‘आप’ का प्रयोग करना चाहिए ‘आप अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। इस विषय पर आप विदेशों में भी कई भाषण दे चुके हैं। पंजाबी तथा उनसे प्रभावित लोग प्रायः ऐसे स्थानों पर ‘मे’ ‘इन’ का प्रयोग करते हैं जो हिन्दी के मानक रूप में स्वीकृत नहीं है। (ग) कुछ लोग आप के साथ बैठो, उठो, लिखो, पढ़ो, आदि उन क्रिया रूपों का प्रयोग करते हैं जो ‘तुम’ के साथ आते हैं आप बैठो, आप उठो। ऐसे प्रयोग अमानक हैं, हालांकि अब इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, और ऐसा कदाचित् सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि में हो रहा है।

तुम बैठो (अनीपचारिक, निकटता)

आप बैठिए (औपचारिकता, अनिकटता)

अब यदि व्यक्ति आदर भी व्यक्त करना चाहे तथा अनीपचारिकता में बचते हुए निकटता भी व्यक्त करना चाहे तो मित्रा इसके कि सर्वनाम आदरमूचक ले ले

तथा क्रिया अनौपचारिकता तथा निकटतामूचक, और क्या कर सकता है। किंतु इनका अर्थ यह नहीं कि ऐसे प्रयोग मानक हैं, यद्यपि घूमिल तथा कुछ अन्य माहित्यकारो ने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। ऐसे ही 'आप चलोगे तो मैं भी चलूंगा' या 'क्या आप चलोगे?' जैसे वाक्य भी सुनने में आते हैं, जो अमानक हैं।

(12) पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र (मुख्यतः ब्रज क्षेत्र के) लोगो के मुँह से मैंने सवध के 'र' वाले रूपों में भी 'का' आदि जोड़कर सवध के दो प्रत्ययवाले सवध कारकीय रूपों का प्रयोग सुना है। ऐसा प्रयोग पुरानी पीढी के लोग भी कभी-कभी करते पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ

(क) उसका क्या नाम है ?

(ख) किमका ?

(ग) वहन का तेरी का ?

मेरी का' 'हमारी का' 'तुम्हारी का' जैसे प्रयोग भी मिलते हैं। ये प्रयोग निश्चित रूप 'तेरी वहन का' जैसी अभिव्यक्तियों के मक्षिप्त रूप हैं। ऐसे प्रयोगों में चचना चाहिए तथा 'वहन का तेरी का' के स्थान पर 'तेरी वहन का' जैसे प्रयोग ही करने चाहिए। यों इनका यह अर्थ नहीं कि दुहरे सवध रूप कभी प्रयुक्त ही नहीं होते। अंग्रेजी के *It is my own house* जैसे प्रयोगों के आधार पर हिन्दी में भी 'यह मेरा अपना मकान है' जैसे प्रयोग चलते हैं, और इन्हें मानक मान लिया गया है।

विशेषण

विशेषण किसी सज्ञा की विशेषता बतलाता है। साथ ही यदि बिना विशेषण के किसी सज्ञा को देखे तो वह काफी व्यापक होती है, विशेषण उसकी व्यापकता को सीमित कर देता है। उदाहरण के लिए 'घोड़ा' सज्ञा की व्याप्ति बहुत व्यापक है। उसकी तुलना में 'काला घोड़ा' की व्याप्ति कम व्यापक है। व्यापकता का यह परिसीमन 'काला' विशेषण के कारण संभव हुआ है। किंतु इसके आधार पर यह सामान्य नियम बनाना भ्रामक है कि विशेषण सज्ञा की व्याप्ति को सीमित करता है। वास्तविकता यह है कि विशेषण केवल जातिवाचक (काला घोड़ा, लंबा आदमी, छोटा फूल) तथा भाववाचक (क्षणिक क्रोध, विराट् व्यक्तित्व) सज्ञाओं की व्याप्ति को ही सीमित करता है, व्यक्तिवाचक सज्ञा (दयालु अकबर, क्रूर नादिरशाह, दानी कर्ण) की व्याप्ति को नहीं। उसकी तो वह मात्र विशेषता बतलाता है।

विशेषण शब्द भी हो सकता है (भारतीय व्यक्ति), पदबद्ध (एक से अधिक पदों का समूह) भी हो सकता है (भारत में रहनेवाला व्यक्ति) तथा उपवाक्य भी (व्यक्ति, जो भारत में रहता है), और ये तीनों ही जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक किसी भी प्रकार की सज्ञा के विशेषण हो सकते हैं।

विशेषण शब्द या पद मुख्यतः निम्नांकित प्रकार के होते हैं

1 सामान्य शब्द—जिनमें गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण आते हैं काला कपड़ा, एक कमरा, बहुत पानी।

2 संबंधकार के रूप—मेरा घर, राम का बेटा, तुम्हारा नाम, अपना काम, उसका कपड़ा।

3 विशेषणवत् प्रयुक्त सर्वनाम—वह लड़का, यह मकान।

4 सार्वनामिक विशेषण—अर्थात् जो विशेषण सर्वनामों के आधार पर बने होते हैं। जैसे 'यह' में 'ऐसा' (ऐसा लड़का), 'इतना' (इतने लोग), 'कौन' से 'कैसा' 'कितना' तथा जो से 'जैसा' 'जितना' आदि।

5 प्रविशेषण—अर्थात् वे शब्द अथवा विशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। हिन्दी में कुछ विशेषण तो केवल प्रविशेषण होते हैं जैसे निहायत

किन्तु इसके विपरीत काफी हिन्दी-भाषी अन्य आकारात शब्दों की तरह इसमें भी परिवर्तन करने लगे हैं।

4 उकारान्त विशेषणों में तीन-चार विचारणीय हैं 'भारी' की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। जैसा कि पीछे कहा गया है पंजाबी-भाषी नया उनके प्रभाव में कुछ अन्य लोग भी 'भारा वदन' जैसा प्रयोग करते मुने जाने हैं जो गलत है। 'भारी' परिवर्तनीय नहीं है। खारी 'धागीय' में विकसित है और इसका (खार + ई) भी 'ई' 'गारी' की 'ई' की तरह विशेषण प्रत्यय है, अतः खारी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए 'खागी पानी' बोलने की परंपरा रही है। उद्यम अन्य आकारात शब्दों के समान इसके भी खारा-खारी-खागे प्रयोग चलने लगे हैं, किंतु इसका व्याकरण-सम्मत प्रयोग 'खागी' रूप में ही है। ऐसे ही सामान्य प्रयोग मुनहरा, मुनहरी, मुनहरे चलता है, किंतु कुछ लोग 'मुनहरी' रूप में इसका अपरिवर्तित प्रयोग ही करते हैं। दिल्ली में एक मडक का नाम है 'मुनहरी बाग रोड'। उर्दू-बाने 'मुनहरी मौका' का ही प्रयोग करते हैं। 'मुनहरा मौका' नहीं। यों हिन्दी में ये शब्द (मुनहरा, खारा) परिवर्तनीय विशेषण के रूप में इतने चल पड़े हैं कि उनकी परिवर्तनीयता को रोक पाना संभव नहीं लगता। चौथा विशेषण 'गपोड़ी' है। स्त्री-पुरुष दोनों के लिए इसी का प्रयोग होना चाहिए। 'गपोडा' मानक रूप नहीं है। तुलना

हिन्दी में तुलनात्मक विशेषणों की अभिव्यक्ति निम्नांकित प्रकारों में होती है

(क) सन्स्कृत के तत्सम प्रत्यय तर-तम लगाकर सुन्दर-सुन्दरतर-सुन्दरतम-उच्च-उच्चतर-उच्चतम। सन्स्कृत के 'इष्ट' प्रत्ययवाले तमार्थी शब्द (श्रेष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ) भी हिन्दी में चलते हैं, किंतु उनमें अब सामान्य विशेषण का ही भाव रह गया है। इसीलिए तमार्थी रूप में उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। संस्कृत परंपरा के बहुत से लोग उनका तमार्थी प्रयोग करते हैं, किंतु मानक हिन्दी उन्हें उन रूप में नहीं स्वीकारती। हिन्दी में 'वह श्रेष्ठ है' का अर्थ प्रायः लोग 'वह सबसे अच्छा है' नहीं लेते बल्कि केवल 'वह अच्छा है' लेते हैं, इसीलिए 'सर्वश्रेष्ठ' या 'श्रेष्ठतर' 'श्रेष्ठतम' जैसे प्रयोग चलते हैं। लगता है कि यह परंपरा काफी पुरानी है। महाभारत में 'सर्वश्रेष्ठ' का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में घनिष्ठ, बलिष्ठ, गरिष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग सामान्य विशेषण के रूप में करना ही उपयुक्त है। तमार्थी विशेषण के रूप में नहीं। इसीलिए श्रेष्ठतर-श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ अब अशुद्ध नहीं माने जा सकते।

(ख) फारसी शब्दों में तर-तरीन लगता है बेहतर, बेहतरीन, बदनर, बदनरीन, ज्यादातर। जो इन प्रत्ययों में युक्त विशेषण हिन्दी में गिने-चुने ही हैं।

(ग) उपरोक्त दोनों परंपराएँ हिन्दी में समान सन्स्कृत और फारसी में भी हैं। हिन्दी की अपनी पद्धति में तुलना के लिए वे (गम मोहन से अच्छा है) 'सबसे'

जिन्दा, ज्यादा, ढलवाँ, आवारा, डकट्टा, काड्याँ, शतिया, चचिया, ममिया, फुफिया, दुतरफा, वत्रडया, कलकतिया, पुरविया, कनपुरिया, वेमहारा, मरवनिया, मजाकिया, मौजूदा, मीकिया, तनहा, पोगा, आगववूला, वचकाना, वकाया, निठल्ला, नाकारा, वेहूदा, रजीदा, पोशीदा, वहरूपिया आदि । इनमे मे कुछ विशेषणो (वेहूदी वात, उमदे अमरूद, पेचीदी वात, जिन्दो औरत, जिन्दे कीडे, दुतरफी वात, ताजी सब्जी, ताजे फूल, निठल्ली औरत, पोगी औरत, वचकानी वात, वदगयी रकम आदि) मे लोग परिवर्तन कर देते है, किन्तु ऐसा करना गलत है ।

विशेषणो मे परिवर्तन करने-न-करने के सवध मे निम्नांकित वाते ध्यान देने की है

1 'सुदर' जैसे कुछ सस्कृत शब्द हिन्दी मे सामान्यत अपरिवर्तित है (सुदर लडका, सुदर लडकी), किन्तु सस्कृत का अनुसरण करते हुए कुछ लोग इनमे परिवर्तन करते भी है सुदर पुरुष, सुदरी स्त्री । ऐसे ही बुद्धिमान-बुद्धिमती, तपस्वी-तपस्विनी, शक्तिशाली-शक्तिशालिनी, सौभाग्यशाली-सौभाग्यशालिनी, कुरूप-कुरूपा, विवाहित-विवाहिता, अविवाहित-अविवाहिता, श्रद्धेय-श्रद्धेया, सुशील-सुशीला, आदरणीय-आदरणीया, माननीय-माननीया आदि । वस्तुत जहाँ सस्कृत-निष्ठ हिन्दी हो वहाँ तो इस प्रकार के लिंगीय परिवर्तन ठीक लगते हैं किन्तु 'उसकी लडकी तो बहुत 'सुशील है' जैसे वाक्यो मे 'सुशीला' जैसे शब्दो का प्रयोग अनावश्यक-सा है । कुछ लोग एक कदम और आगे वढकर नवल-नवला, धवल-धवला, विपुल-विपुला, विजयी-विजयिनी-जैसे प्रयोग भी करते है, किन्तु ये हिन्दी की प्रकृति से बिलकुल भी मेल नही खाते, अत अनावश्यक हैं ।

2 'भारी' और 'बडी' जैसे शब्दो को लेकर कुछ लोगो को भ्रम होता है कि दोनो ईकारात है अत समान । किन्तु वास्तविकता यह नही है । 'भारी' शब्द अपरिवर्तित रहता है जबकि 'बडी' के बडा, बडे रूप बनते हैं । वस्तुत देखने की बात यह है कि 'ई' स्त्रीलिंग का प्रत्यय है या विशेषण का । यदि स्त्रीलिंग का प्रत्यय है तो उसमे आ, ए जैसे परिवर्तन होते है (जैसे बडी-बडा-बडे, अच्छी-अच्छा-अच्छे, कडी-कडा-कडे आदि), किन्तु यदि 'ई' विशेषण का प्रत्यय (सज्ञा 'भार' + विशेषण प्रत्यय 'ई' = भारी) है तो वह परिवर्तित नही होता । जापानी, बनारसी, रेशमी, ऊनी, सूती आदि के 'ई' ऐसे ही विशेषण के प्रत्यय हैं अत ये विशेषण अपरिवर्तित रहते हैं । निष्कर्षत 'भारी' का 'भारा' बनाना गलत है और पजावियो आदि द्वारा प्रयुक्त 'भारा बदन' जैसी अभिव्यक्तियाँ शुद्ध नही कही जा सकती ।

3 मैंने 'ताजा' को भी अपवादो मे शामिल किया है । उर्दूवाले तथा सुशिक्षित हिन्दीवाले जो भाषा-प्रयोग मे पर्याप्त सतर्कता बरतते हैं, 'ताजा' मे परिवर्तन नही करते ताजा खबर, ताजा मखन, ताजा आमो की टोकरी, ताजा सब्जियो कौ दुकान । एक प्रसिद्ध फिल्म और उसका गीत भी है 'आज की ताजा खबर ।

किन्तु इसके विपरीत काफी हिन्दी-भाषी अन्य आकारान्त शब्दों की तरह इसमें भी परिवर्तन करने लगे हैं।

4. उकारान्त विशेषणों में तीन-चार विचारणीय हैं 'भारी' की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। जैसा कि पीछे कहा गया है पञ्जाबी-भाषी तथा उनके प्रभाव में कुछ अन्य लोग भी 'भारा बदन' जैसा प्रयोग करने मुने जाते हैं जो गलत है। 'भारी' परिवर्तनीय नहीं है। 'खारी-धारीय' में विकसित है और इसका (खार + ई) भी 'ई' 'भारी' की 'ई' की तरह विशेषण प्रत्यय है, अतः खानी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए 'खानी पानी' बोलने की परंपरा रही है। इधर अन्य आकारान्त शब्दों के समान इसके भी खारा-खारी-खारे प्रयोग चलने लगे हैं, किन्तु इसका व्याकरण-सम्मत प्रयोग 'खारी' रूप में ही है। ऐसे ही सामान्य प्रयोग मुनहरा, मुनहरी, मुनहरे चलना है, किन्तु कुछ लोग 'मुनहरी' रूप में इसका अपरिवर्तित प्रयोग ही करते हैं। दिल्ली में एक मडक का नाम है 'मुनहरी बाग रोड'। उर्दू-बाने 'मुनहरी मांका' का ही प्रयोग करते हैं। 'मुनहरी मांका' नहीं। यों हिन्दी में ये शब्द (मुनहरा, खारा) परिवर्तनीय विशेषण के रूप में उतने चल पड़े हैं कि उनकी परिवर्तनीयता को राक पाना सम्भव नहीं लगता। चौथा विशेषण 'गपोटी' है। स्त्री-पुरुष दोनों के लिए इसी का प्रयोग होना चाहिए। 'गपोटा' मानक रूप नहीं है।
मुनना

हिन्दी में तुलनात्मक विशेषणों की अभिव्यक्ति निम्नांकित प्रकारों में होती है

(क) मस्कृत के तत्सम प्रत्यय तर-तम लगाकर सुन्दर-सुन्दरतर-सुन्दरतम-उच्च-उच्चतर-उच्चतम। मस्कृत के 'इष्ट' प्रत्ययवाले तमार्थी शब्द (श्रेष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ, धनिष्ठ) भी हिन्दी में चलते हैं, किन्तु उनमें अब सामान्य विशेषण का ही भाव रह गया है। इसीलिए तमार्थी रूप में उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। सन्तत परंपरा के प्रवृत्त में लोग उनका तमार्थी प्रयोग करते हैं, किन्तु मानक हिन्दी उन्हें इस रूप में नहीं स्वीकारती। हिन्दी में 'वह श्रेष्ठ है' का अर्थ प्रायः लोग 'वह मझमे अच्छा है' नहीं लेते धन्य केवल 'वह अच्छा है' लेते हैं, इसीलिए 'सर्वश्रेष्ठ' या 'श्रेष्ठतर' 'श्रेष्ठतम' जैसे प्रयोग चलते हैं। लगता है कि यह परंपरा काफी पुरानी है। महाभारत में 'सर्वश्रेष्ठ' का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में धनिष्ठ, बलिष्ठ, गरिष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग सामान्य विशेषण के रूप में करना ही उपयुक्त है। तमार्थी विशेषण के रूप में नहीं। इसीलिए श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ अब अगुद नहीं माने जा सकते।

(घ) षास्त्री शब्दों में तर-तरीन लगता है बेहतर बेहतरनीन, बदतर, बदतरनीन, ज्यादातर। जो एत प्रत्ययों में तुल्य विशेषण हिन्दी में गिने-चुने ही है।

(ग) उपर्युक्त दोनों परंपराएँ हिन्दी में प्रसन्न, सम्मन्न और षास्त्री में गी है। हिन्दी की अपनी पद्धति में तुलना के लिए ने (सम सोजने में अच्छा है) 'सन्नी'

(राम सबसे अच्छा है), 'सबमे' (वह सबमे छोटा है), 'की बनिस्बत', 'की तुलना मे', 'की अपेक्षा' आदि का प्रयोग होता है।

अनावश्यक विशेषण

एक बार एक मित्र ने धीरे से मेरे कान मे कहा 'तुम्हे एक गुप्त रहस्य बतलाऊँ।' मैंने जोर से कहा 'रहस्य' बतलाना काफी है। 'रहस्य' तो गुप्त होता है, फिर उसके साथ 'गुप्त' विशेषण की क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार 'कही से खूब ठंडा बर्फ लाओ', 'गरम आग किसी को भी जला सकती है, 'यह महँकती खुशबू कितनी मादक है ?' अथवा 'वह ज़िदा था तो कुछ कर नहीं सका, अब तो मुर्दा लाश है, क्या कर लेगा ?' जैसे प्रयोगो मे भी विशेषण (मोटे टाइप मे) अनावश्यक है। इनके प्रयोग से बचना चाहिए। हिन्दी मे प्रयोग चलते हैं 'बहुत ज्यादा, 'बहुत अधिक, 'अत्यधिक' 'बहुत ही अधिक' इन्ही के सादृश्य पर कभी-कभी लोग 'बहुत पर्याप्त' या 'बहुत काफी' का प्रयोग कर जाते हैं। वस्तुतः 'पर्याप्त' या 'काफी' अपने आप मे पर्याप्त हैं, अतः उनके साथ 'बहुत' अनावश्यक है। ऐसे ही अँग्रेजी के प्रभाव से बहुत से लोग 'एक' का अनावश्यक प्रयोग करते हैं 'वे एक अच्छे आदमी है' (He is a good man) हिन्दी का मानक वाक्य है 'वे अच्छे आदमी है।'

तो प्रयोक्ता को विशेषण का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि वह अनावश्यक तो नहीं है।

गलत विशेषण

शोकसभाओ मे लोग प्रायः कहते है 'भगवान् मृत आत्मा या दिवगत आत्मा को शांति प्रदान करे।' प्रश्न यह है कि 'व्यक्ति' मृत या दिवगत होता है अथवा 'आत्मा'। 'आत्मा' के विषय मे सामान्य मान्यता है कि वह मरती नहीं। इसीलिए 'भगवान् दिवगत या मृत नेता की आत्मा को शांति प्रदान करे' प्रयोग तो ठीक है किंतु 'मृत या दिवगत आत्मा को शांति प्रदान करे', गलत है। ऐसे ही बहुत से लोग कहते है 'यह वेफुजूल काम क्यों कर रहे हो ?' फुजूल' तो ठीक है, 'वेफुजूल' का तो अर्थ है जो, 'फुजूल नहीं' अर्थात् 'करणीय' हो।

इसी प्रकार यदि विशेषण प्रसंगानुसार न हो तो भी वह गलत ही माना जाएगा। उदाहरण के लिए कोई कहे 'हे ज्ञान के सागर भगवान् मेरी निर्धनता दूर कीजिए' तो इस वाक्य मे 'ज्ञान के सागर' विशेषण अनुपयुक्त है। 'ज्ञानी से धन माँगने का क्या औचित्य है ? प्रसिद्ध प्रार्थना की एक पक्ति मे भी यही अशुद्धि है

हे प्रभो आनददाता ज्ञान हमको दीजिए।

स्पष्ट है कि ज्ञान माँगने के प्रसंग से 'प्रभु' को 'आनददाता' कहने का क्या तुक ? अर्थात्, विशेषणो का प्रयोग करते समय उनकी प्रसंगानुकूलता पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए।

विशेषण की प्रयोग-सीमा

हर विशेषण की अपनी प्रयोग-सीमा होती है। मानक भाषा उसी का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए म्वादित्, लजीज, सुम्वादु का प्रयोग भोजन आदि के लिए ही हो सकता है, रश्य या गध आदि के लिए नहीं। ऐसे ही खूबार पणु या आदमी हो सकता है, पर्वत, जगल, कीटा या कपडा नहीं। विशेषण का प्रयोग करने समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सर्जनात्मक साहित्य में इसका उल्लंघन मिलता है। उदाहरण के लिए छायावादी कविता में 'शीतल ज्वाना', 'घायन आँसू', 'अपलक उर' जैसे प्रयोग इसी श्रेणी के हैं। किन्तु सामान्यतः ऐसे प्रयोग नहीं किए जा सकते।

विशेषणों की पुनरुक्ति

अनेक विशेषण तथा पुनरुक्तियुक्त विशेषण के अर्थ एक नहीं होते। प्रयोगता का ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए 'मैंने बटे लोगों को देखा है' तथा 'मैंने बटे-बटे लोगों को देखा है' में अंतर है। 'बटे' की व्याप्ति 'बडे-बटे' में सीमित है। ऐसे ही 'छोटी बातों पर मत लटो' और 'छोटी-छोटी बातों पर मत लटो', भी एक नहीं हैं और न 'बुरे काम' और 'बुरे-बुरे काम' ही। आशय यह है कि पुनरुक्त विशेषण अपुनरुक्त की तुलना में अधिक व्यापक होता है।

विशेषणों का चयन

विशेषणों में चयन मुख्यतः तीन दृष्टियों से किया जाता है अर्थ, मत्प्रयोग तथा ध्वनि।

अर्थ की दृष्टि से 'चयन' पर विचार 'पर्यायों में अर्थ-भेद' शीर्षक अध्याय के अंतर्गत उत्तर में किया गया है। यहाँ केवल एक-दो उदाहरण लिए जा रहे हैं श्रुद्ध-श्रोधी—'श्रुद्ध' का अर्थ है किन्ती विशेष धन या समय में 'गुण में'। जैसे, 'व इस समय श्रुद्ध है, कुछ न कहो' किन्तु 'व न्यभाव में श्रुद्ध है' या 'व श्रुद्ध स्वभाव के हैं' कहना गलत है। यहाँ दूसरा शब्द 'श्रोधी' आगगा जिनका अर्थ है, 'शोध जिनमें न्यभाव में हो'। 'शोधित' श्रुद्ध का ही समानार्थी है। इस तरह इस अर्थभेद का विचार करने ही श्रुद्ध' या 'श्रोधित' तथा 'श्रोधी' का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी ही 'चिन्तनीय' और 'चिन्ताजनक' हैं। पहले का अर्थ है 'मनन-यत्न न योग्य', तो दूसरे का अर्थ है 'जो चिन्ता का कारण बने'।

मत्प्रयोग की दृष्टि से चयन का अर्थ है जिस मत्ता के साथ प्रयोग के लिए किम विशेषण का चयन करे। उदाहरण के लिए 'दुर्नडा' का अर्थ जाननी है, किन्तु हिन्दी में इसका प्रयोग प्रायः 'बूज' के साथ ही होता है भेना, छोटा, हाथी के साथ नहीं। यद्यपि ये सब भी 'दुर्नडे' अर्थात् 'जगली' होते हैं। हाँ अन्त-

कारिक दृष्टि से या लक्षणा के रूप में 'बनैला आदमी' जैसे प्रयोग की बात और है। ऐसे ही प्रायः सभी ठोस चीजों की मोटाई होती है किंतु 'मोटा' का प्रयोग 'आदमी', 'कपड़ा', 'रोटी', 'पेड़', 'चावल' तथा 'लोहा' आदि के लिए तो हो सकता है, किंतु 'कुर्सी', 'आम', 'मेज़', 'फूल', तथा 'नाखून' आदि के लिए नहीं। यों कभी-कभी ऐसी सजाओ के साथ भी 'मोटा' विशेषण आता है जिनमें मोटाई नहीं होती मोटी बुद्धि, मोटी अक्ल। किंतु ऐसी सभी चीजों के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते जिनमें मोटाई नहीं होती। उदाहरण के लिए 'मोटी कल्पना', 'मोटा स्नेह', 'मोटी मूर्खता' आदि नहीं कह सकते। अब 'मोटा' के विलोम शब्दों को लीजिए पतला, झीना, महीन, बारीक। इनका भी प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। 'पतला' कपड़ा, आदमी, रोटी, आदि के लिए आ सकता है, 'झीना' केवल कपड़ा के लिए, तथा 'महीन' कपड़ा, नक्काशी, लिखावट आदि के लिए तो 'बारीक' कपड़ा, वात, चावल आदि के लिए। थोड़ी और गहराई में उतरे तो 'पतला दूध' तो कहेंगे किंतु इसका उलटे 'मोटा दूध' न कहकर 'गाढ़ा दूध' कहेंगे। चावत् 'मोटा' हो सकता है और विरोधी अर्थ में 'महीन' या 'बारीक' भी पर 'झीना' और 'पतला' नहीं। 'दाल' के प्रसंग में 'बडी' (हिन्दी का मानक रूप) तथा 'मोटी' (मात्र पश्चिमी हिन्दी में) का प्रयोग चलता है, किन्तु 'पतली' का प्रयोग करते ही दाल 'सूखी' न होकर 'बनाई हुई' हो जाती है और उसमें 'पतला' का अर्थ 'पतला कपड़ा' वाले अर्थ से बदलकर 'अधिक पानीयुक्त' हो जाता है तथा इसके उलटे अर्थ में 'गाढ़ा' का प्रयोग होता है। अर्थात् द्रव (दूध, दाल, कढ़ी, शोरबा, शीरा) पतले और गाढ़े होंगे, महीन बारीक, झीने या मोटे नहीं।

विशेषणों का यह सहप्रयोगीय चयन भाषा-विशेष में प्रयोग की परंपरा पर निर्भर करता है। हिन्दी का मानक प्रयोग है 'बडी आँख' तो हरियानी तथा पंजाबी का है 'मोटी आँख', गुजराती में है 'मोटा भाई' तो हिन्दी में 'बडा भाई' इस प्रकार हिन्दी में 'मोटी आँख' या 'मोटा भाई' कहना गलत है।

चयन का सवध अर्थ से तो होता ही है किंतु केवल शब्द से भी होता है। हम 'काला बाजार' तो कह सकते हैं किंतु 'काला हाट' नहीं, 'काला धन' तो कह सकते हैं 'काली संपत्ति' नहीं। ऐसे ही 'गोल-मोल' बात हो सकती है, किंतु 'गोल-मोल वाता' नहीं। 'बडे आदमी' तो कह सकते हैं 'बडे मनुष्य' या 'बडे मानव' नहीं।

अब ध्वनि के आधार पर विशेषण के चयन की बात ले। ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देता है। यह सौंदर्य जिन अनेक वातों पर निर्भर करता है, उनमें प्रमुख विशेष्य और विशेषण तथा विशेषण और विशेषण में ध्वन्यात्मक तालमेल है। पहले विशेष्य और विशेषण की बात ले। 'अप्रतिम सौंदर्य' और 'लाजवाब खूबसूरती' तथा 'लाजवाब सौंदर्य' तथा 'अप्रतिम खूबसूरती' की तुलना करें तो प्रथम में यह सौंदर्य अधिक है। 'मधुर स्मृति' में जो वात है, वह 'मीठी स्मृति' में नहीं है। या 'बेहद परेशानी' में जो सौंदर्य है वह 'अत्यंत परेशानी' में

नहीं। यहाँ समन्वयीय गठनों के आधार पर ध्वन्यात्मक नानमेन की बात की गई। तुलानता तथा समध्वनीयता भी उनके अच्छे आधार हैं। इन बात को विशेषण और विशेषण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दो वाक्य ले—

गर्माजी केवल धनवान ही नहीं विद्वान् भी है।

गर्माजी केवल धनी ही नहीं विद्वान् भी है।

स्पष्ट है कि धनवान-विद्वान के कारण जो ध्वन्यात्मक नोदय पहले वाक्य में है, वह धनी-विद्वान् के कारण दूसरे में नहीं आ सका है। ऐसे ही 'मीठी और बड़ी' में जो बात है वह 'मधुर और बड़ी' में नहीं है। कुछ और उदाहरण हैं—

बड़ा और मीठा —बड़ा और मधुर

छोटा और मीठा —लघु और मीठा

गजेटी और भगेटी —गजेटी और भाग पीनेवाला

इस प्रकार उपर्युक्त सभी बातों पर ध्यान रखते हुए विशेषण का चयन करना चाहिए।

क्रिया

‘क्रिया’ भाषा का आधार है, क्योंकि भाषा वाक्यों से बनती है, और हर वाक्य में प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत क्रिया का भाव अवश्य रहता है। हिन्दी में क्रिया के प्रयोग में गलतियाँ रूप-रचना, मानकता, सूक्ष्म क्रियार्थ-भेद तथा सहप्रयोग आदि की दृष्टि से होती हैं। यहाँ संक्षेप में कुछ मुख्य बातों को लिया जा रहा है।

कर, किया-करा, कीजिए-करिए, की जिएगा-करिएगा

‘कर’ धातु के रूपों में लोग प्रायः गलती करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि पुल्लिंग में ‘किया’ तथा स्त्रीलिंग में ‘की’ शुद्ध रूप हैं, करा-करी अशुद्ध रूप हैं ऐसे ही शुद्ध रूप ‘कीजिए’ और ‘कीजिएगा’ हैं, ‘करिए’ और ‘करिएगा’ नहीं। इस प्रकार ‘करा’, ‘करिए’ ‘करिएगा’ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह गलती सामान्य धातुओं के रूपों (जैसे पढा, पढिए आदि) से सादृश्य के कारण होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि ‘कर’ धातु सामान्य नहीं अपवाद है, और उसके रूप भी अपवाद ही होते हैं।

जाए-जाएगा, जाये-जायेगा, जावे-जावेगा, जाय-जायगा

इनमें ‘जाए’ तथा ‘जाएगा’ ही शुद्ध हैं, क्योंकि ‘जा’ धातु के बाद ‘ए’ (चले, करे, पढ़े की तरह) और फिर ‘गा’ जुड़ने से यही बनेगा। शेष ‘जाये-जायेगा,’ ‘जावे-जावेगा,’ ‘जाय-जायगा’ रूप अशुद्ध हैं। आ (आए-आएगा), पा (पाए-पाएगा), खा (खाए-खाएगा) ला (लाए-लाएगा), गा (गाए-गाएगा), मिला (मिलाए-मिलाएगा), चला, कमा, गला, बना, बुला, जला, हरा आदि अन्य आकारों में धातुओं पर भी यही नियम लागू होता है।

होगा-होवेगा, होएगा-होयगा

एक ही अर्थ में बोलने तथा लिखने में ‘हो’ धातु के भविष्य के इतने रूप में देखने में आए हैं। इसमें कोई मदेह नहीं कि मूल रूप ‘होएगा’ (चलेगा, खाएगा

आदि की तरह) ही है किन्तु वह 'ए' के लोप के बाद मानक हिन्दी में अब 'होगा' हो गया है, अब तो 'होवेगा', 'होएगा' अशुद्ध हैं।

उगा, देवेगा

मूल रूप में 'देएगा' (पढेगा, निवेगा आदि की तरह) रहा होगा, किन्तु अब 'ए' के लोप से विकसित मानक रूप 'देगा' है। 'देवेगा' सर्वथा अशुद्ध है।

दो-दोओ-यो, लो-लेओ-त्यो

आज्ञा के ये सभी रूप न्यूनाधिक रूप में प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप 'दोओ', 'लोओ' (पढो, लियो आदि की तरह) थे, जिनमें 'ए+ओ' के मिलने से विकसित हुए 'दो', 'त्यो'। अब 'य' के लोप से 'दो' और 'लो' विकसित हो गए हैं, और ये ही मानक रूप हैं, अब उन्हीं का प्रयोग होना चाहिए।

आज्ञा के रूप

विषय में कम भाषाएँ होंगी, जिनमें आज्ञा के रूप उतने अधिक होंगे। उदा-हरणार्थ 'चन्' धातु में तो हमके चन् (तू), चनो (तुम) चलिए (आप), चले (आप), चनना (तुम), चलिएगा (आप)—ये छ रूप बनते हैं। अर्थात् आज्ञा के लिए धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय प्रथम 'चन्' (चन्), जो (चनो), एए (चलिए) ए (चले) ना (चनना) एएगा (चलिएगा) है जो सामान्य धातुओं में जुड़ते हैं। अपवाद हैं, निम्नांकित धातुएँ, जिनके रूप कुछ भिन्न होते हैं -

धातु	विशेष रूप					
	(तू)	(तुम)	(आप)	(आप)	(तुम)	(आप)
कर	कर	करो	कीजिए	करे	करना	कीजिएगा
छ	छ	छोओ	छुआ	छुएँ	छना	छुएँगा
ज	जो	जियो		जिएँ	जोना	जिएँगा
पी	पी	पियो	पीजिए	पिएँ	पीना	पीजिएँगा
दे	दे	दो	दीजिए	दे	देना	दीजिएँगा
ले	ले	लो	लीजिए	ले	लेना	लीजिएँगा

इन रूपों के प्रयोग सामान्यतः ठीक ही किए जाते हैं। हाँ दो-दोओ वाले रूपों में

- (१) दो-दोओ रूपों में 'दो' की तुलना में अधिक चाहर या भाव है
 २-६ आप चन् ।
 २-६ आप चलिए ।

(२) शुद्ध लिंग जैसे कर्त्तात्म के साथ तुम व तू में प्रयुक्त रूपों का प्रयोग

क्रिया

‘क्रिया’ भाषा का आधार है, क्योंकि भाषा वाक्यों से बनती है, और हर वाक्य में प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत क्रिया का भाव अवश्य रहता है। हिन्दी में क्रिया के प्रयोग में गलतियाँ रूप-रचना, मानकता, सूक्ष्म क्रियार्थ-भेद तथा सहप्रयोग आदि की दृष्टि से होती हैं। यहाँ संक्षेप में कुछ मुख्य बातों को लिया जा रहा है।

कर, किया-करा, कीजिए-करिए, की जिएगा-करिएगा

‘कर’ धातु के रूपों में लोग प्रायः गलती करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि पुल्लिंग में ‘किया’ तथा स्त्रीलिंग में ‘की’ शुद्ध रूप हैं, करा-करी अशुद्ध रूप हैं ऐसे ही शुद्ध रूप ‘कीजिए’ और ‘कीजिएगा’ हैं, ‘करिए’ और ‘करिएगा’ नहीं। इस प्रकार ‘करा’, ‘करिए’ ‘करिएगा’ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह गलती सामान्य धातुओं के रूपों (जैसे पढ़ा, पढ़िए आदि) से सादृश्य के कारण होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि ‘कर’ धातु सामान्य नहीं अपवाद है, और उसके रूप भी अपवाद ही होते हैं।

जाए-जाएगा, जाये-जायेगा, जावे-जावेगा, जाय-जायगा

इनमें ‘जाए’ तथा ‘जाएगा’ ही शुद्ध हैं, क्योंकि ‘जा’ धातु के वाद ‘ए’ (चले, करे, पढ़े की तरह) और फिर ‘गा’ जुड़ने से यही बनेगा। शेष ‘जाये-जायेगा,’ ‘जावे-जावेगा,’ ‘जाय-जायगा’ रूप अशुद्ध हैं। आ (आए-आएगा), पा (पाए-पाएगा), खा (खाए-खाएगा) ला (लाए-लाएगा), गा (गाए-गाएगा), मिला (मिलाए-मिलाएगा), चला, कमा, गला, बना, बुला, जला, हरा आदि अन्य आकारात धातुओं पर भी यही नियम लागू होता है।

होगा-होवेगा, होएगा-होयगा

एक ही अर्थ में बोलने तथा लिखने में ‘हो’ धातु के भविष्य के इतने रूप में देखने में आए हैं। इसमें कोई मदेह नहीं कि मूल रूप ‘होएगा’ (बनेगा, खाएगा

कोणिसा नर नरा मा, आज बड़ी मुश्किल में टला है।' प्रयोग होना चाहिए पटा' है। पञ्जाबी नाम हिन्दी बोलने समय 'मानना' के स्थान पर 'मनाना' का प्रयोग करने ? 'उन्हाने मेरी दान का बुरा मनाया' यह प्रयोग भी अमानर है। कहना चाहिए 'बुरा माना।'

नकारात्मक प्रिया में 'है' का लोप

हिन्दी में पहले सामान्य वर्तमान, अपूर्ण (या मानव्य) वर्तमान, पूर्ण वर्तमान तथा पूर्ण मानव्य वर्तमान के नकारात्मक एवं नकारात्मक नानक रूप में

नटका पटना है—नटका नहीं पटना है।

नटका जा रहा है—नटका नहीं जा रहा है।

नटका गया है—नटका नहीं गया है।

नटका इन दिनों जाता रहा है—नटका इन दिनों नहीं जाता रहा है।

वित्त आज भी मानक हिन्दी में सामान्य और अपूर्ण वर्तमान के स्वीकृत नकारात्मक रूप में ?

नटका नहीं पटना।

नटका नहीं जा रहा।

अर्थात् सामान्य और अपूर्ण वर्तमान का नकारात्मक बनाने पर 'है' का लोप कर दिया जाता है।

वो कुछ लोग शेष दो में भी नकारात्मक रूप में 'है' का लोप कर देते हैं

नटका नहीं गया।

नटका इन दिनों नहीं जाता रहा।

वित्त में प्रयोग गलत है। वस्तुतः ये 'नटका गया' तथा 'नटका इन दिनों जाता रहा' के नकारात्मक रूप हैं, अतः 'है' वाले रूपों के नकारात्मक रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

एक बात और। उनके सादृश्य पर भूतवाद के रूपों में महाद्वय प्रिया (या क्षादि) का लोप दर्जित है। अर्थात्

नटका पटना था।

नटका जा रहा था।

इनके नकारात्मक रूप में

नटका नहीं पटना था।

नटका नहीं जा रहा था।

यदि हम 'है' का लोप न करें तो वर्तमान तथा भूत के नकारात्मक रूप एक जगह हो जायेंगे

नटका पटना है }
 नटका पटना था } —नटका नहीं पटना

करते हैं। ऐसे प्रयोग गलत हैं। आप बैठो, आप चलो, आप लिखो।

(ग) 'चल, चलो, चलिए, चले' रूपों का प्रयोग प्रायः 'तुरत' या 'निकट भविष्य' के लिए होता है, किंतु 'चलना', 'चलिया' का प्रयोग भविष्य के लिए होता है। चाहे वह निकटवर्ती हो या दूरवर्ती।

दिल्ली में तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी 'आना' के स्थान पर 'अइयो' अर्थात् 'ना'-अत्य आज्ञा रूप के स्थान पर 'इयो-अत्य रूप का प्रयोग लोग बोलचाल में करते हैं। बोलचाल के प्रभाव से ऐसे रूप लेखन में भी कभी दीख जाते हैं, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि ये मानक रूप नहीं हैं। 'मोहन कल तुम चलियो' तथा 'श्याम शाम को तुम अइयो' आदि के स्थान पर 'मोहन कल तुम चलना' तथा 'श्याम शाम को तुम आना' आदि का प्रयोग होना चाहिए।

चाहिए-चाहिएँ

बहुत-से लोग एकवचन में 'चाहिए' (मुझे एक चीज़ चाहिए) तथा बहुवचन में 'चाहिएँ' (मुझे बहुत-सी चीज़ें चाहिएँ) का प्रयोग करते हैं, किंतु यह अशुद्ध है। हिन्दी के मानक रूप में एकवचन तथा बहुवचन दोनों ही में 'चाहिए' का प्रयोग होता है : मुझे बहुत सी चीज़ें चाहिए, तुम्हें ये सारे काम करने चाहिए।

वस्तुतः 'चाहिए' आज्ञा के रूपों चलिए, दीजिए, लीजिए आदि की तरह है, जिनमें वचन-लिंग के परिवर्तन नहीं होते

पिता जी आप चलिए।

माता जी, वहिन जी और चाची जी, आप सभी लोग चलिए।

अमानक धातुएँ

हिन्दी में क्रिया-धातुएँ दो प्रकार की हैं। एक तो वे हैं जो मानक हैं, और जिनका प्रयोग पूरे हिन्दी क्षेत्र में होता है। परिनिष्ठित या मानक हिन्दी में इन्हीं धातुओं का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी धातुएँ वे हैं जो क्षेत्रीय बोलियों में प्रयुक्त होती हैं। कभी-कभी सबद क्षेत्रों के लोग मानक हिन्दी में इन क्षेत्रीय धातुओं के प्रयोग की गलती कर जाते हैं। उदाहरण के लिए भोजपुरी क्षेत्र के लोग कभी-कभी 'दिखना' या 'दिखाई पडना' के स्थान पर 'लौकना' का प्रयोग कर जाते हैं उनका मकान वह सामने लौकता है। मुस्कयाना (मुस्कुराना), चिचियाना (चिल्लाना), हतना (मारना), खुनसाना (नाराज़ होना), वस्साना (बदवू करना), खनना (खोदना), चाखना (चखना), चहुँपना (पहुँचना), डकराना (चिल्लाना), आटा गलाना (गूधना) आदि इस प्रकार की सैकड़ों धातुएँ खोजी जा सकती हैं। कुछ सकर्मक क्रियाओं की अमानक अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कुछ लोग करते हैं। उदाहरण के लिए 'डालना' का मानक अकर्मक रूप 'डलना' नहीं, बल्कि 'पडना' है, किंतु दिल्ली में तथा आम-पास बोला जाता है 'कल से ही उसमें उमें डालने की

कोमिग कर रहा था आन बड़ी मुश्किल में उला है।' प्रयोग करना चाहिए 'पजा' है। पत्रापी नाग हिन्दी बोलत समय 'मानना' के स्थान पर 'मनाना' का प्रयोग करने ? 'उन्होंने मरी बात का पुरा मनाया' यह प्रयोग भी उमानक है। कहना चाहिए 'बुग माना।'

नकारात्मक क्रिया में 'है' का लोप

हिन्दी में पहले सामान्य वर्तमान, अपूर्ण (या मातृत्व) वर्तमान, पूरा वर्तमान तथा पूर्ण नास्त्य वर्तमान के नकारात्मक एवं नकारात्मक नास्त्य रूप में

नटका पड़ता है—नटका नहीं पड़ता है।

नटका जा रहा है—नटका नहीं जा रहा है।

नटका गया है—नटका नहीं गया है।

नटका इन दिनों जाता रहा है—नटका इन दिनों नहीं जाता रहा है।

किन्तु आज भी मानक हिन्दी में सामान्य और अपूर्ण वर्तमान के स्वीकृत नकारात्मक रूप में

नटका नहीं पड़ता।

नटका नहीं जा रहा।

अर्थात् सामान्य और अपूर्ण वर्तमान या नकारात्मक बनाने पर 'है' का लोप नहीं दिया जाता है।

या कुछ लोग शेष दो के भी नकारात्मक रूप में 'है' का लोप कर देते हैं

नटका नहीं गया।

नटका इन दिनों नहीं जाता रहा।

किन्तु ये प्रयोग गलत है। यन्तुन ये 'नटका गया' तथा 'नटका इन दिनों जाता रहा' के नकारात्मक रूप हैं, अतः 'है' वाले रूपों के नकारात्मक रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

एक बात और। इनके साक्षर पर भतभाव के रूपों में नकारात्मक क्रिया (या आदि) का लोप दर्जित है। अर्थात्

नटका पड़ता था।

नटका जा रहा था।

एवं नकारात्मक रूप वर्तमान

नटका नहीं पड़ता था।

नटका नहीं जा रहा था।

अतः इन दो का लोप नहीं है तो वर्तमान तथा अतः नकारात्मक रूप का लोप नहीं दर्जित

नटका पड़ता है।

नटका पड़ता था।

}—नटका नहीं पड़ता

नीटना, चटना-टटना, पिगना-रगटना, हेमना-मुकुगना, घाना-निगटना
चटना-दीटना, गधना-गृधना, घाना-भकीमना, पीना-मुडकना, गाना-पीना-
पाटना, कटना-गौटना आदि में अर्थ का अन्तर है ।

सहप्रयोग—अर्थात् मजा-विशेष के साथ विशेष त्रिया का चयन । जैसे 'घाना' के साथ हिन्दी में 'घाना' क्रिया (घाना घाना) का चयन होगा तो 'भोजन' मजा के साथ 'रटना' त्रिया (भोजन रटना) या । ऐसे ही कविता सुनाते हैं बोलते नहीं । यद्यपि पञ्जाबी-भाषी हिन्दी बोलने समय प्रायः कह जाते हैं—ये अब एक कविता बोलेंगे, रटना चाहिए—एक कविता सुनाएँगे । पामी पर लटकाते हैं, मूर्खी पर चढ़ाते हैं तथा मनीष पर टांगते हैं । धन्यवाद देते हैं कुतजता प्रापित करने हैं, और मुत्रमुजार होते हैं । प्रश्न करते या पृच्छते हैं तथा भाषण करने हैं या देते हैं ।

घादर-घनादर—एक दृष्टि से भी धातु का चयन होना चाहिए । उदाहरण

सयुक्त क्रियाएँ

मुख्य क्रिया के साथ पड, उठ, जा, दे, ले आदि सहायक क्रियाओ (जिन्हें रजक क्रिया भी कहते हैं) के प्रयोग से जो क्रिया बनती है, उसे सयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बोल पडना, कह उठना, बैठ जाना, कह देना, लिख लेना, आदि। हिन्दी में सयुक्त क्रियाओ का बहुत अधिक प्रयोग होता है। इनके प्रयोग में प्रायः दो प्रकार की गलतियाँ होती हैं जिनसे बचने का यत्न करना चाहिए (क) कभी-कभी सामान्य क्रिया तथा उसी से बनी सयुक्त क्रिया में बहुत अधिक अर्थ-भेद होता है। साथ ही एक ही क्रिया से बनी सयुक्त क्रियाएँ भी अर्थ के स्तर पर एक नहीं होती। उदाहरणार्थ 'मारना' और 'मार डालना' एक नहीं है। 'उसने लडके को मारा' और 'उसने लडके को मार डाला' में स्पष्ट अंतर है। ऐसे ही देना-दे देना-दे डालना-दे मारना, बोलना-बोल जाना-बोल उठना-बोल पडना, जा पडना-जा मरना तथा बुला लेना-बुला देना-बुला भेजना एक नहीं है। अर्थात् सयुक्त क्रियाओ का प्रयोग करते समय उसके अर्थ पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए अन्यथा गलती हो जाती है। (ख) दूसरी बात है मानक प्रयोग। अर्थात् इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि मानक हिन्दी में किस मुख्य क्रिया के साथ किस-किस सहायक क्रिया का प्रयोग मान्य है। इस बात का ध्यान न रखने पर भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे खा उठना (अब तो मैं खा उठा हूँ, तुम्हें अकेले खाना पडेगा), ला डालना (यह सामान भी ला डालो), जा रहना (तुम तो ऐसे जा रहे कि कुछ पता ही नहीं चला) आदि। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र में बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने सिपाही से रास्ता पूछा था, पर उसने बता के नहीं दिया। असल में 'बता देना' सयुक्त क्रिया का यह निषेधात्मक प्रयोग है किंतु मानक हिन्दी में मान्य नहीं है। प्रयोग होना चाहिए 'उसने नहीं बताया।' यह स्मरण रखने योग्य है कि सयुक्त क्रियाएँ वाक्य में नकारात्मक शब्द आने पर प्रायः सामान्य क्रिया में परिवर्तित हो जाती हैं।

मैंने उसे बता दिया—मैंने उसे नहीं बताया।

उसे बुला लेना—उसे मत बुलाना।

उसे मार डालिए—उसे न मारिए।

राम गिर पडा—राम नहीं गिरा।

ऐसे ही लगना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पडना से युक्त सयुक्त क्रियाओ के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता

राम ने खाया—राम खाने लगा।

इस प्रकार सयुक्त क्रिया-विषयक गलतियों से बचने के लिए सूक्ष्म अर्थभेद, मानक प्रयोग, नकारात्मक वाक्य में इनके प्रयोग न करने तथा कुछ सयुक्त क्रियाओ के कर्ता के साथ 'ने' न लगाने का ध्यान रखना चाहिए।

अव्यय

अव्यय में विभक्तिनिर्देश, लक्षणसूचक, समुच्चयसंकेत तथा विभक्त्यादिवाचक माने जाते हैं। इनकी तथा इनके प्रयोगों की टीका जानकारों विभीनी अन्य व्याकरण में प्राप्त की जा सकती है। यहाँ केवल उन मुख्य अनुक्तियों को दिया जा रहा है, जो अव्ययों के प्रयोग में प्रारंभ की जाती हैं।

विभक्तिनिर्देशों में निम्न-वचन-परिवर्तन

सयुक्त क्रियाएँ

मुख्य क्रिया के साथ पड, उठ, जा, दे, ले आदि सहायक क्रियाओं (जिन्हें रजक क्रिया भी कहते हैं) के प्रयोग से जो क्रिया बनती है, उसे सयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बोल पडना, कह उठना, बैठ जाना, कह देना, लिख लेना, आदि। हिन्दी में सयुक्त क्रियाओं का बहुत अधिक प्रयोग होता है। इनके प्रयोग में प्रायः दो प्रकार की गलतियाँ होती हैं जिनसे वचने का यत्न करना चाहिए (क) कभी-कभी सामान्य क्रिया तथा उसी से बनी सयुक्त क्रिया में बहुत अधिक अर्थ-भेद होता है। साथ ही एक ही क्रिया से बनी सयुक्त क्रियाएँ भी अर्थ के स्तर पर एक नहीं होती। उदाहरणार्थ 'मारना' और 'मार डालना' एक नहीं है। 'उसने लडके को मारा' और 'उसने लडके को मार डाला' में स्पष्ट अंतर है। ऐसे ही देना-दे देना-दे डालना-दे मारना, बोलना-बोल जाना-बोल उठना-बोल पडना, जा पडना-जा मरना तथा बुला लेना-बुला देना-बुला भेजना एक नहीं है। अर्थात् सयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते समय उसके अर्थ पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए अन्यथा गलती हो जाती है। (ख) दूसरी बात है मानक प्रयोग। अर्थात् इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि मानक हिन्दी में किस मुख्य क्रिया के साथ किस-किस सहायक क्रिया का प्रयोग मान्य है। इस बात का ध्यान न रखने पर भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे खा उठना (अब तो मैं खा उठा हूँ, तुम्हें अकेले खाना पडेगा), ला डालना (यह सामान भी ला डालो), जा रहना (तुम तो ऐसे जा रहे कि कुछ पता ही नहीं चला) आदि। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र में बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने सिपाही से रास्ता पूछा था, पर उसने बता के नहीं दिया। असल में 'बता देना' सयुक्त क्रिया का यह निषेधात्मक प्रयोग है किंतु मानक हिन्दी में मान्य नहीं है। प्रयोग होना चाहिए 'उसने नहीं बताया।' यह स्मरण रखने योग्य है कि सयुक्त क्रियाएँ वाक्य में नकारात्मक शब्द आने पर प्रायः सामान्य क्रिया में परिवर्तित हो जाती हैं

मैंने उसे बता दिया—मैंने उसे नहीं बताया।

उसे बुला लेना—उसे मत बुलाना।

उसे मार डालिए—उसे न मारिए।

राम गिर पडा—राम नहीं गिरा।

ऐसे ही लगना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पडना में युक्त मयुक्त क्रियाओं के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं होता

राम ने खाया—राम खाने लगा।

इन प्रकार मयुक्त क्रिया-विषयक गलतियों में वचने के लिए सूक्ष्म अर्थभेद, मानक प्रयोग, नकारात्मक वाक्य में इनके प्रयोग न करने तथा कुछ मयुक्त क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' न लगाने का ध्यान रखना चाहिए।

अव्यय

अव्यय न क्रियाविशेषण, मन्त्रधर्मूचक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिवोधक माने जाते हैं। उनकी तथा उनके प्रयोगों की ठीक जानकारि किमी भी अच्छे व्याकरण न प्राप्ता की जा सकती है। यहाँ केवल उन मुख्य अणुद्वियों को लिया जा रहा है, जो अव्ययों के प्रयोग में प्रायः ही जाती हैं।

क्रियाविशेषणों में लिंग-वचन-परिवर्तन

'अव्यय' उस कहते हैं जिसमें लिंग-वचन के परिवर्तन न हों, और 'क्रिया-विशेषण' अव्यय का ही एक प्रकार है, अतः यह प्रायः नमझा जाता है कि हिन्दी क्रियाविशेषण अपरिवर्तित रहते हैं, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। जो कृदन्ती क्रियाविशेषण होते हैं, उनमें लिंग-वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं

गम दौड़ता आया है। गम दौड़ा आया।

सीता दौड़ती आई है। सीता दौड़ी आयी।

वे लोग दौड़ते आए हैं। वे लोग दौड़े आएँगे।

एक वाक्योपम क्रियाविशेषणों में लिंग-वचन-परिवर्तन की बात स्पष्ट है। इन क्रिया-विशेषणों में वाक्य 'हूँ/हूँ' भी जोड़े जा सकते हैं।

किन्तु हमें लिंग-वचन के परिवर्तन सभी प्रकार के क्रियाविशेषणों में नहीं होते। अतः न 'गम' इन्हीं के सार्वभूत पर निम्नांकित प्रकार के प्रयोग भी कर जाते हैं

गम धरता जाता है।

सीता धरती जाती है।

वे लोग धरते जाते हैं।

यदि हमें 'गम' 'सीता' 'जाता है' क्रिया का क्रियाविशेषण है, किन्तु ऐसे अव्ययों में विशेषण जो विशेषणवत् प्रयुक्त होने पर लिंग-वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं हो (जैसे लटका अच्छी लटकी, अच्छे लटके) क्रियाविशेषणवत् प्रयुक्त होने पर परिवर्तित नहीं होते अर्थात् उपर्युक्त वाक्य शक्य हैं। ठीक वाक्य होंगे

गम धरता जाता है।

सीता अच्छा गाती है ।

वे लोग अच्छा गाते हैं ।

बुरा, गदा, सीधा, टेढा, ऊँचा आदि इस वर्ग के अन्य शब्दों के प्रयोगों में भी यह बात ध्यान में रखने की है ।

विशेषणों का क्रियाविशेषणवत् प्रयोग

गंदा लडका	राम गंदा लिखता है ।
गदी लडकी	सीता गदा लिखती है ।
गदे लडके	वे लोग गदा लिखते हैं ।

सुंदर लिखना, तेज चलना तथा बहुत बोलना आदि में भी वही बात है । किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सभी विशेषण क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं । उदाहरण के लिए 'वे स्नेहपूर्ण बोलते हैं' कहना गलत है । होना चाहिए 'वे स्नेहपूर्वक बोलते हैं'। '-पूर्ण' विशेषण होते हैं तो '-पूर्वक' क्रियाविशेषण 'विद्वत्तापूर्ण' और 'विद्वत्तापूर्वक' । यह ध्यान में रखने की बात है कि जिन शब्दों के विशेषण तथा क्रियाविशेषण के रूप अलग-अलग होते हैं, उनके विशेषण रूप का प्रयोग क्रियाविशेषण के स्थान पर नहीं होता । इसीलिए 'यह लेख विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है' अशुद्ध है । होना चाहिए 'विद्वत्तापूर्वक लिखा गया है' ।

जैसा-जैसे

'जैसा' विशेषण है, किंतु 'जैसे' क्रियाविशेषण है। दोनों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि दोनों के अर्थ दो हैं । सामान्यतः लोग समझते हैं कि 'जैसा आपका बेटा वैसा मेरा बेटा' तथा 'जैसे आपका बेटा वैसे मेरा बेटा'—इन दोनों का एक ही अर्थ है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है । 'जैसा' वाक्य का अर्थ यह है कि दोनों ही बेटे गुणावगुण या विशेषताओं आदि में एक-जैसे हैं, किंतु 'जैसे' वाक्य का अर्थ है 'आपका अपने बेटे पर जितना स्नेह है, उस पर उतना ही स्नेह मेरा भी है, क्योंकि वह आपका बेटा है, तो मेरा भी बेटा ही है ।'

तब-जब, तभी-जभी

बहुत से लोग 'तब' के स्थान पर 'जब' तथा 'तभी' के स्थान पर 'जभी' का प्रयोग करते हैं, जो गलत है

(क) जब तो कहता था कि मैं भी चलूँगा, और अब चलने का नाम ही नहीं लेता ।

(ख) तुम जब चाहो, जब आ जाना ।

(ग) तुम्हें जरूरत होगी जभी आ जाऊँगी ।

(घ) तुम पिछले महीने जब आए थे, जभी वह भी आया था ।

'व' के 'ज' के स्थान पर 'व' होना चाहिए। 'ख' वाक्य में भी मोटे टाइप के 'ज' का प्रयोग उचित नहीं है। इन वाक्यों के शुद्ध रूप दो हो सकते हैं -

तुम जय चाहो या जाना।

तुम जय चाहो तब या जाना।

'न' तथा 'प' मात्रा में मोटे टाइप के 'जभी' भी यहाँ ठीक नहीं हैं। दोनों ही के स्थान पर 'तभी' का प्रयोग होना चाहिए।

द्विस्थानीय अक्षर

कुछ अक्षर द्विस्थानीय होते हैं जव तव, जव-जव तव-तव, से तम, न तम के लिए जव तमी, न न, जहाँ .. वहाँ, जहाँ .. . नहीं, या नहीं ना, या ना या, जिस प्रकार उमी प्रकार, यदि मो यद्यपि ना भी, यद्यपि तथापि, जिस प्रकार. . उमी प्रकार, चाहे ०, परन्तु किन्तु जितना उतना, जव ०, जितना उतना, जैसे वैसे, धारा ना। ये वाक्यों में दो स्थानों पर आते हैं। इनके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वाक्य भ्रष्ट नहीं रह पाता और अस्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए 'जैसा असावधान यह है, वैसे ही वह भी' में 'वैसे' के स्थान पर 'वैसा' होना चाहिए। 'जितना' के साथ कुछ लोग 'नितना' का प्रयोग

अधिक शब्दों का प्रयोग बिना 'और' या उसके किसी पर्याय के नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात् इस प्रकार के प्रयोग वर्जित है

राम, मोहन गए।

मे वाजार आलू, टमाटर, बैंगन लाऊँगा।

ना

बहुत से लोग 'ना' का प्रयोग करते हैं। हिन्दी में मानक निषेधबोधक अव्यय न, नहीं, मत ही है। अर्थात् 'ना' मानक नहीं है। इसीलिए 'न तो राम जाएगा और नाही मोहन' जैसे प्रयोग अमानक है। होना चाहिए 'न तो राम जाएगा और न मोहन।' पंजाब के एक अच्छे साहित्यकार के एक लेख में पढ़ा था 'ये कृतियाँ अभी तक प्रकाशित नहीं हो सकी हैं, और ना ही प्राप्य हैं।' होना चाहिए 'ये कृतियाँ अभी तक प्रकाशित नहीं हो सकी हैं, और न प्राप्य ही हैं।' ऐसे ही 'क्या तुम घर जाओगे?' जैसे प्रश्नों के उत्तर में कुछ लोग उत्तर देते हैं 'ना'। यह प्रयोग भी मानक नहीं है। उत्तर होना चाहिए 'नहीं' अथवा 'जी नहीं'।

'कि' का निरर्थक प्रयोग

बहुत से लोग 'कि' का निरर्थक प्रयोग करते हैं 'श्याम या कि मोहन, कोई भी चला जाएगा।' इसमें 'कि' की कोई आवश्यकता नहीं। अज्ञेय जी की शैली की यह एक मुख्य विशेषता है। कुछ दिन पूर्व दूरदर्शन पर 'पत्रिका' कार्यक्रम में उनसे एक भेंटवार्ता आई थी, जिसमें निरर्थक 'कि' का प्रयोग उन्होंने दमियों बार किया। उनका एक वाक्य मुझे अब भी याद है 'यह उसका गुण है या कि दोष, जो चाहे कह सकते हैं।' वस्तुतः वाक्य में प्रयोग करते समय यह देखना चाहिए कि बिना 'कि' के काम चल सकता है क्या? यदि ऐसा संभव हो तो 'कि' का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इसका ध्यान न रखने के कारण 'कि' के अनावश्यक प्रयोग की गलती कर जाते हैं।

अव्यय पर्याय

यदि एक ही वाक्य में या पास-पास के वाक्यों में किसी एक अव्यय का प्रयोग एकाधिक बार करना पड़े तो पुनरुक्ति-दोष से बचने के लिए उसके पर्याय का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 'और' आ चुका है तो 'तथा' का, या 'पर' आ चुका है तो 'परतु', 'किंतु' 'लेकिन' आदि का। उदाहरण के लिए 'राम, मोहन और श्याम आएँगे तथा एक दिन रुक कर चले जाएँगे।' इस वाक्य में यदि कोई 'तथा' के स्थान पर भी 'और' का प्रयोग करे या दोनों स्थानों पर 'तथा' का प्रयोग करे तो वाक्य में वह सुदरता नहीं आएगी, जो पुनरुक्ति बचाने पर आ गई है। ऐसे ही 'मैं गया तो था पर रुका नहीं, लेकिन रुककर भी क्या करता, वे मिल तो सकते नहीं थे।' इस तरह अच्छी भाषा के लिए अव्यय-पर्यायों के समुचित प्रयोग के प्रति सजग रहना चाहिए।

वाक्य

वाक्य भाषा की मूलभूत संरचना है। मनुष्य वाक्य से ही जीवता है और वाक्य से ही ज्ञान की अभिव्यक्ति करता है। इन प्रकार भाषा से वाक्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

शब्दों के आशयों में जो कुछ भी वाक्य में है वह सब अथवा वाक्य का ही अर्थ है और इन प्रकार प्रयोग या परीक्षण वाक्य के मध्य में जाती कुछ बातें साम्य हैं। परन्तु मध्य में वाक्य-रचना में प्रत्यक्ष मध्य कुछ प्रमुख बातें भी जाती हैं।

अन्तः वाक्य

उस वाक्य के दो अर्थ हैं (1) राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को मारा, (2) साँप भाग रहा था और उस भागते साँप को राम ने मारा। मान लीजिए किसी ने उस वाक्य का प्रयोग किया। पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ ले ? पहला या दूसरा ? उसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य में दोष रूप में गुण हो सकती है, किंतु सामान्य भाषा में यह दोष है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों में यह भी सम्भावना हो सकती है कि वक्ता कह एक बात रहा है, और श्रोता समझ दूसरी बात रहा है।

बहुत से लोग ऐसे वाक्य लिखते हैं जो सुव्यवस्थित नहीं होते, अतः उन्हें समझने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिन्हें समझना कभी तो कठिन और कभी अशुभव है। उदाहरण के लिए उनका एक वाक्य लगभग पान दो सौ शब्दों का है जिसे इन पक्तियों के लेखक ने अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (पृ० 84) में उद्धृत किया है। कई बार पढ़ने पर भी उस वाक्य को समझ पाना काफी कठिन है। और यही नहीं, उस लेख के कई अन्य वाक्य भी उसी प्रकार के हैं।

वरन्त अज्ञेय जी के उस वाक्य की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह बहुत बड़ा है—लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक' पत्रिका का) से भी अधिक का। अच्छा तो कि वाक्य को भरसक छोटा रखा जाए। यदि एक वाक्य में एक ही विचार हो तो और भी अच्छा, तथा वाक्य यों ही दुर्बल होता है, किंतु उसकी दुर्बलता तब और भी बढ जाती है, जब उसका लेखक उसके विभिन्न अवयवों को ठीक से जोड़ न पाए। उसका आशय यह हुआ कि सरल वाक्यों के प्रयोक्ता में तो ऐसी गलतियाँ नहीं होती, किन्तु जो मयुक्त या मिश्रित बड़े वाक्यों का प्रयोग अधिक करते हैं, उनमें ऐसी गलतियों के होने की सम्भावना बहुत अधिक होती है। इसमें बचने का एकमात्र तरीका यह है कि जिसे मिश्र, मयुक्त, जटिल और लंबे वाक्यों के प्रयोग की शैली आदत हो, उसे वाक्य-संरचना में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए।

बचने में लोगों के वाक्य पुनर्गमित दोष में युक्त होने हैं—(क) कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। (ख) वे आज बापिस लौट रहे हैं। (ग) उसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपसे आना पड़ेगा। ऐसी पुनर्गमितियों में भी बचना चाहिए।

आपकी वाक्य-संरचना का सुधारण का एक अच्छा तरीका यह है कि लेखक लिखते से बाद अपने लेखादि को कई बार अच्छी तरह से दुहराए और यह देखे कि वाक्य में कौन-कौन से अर्थ प्रकट हो रहे हैं। उनमें कोई शब्द अतिरिक्त या कम तो नहीं है, और तो शब्द हैं, वे अपने उपयुक्त स्थान पर तो हैं न, तथा कोई अति-स्पष्ट या कोई अति-व्यर्थ न उस वाक्य में नहीं आ गई है। बार-बार दुहराने तथा ऐसे करने करने से कुछ दिनों बाद प्रायः विमल में सभी दृष्टियों में काफी सुधार आ जाता है। कहा जाता है कि वाक्य-संरचना अपने उपनामों का छपने के पहले तब तक दुहराकर रखने से तब तक कि उन्नीसवीं सदी तक नहीं जाती थी। 'यद्य और

उन वाक्य के दो अर्थ हैं (1) राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को मारा, (2) साँप भाग रहा था और उस भागते साँप को राम ने मारा। मान लीजिए किसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया। पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ ले ? पहला या दूसरा ? उमका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य में उचित रूप में गुण हो सकती है, किंतु सामान्य भाषा में यह दोष है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों में यह भी सम्भावना हो सकती है कि वक्ता कह एक बात रहा है, और श्रोता समझ दूसरी बात रहा है।

बहुत से लोग ऐसे वाक्य लिखते हैं जो मुख्यवस्थित नहीं होते, अतः उन्हें समझने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिन्हें समझना कभी तो कठिन और कभी असंभव है। उदाहरण के लिए उनका एक वाक्य लगभग पीने दो मी शब्दों का है जिसे इन पक्तियों के लेखक ने अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (पृ० 84) में उद्धृत किया है। कई बार पढ़ने पर भी उन वाक्य को समझ पाना काफी कठिन है। और यही नहीं, उस लेख के कई अन्य वाक्य भी इसी प्रकार के हैं।

सन्तुत अज्ञेय जी के उन वाक्यों की एक सवरो बड़ी परेशानी यह है कि वह बहुत बड़ा है— लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक' पत्रिका का) में भी अधिक का। अच्छा है कि वाक्य को भरभक छोटा रखा जाए। यदि एक वाक्य में एक ही विचार हो तो और भी अच्छा, तथा वाक्य यों भी दुम्ह होता है, किंतु उसकी दुम्हता तब और भी बढ़ जाती है, जब उमका लेखक उमके विभिन्न अवयवों को ठीक से जोड़ न पाए। उमका आशय यह हुआ कि सरल वाक्यों के प्रयोक्ता में तो ऐसी गलतियाँ नहीं आती, किंतु जो समुक्त या मिश्रित बड़े वाक्यों का प्रयोग अधिक करते हैं, उनमें ऐसी गलतियों के होने की सम्भावना बहुत अधिक होती है। उममें वचने का एकमात्र तरीका यह है कि जिमें मिश्र, समुक्त, जटिल और लंबे वाक्यों के प्रयोग की ही आदत हो, उम वाक्य-संरचना में बहुत सतकंता बरतनी चाहिए।

उममें से लोगों के वाक्य पुनर्गमित दोष में युक्त होने हैं—(क) कृपया मेरे घर आने से कृपा करें। (ख) वे आज वापिस लौट रहे हैं। (ग) उमका स्पष्टीकरण करने के लिए आपका आना पड़ेगा। ऐसी पुनर्गमितियों में भी वचना चाहिए।

आपसी वाक्य-संरचना को सुधारने का एक अच्छा तरीका यह है कि लेखक विचारने के बाद अपने लेखों में जो बड़े वाक्य अच्छी तरह से दुम्हान और यह देखें कि वाक्य में कोई अस्पष्टतापन ना नहीं है। उनमें कोई अस्पष्ट अतिशक्ति या कम तो नहीं है, और वाक्य स्पष्ट है, व अपने उपयुक्त स्थान पर तो है न, तथा कोई अतिशक्ति या कोई वाक्य व्यर्थ में दो बार तो नहीं आ रहा है। बार-बार दुम्हाने तथा अस्पष्ट करने में कुछ दिनों बाद प्रायः लेखक में सभी दृष्टियों में काफी सुधार आता है। उमका मत है कि दानवदाय अपने उपन्यासों में अपने के पहले नये नये दुम्हान करने के बाद उस कि उमने पूरी समझी न हो जाती थी। 'युद्ध और

शाक्ति' उपन्यास को तो उन्होंने सौ से भी अधिक बार दुहराया था ।

अन्वय

व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में अन्वय का होना बहुत आवश्यक है । 'अन्वय' का अर्थ है सवद्ध शब्दों में लिंग, वचन या पुरुष की एकरूपता ।

पहले लिंग और वचन की बात ले । विशेषण-विशेष्य, कर्ता-क्रिया, कर्म-क्रिया-क्रिया विशेषण में लिंग की एकरूपता अपेक्षित होती है । उदाहरण के लिए, जैसा कि विशेषण के अध्याय में दिया गया है, आकारात विशेषण (अपवादों को छोड़कर, अपवादों के लिए देखिए 'विशेषण' शीर्षक अध्याय) विशेष्य के अनुसार होता है अच्छा लडका, अच्छी लडकी, अच्छे लडके । कुछ आकारातेतर तत्सम विशेषण भी विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेया माता जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदया, सौभाग्यशाली-सौभाग्यशालिनी, आदरणीय-आदरणीया, सुदर-सुदरी आदि । यदि कई विशेष्य साथ हो और उनके पूर्व कोई विकारी विशेषण हो तो वह विशेषण पहले विशेष्य के अनुरूप होता है लवा लडका और लडकी आ रहे हैं, लवी लडकी और लडका आ रहे हैं । किंतु इसमें इस भ्रम की भी गुजाइश होती है कि विशेषण कहीं उस विशेष्य के लिए ही तो नहीं है, जिसके अनुरूप है । इसीलिए ऐसे प्रयोग अधिक अच्छे होते हैं लवा लडका और लवी लडकी आ रहे हैं, लवी लडकी और लवा लडका आ रहे हैं । ऐसे ही 'छोटा फूल और छोटी पत्ती' आदि ।

जहाँ तक क्रिया के अन्वय का प्रश्न है इस सबध में निम्नांकित नियम ध्यान में रखने के हैं (1) यदि कर्ता के वाद 'ने' न हो तो, कर्म हो (राम रोटी खाता है) या न हो (राम दौड़ता है), क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, (2) यदि कर्ता के वाद 'ने' हो और कर्म के वाद को (लडकी को), ए (उसे) या एँ (इन्हे) न हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है : राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियाँ खाई, उन लडकियों ने एक तरवूज खाया, उस लडकी ने चावल खाए, (3) यदि कर्ताके साथ ने तथा कर्म के वाद को, ए या एँ हो तो क्रिया किसी का भी अनुसरण नहीं करती तथा हमेशा पुल्लिङ्ग एकवचन रहती है लडकी ने लडके को मारा, लडको ने लडकियों को मारा, लडकी ने लडके को मारा, लडकियों ने लडको को मारा ।

कभी-कभी एकाधिक कर्ता होते हैं । पहले नियम यह था कि कई कर्ता हो तो प्रायः क्रिया अपने लिंग-वचन में अंतिम कर्ता के अनुरूप होती है राजा और रानी गई, राजा, राजकुमार और रानी गई, मालिक, मालकिन और नौकर गया । अब प्रयोग में प्रायः ऐसा नहीं है । यदि कर्ता पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिंग हो तो क्रिया पुल्लिङ्ग बहुवचन होगी, क्रम चाहे कोई भी क्यो न हो

देखि रूप मोहे नर-नारी—तुलसी

सवै ग्वाल गोपी मुरझाएँ—सूर

इम वाक्य के दो अर्थ हैं (1) राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को मारा, (2) साँप भाग रहा था और उस भागते साँप को राम ने मारा। मान लीजिए किसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया। पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ ले ? पहला या दूसरा ? इसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य में श्लेष रूप में गुण हो सकती है, किंतु सामान्य भाषा में यह दोष है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों में यह भी संभावना हो सकती है कि वक्ता कह एक बात रहा है, और श्रोता समझ दूसरी बात रहा है।

बहुत से लोग ऐसे वाक्य लिखते हैं जो सुव्यवस्थित नहीं होते, अतः उन्हें ममझने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिन्हें ममझना कभी तो कठिन और कभी असंभव है। उदाहरण के लिए उनका एक वाक्य लगभग पौने दो सौ शब्दों का है जिसे इन पक्तियों के लेखक ने अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (पृ० 84) में उद्धृत किया है। कई बार पढ़ने पर भी इम वाक्य को समझ पाना काफी कठिन है। और यही नहीं, उस लेख के कई अन्य वाक्य भी इसी प्रकार के हैं।

वस्तुतः अज्ञेय जी के उमवाक्य की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह बहुत बड़ा है—लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक' पत्रिका का) से भी अधिक का। अच्छा हो कि वाक्य को भरमक छोटा रखा जाए। यदि एक वाक्य में एक ही विचार हो तो और भी अच्छा, लया वाक्य यों भी दुरुह होता है, किंतु उसकी दुरुहता तब और भी बढ़ जाती है, जब उमका लेखक उसके विभिन्न अवयवों को ठीक से जोड़ न पाए। इमका आशय यह हुआ कि सरल वाक्यों के प्रयोक्ता से तो ऐसी गलतियाँ नहीं होती, किंतु जो संयुक्त या मिश्रित बड़े वाक्यों का प्रयोग अधिक करते हैं, उनमें ऐसी गलतियों के होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि जिसे मिश्र, संयुक्त, जटिल और लंबे वाक्यों के प्रयोग की ही आदत हो, उसे वाक्य-संरचना में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए।

बहुत से लोगों के वाक्य पुनरुक्ति दोष से युक्त होते हैं—(क) कृपा मेरे घर आने की कृपा करे। (ख) वे आज वापिस लौट रहे हैं। (ग) इमका स्पष्टीकरण करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ऐसी पुनरुक्तियों में भी बचना चाहिए।

अपनी वाक्य-रचना को सुधारने का एक अच्छा तरीका यह है कि लेखक निम्न के बाद अपने लेखादि को कई बार अच्छी तरह से दुहराए और यह देखे कि वाक्यों में कहीं कोई अटपटापन तो नहीं है, उनमें कोई शब्द अतिरिक्त या कम तो नहीं है, और जो शब्द हैं, वे अपने उपयुक्त स्थान पर तो हैं न, तथा कोई अभिप्रेक्षित या कोई बात व्यर्थ में दो बार तो नहीं आ गई है। बार-बार दुहराने तथा ठीक करने करने में कुछ दिनों बाद प्रायः लेखक में मभी दृष्टियों में काफी सुधार आ जाता है। नहा जाना है कि टालस्टाय अपने उपन्यासों का छपने के पहले तब तक दुहराने करते थे, जब तक कि उन्हें पूरी तमिल्ली न हो जाती थी। 'युद्ध और

मुझे एक चिट्ठी लिखना है ।

मुझे कई पत्र लिखना है ।

हिन्दी में लिखना, लिखनी, लिखने-वाले प्रयोग ही ठीक हैं, न कि सर्वत्र 'लिखना'-वाले ।

बहुवचन क्रिया-रूपों का एक प्रमुख चिह्न 'अनुनासिकता' है । यह याद रखने की बात है कि यह अनुनासिकता क्रिया में केवल एक स्थान पर ही आ सकती है

(क) उन्होंने कमीजें सिली ।

उन्होंने कमीजें सिली हैं । ('सिली हैं' अशुद्ध है)

(ख) लडकियाँ गईं ।

लडकियाँ गई थीं । ('गईं थीं' अशुद्ध है)

यह भी याद रखने योग्य है कि 'चाहिए' का बहुवचन में 'चाहिएँ' नहीं बनता । एकवचन तथा बहुवचन दोनों ही में 'चाहिए' का ही प्रयोग होना चाहिए । अर्थात् 'मुझे दस रुपये चाहिएँ' वाक्य गलत है । शुद्ध है 'मुझे दस रुपये चाहिए ।'

क्रियाविशेषण को 'अव्यय' अर्थात् अपरिवर्तनीय समझा जाता है, किंतु हिन्दी में हमेशा ऐसा नहीं होगा । यदि कोई कृदन्त क्रियाविशेषण का काम कर रहा है तो इसमें परिवर्तन होता है

राम दौड़ा (या दौड़ता) आया ।

सीता दौड़ी (या दौड़ती) आई ।

लडके दौड़े (या दौड़ते) आए ।

(अन्वय सवधी सामान्य नियमों के लिए देखिए लेखक भी पुस्तक 'सामान्य हिन्दी' ।)

पदक्रम

'पदक्रम' या शब्दक्रम' वाक्य में पदों या शब्दों के क्रम को कहते हैं । पदक्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की होती हैं ।

(क) वे भाषाएँ जिनमें 'पदक्रम' का विशेष महत्व नहीं होता,

(ख) वे भाषाएँ जिनमें 'पदक्रम' का विशेष महत्व है ।

हिन्दी उन भाषाओं में है जिनमें पदक्रम बहुत महत्वपूर्ण है

राम, मोहन कहता है ।

मोहन, राम कहता है ।

स्पष्ट है कि पहले वाक्य में 'राम'-कर्ता है तो दूसरे में 'मोहन' ।

हिन्दी में निम्नांकित प्रकार के वाक्यों में पदक्रम से निश्चय (the) या अनिश्चय (a) का भाव व्यक्त किया जाता है

साँप कमरे मे है ।

इस वाक्य मे 'साँप' का अर्थ है 'कोई निश्चित साँप' (the snake), किंतु कमरे मे साँप है ।

मे 'साँप' का अर्थ है 'कोई साँप' (a snake) अर्थात् 'कोई अनिश्चित साँप' । इसका आशय यह है कि ऐसे वाक्यो मे प्रारंभ मे आने पर कर्ता निश्चयवाचक होता है, तो बीच मे आने पर अनिश्चयवाचक । इस बात का ठीक से ध्यान न रखने पर निश्चय-अनिश्चय की दृष्टि से गलती हो जाने की प्रायः सभावना रहती है । 'स्कूल आगे है,' तथा 'आगे स्कूल है' मे भी यह अंतर स्पष्ट है ।

यदि एक ही शब्द मे विशेषण तथा क्रियाविशेषण दोनो की क्षमता हो तो वाक्य मे उसके स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वक्ता उसे विशेषण रूप मे प्रयुक्त करना चाहता है तो वह क्रियाविशेषण हो जाता है, तथा क्रिया-विशेषण रूप मे प्रयुक्त करना चाहता है तो वह विशेषण हो जाता है

तेज घोडा दौड रहा है,
घोडा तेज दौड रहा है ।
खम्भे टेढे गडे हैं ।
टेढे खम्भे गडे है ।

कभी-कभी शब्द विशेषण ही रहता है किंतु एक के स्थान पर दूसरे विशेष्य का विशेषण बन जाता है

गंदा आदमी काम कर रहा है ।
आदमी गंदा काम कर रहा है ।

गलत क्रम से कभी-कभी वाक्य हास्यास्पद भी हो जाता है

यह इस सर्वोत्कृष्ट रोग की चिकित्सा है ।

(यह इस रोग की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है)

एक रुई का तकिया दिखाओ ।

(रुई का एक तकिया दिखाओ)

कलेक्टर द्वारा भगाई गई लडकियो के प्रति व्यक्त सहानुभूति ।

(भगाई गई लडकियो के प्रति कलेक्टर द्वारा व्यक्त सहानुभूति)

मुझे गर्म गाय का दूध चाहिए ।

(मुझे गाय का गर्म दूध चाहिए)

एक पानी का गिलास लाओ ।

(पानी का एक गिलास लाओ)

विदेशी सिलाई के घागे ।

(सिलाई के विदेशी घागे)

उसने आयातित कमीज का कपडा दिया ।

(उसने कमीज का आयातित कपड़ा दिया)

मत्स्यरूपधारी दानवो के शत्रु विष्णु ने
 (दानवो के शत्रु मत्स्यरूपधारी विष्णु ने)
 पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ ।
 (चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ)
 इस प्रारूप बनाने की क्रिया को प्रारूपण कहते हैं ।
 (प्रारूप बनाने की इस क्रिया को प्रारूपण कहते हैं)
 जीवविज्ञान की हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका ।
 (हिन्दी में प्रकाशित होने वाली जीवविज्ञान की पत्रिका)
 उसकी कुछ समझ में न आया ।
 (उसकी समझ में कुछ न आया)
 हम निम्नांकित दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ।
 (हम दिल्ली विश्वविद्यालय के निम्नांकित छात्र)
 एक उत्तर प्रदेश का आदमी ।
 (उत्तर प्रदेश का एक आदमी)
 मोहन नामक फाँसी की सजा पानेवाला आदमी ।
 फाँसी की सजा पानेवाला मोहन नामक आदमी)

कभी-कभी व्याकरण की अशुद्धि भी हो जाती है

एक फूलों की माला

(फूलों की एक माला)

प्रधानमंत्री ने एक छात्रों की सभा में भाषण दिया ।

(प्रधानमंत्री ने छात्रों की एक सभा में भाषण दिया)

कई मिल के मजदूर

(मिल के कई मजदूर)

क्रम के कारण कभी-कभी अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, अतः पदक्रम को
 कथ्य के अनुरूप रखने का ध्यान रखना चाहिए

(क) तरह-तरह के पौदों की पत्तियाँ
 पौदों की तरह-तरह की पत्तियाँ

(ख) तरह-तरह के जादू के खेल
 जादू के तरह-तरह के खेल

(ग) तरह-तरह के चमड़े के जूते
 चमड़े के तरह-तरह के जूते

(घ) यह भोजन बनाने की प्रक्रिया
 भोजन बनाने की यह प्रक्रिया

(ङ) एक चीनी नस्ल का कुत्ता
 चीनी नस्ल का एक कुत्ता

- (च) हिन्दी का व्यावहारिकस्वरूप
व्यावहारिक हिन्दी का स्वरूप
- (छ) व्यावहारिक जीवन की समस्याएँ
जीवन की व्यावहारिक समस्याएँ

कुछ वाक्य हिन्दी में ऐसे भी होते हैं जिनमें भ्रम बटलाने में भी दो अर्थ बने रहते हैं। ऐसे वाक्यों का अर्थ समझने में सावधान रहना चाहिए। जैसे

- (क) मैंने दीड़ते हुए साँप को मारा।
मैंने साँप को दीड़ते हुए मारा।
- (ख) मैं जाते हुए हिरन को देखता रहा हूँ।
मैं हिरन को जाने हुए देखता रहा हूँ।

क्रम की अशुद्धि के कुछ और उदाहरण भी यहाँ लिए जा रहे हैं। बहुत पहले कही एक वाक्य मिला था। 'भवन-निर्माण में सहायता करनेवालों के नामों का शिला लेख दीवाल में खुदवाकर लगाया गया।' यहाँ 'दीवाल में खुदवाकर लगाया गया' का अर्थ स्पष्ट नहीं है। 'दीवाल में खुदवाया' तो लगाया कहाँ, और 'दीवाल में खुदवाया' तो 'दीवाल में लगाया' क्यों? वस्तुतः यह क्रम की गलती है। ठीक क्रम होगा 'भवन-निर्माण में सहायता करनेवालों के नामों का शिलालेख खुदवाकर दीवाल में लगाया गया।' आधुनिक हिन्दी में 'दीवाल में' के स्थान पर 'दीवाल पर' प्रयोग अधिक मानक है। ऐसे ही एक वाक्य है—'यह दुर्भाग्य का विषय है कि इन लोगों को यह शुभ काम कर डालना चाहिए था, किंतु इन्होंने किया नहीं।' ऐसा लगता है कि 'दुर्भाग्य का विषय' है 'शुभ काम कर डालना' किंतु वास्तविकता यह नहीं है। होना चाहिए—'इन लोगों को यह शुभ काम कर डालना चाहिए था, किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इन्होंने किया नहीं।'।

कही पढा था 'कुत्ता दरवान की तरह दुम हिलाता हुआ दरवाजे पर खड़ा रहा' ऐसा लग रहा है जैसे कहा जा रहा है कि कुत्ता वैसे दुम हिला रहा था जैसे दरवान हिलाता है, जबकि ऐसा कहना उद्देश्य नहीं है। यह भ्रम केवल गलत क्रम के कारण हो रहा है। होना चाहिए—'कुत्ता दुम हिलाता हुआ, दरवान की तरह दरवाजे पर खड़ा रहा।'।

क्रम का ध्यान एक और दृष्टि से भी रखना चाहिए। यदि कोई मर्द, औरत जैसा काम करे तो कहेंगे 'यह मर्द है या औरत?' न कि 'यह औरत है या मर्द?' ऐसे ही 'तुम इसान हो या शैतान' न कि 'तुम शैतान हो या इसान'। इसका कारण यह है कि काम करनेवाला मूलतः 'मर्द' या 'इसान' है। ऐसे ही 'तुम्हारा दिल है या पत्थर?' न कि 'तुम्हारा पत्थर है या दिल'।

कभी-कभी हरियाणा आदि कुछ क्षेत्रों के लोग बलार्थक प्रत्यय 'ही' को शब्द को तोड़ कर बीच में ला देते हैं, जो नहीं करना चाहिए—मुझे कान ही पुर जाना है। होना चाहिए—'मुझे कानपुर ही जाना है।' ऐसे ही 'मैं जाऊँ तो गा, किंतु

आज नहीं' भी गलत है। ठीक होगा 'मैं जाऊँगा तो, किंतु आज नहीं।'

कारक-चिह्नों के गलत क्रम के उदाहरण प्रायः मिलते हैं। 'का' के इस प्रकार के प्रयोग (मूल सज्ञा शब्द से दूर) सबसे अधिक होते हैं। उदाहरणार्थ—'हमारी नई अर्थनीति, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, का आधार बहुत स्पष्ट नहीं है।' ठीक होगा 'इस वर्ष से लागू हो रही हमारी नई अर्थनीति का आधार बहुत स्पष्ट नहीं है।' या 'हमारी जो नई अर्थनीति इस वर्ष से लागू हो रही है, उसका आधार बहुत स्पष्ट नहीं है।' ऐसे ही 'के बाहर' का उदाहरण लें—उसी गाँव के जो उन की कर्मभूमि था, बाहर उनका स्मारक बनेगा, ठीक होगा—उसी गाँव के बाहर, जो उनकी कर्मभूमि था, उनका स्मारक बनेगा।' या 'उनका स्मारक उसी गाँव के बाहर बनेगा, जो उनका कर्मभूमि था।' 'पर' का एक प्रयोग ले—'तुम्हारी छत, जो चूर रही है, पर सीमेंट लगाने की जरूरत है।' होना चाहिए 'तुम्हारी छत पर सीमेंट लगाने की जरूरत है। वह चूर रही है। या 'तुम्हारी छत चूर रही है, अतः उस पर सीमेंट लगाने की जरूरत है।' या फिर 'तुम्हारी छत पर, जो चूर रही है, सीमेंट लगाने की जरूरत है।' इन वाक्यों में पहला हिन्दी की प्रकृति के अधिक अनुकूल है। वस्तुतः भाषा की प्रकृति के अनुकूल एक वाक्य को दो में जोड़ने या दो को एक में मिलाने में भी भाषा-प्रयोक्ता को कभी सकोच नहीं करना चाहिए।

अंग्रेजी में ऐसा प्रयोग प्रायः होता है जिसमें वाक्य के बीच में (निसिक्षिप्त पदबद्ध या वाक्य आदि के रूप में), स्पष्ट करने या उदाहृत करने के लिए उपवाक्य पदबद्ध या वाक्यांश रख देते हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से यह शैली हिन्दी में भी काफी प्रयुक्त होने लगी है, हालाँकि हिन्दी की प्रकृत शैली में ऐसे प्रयोग अच्छे नहीं लगते, अतः इनसे वचना चाहिए। उदाहरण के लिए 'भारत के नेताओं—गांधी, सुभाष, नेहरू आदि—ने, देश के लिए अनेक प्रकार के कष्ट झेले। 'या भारत के कुछ नगर—दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि—यूरोपीय नगरों की टक्कर के हैं।' हिन्दी की प्रकृत शैली में ऐसे वाक्यों को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है—'गांधी, सुभाष, नेहरू आदि अनेक भारतीय नेताओं ने देश के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे।' तथा 'दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि कुछ भारतीय नगर यूरोपीय नगरों की टक्कर हैं।' अंग्रेजी प्रभाव निक्षिप्त क्रमवाले उपर्युक्त प्रकार के वाक्यों में भी हिन्दी की दृष्टि से क्रम का अटपटापन ही माना जाएगा।

बल देने के लिए वाक्य में कभी-कभी क्रम में परिवर्तन कर देते हैं—गर्मी के कारण नल में पानी गर्म आ रहा है।

गर्मियों में हंड पाइप से पानी बहुत ठंडा आता है।

लू बड़ी गर्म चल रही है।

हवा ठंडी चल रही है।

पानी कैसा आ रहा है या आता है या लू कैसी चल रही है, के उत्तर में जो वाक्य प्रयुक्त होता है उसमें विशेषण सज्ञा के वाद और क्रिया के पहले आता है

क्योकि उत्तर का केन्द्र वही होता है, ऐसे ही बल के अनुसार .

अच्छा लडका है ।

लडका अच्छा है ।

तेज हवा का एक झोका आया ।

हवा का एक तेज झोका आया ।

वाक्य मे एक और प्रकार के क्रम की बात भी उठाई जा सकती है । एक वाक्य ले—'मैंने तुमसे बीस बार कहा, दस बार कहा और तुम हो कि सुनते ही नहीं' स्पष्ट ही 'बीस बार' के बाद 'दस बार' का आना तर्कसंगत नहीं लगता । पहले 'कम बार' आना चाहिए था, फिर 'अधिक बार'—'मैंने तुमसे दस बार कहा, बीस बार कहा, और तुम हो कि सुनते ही नहीं ।' ऐसे ही 'यह पुस्तक खरी दने लायक तो है ही पढने लायक भी है' मे अपेक्षित क्रम का अभाव है । कहने वाला कहना चाहता है कि पुस्तक केवल पठनीय ही नहीं सग्रहणीय भी है, अत इस वाक्य को होना चाहिए था 'यह पुस्तक पढने लायक तो है ही खरीदने लायक भी है ।'

लोप

वाक्य प्राय एकाधिक पदो के योग से बनता है, किंतु सर्वदा सभी पदो का प्रयोग नहीं करते । कुछ का लोप कर देते है । यह हर भाषा की अपनी परंपरा के अनुसार होता है । उदाहरण के लिए 'यह कानो से सुनी बात है', को प्राय 'यह कानो-सुनी बात है' कहते है, अर्थात् 'से' का लोप कर देते है । ऐसे ही 'यह आँखो देखी घटना है' (से-लोप) । क्रिया मे भी ऐसे लोप मिलते है । उदाहरण के लिए सामान्य हिन्दी मे वर्तमान तथा अपूर्ण वर्तमान का नकारात्मक रूप बनाने मे सहायक क्रिया 'है' 'हूँ', आदि का लोप कर देते है । पहले यह लोप नहीं होता था, किंतु अब होता है, और यदि लोप न करे तो वाक्य 25-30 वर्ष पहले का लिखा पुराना-सा लगता है

सामान्य वर्तमान

सकारात्मक वाक्य

—मोहन पढने जाता है ।

नकारात्मक वाक्य

—मोहन पढने नहीं जाता है । (पुरानी शैली)

—मोहन पढने नहीं जाता । (नई शैली)

ऐसे ही

—मैं नौकरी करता हूँ ।

—मैं नौकरी नहीं करता हूँ । (पुरानी शैली)

—मैं नौकरी नहीं करता । (नई शैली)

अपूर्ण वर्तमान

मोहन अब पढने जा रहा है ।

मोहन अब पढने नहीं जा रहा है । (पुरानी शैली)

मोहन अब पढने नहीं जा रहा । (नई शैली)

मैं अब नौकरी कर रहा हूँ ।

मैं अब नौकरी नहीं कर रहा हूँ । (पुरानी शैली)

मैं अब नौकरी नहीं कर रहा (नई शैली)

यह ध्यान देने की बात है कि केवल वर्तमान काल के इन दो भेदों में ही इस प्रकार का लोप होता है । भूत या भविष्य काल में नहीं ।

यदि 'है' 'था' आदि क्रियाएँ किसी क्रिया के साथ न आकर अकेले आएँ तो उन्हें अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं । उदाहरण के लिए निम्नांकित वाक्यों में ये अस्तित्ववाची क्रिया हैं 'साँप कमरे में है ।' या 'साँप कमरे में था ।'

यदि किसी वाक्य में एक ही अस्तित्ववाची क्रिया दो बार आए तो एक का प्रायः लोप कर देते हैं । 'वहाँ गायें हैं, और भैंसे भी हैं ।'

इसे प्रायः दो रूपों में कहते हैं 'वहाँ गायें हैं और भैंसे भी' अथवा 'वहाँ गायें और भैंसे हैं ।' ऐसे ही

'उन दिनों पिता जी गाँव में थे और दादा जी भी थे ।' इसे भी दो रूपों में कहते हैं 'उन दिनों पिताजी और दादाजी गाँव में थे ।' अथवा 'उन दिनों पिताजी गाँव में थे और दादाजी भी ।' हाँ जोर देने के लिए इसे यों भी कहते हैं—'उन दिनों पिताजी गाँव में थे और दादाजी भी वही थे ।'

एक वाक्य में एक ही कारकीय रूप भी प्रायः एकाधिक बार नहीं प्रयुक्त होता 'मोहन गाँव में है, और उसका भाई भी गाँव में है ।' इसे तीन रूपों में कहेंगे (क) मोहन और उसका भाई गाँव में है । (ख) मोहन गाँव में है और उसका भाई भी । (ग) मोहन गाँव में है, और उसका भाई भी वही है ।

अर्थात् पहले-दूसरे वाक्य से 'है' का लोप दिया गया है, साथ ही 'गाँव में' अधिकरण रूप का भी । तीसरे वाक्य में जोर देने के लिए क्रिया का लोप तो नहीं किया गया है किंतु सज्ञा के अधिकरण रूप 'गाँव में' का लोप करके सार्वनामिक क्रियाविशेषण 'वही' का प्रयोग किया गया है ।

किंतु कहीं भी लोप ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि अर्थ समझने में कठिनाई हो । उदाहरण के लिए 'आपके सारे रिश्ते हमसे अच्छे हैं ।' को 'आपके सारे रिश्ते हमारे रिश्तों से अच्छे हैं ।' कहना अधिक ठीक है । ऐसे ही 'उसके सभी काम आपसे (आपके कामों से) अच्छे होते हैं ।' 'मोहन के वगीचे के फूल तुमसे (तुम्हारे फूलों से, तुम्हारे वगीचे के फूलों से) बड़े हैं ।' 'हाथी की कीमत घोड़े (घोड़े की कीमत) से अधिक होती है ।'

पडने पर इसे तोडा भी जा सकता है यदि वाक्य अटपटा न लगे तथा भ्रामक होने से बच सके। निष्कर्ष यह निकला कि अँग्रेजी के प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन से सबद्ध नियमों का आँखमूँद कर अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। हिन्दी के अच्छे लेखकों में मुझे तीनो ही प्रकार के प्रयोग मिले हैं (क) उसने कहा, 'मैं जाऊँगा' (ख) उसने कहा कि 'मैं जाऊँगा', (ग) उसने कहा कि वह जाएगा।

असबद्ध कथन

प्रयुक्त शब्दों के सबधों की दृष्टि से भी कुछ वाक्य गलत होते हैं। मान लें कोई गुस्से में कहे, 'मारे डडों के बोटी-बोटी कर दूँगा,' तो वाक्य में साधन और क्रिया के उचित सबध का अभाव कहा जाएगा क्योंकि 'डडों' से बोटी-बोटी नहीं किया जा सकता। 'मारे थप्पडों के खाल उधेड दूँगा' या 'मारे घूँसों के खाल खीच लूँगा' भी ऐसे ही अटपटे वाक्य हैं। सबधों की गडबडी और भी तरह की हो सकती है। उदाहरण के लिए गले में तौक, हाथ में हथकडी और पैर में वेडियाँ होती हैं। यदि कोई कहे कि 'भारत के गले में सैकड़ों वर्षों तक पराधीनता की वेडियाँ पडी रही।' तो यह ठीक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार अपनी भाषा को अच्छी बनाने के लिए ऐसे असबद्ध कथनों तथा शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए।

विरोधी प्रयोग

कुछ लोगों के वाक्य में विरोधी बातें होती हैं, अतः वाक्य बड़ा अटपटा लगता है। उदाहरण के लिए 'तुम्हारा यह वाक्य काट देने के लायक तो है ही, इसमें सुधार की भी आवश्यकता है' वाक्य लें। यदि वाक्य काट देने लायक है तो फिर सुधार के लायक कैसे है, और सुधार के लायक है तो फिर सुधार होना चाहिए, न कि काटकर फेंक दिया जाना चाहिए। किसी साहब को कहते सुना था 'वह मकान पूरा गिरा कर बनाने लायक है, उसकी मरम्मत की जानी चाहिए।' इसमें भी वही गडबडी है।

जटिलता

वाक्य की जटिलता भी भाषा का बहुत बड़ा दोष है। हिन्दी में कभी-कभी बहुत अच्छे-अच्छे लेखकों में भी यह दोष मिलता है। मैंने इस दृष्टि से जहाँ तक विभिन्न लेखकों की पुस्तकें पढ़ी हैं, अज्ञेय में यह दोष सर्वाधिक है। उनके कई लेखों तथा पुस्तकों में ऐसे उदाहरण बड़ी सरलता से खोजे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सहसा एक बूँद उछली' (पृ० 33) में एक वाक्य आता है 'रोम के नए रेलवे स्टेशन का जो कि काँच का घर-सा मालूम होता है, उल्लेख वहाँ के लोग गर्वपूर्वक करते हैं।' आजकल के कई ऐसे प्रसिद्ध लेखकों में जो अँग्रेजी सामग्री पढकर, बिना उसे पचाए हिन्दी में लिख मारने के आदि हैं, वाक्य की

जटिलताएँ खूब मिलती हैं। एक वार ऐसे ही लोगों की पुस्तकों के विषय में राजी-प्रसाद द्विवेदी ने कहा था 'इन हिन्दी पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद की जरूरत है।' अन्य भाषाओं से हिन्दी में हुए अनुवादों में तो वाक्य की जटिलता बहुत ही कम वात है। वाक्य की बहुत अधिक लवाई, उसके अवयवों में सुसव्यता का अभाव तथा अटपटा शब्द-क्रम आदि वाक्य की जटिलता के मुख्य कारण होते हैं। हिन्दी में कभी-कभी कुछ लोग एक उपवाक्य को तोड़कर दूसरे उपवाक्य के दोनों ओर गूँथ देते हैं, जिससे वाक्य की रचना कुछ जटिल हो जाती है। इस दोष से बचने का ध्यान करना चाहिए। उदाहरणार्थ

(क) इस समिति में, सामान्य स्तर के जो लोग बवाई नगर में रहते हैं, उनका पूरा प्रतिनिधित्व मिला है।

(ख) सामान्य स्तर के जो लोग बवाई नगर में रहते हैं, उनको इन समिति में पूरा प्रतिनिधित्व मिला है।

(ग) बवाई नगर के सामान्य लोगों को इन समिति में पूरा प्रतिनिधित्व मिला है।

ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि 'क' वाक्य की रचना बुरी है, 'ख' उसका कुछ अच्छा रूप है, किंतु हिन्दी की अपनी रचना के अनुसार 'ग' उसका सर्वोत्तम रूप है। ऐसे ही

(क) श्री . . . के लेख में, दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियों में जो भूलें होती हैं, उनका अच्छा विश्लेषण है।

(ख) दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियों से जो भूलें होती हैं, उनका श्री . . . के लेख में अच्छा विश्लेषण है।

(ग) दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियों में जो भूलें होती हैं, श्री . . . के लेख में उनका अच्छा विश्लेषण है।

(घ) श्री . . . के लेख में उन भूलों का अच्छा विश्लेषण है, जो दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियों से होती हैं।

यहाँ वाक्य के चार रूप दिए गए हैं। पहले में जटिलता अधिक है। दूसरे और तीसरे में वह दोष नहीं है, 'ख' और 'ग' में उपवाक्य अलग-अलग रंगे गए हैं और उनकी सरचना स्पष्ट है, किंतु इन दोनों में भी 'ग' में 'उनका' तथा 'अच्छा विश्लेषण' पास पास आ गए हैं, अतः प्रवाह अधिक सहज हो गया है। 'घ' में 'उनका' अलग है तथा 'अच्छा विश्लेषण' अलग, जत वह वात नहीं है। 'ग' और 'घ' में रचना की दृष्टि से जटिलता नहीं है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि 'ग' का प्रयोग तब ठीक होगा जब चर्चा दसवी कक्षा की अशुद्धियों में मवद्ध हो, इसके विपरीत 'घ' का प्रयोग तब ठीक होगा, जब चर्चा 'श्री . . . के लेख' की हो रही हो। अर्थात् इन दोनों में बल का अंतर है। 'ग' में बल एक पर है तो 'घ' में दूसरे पर। उपर्युक्त प्रकार के वाक्य तब और भी जटिल, अटपटे तथा हिन्दी की मद्ध

सरचना के विपरीत हो जाते हैं, जब कारक चिह्न को उस सज्ञा शब्द से अलग कर दिया जाता है, जिससे वह सवद्ध होता है। उदाहरणार्थ—‘इस लेख में, अहिन्दी भाषियों से जो भाषा-विषयक अशुद्धियाँ होती हैं, का अच्छा विवेचन है।’ इस वाक्य में ‘अशुद्धियों का’ को तोड़कर, ‘अशुद्धियों’ को अलग तथा ‘का’ को अलग कर दिया गया है, अतः वाक्य अटपटा हो गया है। इसका ठीक रूप होगा—‘इस लेख में उन भाषा विषयक अशुद्धियों का अच्छा विवेचन है, जो अहिन्दीभाषियों से होती हैं।’ और यदि अशुद्धियों पर बल देना हो

‘भाषा-विषयक जो अशुद्धियाँ अहिन्दीभाषियों से होती हैं, उनका अच्छा विवेचन इस लेख में है।’

कारक-चिह्नो को सवद्ध शब्दों से अलग हटाने से वाक्य में अटपटापन आ जाता है। पीछे ‘सज्ञा’ शीर्षक अध्याय में ‘कारक-चिह्नो’ के प्रसंग में इसके काफी उदाहरण दिए जा चुके हैं।

मिश्र वाक्य

सरल और सयुक्त वाक्यों की तुलना में, मिश्र वाक्यों की रचना में अधिक सावधानी अपेक्षित होती है। इसका कारण यह है कि मिश्र वाक्य सरचना की दृष्टि से अधिक जटिल होता है। यहाँ कुछ मिश्र वाक्य उदाहरणस्वरूप लिए जा रहे हैं

लगभग एक वर्ष पूर्व ‘नवभारत टाइम्स’ में पढ़ा था—‘विरोधी दलों के नेताओं को, जब वे वायदा करें कि किसी भी प्रकार की असंवैधानिक बात नहीं कहेंगे, रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है।’ इसे दो रूपों में कहा जा सकता है

(क) ‘विरोधी दलों के नेताओं को, किसी भी प्रकार की असंवैधानिक बात न कहने का वायदा करने के बाद ही, रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है।’

(ख) ‘विरोधी दलों के नेताओं को तभी रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है जब वे इस बात का वायदा करें कि किसी भी प्रकार की असंवैधानिक बात नहीं कहेंगे।’

एक सग्रह में ‘विज्ञान’ पर लिखे गए एक निबन्ध का पहला वाक्य है—‘विज्ञान ने ऐसे बहुत से काम, जो कभी सुने भी नहीं गए, किए जाने की तो बात ही क्या, कर दिखाए है।’ स्पष्ट ही वाक्य बहुत स्पष्ट नहीं है। इसे होना चाहिए—‘विज्ञान ने ऐसे बहुत से काम कर दिखाए हैं, जो कभी सुने भी नहीं गए, किए जाने की तो बात ही क्या?’ ऐसे ही ‘राजस्थान में ऐसे बहुत से ग्रथों की पाडुलिपियाँ, जिनकी चर्चा किसी भी इतिहास में नहीं है, मिली हैं।’ को यों रखना अधिक अच्छा होगा—‘राजस्थान में ऐसे बहुत से ग्रथों की पाडुलिपियाँ मिली हैं, जिनकी

चर्चा किसी भी इतिहास में नहीं है।'

'हिन्दुस्तान' में पढ़ा था 'श्री चंद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसके सभापति चुने गए हैं।' इसे कुछ लोग यों भी चोलते हैं—श्री चंद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है, के सभापति चुने गए हैं।' ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाएगा कि पहले वाक्य में 'उसके' निरर्थक है तथा दूसरे में 'के' का क्रम गलत है, उसे अधिवेशन के साथ आना चाहिए—'श्री चंद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन के, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है, सभापति चुने गए हैं।' वस्तुतः हिन्दी का सुगठित वाक्य होगा—'श्री चंद्रशेखर पार्टी के कुछ ही दिनों में होने वाले आगामी अधिवेशन के सभापति चुने गए हैं।' या यदि पार्टी पर बल देना हो तो—'पार्टी के कुछ ही दिनों में होने वाले।'

अंग्रेजी से अनूदित एक पुस्तक का एक वाक्य है—'कुछ अवसरों पर ऐसी बात भी, जो कुछ अन्य अवसरों पर अनुचित होती है, उचित मानी जाती है।' यह वाक्य बहुत स्पष्ट नहीं है। इसे या तो सरल वाक्य 'अनुचित बात भी कुछ अवसरों पर उचित होती है।' में बदल देना चाहिए या फिर कुछ परिवर्तित करके इस रूप में रख देना चाहिए—'कुछ अवसरों पर ऐसी बात भी उचित होती है, जो कुछ अन्य अवसरों पर अनुचित मानी जाती है।'

किसी सस्मरण में पढ़ा था—'यह बात श्री नेहरू जब गाजीपुर आए थे उस समय की है।' इसका अटपटापन क्रम की गड़बड़ी के कारण है। होना चाहिए—'यह बात उस समय की है, जब श्री नेहरू गाजीपुर आए थे।'

एक विज्ञापन में देखा था—'एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कपड़े धोने वाला और नहाने का साबुन तैयार करने वाला हो।' वस्तुतः विज्ञापक को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कपड़े धोने और नहाने, अर्थात् दोनों प्रकार के साबुन तैयार कर सके, किंतु यह वाक्य ऐसा बन गया है कि अर्थ निकलता है—'ऐसा व्यक्ति जो कपड़े धो सके और नहाने का साबुन तैयार कर सके। असल में 'वाला' प्रत्यय के कारण ही यह भ्रम हो रहा है। वाक्य होना चाहिए—'एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कपड़े धोने और नहाने का साबुन तैयार कर सके।' इस तरह 'वाला' के स्थान पर 'का' रख देने में वाक्य ठीक हो गया। और इस प्रकार के वाक्य तो प्रायः मिलते हैं—'अच्छे कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, उसे करने से जो सतोष प्राप्त होता है, वही है।' इसे इस रूप में अधिक अच्छा वाक्य बनाया जा सकता है—'अच्छे कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार वह सतोष है, जो उसे करने से प्राप्त होता है।'

शब्द-निर्माण

शब्दों के निर्माण के लिए, समासपूर्वनाने, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने तथा मघि करने में हिन्दी में प्रयुक्त नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हे व्याकरण की किसी भी अच्छी पुस्तक से देखा जा सकता है। यहाँ केवल उन कुछ बातों का ही लिया जा रहा है, जिनकी दृष्टि से प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं या अनेकरूपताएँ मिलती हैं, तथा जो व्याकरण की पुस्तकों में प्रायः नहीं दिए होते।

सबसे पहले समास की बात लें। यदि समास द्वारा दो शब्दों से किसी शब्द का निर्माण करना हो तो कुछ लोग बीच में योजक-चिह्न लगाते हैं भाषा-विज्ञान, जीव-विज्ञान, शोक-मग्न, नीति-युक्त, देश-भक्ति, रसोई-घर, कुछ लोग दोनों को एक में मिला देते हैं : भाषाविज्ञान, जीवविज्ञान, शोकमग्न, नीतियुक्त, देशभक्ति, रसोईघर, बहुत से लोग मनमाने ढंग से, कभी तो योजक-चिह्न लगाते हैं (भाषा-विज्ञान, शोक-मग्न) और कभी मिलाकर (भाषाविज्ञान, शोकमग्न) लिखते हैं, तथा बहुत से लोग दोनों शब्दों को अलग-अलग रखते हैं (भाषा विज्ञान, रसोई घर, देश भक्ति)। पहली बात यह है कि दोनों शब्दों को अलग-अलग रखना गलत है, अतः ऐसा कभी-भी नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक मिलाकर लिखने और योजक-चिह्न से लिखने का प्रश्न है, हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल सामान्यतः यदि दोनों शब्दों के मिलाने से शब्द बड़ा बन रहा हो तब तो योजक-चिह्न लगाया चाहिए, जैसे शस्य-श्यामला, अकाल-पीडित, योजक-चिह्न, भाषा-सर्वेक्षण, कपोल-कल्पित, चलता-पुरजा, ससद्-सदस्य, कांग्रेस-अध्यक्ष, मकान-मालिक, आश्चर्य-चकित, धूल-धूसरित, दिल-ब्रह्मलाव, वनस्पति-विज्ञान, राजनीति-विज्ञान, तथा रसायन-विज्ञान आदि, किंतु यदि शब्द छोटा बने तो उसे बिना योजक-चिह्न के एक शिरोरेखा से लिखना चाहिए, जैसे वायुयान, जलवायु, गिरहकट, नीलकण्ठ, मुँहतोड, यथाशक्ति, तथा भाषा-आदि।

यदि दो से अधिक शब्दों का समास बनाना हो तो योजक-चिह्न ही लगाते हैं : कोई-न-कोई, मन-ही-मन, तन-मन-घन, हो-न-हो, एक-न-एक, धूप-दीप-

नैवेद्य, माँ-वाप-भाई। यदि समास द्वंद्व हो तो योजक-चिह्न ही लगाते हैं गाय-वैल, माँ-वाप, घनी-गरीब, लाल-पीला, उलटा-सीधा, हरा-भरा, रात-दिन, तथा दाल-रोटी आदि।

यदि किसी भी प्रकार का सधि हो तो सहज ही शब्द मिला दिये जाते हैं : जिलाधीश, भोजनोपरात, कथनानुसार, ग्रामोद्योग, नराधम, पुरुषोत्तम, घुडदौड़, आज्ञानुसार, हथकड़ी, जन्माघ। किंतु यदि ऐसा करने से शब्द बहुत बड़ा बन रहा हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ लोग साहित्येतिहास, महाभारतानुसार, कांग्रेसअध्यक्ष जैसे प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसे प्रयोग हिन्दी की प्रकृति से बहुत मेल नहीं खाते। सस्कृत में तो समास-सधि से बहुत बड़े-बड़े शब्द बनाने की परंपरा रही है, किंतु हिन्दी की वियोगात्मक प्रकृति से ऐसी शब्द-रचना मेल नहीं खाती। हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप उपर्युक्त शब्दों को 'साहित्य का इतिहास' 'महाभारत के अनुसार' तथा 'कांग्रेस-अध्यक्ष' लिखना अधिक समीचीन होगा। हाँ पारिभाषिक शब्द (जो सामान्य भाषा में प्रयुक्त नहीं होते) अवश्य बड़े भी चल जाते हैं।

कुछ समस्त शब्द आपस में मिलकर पूरी तरह एक शब्द बन गए हैं तथा उनमें अपेक्षित ध्वनि-परिवर्तन भी हो गए हैं अतः उन्हें उसी रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। जैसे घुडदौड़, घुडसवार, पनघट, पनचक्की, इकतारा, तथा लुहार आदि। इन्हे 'घोडादौड़', 'घोडासवार', 'पानीघाट', 'पानीचक्की', 'एकतारा' तथा 'लोहार' आदि कहना-लिखना गलत है। हाँ जो अभी एकीभूत नहीं हुए हैं, उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। जैसे घोडागाडी, पानीदेवा, एकजान, लोहामडी आदि।

तत्सम समस्त शब्द, सस्कृत शब्द-रचना के नियमों से नियंत्रित होते हैं, अतः उन्हें उसी रूप में अपनाना चाहिए जैसे मन्त्रिगण (न कि मंत्रीगण), उपर्युक्त (न कि उपरोक्त), यशोगान (न कि यशगान), मनोविज्ञान (न कि मनविज्ञान), तथा पक्षिवर्ग (न कि पक्षीवर्ग) आदि। हाँ, जो शब्द हिन्दी में चल चुके हैं, उन्हें फिर से बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे स्त्रियोपगी (सस्कृत में शुद्ध शब्द 'स्त्र्युपयोगी' बनेगा), अतर्कथा (शुद्ध है 'अत कथा'), महानतम (सस्कृत में 'महत्तम' बनेगा, पर हिन्दी में महानतम व्यक्ति या कार्य आदि के लिए आता है तो महत्तम सख्या आदि के लिए और इस प्रकार दोनों में थोड़ा अर्थ-भेद हो गया है), महानता (शुद्ध शब्द महत्ता, इन दोनों में भी अर्थ का अंतर है), अतर्राष्ट्रीय (शुद्ध शब्द 'अताराष्ट्रीय' है) तथा राष्ट्रीय (शुद्ध शब्द 'राष्ट्रिय' है) आदि।

'इक' प्रत्यय जोड़कर सज्ञा से विशेषण बनाते समय पहला स्वर यदि 'अ' हो तो उसे 'आ' कर देते हैं (सामाजिक, व्यावहारिक, सामरिक), यदि 'इ' 'ई' अथवा 'ए' हो तो 'ऐ' कर देते हैं (ऐतिहासिक, नैतिक, वैदिक), तथा यदि 'उ' 'ऊ', 'ओ' हो तो 'औ' (पौराणिक, भौगोलिक, लौकिक) कर देते हैं। ऐसा न

करना गलत है। बहुत से लोग इतिहासिक, भूगोलिक, समाजिक जैसा प्रयोग करते हैं, जो अशुद्ध है। हाँ 'क्रम' से 'क्रमिक' अपवाद है। इसका 'क्रामिक' नहीं बनता। ऐसे ही कुछ और प्रत्ययो के जोड़ने पर भी परिवर्तन (सौंदर्य, साहाय्य) होते हैं, और उनका भी ध्यान रखना चाहिए।

'छ' को 'छ' और 'छह' दो प्रकार से लिखते हैं। पहले का प्रयोग पूर्वी क्षेत्रों में अधिक है तो दूसरे का पश्चिमी क्षेत्रों में। इससे क्रमवाचक शब्द बनाने में काफी अनेकरूपताएँ हैं। मुझे हिन्दी में छवाँ, छठवाँ, छौवाँ, छटा आदि के प्रयोग मिले हैं। ठीक शब्द 'छठा' है। वाजपेयी जी 'छ' को इस आधार पर अशुद्ध मानते हैं कि विसर्ग तद्भव शब्द में नहीं लगता, किंतु ऐसी बात है नहीं (छि)। हाँ एक प्रश्न उठता है कि 'छह' या 'छ' का बहुवचन क्या हो। प्रायः लोग 'छहो' (पश्चिमी क्षेत्र) या 'छओ' (पूर्वी क्षेत्र) लिखते हैं। मेरे विचार में इन दोनों को ही मानक मान लेना उचित होगा, क्योंकि इन दोनों के ही प्रयोग काफी लोगो द्वारा किए जाते हैं।

पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में प्रत्ययो और उपसर्गों के अंतर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए दो प्रत्यय 'क' और 'आत्मक' लें। पहले का प्रयोग प्रायः प्राणियों के लिए (हिंसक जंतु) होता है, तो दूसरे का अन्य प्रकार की सजाओ के लिए (हिंसात्मक घटना, हिंसात्मक प्रवृत्ति), ऐसे ही 'आत्मक' तथा 'परक' में भी अंतर है। 'आत्मक' का अर्थ है 'से जनित' (हिंसात्मक घटना) तथा 'वाली' (हिंसात्मक प्रवृत्ति), जबकि 'परक' का अर्थ है 'से मवधित' (अर्थपरक अध्ययन) या 'पर आधारित' (वस्तुपरक दृष्टि)। ऐसे ही 'अप' उपसर्ग का अर्थ 'बुरा' (अपशब्द) या अनुचित' (अपव्यय) है तो 'अव' का घटकर (अवमूल्यन) या 'उल्टा' (अवगुण) आदि।

शब्द निर्माण में कभी-कभी सामान्य नियमों का उल्लंघन भी करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लें 'एकीभूत' के विलोम शब्द की आवश्यकता है तो क्या करे? इसके लिए 'अन्-एकीभूत' का प्रयोग करना पड़ेगा, जो मघि हो जाने पर 'अनेकीभूत' बन जाएगा, किंतु 'अनेकीभूत' का अर्थ होगा 'जो अनेक हो गया हो,' जबकि हमें आवश्यकता है ऐसे शब्द की जो 'एकीभूत न होने' का भाव व्यक्त करे। ऐसी स्थिति में सिवा 'अ-एकीभूत' बनाने के और कोई रास्ता नहीं है, यद्यपि सामान्य नियम के अनुसार 'ए' स्वर के पूर्व 'अ' न आकर 'अन्' ही आना चाहिए। ऐसे ही 'सीता + इतर' से बना 'सीतेतर' बड़ा शब्द नहीं है, अतः बनाया जा सकता है, किंतु हिन्दी में सामान्यतः व्यक्तिवाचक मज्ञाओ से जो मघि बनाई जाए, ऐसी होनी चाहिए कि नाम विगडे नहीं। यहाँ 'सीतेतर' में नाम विगड रहा है, अतः 'सीता-इतर' कहना अधिक उपयुक्त (जैसे मानस के मीता-इतर पात्र) होगा।

ऐसे ही 'मह + अनुभूति' का यदि 'माथ-माथ होने वाली अनुभूति' के अर्थ

मे प्रयोग करना हो तो उसे 'सहानुभूति' नहीं बना सकते क्योंकि इससे अर्थ बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे 'सह-अनुभूति' रखना ही अधिक उचित होगा। 'राम का वाण' और 'रामवाण' या 'उप-अध्याय' और 'उपाध्याय' भी एक नहीं है। इसी प्रकार हिन्दी में 'सहअस्तित्व' को 'सहास्तित्व' अथवा 'बहुउद्देशीय' को 'बहुदेशीय' (इसमें 'ऊ' की दीर्घता हिन्दी के अनुकूल नहीं है) नहीं किया जाना चाहिए, मस्कृत का अघानुकरण करने वाले ऐसे प्रयोगों से वाज्र नहीं आते।

अतः में कुछ ऐसे शब्दों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जो प्रायः अशुद्ध लिखे जाते हैं। कोष्ठक के बाहर शुद्ध रूप है तथा कोष्ठक के भीतर अशुद्ध रूप - जल्दवाजी (जल्दीवाजी), कालेवाला (काला वाला), अच्छेवाला (अच्छा वाला), वाद-विवाद (वादाविवाद), सिरदर्द (सिरदर्दी), आवश्यक (आवश्यक), बदरीनाथ (बद्रीनाथ), निरपराध (निरपराधी), ग्रस्त (ग्रसित), संपृक्त (सर्पकित), व्यवहृत (व्यवहारित), महत्त्व (महत्व), तत्त्व (तत्व), उज्ज्वल (उज्वल), सन्यासी (सन्यासी)। यो अशुद्ध होते हुए भी सृजन (शुद्ध रूप सर्जन है), अनुवादित (शुद्ध अनूदित), क्रोधित (शुद्ध क्रुद्ध), अनुमानित (शुद्ध अनुमित), स्त्रियोपयोगी (शुद्ध स्त्रियोपयोगी), निर्दयी (शुद्ध निर्दय), अमानुषिक (शुद्ध अमानुष) आदि बहुते-से शब्द हिन्दी में खूब चल गए हैं, अतः उन्हें निकाला नहीं जा सकता।

सहप्रयोग

‘सहप्रयोग’ मेरा अपना बनाया हुआ शब्द है। हर भाषा में सभी शब्दों का प्रयोग सभी शब्दों के साथ नहीं होता, अर्थात् कुछ शब्दों के साथ तो कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु अन्य शब्दों के साथ उनका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए ‘खाना’ सज्ञा का सहप्रयोग ‘खाना’ क्रिया के साथ (खाना खाना) होता है तो ‘भोजन’ का सहप्रयोग ‘करना’ (भोजन करना) के साथ। ‘खाना करना’ और ‘भोजन खाना’ प्रयोग हिंदी में नहीं होता, अर्थात् इनका सहप्रयोग नहीं है। अच्छी भाषा के लिए शब्दों के सहप्रयोग का ध्यान रखना भी आवश्यक है। सहप्रयोग का उल्लघन काव्यभाषा¹ तो कर सकती है, किंतु सामान्य मानक भाषा नहीं। यहाँ हिंदी के कुछ सहप्रयोगों को उदाहृत किया जा रहा है—

(1) **उपसर्ग**—तत्सम शब्दों के साथ ‘नहीं’ अर्थ में स्वर के पूर्व ‘अन’ (अनेक, अनास्था) आता है तो व्यजन के पूर्व अ (असमर्थ, अज्ञात), किंतु तद्भव शब्दों में व्यजन के पूर्व ‘अन’ भी आ सकता है अनगिनत, अनजान, अनहोनी, अनदेखी, ऐसे ही स (अच्छे अर्थ)—पूत, क (बुरे अर्थ में)—पूत किंतु सुपुत्र, कुपुत्र आदि।

(2) **प्रत्यय**—‘पन’ तद्भव के साथ (बचपन, ढीलापन), तो ‘ता’ केवल तत्सम के साथ (सुदरता, नीरसता, एकता)।

(3) **सज्ञा-क्रिया**—**मूल्य**—आँकना, किंतु ‘नापना’ या ‘तौलना’ नहीं, **घन्यवाद**—‘देना’, ‘करना’ (कम मानक), **आभार**—व्यक्त करना, किंतु ‘देना’ या ‘करना’ नहीं, **शुक्रिया**—अदा करना, ‘देना’ या ‘करना’ नहीं, **चित्र**—वनाना, अकित करना किंतु ‘निर्माण करना’, ‘गढ़ना’ नहीं; **कार**, **टैक्सी** आदि—चलाना, ‘हाँकना’ नहीं, **तांगा**, **इक्का**, **बैलगाड़ी**—चलाना, **हाँकना**, **परिभाषा**—देना, करना (कम मानक), **सूली**—पर चढ़ना, चढ़ाना, **सलीब**—पर टाँगना,

1 विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की दूसरी पुस्तक ‘शैलीविज्ञान’ का ‘विचलन’ शीर्षक अध्याय।

फाँसी—पर लटकाना (फाँसी पर चढ़ाना नहीं, फाँसी के तख्ते पर चढ़ाना), भाँग—छानना, पीना (कम मुहावरेदार), शराब—पीना, 'छानना' नहीं 'चढ़ाना' भी नहीं, किंतु केवल चढ़ाना (जैसे—लगतता है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है), बोटल—चढ़ाना, 'पीना' या 'छानना' नहीं; तकलीफ—उठाना, झेलना, सहना, बर्दाश्त करना, कष्ट—भोगना, झेलना, सहना, उठाना, असुविधा—होना, खाना-खाना, 'लेना' या 'करना' नहीं, भोजन—करना, 'लेना' या 'खाना' नहीं, जलपान—करना, 'खाना', नाश्ता—करना, 'खाना' नहीं, अँग्रेजी प्रभाव से कुछ लोग लेना भी बोल जाते हैं, किंतु यह मानक नहीं है, गौर—करना, होना, दिखाई—पडना, देना, सुनाई—पडना, देना, धिग्घी—बँधना, थप्पड़ से—मुँह लाल करना, बँत से—चमडी उधेडना, लाठी-डडा से—हड्डी-पसली एक करना, घूँसा मुक्का से—कचूमर निकालना, भुर्ता बनाना, केवल 'मार' के साथ भी, प्रतीज्ञा—करना, होना, 'देखना' नहीं, कविता—कहना, पढना, सुनाना, 'बोलना' नहीं, पजावी लोग 'कविता बोलना' कहते हैं जो अशुद्ध है, प्रश्न—पूछना, करना, 'बोलना' नहीं, मच्छर—काटना 'लडना' नहीं ।

(4) विशेषण-सज्ञा—दर्शनी (हुडी), गँदला (पानी), वनैला (मुअर), झीना (कपडा, परदा, वस्त्र), टूटा-फूटा, ध्वस्त (किला, 'फूटा' नहीं), प्रति (दिन), हर (रोज), रँगारग (कार्यक्रम), भावभीनी (विदाई, श्रद्धाजलि) ।

(5) शब्द—किस शब्द के पहले अजायब (घर, खाना), माँठ (गाँठ), आस (पाम), ऐरा (गैरा), टीम (टाम) आदि । किम शब्द के बाद ग्राम (काम), सुलफ (सौदा), वक्काल (वनिया), मैख (मीन), मुवाट्टिमा (वहम), गनोज (गाली), टाम (टीम) आदि । सामानो मे प्राय तत्मम के साथ नत्मम (अग्रवा-रोही, राजमन्त्री), तद्भव के साथ तद्भव (घुडदौड, पनचक्की), विदेशी के साथ विदेशी (जेव खर्च, आरामकुर्सी, मकान मानिक) का प्रयोग हिन्दी में चलता है । हालांकि जिलाधीश दुमजिना जैसे अपवाद भी काफी हैं, किन्तु वे हैं अपवाद ही ।

पुनरावृत्ति और निरर्थक शब्द

पुनरावृत्ति और निरर्थक शब्द भी भाषा के बहुत बड़े दोष हैं। पुनरावृत्ति में किसी व्याकरणिक इकाई (उपसर्ग या प्रत्यय), शब्द या अर्थ का दो बार प्रयोग (कृपया कल दर्शन देने की कृपा करे) होता है जिससे भाषा का मौन्दर्य बिगड़ता है तो निरर्थक शब्दों के प्रयोग से (वह रोज सवेरे के समय टहलने जाता है) भाषा में अपेक्षित कसाव नहीं रह जाता, वह शिथिल हो जाती है। यहाँ दोनों को अलग-अलग लिया जा रहा है।

पुनरावृत्ति—1

हिन्दी में पुनरावृत्ति मुख्यतः उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, रूप तथा अर्थ की होती है। प्रस्तुत पुस्तक के पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ उन कुछ मुख्य पुनरावृत्तियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जो हिन्दी में प्रायः (बोलचाल में या लेखन में) मिलती हैं।

प्रत्यय और उपसर्ग—प्रत्यय तथा उपसर्ग के स्तर पर पुनरावृत्ति शब्द-रचना तथा रूप-रचना दोनों में मिलती है। पाठित्यता, साँदर्यता, कोमलता, मौज्ज्ज्वलता, पीयूषत्व, वैमनस्यता, तथा नैराश्रयता जैसे शब्दों में शब्द-रचना के स्तर पर भाववाचक नञा के दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है : पाठित्य→पाठित्य+ता मृदुर→साँदर्य+ता, कुशल→कोमल+ता। यो इस प्रकार की गलती प्राचीन ज्ञान में होती आ रही है। मध्यकालीन साहित्य में 'कोमलताई' (तुलसी) तथा 'प्रपन्ताई' जैसे प्रयोग काफी मिलते हैं। लगना है कि यह अशुद्धि लोक-भाषा में हुई और लोकभाषा में शब्द लिए जाने के कारण यह तत्कालीन साहित्य में पहुँच गई। 'मरदर्यो' (मरदर्य काफ़ी है) भी उसी प्रकार का शब्द है। विशेषतः में भी यह अशुद्धि मिलती है। जैसे सायंभौमिक (सायंभौम पर्याप्त है) इत्येवमादि (इत्येवमादि काफी है) पृथ्वनीय, मानवनीय, गोप्यनीय, साँदर्यपूर्ण आदि। बह्वचन में प्रत्ययों की पुनरावृत्ति भी कभी-कभी रूपरचना में मिलती

है कागज + आत + ओ = कागजातो, जेवर + आत + ओ = जेवरातो, ख्यालातो। वामुहावरेदार भाषा, होना चाहिए 'मुहावरेदार भाषा'।

कभी-कभी एक अर्थ के उपसर्ग और प्रत्यय (अन् + एक + ओ = अनेको, वामुहावरेदार भाषा—होना चाहिए 'वामुहावरा भाषा' या 'मुहावरेदार भाषा') तथा शब्द और कारक-चिह्न (दरअसल में हकीकत में, 'दर' का अर्थ 'में' है, कानून को बालाए ताक पर रखकर तुमने यह सब किया है), या शब्द और प्रत्यय (सर्वोत्तम, स्वान्त सुखाय के लिए, सर्वश्रेष्ठ) के साथ-साथ प्रयोग से भी पुनरावृत्ति हो जाती है। इनमें सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तो अब हिन्दी में प्रायः मानक मान लिए गए हैं, किंतु शेष के प्रयोग से बचना चाहिए।

शब्द और रूप—शब्दों और रूपों की पुनरावृत्ति असावधानी के कारण प्राय हो जाती है। जैसे कृपया आने की कृपा करें, मेहरबानी करके मेरे यहाँ तशरीफ लाने की मेहरबानी करें, इसका वर्गीकरण करने के लिए (इसके वर्गीकरण के लिए), उसका वर्गीकरण करना सरल नहीं है (उसका वर्गीकरण सरल नहीं है), हम लोगों में जो लोग गरीब हैं (दूसरा 'लोग' अनावश्यक है), इसका सरलीकरण करो (इसे सरल करो), इसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा (इसमें 'करने' निरर्थक है), वह गा तो नहीं सकता, गा-बजा भी नहीं सकता, मुझे केवल दो रुपये मात्र चाहिए, वह हत्यारे को मृत्युदण्ड की सजा मिली ('मौत की सजा' या 'मृत्युदण्ड' होना चाहिए), मैं रोज़ प्रातः काल के समय टहलने जाता हूँ, इसमें केवल पुरुष ही जा सकते हैं, सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदित होता है और अस्ताचल पर्वत पर अस्त होता है (दोनों पर्वत अनावश्यक हैं, क्योंकि 'अचल' का अर्थ पर्वत है), कृपया आने का अनुग्रह करे, अपनी स्वेच्छा से, देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण कीजिए (देवनागरी में लिप्यंतरण कीजिए), दो वर्गों में वर्गीकृत कीजिए, तुम्ही ने ही वह पुस्तक चुराई है (या तो 'तुमने ही' या 'तुम्ही ने') कृपया करके ('कृपा करके' या 'कृपया'), आई०टी० ओ० आफिस' जा रहा हूँ (ओ० = आफिस), तथा 'संभव हो सकता है' (संभव है) आदि।

अर्थ—अर्थ के स्तर पर तो और भी अधिक पुनरावृत्तियाँ होती हैं। जैसे वह एक आँख का काना है (इसमें 'एक आँख का' पुनरावृत्ति है, 'काना' कहना पर्याप्त है), उसकी एक आँख कानी है (यहाँ भी 'एक आँख' व्यर्थ है। ठीक होगा 'वह काना है' या 'वह कानी है'), तुम कुछ ठीक तो हो गए किंतु अभी लगातार अनवरत रूप से दवा लेने की जरूरत है, तू इन्ही कामों के करने में दक्ष है ('तू इन्ही कामों में दक्ष है' कहना पर्याप्त है), कृपया आने की मेहरबानी करें, वे सज्जन व्यक्ति हैं ('सज्जन' पर्याप्त है। 'व्यक्ति' और 'जन' (सत् + जन (समानार्थी है), ऐसे ही सज्जन पुरुष, सज्जन आदमी में भी, दुर्घटना में घायल बेहाल दशा में पड़े थे, लगभग एक लाख के जुलूस ने प्रदर्शन किया

(लगभग एक लाख ने 'जुलूस निकाला' या 'प्रदर्शन किया'), मादा कोकिला का कठ मधुर नहीं होता, अपितु नर कोकिल का होता है, नर मयूर सुंदर होता है, मादा मयूरी नहीं; नर शेर और मादा शेरनी, दोनों ही वहाँ देखे जा सकते हैं, वैसे बेजोड़ व्यक्ति जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तुम्हें मुश्किल से मिलेगा, आपका भवदीय (पत्र के अंत में), मेरा काम तो नहीं होगा परंतु फिर भी मैं आ जाऊँगा, मैंने उसे बुलाने को कहा था, किंतु फिर भी वह आया नहीं; अपना आत्म-सम्मान सभी को प्यारा होता है, कल होलिकोत्सव समारोह है, जाने कितने बेशुमार लोग वहाँ खड़े हैं, जाने कितनी बेशुमार कीडियाँ उस पानी में हैं, आज पुरानी मर्यादा की सीमा टूट चुकी है, बाढ़ का भय और डर बना हुआ है, मलेरिया के डर और खतरे से वे लोग चले गए हैं, उनके बाहुबल और शक्ति का क्या कहना, उनमें शक्ति-बल भी है और बुद्धिबल भी अब बुढ़ापा आया, कुछ चाहने की इच्छा नहीं है, इस विश्व में आए सभी, काल-चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तुमने सोती नींद से जगा दिया, मैं गुनगुना नीमगरम पानी पीऊँगा, वह अत्यंत सुंदर और बहुत खूबसूरत है, यह घटना अत्यंत विस्मयकारी और परम आश्चर्यजनक है। आपकी कविता बहुत सरस और रसीली है, आपके इस कार्य का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? प्राजीवन भर, आजीवन पर्यंत, वह सदैव ही बीमार रहता है, केवल चाय ही लो, तुम यहीं ही रहना, यास्कादि प्रभृति आचार्यों ने, वसंतोत्सव के समारोह में, तथा समस्त प्राणिमात्र आदि, 'कालांतर में' का प्रयोग यो तो खूब होने लगा है, किंतु वस्तुतः 'कालांतर' पर्याप्त है, इसमें 'में' अनावश्यक है। 'कालांतर' का अर्थ है 'काल के अंतर से' या 'बाद में'।

बहुवचन के चिह्नो की पुनरावृत्ति—हिन्दी में कुछ प्रकार के वाक्यों में तो क्रिया में बहुवचन के चिह्न दो बार या तीन बार आते हैं, और वाक्य अशुद्ध नहीं होता, जैसे—'लडके जा रहे हैं।' यहाँ 'रहे' और 'हैं' दोनों ही बहुवचन हैं, इनमें क्रमशः 'ए' तथा 'अनुनासिकता' बहुवचन के चिह्न हैं। ऐसे ही—'उनका काम बनता जा रहा है।' का बहु० 'उनके काम बनते जा रहे हैं।' यहाँ क्रिया में बहुवचन के चार रूप आए हैं। किंतु सर्वत्र ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए 'लडकी गई' का बहुवचन होगा 'लडकियाँ गईं' किंतु 'लडकी गई थी' का बहुवचन 'लडकियाँ गई थी' नहीं होगा। यहाँ दो बार बहुवचन के चिह्न नहीं आ सकते। शुद्ध होगा—'लडकियाँ गई थी' अर्थात् केवल 'थी' बहुवचन होगा, 'गई' नहीं। ऐसे ही 'वे लोग आई हैं।' या 'वे लोग आई थी।' अशुद्ध है, शुद्ध होगा—'वे लोग आई हैं' तथा 'वे लोग आई थी।' वस्तुतः यह अंतर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का है। पुल्लिंग में अधिक बहुवचन चिह्न आ सकते हैं, किंतु स्त्रीलिंग में नहीं—कपडा बनता जा रहा है—कपडे बनते जा रहे हैं। किंतु कमीज बनती जा रही है—कमीजें बनती जा रही हैं। ऐसे ही 'लडका गया था।'—'लडके गए थे।'।

किंतु 'लडकी गई थी।'—'लडकियाँ गई थी।' लडकियाँ गई थी अशुद्ध होगा।

अपवाद

ऊपर करण-युक्त शब्दों के साथ 'कर' धातु के रूपों का आना पुनरावृत्ति, अतः दोष माना गया है (इसका वर्गीकरण करने के लिए—इसके वर्गीकरण के लिए), किंतु इसका आशय यह नहीं कि करण-युक्त शब्दों के बाद 'कर' धातु के रूप कभी आ ही नहीं सकते। आ सकते हैं किंतु वहाँ नहीं, जहाँ अनावश्यक हैं। उदाहरण के लिए निम्नांकित वाक्य में 'कर' के रूपों को निकाला नहीं जा सकता—'निम्नांकित सामग्री का वर्गीकरण कीजिए।' यो तो इसे यो भी कहा जा सकता है कि 'निम्नांकित सामग्री को वर्गों में बाँटिए' और यह कहना भी ठीक है, किंतु 'वर्गीकरण कीजिए' अब इतना चल पडा है, कि उसे अमानक ठहराना कठिन है।

ऐसे ही बल देने के लिए भी कभी-कभी पुनरावृत्ति करनी पडती है। जैसे 'वे बल वापस लौट रहे हैं।' यहाँ 'लौटने' में 'वापस' का भाव है, फिर भी 'लौटने' का प्रयोग करते हैं, और यह अशुद्ध नहीं माना जाता। मूलतः यह अभिव्यक्ति अंग्रेजी *He is returning back* का अनुवाद है, किंतु हिन्दी में इतनी चल पडी है, कि इसे निकाला नहीं जा सकता। पत की एक प्रसिद्ध पक्ति है 'मानव तुम सबसे सुदरतम।' इसमें 'सबसे और 'तम' में पुनरावृत्ति है, किंतु यहाँ यह बल के लिए है, अतः दोष न होकर शैलीय गुण माना जाएगा। नेहरूजी ने ऐसे ही एक स्थान पर *most importantest* का प्रयोग किया, जैसे हिन्दी में 'सबसे महत्त्वपूर्णतम' कहा जाएगा।

पुनरावृत्ति—2

भाषा में एक दूसरे प्रकार की भी पुनरावृत्ति मिलती है, जो 'पुनरावृत्ति—1' से भिन्न होती है। इसमें पुनः प्रयुक्त शब्द व्यर्थ या निरर्थक नहीं होता, किंतु एक ही वाक्य में उसका दो बार आना खटकता है, अतः अपनी भाषा को आकर्षक बनाने के लिए उससे बचना चाहिए। ऐसी पुनरावृत्तियों के कुछ उदाहरण (हिन्दी पुस्तकों और लेखों आदि से) दिए जा रहे हैं पहले पुनरावृत्ति-युक्त रचना है, फिर पुनरावृत्ति-रहित न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (*International court of Justice*)—अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मैं उनसे फैसला करने के लिए बात करने के लिए गया था—मैं उनसे फैसला करने के लिए बात करने गया था, पाकिस्तान को भारत के बराबर शक्तिशाली बनाने के लिए, हथियार देने के

लिए अमरीका ने समझौता किया—पाकिस्तान को भारत के बराबर शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से हथियार देने के लिए अमरीका ने समझौता किया, राम को मोहन को समझाना चाहिए—राम को चाहिए कि मोहन को समझाए (यहाँ कोई भी 'को' हटाना संभव नहीं था, अतः उन्हें दूर-दूर करके वाक्य के पुनरावृत्तिक प्रभाव को कम किया जा सकता है), जो व्यापारी व्यापारी-संघ से संबद्ध थे—जिन व्यापारियों का संबंध व्यापारिक संघ से था (यहाँ भी वही पद्धति अपनायी पड़ी है), निश्चित रूप से यह रूप अस्थायी है—निश्चितत यह रूप अस्थायी है, पिछले वर्षों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधरे हैं—पिछले वर्षों में भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरे हैं, इस प्रकार वह कई प्रकार के बहाने बनाने लगा—इस प्रकार वह कई तरह के बहाने बनाने लगा, यही वजह है जिस वजह से वे बीमार रहते हैं—इसी वजह से वे बीमार रहते हैं, मई के लिखे पत्रों में लिखा है—मई के पत्रों में लिखा है, यह जीवित जीव (living organism) है—यह जीवित प्राणी है, अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए धन एकत्र करने के लिए—अकालग्रस्त लोगों के सहायताार्थ धन एकत्र करने के लिए—अकालग्रस्त लोगों के वास्ते धन एकत्र करने के लिए, आदि।

निरर्थक शब्दादि

आगे व्यर्थ में प्रयुक्त शब्दादि के उदाहरण हैं। ऐसे प्रयोगों को मोटे टाइप में दिया गया है। जिनका निरर्थकता स्पष्ट है, अतः उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। सारे विश्व भर में (दोनों में एक ही आवश्यक है), यौवनावस्था में ('यौवन में' अथवा 'युवावस्था में', 'यौवन का अर्थ ही है 'युवावस्था'), उस वस्तु को उठाइए (वह वस्तु उठाइए), वे एक अच्छे आदमी हैं (अंग्रेजी a good man का प्रभाव), यहाँ निखालिस दूध बिकता है; वह असमय में मर गया, इन दोनों के संबंध को स्पष्ट करो, सवेरे के समय सोना बुरा है, अपने घर को जाइए, क्या बेफुजूल के काम करते रहते हो?, इस पर समुचित रूप से ध्यान दो ('उचित' पर्याप्त है, 'सम' की क्या आवश्यकता?); यह गुप्त रहस्य है, अब वे पीछे लौट रहे हैं, वे कुर्सी से ऊपर उठे, इसका उत्तरदायित्व आप पर है, इस पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की, हिन्दी समिति के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, उस कृति में गरीबों का सुंदर चित्रण उपस्थित किया गया है, इसकी सारी व्यवस्था अब आप पर निर्भर करती है, मैं वह नहीं मानता जो कि आप मानते हैं, उनका और हमारा वह संबंध नहीं है जो कि दुनिया मानती है, वहाँ घोर निराशावाद है, तुम जा रहे हो, भ्रत जाओ, वे अपने कपड़े बदल रहे हैं, उसकी आवाज मुझे कानों में सुनाई पड़ी; वहाँ प्रति व्यक्ति के लिए दो सौ

खर्च पड़ेगा, जरा आप अपने मन में सोचें तो ।

निरर्थक शब्दों के सबध में कभी-कभी मतभेद की भी गुंजाइश हो सकती है । उदाहरण के लिए कुछ लोग 'अपनी प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करो' जैसे वाक्यों में 'परंपरा' के साथ 'प्राचीन' या 'पुराना' शब्द अनावश्यक मानते हैं । मेरे विचार में ऐसा नहीं है । 'परंपरा' प्राचीन भी हो सकती है, नवीन भी । ऐसी स्थिति में 'प्राचीन परंपरा में 'प्राचीन' शब्द अनावश्यक नहीं कहा जा सकता ।

शब्द-चयन

अच्छी भाषा के लिए सटीक शब्दों का चयन बहुत आवश्यक है। यदि वक्ता या लेखक ऐसा न कर सके तो या तो भाषा अशुद्ध हो जाती है, या उसकी ठीक बात श्रोता या पाठक तक नहीं पहुँच पाती। उदाहरण के लिए प्रायः लोग कहते हैं 'मैं निश्चय रूप से कुछ नहीं कह सकता।' ध्यान देने योग्य है कि 'निश्चय' सज्ञा है, जबकि यहाँ 'रूप' सज्ञा के पहले विशेषण आना चाहिए। अर्थात् इस वाक्य में 'निश्चय' के स्थान पर 'निश्चित' का प्रयोग होना चाहिए मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। इस तरह 'निश्चय रूप' वाला वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। ऐसे ही मान ले आपसे किसी ने पूछा, 'आपके पिता जी क्या कर रहे हैं?' आपने कहा 'लेटे हैं।' किंतु वस्तुतः वे 'लेटे' नहीं 'सोए' हैं। वहाँ आपने 'लेटना-सोना' में ठीक चयन नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आप जो कहना चाहते थे, गलत शब्द-चयन के कारण नहीं कह पाए, और कुछ और ही कह गए, जो आप वस्तुतः नहीं कहना चाहते थे। यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ ऐसे शब्द लिए जा रहे हैं, जो प्रायः समान लगते हैं, और जिनके प्रयोग में चयन की गलती प्रायः लोग कर जाते हैं।

अंतिम, आखिरी, पिछला—'अंतिम' या 'आखिरी' तो वह है जो अंत या आखिर में हो तथा फिर न हो। जैसे 'श्री सुमित्रानंदन पंत अंतिम वार 1977 में दिल्ली आए थे।' या 'नेहरू जी अंतिम वार.....में इलाहाबाद गए थे।' 'अंतिम' एवं 'आखिरी' में शैलीय भेद ही है। पिछला में अंत या आखिर की कोई बात नहीं होती, आगे फिर उसकी सभावना हो सकती है 'पिछली वार मैं लखनऊ गया था तो कुत्ते लाया था, अगली वार जाऊँगा तो चिकन की साड़ी लाऊँगा।'

अनवन, खटपट—पहले का प्रयोग ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए होता है, जब दो (व्यक्ति या वर्ग) में अनवन न हो। जिनमें अनवन होती है वे प्रायः एक-दूसरे में अलग रहते हैं, बोलते-चालते नहीं या संपर्क नहीं रखते। हमके विपरीत खटपट का प्रयोग यह व्यक्त करने के लिए होता है कि दोनों में

मपकं या बोलचाल है, किंतु थोड़ा-बहुत झगडा है, पटती नहीं। इस तरह झगडा न्वटपट से आगे की चीज है।

अस्त्र-शस्त्र—अस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिन्हें फेंककर (जैसे हथ-गोना), या चलाकर (जैसे वाण, बंदूक) मारते हैं, किंतु शस्त्र उन्हें कहते हैं जिन्हें हाथ में पकड़े हुए (जैसे तलवार) मारते हैं।

अस्थिर, अस्थायी—जो एक स्थान पर टिके नहीं वह अस्थिर है, तथा जो सदा न रहे वह अस्थायी है। उदाहरण के लिए 'वह बड़ा ही अस्थिर आदमी है, किंतु 'मेरी नौकरी अभी तो अस्थायी है, हाँ अगले वर्ष स्थायी हो जाने की पूरी सम्भावना है।'

अपराध, जुर्म, पाप, दुष्कर्म—कानून ताडकर जो किया जाए वह अपराध या जुर्म है। धार्मिक या नामाजिक मान्यताओं की दृष्टि से अकरणीय कार्य करना पाप है। अपराध या जुर्म का दंड शासन देता है। ऐसी मान्यता है कि पाप का दंड भगवान देता है। 'पाप' की परिभाषा विभिन्न धर्मों, संप्रदायों तथा कालों में अलग-अलग रही है, किंतु अपराध या जुर्म की परिभाषा, अपवादों को छोड़कर प्रायः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है। दुष्कर्म में कुछ अपराध, तथा पाप-पुण्य में आस्था रखने वालों के लिए कुछ पाप, दोनों ही आते हैं, किंतु सभी नहीं। उदाहरण के लिए झूठ बोलना पाप है तथा भारत में कुछ क्षेत्रों में आज-कल पेड़ काटना अपराध है, किंतु इन दोनों को ही दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।

अमूल्य, बहुमूल्य, वेशकीमत—'अमूल्य' का अर्थ है जिसे किसी भी मूल्य पर प्राप्त न किया जा सके। उदाहरण के लिए गांधी जी की अमूल्य सेवाओं को भारत कभी नहीं भूल सकता। 'बहुमूल्य' का अर्थ है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। जैसे 'बहुमूल्य हार'। 'बहुमूल्य' तथा 'वेशकीमत' में अर्थ का भेद नहीं है। इनमें मात्र शैलीय भेद है।

आत्मीय, आत्मिक—'आत्मीय' का अर्थ है जो अपना हो 'वे मेरे आत्मीय हैं।' किंतु 'आत्मिक' का अर्थ है 'आत्मा का' इस कार्य में मुझे आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है।

आहट, टोह—दोनों ही शब्दों का प्रयोग 'लेना' क्रिया के साथ प्रायः होता है किंतु 'टोह लेना' का प्रयोग खुद आगे बढ़कर कुछ जानने के लिए होता है, जबकि 'आहट लेना' के प्रयोग के लिए खुद जाना या आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है।

इजाजत, अनुमति, हुक्म, आज्ञा, आदेश—कोई व्यक्ति कुछ कहना, करना या कही जाना चाहता है तो इजाजत या अनुमति लेता है। यह अपने में बड़े (पद, अधिकार) से ली जाती है, और बड़ा इजाजत या अनुमति देता है। दूसरे देश में या दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश के लिए भी अनुमति या इजाजत लेते हैं। इसके

विपरीत बडा (पद, अधिकार, उम्र) अपने छोटे को किसी काम के लिए हुक्म या आज्ञा देता है अथवा छोटा बडे से कुछ करने आदि के लिए आज्ञा माँगता या लेता है, (किंतु हुक्म नहीं)। आदेश बडा अधिकारी या अपने से उम्र आदि मे बडा अपने से छोटे को देता है। आज्ञा माँगते है तो वह अनुमति के निकट आ जाती है और आज्ञा देते हैं तो वह आदेश का लगभग पर्याय हो जाती है यो आज्ञा या हुक्म देने मे कुछ करने, कहने या कही जाने के लिए बडे से छोटे की ओर दबाव होता है, अनुमति मे दबाव नहीं होता। कोई चाहे तो कर ले। 'आदेश' का प्रयोग प्रशासनिक भाषा मे प्राय अधिक होना है।

कारण, वजह—दोनों अर्थ की दृष्टि से एकार्थी है, किंतु प्रयोग मे थोडा अन्तर है। 'इसका कारण क्या है?' 'इसकी वजह क्या है?' दोनों प्रयोग ठीक है। किंतु 'आप किस कारण आए' प्रयोग कभी-कभी सुनाई पड जाता है, परन्तु 'आप किस वजह आए' प्रयोग नहीं मिलता। 'वजह' के बाद ऐसी रचना मे 'से' का आना आवश्यक है पर कारण के बाद 'से' आता भी है और नहीं भी आता। इन दोनों मे न आने का अनुपात कदाचित् अधिक है। यो 'किस कारण' के स्थान पर 'किस लिए' का प्रयोग अधिक चलता है।

कुछ, कोई—ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 'कुछ' प्राय वस्तुओ (खाने को कुछ दो) तथा मानवेतर जीवो (इस झाडी मे कुछ बोल रहा है) के लिए आता है तथा 'कोई' मानव (कोई आया था, तुम्हे पूछ रहा था) के लिए। ये दोनों सर्वनाम, विशेषण के रूप मे भी आते हैं, और तब 'कुछ' मानव (कुछ लोग आए हैं) तथा वस्तु (बनारस से कुछ साडियाँ मँगानी हैं।) दोनों के पूर्व आता है। ऐसे ही 'कोई' भी मानव तथा वस्तु दोनों (कोई आदमी भेज दो, कोई चीज मेरे लायक है क्या?) के लिए आता है। 'कुछ' और 'कोई' मे एक बहुत स्पष्ट अंतर है, जिसका ध्यान न रखने पर हमारी अभिव्यक्ति प्राय गलत हो जाती है। 'कुछ' अस्तित्वबोधक शब्द है तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे इस कहने का कुछ भी अर्थ नहीं है। इसके विपरीत 'कोई' महत्वबोधक शब्द है मैं कोई नहीं, मुझे क्यो निमन्त्रित करोगे? यदि यह कहा जाए कि 'मैं कुछ नहीं, मुझे क्यो निमन्त्रित करोगे?' तो इसका अर्थ होगा कि सगे-सबधी, दोस्त-मित्र को निमन्त्रित करते हैं किंतु मेरा अस्तित्व इनमे से किसी के भी रूप मे नहीं है, अतः मुझे क्यो निमन्त्रित करोगे? इसी अंतर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'इसका कोई अर्थ नहीं' जैसे वाक्य ठीक नहीं है। होना चाहिए 'इसका कुछ अर्थ नहीं।' हाँ यदि 'अर्थ या मायने' की दृष्टि से न कहा जाकर महत्व के लिए कहा जा रहा है कि अमुक स्थिति मे ऐमा करने का कोई महत्व नहीं, तो फिर 'कोई' का प्रयोग ही उचित है। 'वह भी कोई आदमी है' मे भी उसी महत्व की बात है। 'कोई' और 'कुछ' मे एक और भी महत्वपूर्ण अंतर है। 'कुछ' मे नि(अनिश्चित) संख्याद्योतकता (कुछ आदमी आए हैं) तथा अनिश्चित परिमाण-

द्योतकता (कुछ दूध गिर गया, कुछ मैं पी गया, अब तो नहीं है) है, जबकि 'कोई' में केवल अनिश्चयद्योतकता (कोई आदमी आया है) है।

कृश, दुर्बल, निर्बल, कमजोर, दुबला, सीकिया—'कृश' उसे कहते हैं, जो मोटा न हो। 'दुर्बल' का अर्थ है जिममें 'बल' रहा हो किंतु कम हो गया हो। इसी आधार पर 'स्वस्थ' आदमी जब दुबला हो जाय तो कहते हैं 'तुम दुर्बल हो गए हो।' 'निर्बल' का प्रयोग शारीरिक दृष्टि से न होकर 'मन', 'इरादा' आदि की दृष्टि से कमजोर के लिए होता है। 'कमजोर' शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति दोनों ही के अभाव के लिए आता है। 'दुबला' का मूल अर्थ 'घटे बल का' है, किंतु अब इस शब्द का प्रयोग उसके लिए होता है जिसके शरीर का मांस घट गया हो। 'सीकिया' उसे कहते हैं जो प्रारंभ से ही बहुत दुबला-पतला मीक-जैसा हो।

क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध—'क्रोधी' और 'क्रोधित' दोनों ही शब्द 'क्रोध' के आधार पर बने हुए विशेषण हैं, किन्तु दोनों के प्रयोगों में अंतर है। 'क्रोधी' शब्द का प्रयोग किसी की आदत बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि 'क्रोधित' का किसी विशिष्ट समय में किसी का 'गुस्से होने' के लिए। उदाहरणार्थ 'राम बहुत क्रोधी है।' 'राम बहुत क्रोधित है'। पहले में राम के स्वभाव का वर्णन है, तो दूसरे में उसकी वर्तमान मानसिक दशा का। 'क्रोधित' और 'क्रुद्ध' समानार्थी हैं।

गूंघना-गूंघना—बाल गूंथे जाते हैं, चोटी और माला गूंथी जाती है, किंतु गूंघा जाता है आटा। ध्वनि-साम्य के कारण काफी लोग एक अर्थ में दूसरे का प्रयोग गलती से कर जाते हैं।

घमड, गर्व, अभिमान, अहंकार—घमड निन्दनीय है। व्यक्ति को घमड अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं (स्वास्थ्य, सौंदर्य, शक्ति, धन, परिवार, सत्तान आदि) पर होता है, इसके विपरीत 'गर्व', 'घमड' को अपने में समेटता हुआ, उमसे कुछ अलग भी है। जैसे गर्व अच्छा भी होता है (हमें अपने देश पर गर्व है) तथा इसका आधार व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त सामूहिक विशेषता भी हो सकती है। इसीलिए अपने देश, अपनी सस्कृति या परम्परा आदि पर गर्व की बात की जाती है। 'अभिमान' घमड का समानार्थी होते हुए भी कुछ-कुछ गर्व की सीमा में भी आता है—अर्थात् इसका प्रयोग अच्छे अर्थ (स्वाभिमान) में भी होता है, तथा यह वाञ्छनीय भी होता है। 'अहंकार' में घमड तथा अभिमान की अति है। साथ ही 'घमड' कुछ बाह्य अधिक है तो 'अहंकार' आंतरिक और गहरा।

चितनीय, चित्ताजनक, चित्त्य—'चितनीय' के दो अर्थ हैं (क) चितन अथवा चितन-मनन के योग्य। (ख) जिसके विषय में चितन अथवा मोक्ष-विचार की

आवश्यकता हो। 'चितनीय' शब्द स्पष्ट ही 'चितन' से बना है, इसके विपरीत 'चिताजनक' शब्द 'चिता' से बना है और इसका अर्थ है 'जो चिता उत्पन्न करे' या 'जिसे जान-सुनकर चिता हो', इसीलिए 'उनका स्वास्थ्य चितनीय है' कहना गलत है। कहना चाहिए 'उनकी स्थिति या उनका स्वास्थ्य चिताजनक है।' 'चित्य' का अर्थ है 'जो ठीक न हो', 'जिस पर और भी चितन-मनन की आवश्यकता हो'। जैसे 'हिन्दी में 'मेरे को' का प्रयोग चित्य है।'

झूठा, जूठा—खाकर छोड़ी गई चीज़ जूठी होती है तथा कोई बात झूठी होती है। बहुत से लोग 'जूठा' अर्थ में 'झूठा' या 'झूटा' का प्रयोग करते हैं, जो मानक हिन्दी में मान्य नहीं है।

ठीक-सही—'ठीक' उचित या वाजिब के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु 'सही' गलत का उल्टा है। 'सवाल गलत है या ठीक' की तुलना में 'सवाल गलत है या सही' अधिक अच्छा प्रयोग है।

तादाद, मिकदार, सख्या, मात्रा—'तादाद' से सख्या का द्योतन होता है तथा मिकदार से मात्रा का। 'काफी तादात में लोग मौजूद थे' कहना तो ठीक है, किंतु 'काफी मिकदार में लोग मौजूद थे' कहना नहीं। ऐसे ही हकीम यह तो कह सकता है कि दवा की मिकदार बढ़ा दो, किंतु यह नहीं कह सकता कि दवा की तादाद बढ़ा दो। एक बार मैं एक हकीम के यहाँ बैठा हुआ था। एक मरीज़ आया और हकीम से बोला 'पेशाब की तादाद बढ़ गई है।' हकीम साहब बोले 'तादाद या मिकदार?' मरीज़ की समझ में नहीं आया। मरीज़ का प्रयोग तो ठीक नहीं था, किंतु हकीम का प्रश्न सार्थक था। वे जानना चाहते थे पेशाब दिन-रात में जितनी बार होता था, उससे अधिक बार होने लगा है या एक बार में किए जाने वाले पेशाब की मिकदार बढ़ गई है। 'सख्या' तथा 'मात्रा' क्रमशः 'तादाद' और 'मिकदार' के समानार्थी हैं, तथा केवल शैलीय दृष्टि से ही अलग हैं।

दाता, दायक—इन दोनों का अर्थ है 'देने वाला'। किंतु पहले का प्रयोग व्यक्ति (मानव, ईश्वर) के लिए होता है तो दूसरे का 'वस्तु' आदि के लिए। सामंतीकाल में राजा को 'अन्नदाता' कहते रहे हैं। प्रसिद्ध पक्ति है 'हे प्रभो, आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए।' दूसरी ओर 'यह दवा बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी।'

दौड़ना, भागना—'दौड़ना' का मुख्य अर्थ है 'तेज़ गति से चलना' मैं रोज़ प्रातः दौड़ता हूँ। इसके स्थान पर 'मैं रोज़ प्रातः भागता हूँ' कहना गलत है। इसके विपरीत 'भागना' निम्नांकित अर्थों में आता है (क) डर आशंका या शर्म आदि के कारण अपने वचाव के लिए दूर जाना वह तो मुझ से भागता फिरता है (दौड़ता फिरता नहीं), (ख) जी चुराना तुम तो हर परिश्रम के काम में भागते हो (दौड़ते हो नहीं), उन्नति करोगे तो कैसे? (ग) किसी को

पाने के लिए उसकी ओर जाना 'भौतिक सुखों के पीछे जितना भागोगे, वे तुमसे उतने ही दूर होते जाएंगे।' इस अर्थ में कुछ लोग 'दौड़ोगे' का प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसा प्रयोग मानक नहीं है। कुछ वाक्यों में दोनों ही वातुएँ (दौड़, भाग) आ सकती हैं किंतु अर्थ में अंतर होता है। 'नीकर कपडे लेकर... *मालिक के पाम पहुँचा' वाक्य में 'भागता हुआ' के प्रयोग का अर्थ यह होगा कि उसे किमी प्रकार का भय है, किंतु 'दौड़ता हुआ' का प्रयोग करें तो अर्थ होगा 'तेजी से'। कुछ लोग दूसरे अर्थ में 'भागता हुआ' का प्रयोग करते हैं, किंतु वह प्रयोग शिथिल है।

निगलना, हडपना—'निगलना' का अर्थ है 'गले के नीचे उतारना'। वैसे मुहावरेदार भाषा में कहते हैं 'यह न तो निगला जा रहा है, न उगला।' 'हडपना' का अर्थ है बेइमानी से ले लेना या कब्जा कर लेना। यों, कोई चीज या पैसा लेकर, देने का नाम न लेने पर भी लक्षणा से निगलना का प्रयोग करते हैं।

निश्चय, निश्चित—दोनों में अंतर स्पष्ट है। पहला सज्ञा है, दूसरा विशेषण। कभी-कभी लोग बोल जाते हैं 'अभी मैं निश्चय रूप से कुछ भी कह सकन की स्थिति में नहीं हूँ।' ध्यान देने से स्पष्ट हो जाएगा कि होना चाहिए 'निश्चित रूप से'। 'रूप' सज्ञा के पूर्व 'निश्चित' विशेषण आएगा।

पठित, शिक्षित—पहले का अर्थ है जो पढा हुआ (पुस्तक, लेख, ग्रंथ आदि) हो, किंतु दूसरे का अर्थ है, जिसने पढा हो, शिक्षाप्राप्त। इसीलिए 'पठित व्यक्ति' या 'पठित समाज' जैसे प्रयोग गलत हैं। होना चाहिए 'शिक्षित व्यक्ति' 'शिक्षित समाज'।

पिछलगू, अनुयायी—'पिछलगू' तिरस्कार सूचक शब्द है। इसका प्रयोग किमी नेता, सत्ताधारी, बड़े आदमी या गुटबाज आदि का आँख मँदकर साथ देने वाले के लिए होता है। 'अनुयायी' सम्मानसूचक शब्द है। किसी चित्तक, दार्शनिक, सम्मान्य नेता, धर्म, मत या संप्रदाय आदि में आस्था रखकर उनके अनुसार चलने वाला 'अनुयायी' कहलाता है।

प्राय, प्राय, लगभग—'प्राय' तो शब्द के अंत में 'लगभग' के अर्थ में प्रत्यय की तरह जुड़ता है, और प्राय 'क्रियाविशेषण है' 'वह मृतप्राय है' अर्थात् 'वह लगभग मृत है' तथा 'वे मेरे यहाँ प्राय आते हैं'। बहुत से लोग इन दोनों का अंतर नहीं समझ पाने के कारण 'मृतप्राय' 'समाप्तप्राय' जैसे प्रयोग करते हैं, जो अशुद्ध हैं। दूसरे शब्दों में 'प्राय' स्वतंत्र शब्द के रूप में आता है तथा शब्द के अंत में 'प्राय' आता है 'कार्य समाप्तप्राय है' भी ठीक है और 'कार्य प्राय, समाप्त है' भी, किंतु 'कार्य समाप्तप्राय है' अशुद्ध है। प्राय के दो अर्थ हैं अधिकतर (वे प्राय बीमार रहते हैं) तथा 'लगभग' (वे प्राय स्वप्न हैं)। जबकि 'लगभग' का केवल एक अर्थ है करीब-करीब'। यहाँ मैंने 'प्राय' का दूसरा अर्थ 'लगभग' तो कहा है किंतु किसी उपयुक्त शब्द के न

मिलने के कारण ऐसा कहना पडा है। तत्त्वतः 'प्राय' और 'लगभग' में कुछ अंतर भी है। कुछ वाक्यों में तो इन दोनों में कोई भी आ सकता है (काम प्रायः लगभग पूरा हो चला है, वे अब प्रायः/लगभग स्वस्थ हैं, वहाँ अब लगभग/प्रायः शांति है), किंतु कुछ वाक्यों में 'लगभग' उपयुक्त है (दगे में लगभग बीस व्यक्ति मारे गए, लगभग मन भर दूध चाहिए) किंतु प्रायः नहीं। यों तो 'अधिकतर'—वाले अर्थ की बात छोड़ दे तो लोग सभी सदर्थों में 'प्राय' और 'लगभग' का पूर्ण पर्याय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किंतु 'सख्या' तथा 'परिमाण' के सदर्थों में अभी तक 'प्राय' का प्रयोग पूरी तरह मानक नहीं हो पाया है।

बडा, बहुत, अधिक, ज्यादा, बहुत अधिक, अधिकतर, अधिकांश, ज्यादातर, अधिकांशतः—'बड़े आदमी' जैसे विशेष प्रयोगों की बात छोड़ दे तो 'बडा' लवाई (बडा डडा, बडा साँप), लवाई-चौडाई (बडा खेत, बडा मैदान) तथा लवाई-चौडाई-ऊँचाई (बडा मकान) आदि का द्योतक है, तो 'बहुत' सख्या (बहुत आदमी हैं, बहुत दिन हुए), मात्रा या परिमाण (इस साल पानी बहुत बरसा है) आदि का। इस अंतर का ध्यान कम लोग रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं 'यह आदमी बडा बोलता है' किंतु होना चाहिए 'यह आदमी बहुत बोलता है'। ऐंसे ही 'उनकी बडी बेइज्जती हुई' 'आज भी लोग गांधी जी का बडा सम्मान करते हैं' 'वह बडा घूर्त है' 'यह बडा अच्छा लेख है' 'वह बडा सुंदर चित्र है' 'यह लडकी बडी भारी है' 'वे बड़े अच्छे आदमी हैं' 'उसके पास बडा पैसा है' जैसे वाक्यों में लोग प्रायः 'बडा' का प्रयोग करते हैं, किंतु इन सभी वाक्यों में उपयुक्त शब्द 'बहुत' है, क्योंकि इन सभी में मात्रा की बात की जा रही है, लवाई-चौडाई आदि की नहीं।

'बहुत' मात्रा या सख्या के आधिक्य (very) को व्यक्त करता है वह बहुत घनी है, कल वहाँ बहुत-से लोग थे। 'अधिक' और 'ज्यादा' तुलनात्मक (more) हैं वह अधिक घनी है, वह ज्यादा गरीब है, कल वहाँ बहुत-से लोग थे, किंतु आज अधिक (ज्यादा) है। 'अधिक' और 'ज्यादा' में तौलीय भेद है। 'बहुत' को और भी 'बहुत' बनाने के लिए 'बहुत अधिक' का प्रयोग करते हैं। जैसे 'बहुमूल्य वह है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो'। बडा (बडी-बडी बातें) और 'बहुत' (बहुत-बहुत घन्यवाद) की पुनरुक्ति भी होती है किंतु अन्यो की नहीं। यों, 'से' के साथ कुछ अन्यो की पुनरुक्ति संभव है बहुत-से-बहुत-अधिक-से-अधिक, ज्यादा-से-ज्यादा। शेष की पुनरुक्ति नहीं होती।

'अधिकांश' (अधिक + अंश) सज्ञा है तो 'अधिक' (अधिक, अधिकतर, अधिकतम) विशेषण। हिन्दी में बहुप्रयुक्त वाक्य 'आपकी अधिकांश बातें ठीक हैं' को यदि गहराई से देखें तो यह गलत है। 'बातें' विशेष्य के पूर्व विशेषण (अधिकतर) आना चाहिए सज्ञा (अधिकांश) नहीं। इसीलिए इसका शुद्ध रूप होगा 'आपकी अधिकतर बातें ठीक हैं' या फिर 'आपकी बातों का अधिकांश

ठीक है। 'अधिकांश लोग चले गए' भी ठीक नहीं है। इसे 'अधिकतर लोग चले गए' कहना चाहिए। 'ज्यादातर' भी अधिकतर का समानार्थी है अतः केवल शैली का है। प्रेमचन्द ने अपनी ज्यादातर कहानियाँ हिन्दी में लिखी हैं। 'ज्यादा' 'अधिक' तो समानार्थी हैं ही। 'ज्यादातर' 'ज्यादा' से अधिक है तो 'अधिकतर' अधिक से। 'अधिकतर' और 'ज्यादातर' क्रियाविशेषण (वे अधिकतर यही रहते हैं, वे ज्यादातर बाहर ही रहते हैं) भी है, किन्तु 'अधिकांश' नहीं। 'अधिकांश' का क्रियाविशेषण 'अधिकांशतः' है; अधिकांशतः ऐसा ही होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है।

वनना, हो जाना—'वना' स्वेच्छा से जाता है, 'हो जाना' में स्वेच्छा नहीं होती। 'भारत-विभाजन के समय हजारों हिन्दू-मुसलमान बेघरवार वन गए' जैसे प्रयोग गलत हैं। वे स्वेच्छा 'बेघरवार' वने नहीं, हो गए। नियति ने उन्हें वना दिया।

सकल्प करना, संकल्प लेना—पहले का अर्थ है किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। दूसरे का प्रयोग केवल घासिक अनुष्ठानों के सकल्प लेने के लिए होता है। इसीलिए 'हमने भारत से जातिवाद हटाने का सकल्प लिया है' कहना गलत है, ठीक है 'हमने का सकल्प किया है।'

सरल, सुगम—पहला 'आसान' है और दूसरा 'सरलता से जाने योग्य'। इसीलिए कार्य को 'सरल' तथा 'मार्ग' को 'सुगम' कहना अच्छा प्रयोग है। यों सरल मार्ग भी चल जाता है, किन्तु 'सुगम कार्य' नहीं चल सकता।

होशियार, चालाक—'होशियार' का प्रयोग कुशलता व्यक्त करने के लिए होता है किन्तु 'चालाक' के प्रयोग में घूर्तता की गंध है। कुछ लोगों के प्रयोगों में 'होशियार' में भी कुछ घूर्तता का भाव मिलता है, किन्तु उनके प्रयोगों में भी 'चालाक' अपेक्षाकृत अधिक घूर्त है। सामान्यतः किसी का होशियार होना अच्छा माना जाता है किन्तु चालाक होना बुरा। रोगी होशियार डाक्टर के यहाँ जाना और चालाक डाक्टर से वचना चाहता है।

मुहावरे

एकाधिक पदों की उस इकाई को मुहावरा कहते हैं, जिनका विशिष्ट अर्थ होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो वे जिनका एक तो सामान्य अर्थ होता है तथा दूसरा विशिष्ट। उदाहरण के लिए 'नौ-दो ग्यारह होना' ले। 'चार-दो छ और नौ-दो ग्यारह होते हैं।' वाक्य में 'नौ-दो ग्यारह होना' का सामान्य अर्थ है और यह मुहावरा नहीं है। किंतु 'सिपाही को देखते ही चोर नौ-दो ग्यारह हो गया।' वाक्य में 'नौ-दो ग्यारह होना' का सामान्य अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ 'भाग जाना है' और इसीलिए यहाँ यह सामान्य कथन न होकर 'मुहावरा' है। दूसरे वे मुहावरे होते हैं जिनका सामान्य अर्थ कुछ होता ही नहीं, केवल विशिष्ट अर्थ ही होता है। जैसे 'दिन दूना रात चौगुना बढ़ना' उसकी उन्नति के क्या कहने? वह तो आजकल दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। कुछ और उदाहरण लेना चाहे तो 'कान काटना', 'पापड़ बेलना', 'आग लगाना', 'काँटों में घसीटना' तथा 'गला घोटना' आदि प्रथम वर्ग के हैं तो 'छठी का दूध याद आना', 'नाको चने चबवाना', 'कलेजा बाँसो उछलना', 'उँगलियों पर नचाना' तथा 'तिल का ताड़ बनाना' आदि दूसरे वर्ग के।

सामान्य अभिव्यक्ति की तुलना में मुहावरेदार अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली होती है। 'उससे हमारी नहीं निभ सकती, वह तो अपने को बहुत बड़ा समझता है' की तुलना में 'उससे हमारी नहीं निभ सकती, उसका दिमाग तो सातवें आसमान पर रहता है' की प्रभावशालिता का राज यह ही है। यही कारण है कि कवीर, सूर, तुलसी जैसे बड़े कवियों तथा प्रेमचंद जैसे बड़े लेखकों ने मुहावरों का भरपूर प्रयोग किया है। उर्दू शायरी का बहुत बड़ा आकर्षण उसकी मुहावरेदानी है। निष्कर्षतः अच्छी हिन्दी के लिए यह आवश्यक है कि हम सहज रूप में अधिकाधिक मुहावरों को अपनी अभिव्यक्ति का अंग बनाएँ। इस दृष्टि से निम्नांकित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है —

(क) पहली बात तो यह है कि मुहावरों का अपनी भाषा में सहज प्रयोग करना चाहिए। जवर्दस्ती के ठूँसे हुए मुहावरों से भाषा में वह आकर्षण नहीं

आ पाता, जो उसके महज प्रयोग से आता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने अपने पूरे माहृत्य मे मुहावरो का सहज रूप मे प्रयोग किया है, इमीलिए, मुहावरो ने उनकी अभिव्यक्ति मे चार चाँद लगा दिए है, किंतु इसके विपरीत श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने 'बोलचाल' मे मुहावरो का इतना अधिक प्रयोग कर दिया है कि अनेक स्थलो पर मुहावरो की सार्थकता समाप्त हो गई है।

(ख) दूसरी बात ध्यान मे रखने की यह है कि मुहावरे के शब्द बदले नहीं जा सके। उदाहरण के लिए 'पानी-पानी होना' को 'जल-जल होना' नहीं कहा जा सकता और न 'आँखो मे धूल भोकना, को' चक्षुओ मे धूल भोकना'। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचनाओ मे कही-कही मुहावरो मे कुछ शब्दो के पर्याय रख दिए हैं, जिनमे मुहावरे का महज सौन्दर्य नष्ट हो गया है। उदाहरण के लिए उन्होने प्रयोग किया है 'इमको ही कहते है उँगली पकड प्रकोष्ठ पकड लेना' स्पष्ट ही यहाँ 'पहुँचा' के स्थान पर प्रकोष्ठ का प्रयोग किया गया है। सच पूछा जाए तो मुहावरो मे प्राय तद्भव और विदेशी शब्दो का ही प्रयोग होता है, तत्सम का बहुत कम। तो, मुहावरे मे जिन शब्दो का प्रयोग है, उन्ही का करना चाहिए, न कि उनके पर्यायो का।

(ग) मुहावरो के प्रयोग मे अर्थ की दृष्टि से सावधान रहना चाहिए। कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो सामान्यत देखने मे समानार्थी लगते हैं, किंतु वस्तुत ऐना नहीं होता। उदाहरण के लिए 'सोने में सुगध होना' तथा 'सोने मे सुहागा होना' का प्रयोग बहुत से लोग एक अर्थ मे करते हैं, किंतु वस्तुत दोनो मे अतर है। ऐमे ही 'सर पर पैर रखकर भागना'—'नौ दो ग्यारह होना' 'घडो पानी पटना'—'चुल्लू भर पानी मे डूब मरना', 'जान के लाले पडना'—'जान हथेली पर रखना' तथा 'दूर की कौडी लाना'—'दूर की हाँकना' एक नहीं हैं।

विराम-चिह्न

लिखित भाषा अपने कथ्य को तभी पूरी सफलता से व्यक्त कर सकती है, जब उसमें विराम-चिह्नों का समुचित प्रयोग हो।

‘विराम’ का अर्थ है ‘रुकना’। जो चिह्न बोलते या पढ़ते समय रुकने का वस्तुतः सकेत देते हैं, उन्हें विराम-चिह्न कहते हैं। विराम-चिह्नों में अब अनेक चिह्न सम्मिलित कर लिए गए हैं, और सभी का काम रुकने का सकेत देना ही नहीं है, किन्तु प्रारम्भ के विराम-चिह्न रुकने का ही सकेत देते थे, तथा आज भी प्रमुख विराम-चिह्न रुकने या विराम का ही सकेत देते हैं इसीलिए इन्हें विराम-चिह्न कहा जाता है।

विराम-चिह्नों की उपयोगिता अर्थद्योतन, उच्चारण, व्याकरणिक कार्य आदि कई दृष्टियों से है

(1) अर्थ का स्पष्टीकरण—कभी-कभी विराम-चिह्न के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए ‘जाओ मत बैठो’ बिना किसी विराम-चिह्न के निरर्थक है। यदि विराम ‘जाओ’ के बाद लगाएँ तो यह होगा ‘जाओ, मत बैठो’, और यदि ‘मत’ के बाद दें तो यह होगा ‘जाओ मत, बैठो’, और तब दूसरा अर्थ ठीक उलटा हो जाएगा। इसी प्रकार एक दृष्टि से ‘राम गया’ का निश्चित अर्थ लेना कठिन है। विराम-चिह्न के बाद इसके तीन अर्थ अलग-अलग अर्थ हो जाएँगे, (क) राम गया ?—क्या राम चला गया ? (ख) राम गया ।—अरे आश्चर्य है, राम चला गया । (ग) राम गया । यह सामान्य सूचना देने वाला वाक्य है। ऐसे ही ‘सुन्दर पुस्तकें और कापियाँ’ में ‘सुन्दर’ दोनों सज्ञाओं का विशेषण है, किन्तु ‘सुन्दर पुस्तकें, और कापियाँ’ में ‘सुन्दर’ केवल ‘पुस्तकें’ का विशेषण है। इस प्रकार विराम-चिह्न अर्थ-भेदक होते हैं।

(2) साँस लेना—पढ़ने में साँस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है। मुख्यतः लम्बे वाक्यों में यह बहुत आवश्यक है। पूर्णविराम, अर्धविराम, अल्पविराम प्रायः रुकने के लिए या साँस लेने के लिए सकेत का कार्य करते हैं। आगे विराम-विवेचन के अनेक उदाहरणों में यह बात मिलेगी।

(3) सरचना श्रवयव-सकेत—पैराग्राफ के मुख्य श्रवयवों का भी पता विराम-चिह्नों में चलता है। उदाहरण के लिए पैराग्राफ के वाक्य पूर्णविराम में झलगाए रहते हैं। इसी प्रकार वाक्य के उपवाक्य (प्रधान और आश्रित) भी प्रायः श्रवयवविराम में झलक गए जाते हैं।

(4) सामासिक पद-सकेत—योजक-चिह्न सामासिक पदत्व को सूचित करते हैं, अर्थात् योजक शब्द के स्थान पर आते हैं दुःख-सुख=दुःख और सुख। यहाँ योजक-चिह्न और 'के स्थान' पर आया है। 'घोड़ा गाड़ी' तथा 'घोड़ा-गाड़ी' में अन्तर है, जो योजक-चिह्न से ही प्रकट होता है। ऐसे ही 'आज-कल', 'आज कल', 'भाषा विज्ञान', 'भाषा-विज्ञान' आदि।

(5) शेषांश सकेत—स्थान की कमी से यदि किसी पंक्ति के अन्त में किसी शब्द का एक अक्षर ही लिखा जा सके तो योजक-चिह्न लगाकर शेष अक्षर दूसरी पंक्ति में लिखते हैं

यह मेरी आवश्यक-
ता है।

(6) अनुतान-सकेत—वाक्य को बोलने या पढ़ने में लहजे या अनुतान (Intonation) का सकेत करने की दृष्टि में भी विराम-चिह्न सहायक होते हैं 'लडका गया।' 'लडका गया?' तथा 'लडका गया।' को तीन लहजों में बोला या पढ़ा जाएगा।

(7) इत्यादि सकेत— इत्यादि, या उसी प्रकार का, जैसे भावों को व्यक्त करता है 'मोहन सोचता गया सोचता गया' ..।

हिन्दी में विराम-चिह्न के रूप में मुख्यतः निम्नांकित चिह्नों का प्रयोग होता है

नाम	चिह्न
1 श्रवयवविराम (काँमा)	,
2 अर्धविराम	,
3 पूर्णविराम	।
4 प्रश्नसूचक चिह्न	? .
5 आश्चर्यसूचक चिह्न	!

इनके प्रतिरिक्त निम्नांकित विराम-चिह्न भी प्रायः गिनाए जाते हैं, यद्यपि यान्त्रिक रूप में इन्हें विराम-चिह्न न कहकर 'चिह्न' कहना अधिक उपयुक्त होगा। यों इनकी जानकारी भी शुद्ध लेखन और पठन की दृष्टि में अपेक्षित है

नाम	चिह्न
1 बोलन	
2 टैंग	—

3. कोलन तथा डैश, अथवा वितरण-चिह्न	: —
4. योजक चिह्न (हाइफन)	-
5. उद्धरण-चिह्न	“ ” अथवा ‘ ’
6. कोष्ठक	()
7. सक्षेपसूचक चिह्न	◦ अथवा .
8. काकपद अथवा हसपद	^
9. इत्यादि-चिह्न

इन्हे क्रमशः लिया जा रहा है :

अल्पविराम—जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि, इस विराम-चिह्न का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ बोलने या पढ़ने में 'अल्प' या बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। इसका प्रयोग प्रमुखतः निम्नांकित स्थितियों में होता है।

(1) जहाँ एक ही प्रकार के पद, शब्द, पदवध या वाक्यांग आएँ, किंतु उनके बीच में 'और', 'तथा' आदि समुच्चयबोधक शब्द न हों। जैसे—

(अ) श्याम, कृष्ण, मधुकर और सुरेन्द्र पढ़ रहे हैं।

(आ) वह गोरा, स्वस्थ, सुन्दर, सुशील, मिलनसार और योग्य है।

(इ) अभी मुझे नहाना, खाना, आराम करना और पत्र लिखना है।

(ई) मोहन की टैक्सी का चालक, प्रेस का चौकीदार, उस बैंक का चपरासी तथा नेता बना फिरने वाला धूर्त, चारों ही उस मुकदमे में पकड़ लिए गए हैं।

विशेष—कुछ लोग अंग्रेज़ी की शैली पर 'और' के पहले भी अल्पविराम लगाते हैं। मुझे अभी पुस्तकें, फाइलें, तथा पेंसिल खरीदनी है। किंतु सामान्यतः जहाँ 'और' तथा 'व' आदि आते हैं, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया जाता।

(2) वाक्य में जहाँ, वह, तो, तब, सो, वैसा आदि का लोप हो—

(अ) जो चीज़ चोरी गई थी, मिल गई है ('वह' का लोप)

(आ) चलना है, अभी चलो। ('तो' का लोप)

(इ) जब चाहो, आ जाना ('तब' का लोप)

(ई) जो करेगा, भरेगा ('सो' का लोप)

(उ) जैसा चाहो, ले लेना ('वैसा' का लोप)

(3) समानाधिकरण शब्दों के बीच में 'अयोध्या के राजा, दशरथ पुत्र-शोक से मरे। कुछ लोग ऐसी स्थिति में अल्पविराम नहीं लगाते हैं। यहाँ यह विराम-चिह्न से अधिक वाक्यावयवसूचक चिह्न है।

(4) वाक्य में सम्बोधन के पद के बाद—बेटे, ज़रा सुनना तो। ऐसे स्थानों पर बहुत से लोग 'चिह्न' भी लगाते हैं, किंतु अब अल्पविराम लगाने की प्रथा बढ़ती जा रही है।

(5) मगर, लेकिन, पर, परतु, किंतु, तो भी, फिर भी आदि के पूर्व में जाऊंगा, किंतु आज नहीं।

(6) वाक्य के आरंभ में हाँ, नहीं, क्यों नहीं, अवश्य, जरूर आदि के बाद हाँ, चल्ना, अवश्य, क्यों नहीं करूँगा, जरूर, मगर जल्दी आना। ये अभिव्यक्तियाँ प्रायः प्रश्न का उत्तर होती हैं, तथा अल्पविराम के बाद का अर्थ स्पष्टीकरण के लिए या पूरक रूप में होता है।

(7) उपवाच्यों के पहले, बाद में अथवा दोनों ओर (1) वह चोगी करना है, मैं जानता हूँ। (11) वह घड़ी, जो तुमने दी थी, टूट गई।

(8) छंद में पाद या चरण के अंत में या कभी-कभी बीच में भी।

(9) अलगाने के लिए अथवा दो कभी-कभी दो वाक्यों के बीच में। 'राम गया', 'राम गया?' और 'राम गया।' एक नहीं है।

(10) उद्घरण के पूर्व मिपाही ने पूछा, 'और तुम?' कुछ लोग इसके स्थान पर ईश भी लगाते हैं मिपाही ने पूछा—और तुम?

(11) क्रियाविशेषण पदबंध को अलग करने के लिए तुम्हारा भाई, इतना कहने पर भी, नहीं आया।

(12) तारीख देने में महीना और मन् के बीच में 2 जुलाई, 1975

(13) पद्य अथवा प्रार्थनापत्रों में संबोधन आदि के बाद प्रिय भाई, श्रीमन्, महोदय, अल्पविराम न लगाने से कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है 'मत्स्यरूपधारी दानवों के शत्रु विष्णु ने' से लगता है कि दानवों ने मत्स्यरूप धारण किया था। होना चाहिए मत्स्यरूपधारी, दानवों के शत्रु, विष्णु ने।

अर्धविराम—इसका प्रयोग वहाँ किया जाना है, जहाँ अल्पविराम में कुछ अधिक किंतु पूर्णविराम से कुछ कम रुकना अपेक्षित होता है। सामान्यतः इसके स्थान पर लोप या तो अल्पविराम का प्रयोग करते हैं या वाक्य को तोड़कर कई वाक्य बना लेते हैं, अतः पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं। इस तरह इसका प्रयोग बहुत कम होता है। बहुत से लोग तो इसका प्रयोग विन्कुल करते ही नहीं तथा अल्प और पूर्ण में ही काम चला लेते हैं। अर्धविराम का प्रयोग निम्नांकित स्थितियों में होता है

(1) जहाँ कई वर्गों की बात की जा रही हो, प्रत्येक के बाद अल्पविराम तथा वर्ग के बाद अर्धविराम लगाते हैं मैं कल तीन महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लिए कुछ पेंड, कोट और बमोजों, जूते, चप्पल और गैटिन, सायुन, नेल और कधी, तारा किताबें, फाइल और कौरे गगन आदि निम्नांकित रख दो।

(2) यदि किसी वाक्य के उपवाक्य आपस में बहुत बढ़त न हों तो उनके बीच भी अर्धविराम देने हैं वह फिर आया, नरकों परंगन बना, किसी

का भी कहना नहीं मानेगा, लगता है फिर वही पूरी कहानी दुहराई जाएगी ।

(3) यदि उपवाक्यो के भीतर अल्पविराम हो, तो आति से बचने के लिए आरम्भिक तथा मध्यवर्ती उपवाक्यो के अन्य में अर्धविराम लगाते हैं मोहन का लडका श्याम, आना चाहे तो आ जाए; बस शर्त यह है, कि परिश्रम से अपना काम करे ।

(4) कोशो में अलग-अलग अर्थों को अलगाने के लिए ।

वस्तुतः अर्धविराम का प्रयोग बहुत ही व्यक्तिपरक-सा है, और इसकी सीमारेखा स्पष्ट रूप से अल्पविराम से बहुत अलग नहीं है । सदस्य पर आश्रित सुविधा और स्पष्टता के लिए ही इसका प्रयोग प्रायः किया जाता है ।

पूर्णविराम—रुकने की मात्रा की दृष्टि से पूर्णविराम सबसे दीर्घ होता है । इसका प्रयोग अन्य विरामो से बहुत अधिक होता है । पूर्णविराम निम्नांकित स्थानों पर प्रयुक्त होता है -

(1) प्रत्येक वाक्य के अंत में यह आता है ।

(2) छंदों में यदि पादों के भीतर अल्पविराम आता है तो पादांत में पूर्णविराम और यदि चार पादों का छंद है तो कुछ लोग तो दूसरे और चौथे के अंत में पूर्णविराम लगाते हैं, कुछ लोग चारों के अंत में, कुछ लोग पहले और तीसरे के अंत में अल्पविराम, दूसरे के अंत में पूर्णविराम तथा चौथे के अंत में दो पूर्णविराम (।।) । मुक्त छंदों में भी आवश्यकतानुसार पूर्णविराम का प्रयोग मध्य में या अंत में कहीं भी किया जाता है ।

अब हिन्दी की कई पत्र-पत्रिकाएँ तथा लेखक हिन्दी के परम्परागत पूर्णविराम (।) के स्थान पर अंग्रेजी के पूर्णविराम () का प्रयोग करने लगी हैं । वाक्य के अंत का पूर्णविराम वाक्य के बोलने के लहजे या अनुतान को भी व्यक्त करता है । पूर्णविराम-युक्त वाक्य के बोलने में अंत में अनुतान में थोड़ा उतार आ जाता है राम घर चला गया । तत्त्वतः ? और ! भी एक प्रकार के पूर्णविराम ही हैं ।

प्रश्नसूचक चिह्न—अपवादों की बात छोड़ दें तो यह भी एक प्रकार का पूर्णविराम ही है । इसका प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में होता है । प्रश्न—तुम कहाँ जा रहे हो ? उत्तर—घर । यह भी ध्यान देने की बात है कि पूरा वाक्य न हो, किंतु प्रश्न हो तब भी यह चिह्न लगाते हैं । जैसे—

प्रश्न—तुम्हारा नाम ? उत्तर—शैलेन्द्र । और तुम्हारा ? उत्तर—कौशल ।

प्रश्नसूचक चिह्न सभी प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में नहीं आते । उदाहरण के लिए एक छात्र से पूछा गया—विश्व का सबसे ऊँचा पहाड़ कौनसा है ? उसने उत्तर नहीं दिया या गलत दिया । दूसरे से पूछा गया—अच्छा, तुम बताओ । ऐसे आज्ञा वाले प्रश्नसूचक वाक्यों में प्रश्न का चिह्न न लगाकर पूर्णविराम लगाते हैं । ऐसे ही कभी-कभी प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग यों ही

डाँटने के लिए (क्या बकते हो, चुप रहो) करते हैं तब भी इम चिह्न का प्रयोग नहीं होता। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के वाक्य में भी यह चिह्न नहीं लगाते 'वह क्या करता है, मैं नहीं जानता।' या 'राम ने पूछा कि श्याम कहाँ है।'

प्रश्नसूचक चिह्न वाले वाक्य के बोलने में अनुतान थोड़ा ऊपर चटता है राम गया ?

आश्चर्यसूचक चिह्न—यह भी एक प्रकार का पूर्णविराम ही है जो आश्चर्य घृणा आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके प्रयोग की मुख्य स्थितियाँ निम्नांकित हैं

(1) आश्चर्यसूचक वाक्य के अंत में—वह मर गया।

(2) आश्चर्यसूचक शब्दों के बाद—हैं। वह मर गया।, अरे। तुम और फेल हो गए। अब ऐसे शब्दों के साथ अल्पविराम भी लगाते हैं।

(3) सम्बोधन के लिए भी इस चिह्न का प्रयोग होता है मोहन। जरा सुनना। इस स्थिति में भी अब प्रायः अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।

(4) घृणासूचक शब्दों और वाक्यों के बाद—छि छि। ऐसी गन्दगी।।

(5) धोभसूचक शब्दों और वाक्यों के बाद—उफ! तुम इतने घृणित हो।

(6) हर्षसूचक शब्दों और वाक्यों के बाद—वाह! कमाल कर दिया।

कभी-कभी दो-दो या तीन-तीन चिह्नों का भी प्रयोग आधिक्य दिखाने के लिए किया जाता है अरे। वह नहीं रहा। शोक।। महाशोक।।। ऐसे प्रयोगों में 'वह नहीं रहा' में अनुतान ऊपर जाती है, 'शोक' में और ऊपर तथा 'महाशोक' में बहुत ही ऊपर।

बहुत से लोग पूर्णविराम के स्थान पर आश्चर्यसूचक चिह्न का प्रयोग करते हैं। किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है।

कोलन (·), डैश (—) कोलन और डैश (—)—इन तीनों का प्रयोग विकल्प से आगे आने वाली बातों, तथा उदाहरण आदि के लिए होना है

मुख्य बातें ये हैं

मुख्य बातें ये हैं—

मुख्य बातें ये हैं :—

उपर्युक्त तीनों प्रयोगों में कोई अन्तर नहीं है। किंतु अन्य प्रयोगों की दृष्टि में इनमें कुछ अंतर हैं। उल्लेख्य बातें हैं

(1) कोलन का प्रयोग कुछ लोग कथन के लिए (नाटक में या अन्यत्र) करते हैं। शीला मैं जा रही हूँ। मोहिनी और मैं भी। पहले ऐसे स्थानों पर डैश का प्रयोग होता रहा है। आज भी अधिकांश लोग प्रायः डैश का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ 'कोलन और डैश' का प्रयोग नहीं होता।

(2) डैश निक्षिप्त वाक्य, उपवाक्य, वाक्यांग, पदबंध तथा शब्द के दोनों

और होता है बड़े नगरो—जैसे टोकियो, मास्को, कलकत्ता आदि—की समस्याएँ लगभग एक-सी हैं। मोहन—मुझे खूब पता है—अत मे पछताएगा। ऐसे स्थलो पर प्राय एक विचार दो मे विभक्त हो जाता है, और कुछ अन्य वाते बीच मे आ जाती हैं। ऐसी स्थिति मे कोलन या 'कोलन और डैश' का प्रयोग नही होता।

(3) 'जैसे' के बाद कुछ लोग डैश का प्रयोग करते हैं जैसे—भारत।

(4) दिनांक मे डैश का प्रयोग करते हैं ४—१२—७४। यहाँ अन्यों का प्रयोग नही होता। इस प्रकार के स्फुट प्रयोग और भी होते हैं और हो सकते हैं।

योजक चिह्न—दो या अधिक शब्दो को जोडने के लिए प्राय ममस्त पदो मे इसका प्रयोग होता है दौड-धूप, आस-पास, तीन-तीन मील पर, तन-मन-धन से, कवि-कुल-कमल-प्रभाकर। इसी प्रकार शेषाश-सकेत के लिए भी यह प्रयुक्त होता है, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है।

उद्धरण अथवा अवतरण चिह्न—यह एक ('नगर') अथवा युग्म ("नगर") होता है। प्रयोग के सबध मे निम्नांकित वातें याद रखने की हैं -

(1) किसी व्यक्ति का कथन अथवा लिखित सामग्री का अश ज्यो-का-त्यो उद्धृत करने के लिए इनका प्रयोग होता है कबीर कहते हैं 'दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाय'। इसे इस रूप मे भी कहा जा सकता है "दुनिया ऐसी बावरी..." अर्थात् ऐसी स्थिति मे दोनो मे किसी का भी प्रयोग हो सकता है। यो अब दो चिह्नों के स्थान पर एक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।

(2) इकहरे चिह्न का प्रयोग किसी नाम, शब्द, वाक्यांश, वाक्य आदि को औरो से अलगाने या बल देने आदि के लिए भी होता है। जैसे—'कवयित्री' कवि का स्त्रीलिंग है। 'गमला' एक पुर्तगाली शब्द है। 'गीता' विश्व-प्रसिद्ध है। 'स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' पर एक निबन्ध लिखिए।

(3) उपनामो के दोनो और भी इसे लगाते हैं रामधारी सिंह 'दिनकर', सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'।

कोष्ठक—जैसा कि पीछे दिखाया गया है, यह तीन प्रकार का होता है। सामान्यत लेखन मे प्राय () का ही प्रयोग अधिक चलता है। शेष मुख्यत गणित मे प्रयुक्त होते हैं। यदि एक कोष्ठक के भीतर दूसरा देना हो तो दो का भी प्रयोग कर देते हैं वह तस्वीर [जिसे हुसेन (भारत के प्रसिद्ध चित्रकार) ने बनाया था] सभी को बहुत पसन्द आ गई। कोष्ठक के कुछ प्रयोग हैं

(1) टडन (जो वाद मे डॉ० टडन हो गए थे) का वह लेख बडा ही उत्तेजक था। (2) शर्मा जी की वह दुर्घटना (जिसमे दूसरे ही दिन उनकी मृत्यु भी हो गई थी) देखकर मेरा जी इतना खिन्न हुआ कि मैंने बहुत दिनों तक वह रास्ता ही छोड दिया। (3) नेता जी के भाषण सयुक्त प्रात (जिसे अब

उत्तर प्रदेश कहते हैं) में स्थान-स्थान पर हुए। (4) 'परमग' (Postposition) शब्द का प्रयोग हिन्दी में कारक-चिह्न के लिए होता है। (5) तुलसी ने 'भ्रवधी' (पूर्वी हिन्दी की एक बोली) में मानम की रचना की।

सक्षेपसूचक चिह्न—सक्षेप सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है : क० प० उ० = कृपया पृष्ठ उलटिए, डॉ० = डॉक्टर, ई० पू० = ईसवी पूर्व। ऐंमे ही बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी०, एम० डी०। ० के स्थान पर कुछ लोग () का प्रयोग भी करते हैं।

काफपद अथवा हसपद—कौआ या हम जब चलता है तो भूमि पर ऐसे ही निशान बन जाते हैं। इसी आधार पर यह नाम पडा है। लिखने में कुछ छूट गया हो तो इसके द्वारा उसे जोड़ते हैं

में

मेरी परीक्षा अप्रैल \wedge है।

इत्यादिसूचक—इसके लिए • देते हैं। आधुनिक कथा और नाट्यसाहित्य में इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ कुछ करने के बाद शेष बातें, शब्द या वाक्य पाठक की कल्पना के लिए छोड़ दिए जाएँ। जैसे वह घूर्त है, मक्कार है, दगावाज है और है....., चितन-प्रक्रिया का घुंघला सकेत देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है शेखर सोच रहा था • रेखा परीक्षा पहाड • परीक्षा रेखा •।

परिशिष्ट

ये शुद्ध हैं या नहीं ?

नीचे 'क' के अंतर्गत दिए गए वाक्य तथा वाक्यांश शुद्ध हैं या अशुद्ध ? जो अशुद्ध हो, उन्हें ठीक कीजिए तथा अशुद्धि का कारण बताइए। नीचे 'ख' में अशुद्ध वाक्यों तथा वाक्यांशों के शुद्ध रूप दिए गए हैं। वहाँ से मिलाकर देखिए कि आपकी बात ठीक है या नहीं ?

क

1. वे अभी ही आए हैं।
2. कान ही पुर जाना है।
3. आप मेरे पर कृपा करें।
4. जाऊँ तो गा लेकिन आज नहीं।
5. लडका गाता हुआ जा रहा है।
6. गांधी जी बड़ी लगन के साथ देश की सेवा करते रहे।
7. दिन भर में दो जगह गोलियाँ चली।
8. लडकियाँ गाती हुई जा रही हैं।
9. मेरी सौभाग्यवती कन्या का शुभ विवाह कल है।
10. इस तूफान से अप्रतिम क्षति हुई है।
11. आपके चलते यह काम हो गया।
12. इतनी तेजी से लडका दौडकर आ रहा है।
13. तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी।
14. अधिकांश लोहे की चीजें काली पड गईं।
15. पिताजी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेंगे।
16. मुझे एक चिट्ठी लिखना है।
17. चमचमाती चाँदी के वर्तन बड़े आकर्षक थे।
18. अब तो मैंने इन लोगों का विरोध करने का सकल्प ले रखा है।
19. उसने तुम्हें उस दिन घंटों झिडका।

